चतुर्दश माला, खंड 21, अंक 5

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2006
6 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 3 Jan 2008

(खण्ड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्रतिमा श्रीवास्तव
मुख्य सम्पादक

सरिता नागपाल
वरिष्ठ सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 28 जुलाई, 2006/6 श्रावण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	81 से 83	2-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	84 से 100	39-139
अतारांकित प्रश्न संख्या	602 से 736	139-381
सभा पटल पर रखे गए पत्र		381-395
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		395
राष्ट्रपति से संदेश		396
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		
सभा की बैठकें रद्द किए जाने के बारे में.		397
रेल संबंधी स्थायी समिति		
विवरण		397
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
(एक) अठारहवां प्रतिवेदन.		397
(दो) साक्ष्य		398
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (2005-2006) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह		398

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(दो) 27 जुलाई, 2006 को ''दि पायनियर'' में ''ग्राका ग्रैब्स 2 स्कवेयर कि.मी. ऑफ इंडियाज लैन्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

श्री प्रणब मुखर्जी . . . 452

सभा का कार्य . . . 399

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खाते खोलने, ड्राफ्ट जारी करने तथा समाशोधन कार्यों सहित कतिपय महत्वपूर्ण बैंककारी कार्यकलापों के आउटसोर्सिंग की अनुमति देने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री गुरुदास दासगुप्त . . . 403

श्री पी. चिदम्बरम . . . 403

श्री के. फ्रांसिस . . . 410

श्री बसुदेव आचार्य . . . 411

श्री शैलेन्द्र कुमार . . . 412

श्री भृर्तहरि महताब . . . 413

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006 . . . 424

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में

श्री पी. चिदम्बरम . . . 424-451

बीमांकक विधेयक, 2005

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल . . . 455

श्री पी.एस. गढ़वी . . . 458

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . 461

विषय कॉलम

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2005

श्री सुबोध मोहिते 462

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005

(धारा 2, आदि का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते 462

(तीन) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2005

(धारा "5ख" का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते 463

(चार) भारतीय चिकित्सा विकास निगम विधेयक, 2005

श्री सुबोध मोहिते 463

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005

(नए अनुच्छेद 335क का अंत:स्थापन)

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन 464

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005

(अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन)

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन 465

(सात) सिलाई कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2006

श्री पी. करुणाकरन 465

(आठ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006

(नई धारा 382"क" का अंत:स्थापन)

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 466

(नौ) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006

(धारा 9 का संशोधन)

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 467

(दस) कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2006

श्री मोहन सिंह 467

विषय | कॉलम

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 468

(बारह) राष्ट्रीय बागबानी विकास आयोग विधेयक, 2006

श्री के.एस. राव 469

(तेरह) पर्यावरणीय निर्बाधन (स्वत: प्रमाणन) विधेयक, 2006

श्री के.एस. राव 469

(चौदह) अवसंरचना विकास बोर्ड विधेयक, 2006

श्री के.एस. राव 470

(पन्द्रह) मूल्य विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2006

श्री के.एस. राव 471

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006

(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील 471

(सत्रह) लोक सभा (प्रशासन) विधेयक, 2006

श्री मोहन सिंह 472

(अठारह) उपभोक्ता वस्तुएं (उत्पादन की लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य का अनिवार्य मुद्रण) विधेयक, 2006

श्री हंसराज जी. अहीर 512

(उन्नीस) वन उपज प्रबंध बोर्ड विधेयक, 2006

श्री हंसराज जी. अहीर 513

फसल बीमा विधेयक, 2005

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 473

श्री खारबेल स्वाईं 476

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई 478

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 480

श्री के.एस. राव 484

विषय	**कॉलम**

श्री एम. शिवन्ना 488

श्री भर्तृहरि महताब 489

श्री बिक्रम केशरी देव 494

श्री मित्रसेन यादव 498

श्री प्रसन्न आचार्य 501

श्री जे.ए. आरुन रशीद 505

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 509

श्री शंख लाल माझी 514

श्री लक्ष्मण सेठ 517

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 539-540

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 539-550

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 551-552

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 551-554

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2006/6 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 81 – श्री के.सी. पलनिसामी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल प्रधान मंत्री आवास पर जब कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, तब एक कार सुरक्षा घेरे को तोड़कर वहां पहुंच गयी।...*(व्यवधान)* इससे पहले भी दो-दो प्रधान मंत्रियों की जानें गयी हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मैं आपको प्रश्नकाल के बाद यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक घंटे बाद इसे उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि देश चिंतित है और आप भी चिंतित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया चुप बैठिए। मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बारे में माननीय सदस्यों की बैचेनी को समझ सकता हूं। मैं एक घंटे बाद इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा। इसमें और अधिक असुरक्षा की भावना नहीं आएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सरकार का बयान न देकर यह कहना कि कोई चूक नहीं हुई, ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* सरकार इस बारे में बयान दे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया प्रश्न काल की अनुमति दें। आपने तब भी आपत्ति की थी जब अधिक प्रश्न पूछे जा रहे थे।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, इस पर गृह मंत्री को अपना वक्तव्य देने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सरकार इसकी प्रशंसा करेंगी।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

पूर्वा 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 81, श्री के.सी. पलनिसामी।

किसानों को सहायता

\+
***81. श्री के.सी. पल्लानी शामी :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को बैंकों से समय पर ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें ऐसे ऋणों पर भारी ब्याज देने के लिए मजबूर भी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में किसानों की कठिनाइयों को दूर करने और ऋण पर ब्याज को माफ करने के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पैकेज के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सहकारी बैंकों ने उक्त पैकेज को क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा किसानों को बिना किसी बाधा के ऋण प्रदान किए जाने और उक्त पैकेज के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए संवितरित ऋण 86,981 करोड़ रुपए था। वर्ष 2005-06 में यह 1,67,755 करोड़ रुपए था। वर्ष 2006-07 के दौरान इस क्षेत्र के लिए संवितरण का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है जिसके अधिक हो जाने की संभावना है। वर्ष 2005-06 के दौरान बैंकों से लिए गए अल्पावधि ऋणों पर, ब्याज पर सरकार ने 2% की राहत प्रदान की और इस उद्देश्य के लिए 1700 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2006-07 के लिए 7% वार्षिक की दर से 3 लाख रुपए के मूलधन तक अल्पावधि उत्पादक ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) से (च) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 6 जिलों, नामत: अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वासिम और बुलढाना में किसानों की विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। कृषि ऋण से संबंधित इस पैकेज के मुख्य निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रभावित 6 जिलों में दिनांक 01.07.2006 की स्थिति के अनुसार, अतिदेय ऋणों पर समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा ताकि उक्त तारीख को सभी किसानों पर ब्याज का कोई बोझ नहीं रहेगा। 01.07.2006 की स्थिति के अनुसार, इन 6 जिलों में अतिदेय ऋणों पर ब्याज की अनुमानित राशि 712.00 करोड़ रुपए है।

(ii) 01.07.2006 की स्थिति के अनुसार किसानों के अतिदेय ऋणों को एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ 3 से 5 वर्षों की अवधि में पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

(iii) वर्ष 2006-07 में, इन 6 जिलों में 1275 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

सहकारी बैंकों ने इस क्रियान्वयन के प्रति कोई असमर्थता नहीं जताई है।

(छ) विदर्भ क्षेत्र में परिचालन कर रहे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी किसानों के ऋण खाते जो 01 जुलाई, 2006 को अतिदेय हैं, को पैकेज के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाए और उन पर ब्याज को माफ कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की संचालन समिति इस पैकेज के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रही है। फील्ड स्तर पर इस पैकेज के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय टीमें भी गठित की गई हैं जिसमें नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

***श्री के.सी. पल्लानी शामी :** महोदय, जब मैंने देशभर में किसानों को फसल ऋण लेने में आ रही कठिनाइयों के बारे में प्रश्न पूछा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोई कठिनाई नहीं है और उन्होंने गत तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को और उसके संगत कार्यकलापों को दिए गए कुल ऋण का ब्यौरा दिया। मैं फसल ऋण के रूप में किसानों को सीधे ऋण देने के बारे में सही जानकारी देना चाहता हूं। किंतु वास्तविकता यह है कि किसान संस्थानिक ऋण क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करना काफी कठिन है। इसलिए, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के सहयोग से एक ऐसे व्यवहार्य तंत्र को विकसित करेगा जिसमें स्व-सहायता समूहों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का अध्ययन किया जा सके?

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जब से, अर्थात् 18 जून, 2004, से यह सरकार सत्ता में आई हमने यह कहा था कि तीन वर्षों में कृषि ऋण को बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाएगा। वर्ष 2003-04 में यह 86,981 करोड़ रुपये था। तीन वर्षों में इसे दुगुना करने का यह अर्थ है कि 3 वर्षों में हम लगभग 1,72,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगें।

वास्तव में हम दूसरे साल में ही इस लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। वर्ष 2005-06 में 1,67,775 करोड़ रुपये का कृषि ऋण दिया गया था। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि कई किसानों को संस्थानिक ऋण नहीं मिलता है। हम प्रत्येक वर्ष संस्थानिक ऋण तंत्र के अंतर्गत लगभग 50-60 लाख किसानों को जोड़ रहे हैं। इसलिए सभी किसानों को इसमें कवर करने में कुछ समय लगेगा। किंतु आज पहले की अपेक्षा कई किसान इसमें कवर हुए हैं।

जैसाकि बजट में घोषणा की गई है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंक ऋण ढांचे के पुनर्वित्त पोषित भाग नाबार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 7 प्रतिशत की दर पर लघु अवधि का फसल ऋण दिया जा रहा है। यदि भारत के किसी भाग अथवा किसी बैंक द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन न करने संबंधी कोई खास शिकायत है तो कृपया वह मुझे बताएं। एक सप्ताह पहले ही मैंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी अध्यक्षों के साथ बैठक की थी।

मैने बिहार का दौरा किया है। मुझे तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसकी भी जानकारी है। यदि कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से हम उन शिकायतों की जांच करेंगे। किंतु हमारी मंशा अधिकाधिक किसानों को वाजिब दर पर कृषि ऋण प्रदान करना है।

***श्री के.सी. पल्लानी शामी :** माननीय वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र के छह जिलों में ऋण भार के कारण किसानों को हो रही दिक्कतों को कम करने हेतु किए गए उपायों पर प्रकाश डाला है। यदि देशभर में ऋण जाल में फंसे सभी किसानों की स्थिति का राज्यवार अध्ययन किया जाता तो यह बेहतर होता। जिन जिलों में रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की जा रही है उनमें किसानों की स्थिति का जायजा लिया जाता तो यह भी बेहतर होता। इसलिए, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों को मजबूत करने और किसानों को समय पर ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ मंत्री जी यह भी बताएं कि क्या किसानों को फसल ऋण देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई वितरण नीति संबंधी दिशानिर्देश हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, विदर्भ पैकेज एक पृथक पैकेज है। यह कृषि मंत्रालय द्वारा आत्महत्या प्रवण जिलों के रूप में चिह्नित 31 जिलों का भाग है। महाराष्ट्र के विदर्भ में छह जिले चिह्नित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस पैकेज की घोषणा 1 जुलाई को की थी। इस पैकेज को विदर्भ में क्रियान्वित किया गया है।

इसी प्रकार, कृषि मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में 16 जिले, कर्नाटक में 6 जिले और केरल में 3 जिले चिह्नित किए गए हैं, और इन कुल 31 जिलों के लिए पैकेज तैयार किया जा रहा है जिनकी पहचान आत्महत्या प्रवण जिले के रूप में की गयी है। अत: यह एक पृथक पैकेज है और इसे पूरे भारत में कृषि ऋण के बड़े मुद्दे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जीवाभाई ए. पटेल—उपस्थित नहीं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन : महोदय, विदर्भ क्षेत्र ने किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए मैं किसानों और उनके परिवारों को और अधिक भूख और आत्महत्या से बचाने के लिए हमारे वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए आवश्यक कदमों की प्रशंसा करता हूं।

मेरे माननीय सहयोगी, श्री पलनिसामी द्वारा पूछे गए प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या ऐसा ही पुनर्वास पैकेज या योजना तमिलनु के किसानों तक पहुंचाई जा सकती है जो प्रत्येक वर्ष लगातार या तो वर्षा या सूखे से प्रभावित रहते हैं। वित्त मंत्री द्वारा दी गयी सूची में सूखे या वर्षा से प्रभावित तमिलनाडु के एक भी जिले का उल्लेख नहीं है। किंतु मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु में कई जिले हैं जो प्रत्येक वर्ष वर्षा अथवा सूखे से प्रभावित होते हैं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध भी करूंगा कि क्या वे किसानों को उदारतापूर्वक ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदोश दे सकते हैं। यद्यपि उन्होंने अनौपचारिक अनुदेश दिए हैं किंतु वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे यह भी कहूंगा कि क्या 5 प्रतिशत ब्याज से कम पर किसानों को ऋण के संबंध में कदम उठाएंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : काश मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर 'हां' में दे पाता। किंतु मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। जैसा

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कि मैंने कहा, ये 31 जिले बिल्कुल अलग हैं। इनकी पहचान आत्महत्या प्रवण जिलों के रूप में की गयी है अतएव यह पैकेज इन 31 जिलों के लिए तैयार किया जा रहा है।

जहां तक किसानों को उदारता से ऋण देने के लिए बैंकों को अनुदेश देने की बात है, मेरे विचार से, मैंने हाल के किसी भी वित्त मंत्री से अधिक बार अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों के साथ बैठकें की हैं। मैं उनसे वर्ष में तीन या चार बार मिलता हूं। लगातार निगरानी और उनसे उदार होने के लिए लगातार अनुरोध करते रहने के कारण ही दोगुने कृषि ऋण के लक्ष्य को तीन वर्षों के स्थान पर दो वर्ष में प्राप्त किया गया है। किंतु निश्चय ही, मैं बैंकों द्वारा किसानों को और ऋण देना सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में अभी उल्लेख किया कि तीन राज्यों के 31 जिलों में ही किसानों के बकाया ऋण की माफी की गयी है, लेकिन देश में अन्य भी कई ऐसे जिले हैं, जिनमें ये समस्याएं प्रतिवर्ष उपस्थित होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन सभी जिलों में सर्वे कराकर किसानों को राहत दी जाएगी और जिस तरह से इन 31 जिलों के लिए पैकेज स्वीकार किया गया है, उसी तरह से अन्य जिलों के लिए भी सर्वे कराकर आप पैकेज जारी करवाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे विचार से कृषि मंत्रालय द्वारा उचित अध्ययन करने के बाद ही इन 31 जिलों की पहचान की गयी है और मैं कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार सूची के अनुसार चल रहा हूं।

श्री निखिलानन्द सर : माननीय मंत्री ने कहा कि 31 जिले आत्महत्या प्रवण जिले हैं। किंतु हम जानते हैं कि लाखों किसान ऋण जाल में फंसे हैं। क्या उन्हें मात्रा के बारे में, पूरे देश में निजी साहूकारों से ली गयी कुल ऋण राशि का पता लगाया है।

दूसरी बात, क्या वे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सस्ते ऋण उपलब्ध कराने को तैयार हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : किसानों ने साहूकारों से कुल कितना पैसा लिया है इस बारे में भारत सरकार के पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। इस प्रकार की जानकारी एकत्रित करनी भी कठिन होगी। समय-समय पर प्रतिदर्श अध्ययन पर आधारित अध्ययन प्रकाशित होते रहते हैं किंतु कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है।

दूसरी बात, जब बजट पर यहां चर्चा हुई थी तब कृषि ऋण के ब्याज दर के सवाल पर वाद-विवाद हुआ था। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों ने न्यून दरों पर किसानों को ऋण देने को कहा था किंतु मैंने कारणों को स्पष्ट किया था। ऐसी परिस्थिति में जिसमें हम हैं, अधिक से अधिक हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रबी और खरीफ फसल के लिए कृषि ऋण सात प्रतिशत पर उपलब्ध हो। यह 9 से 12 प्रतिशत हुआ करती थी। हमने अब यह सुनिश्चित किया है कि कृषि ऋण सात प्रतिशत के दर पर भारत सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी अपने विगत स्टेटमेंट में जो कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। देश में जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स हैं, वे नौ प्रतिशत से कम ब्याज दर चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम इस तरह की कोई स्पेसिफिक कम्पलेंट करें, मेरा आपसे सब्मिशन है कि सारे ग्रामीण बैंक्स जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वह आप देखें और उसकी इंक्वायरी करा लें। वे क्या शुल्क ले रहे हैं, वे सात प्रतिशत ले रहे हैं अथवा नौ प्रतिशत से अधिक ले रहे हैं। अभी तक किसानों को नौ प्रतिशत से कम ब्याज पर लोन नहीं दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि बजट में घोषणा की गयी थी, खरीफ 2006 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि अल्पावधि फसल ऋण सात प्रतिशत पर दें। यदि कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उच्च ब्याज दर ले रहा है—हमें सारा देश देख रहा है—उन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हम स्पष्टत: सलाह देते हैं कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई ऐसा मामला है तो उसे मेरे ध्यान में लाइए और 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दुष्यंत सिंह, दुर्भाग्यवश इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप इसे बाद में कहिएगा। यह उचित समय नहीं है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, किसानों की जान बचाने का यह मामला है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह मंत्री जी के उत्तर से सहमत नहीं हैं। मैं इस संदर्भ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के फिगर्स सदन में बताना चाहता हूं। उसमें दो बातें हैं, पहली बात किसानों को जो कर्ज मिल रहा है, उससे संबंधित है और दूसरी पैकेज से संबंधित है। जहां तक पैकेज की बात है, विदर्भ में पैकेज देने से पहले प्रति सप्ताह एक किसान द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आता था, पैकेज के बाद प्रति सप्ताह दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाऊंगा। यह प्रश्न का मूल बिन्दु है।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुबोध मोहिते : मैं रिजर्व बैंक के संदर्भ में बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

जितने भी शिडयूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसा आपने बताया कि इन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बीच गड़बड़ है। प्रॉयरटी सेक्टर में यह एलोकेशन 40 प्रतिशत है, ऐसा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के 2004 के फिगर्स बताते हैं।

[अनुवाद]

आपके पास 40 प्रतिशत तक आबंटन है। वर्ष 2004 में रिजर्व बैंक का आंकड़ा 35.30 था।

वर्ष 2005 में यह 35.40 था और वर्ष 2006 में यह मात्र 34.56 है। यह आंकड़ा प्राथमिकता वाले क्षेत्र हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया है जो प्रतिशत में है। आपने बोला 65,000, इसमें कोई लेना देना नहीं है। अनुपात क्या है और हमने कितना उपभोग किया है?

[हिन्दी]

मैं सीधा सवाल करता हूं कि प्रीओरिटी सैक्टर में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, एग्रीकल्चर में फारमर्स और मार्जिनल फारमर्स का शेयर कितना है और मार्जिनल फारमर्स का टार्गेट क्या हम मीट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह प्रश्न का मूल बिंदु है। मैं विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को दिया जाने वाला ऋण 18 प्रतिशत होना चाहिए। अब आंकड़े बैंकवार और वर्षवार उपलब्ध हैं। यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछते हैं तो मैं उन्हें बैंकवार और वर्षवार आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा कि कितने बैंकों ने 18 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा किया है और कितने बैंकों ने ऐसा नहीं किया है। कुछ बैंकों ने यह लक्ष्य पूरा किया है और कुछ बैंकों ने नहीं। परंतु वस्तुतः मुद्दा यही है। माननीय सदस्य का कहना है कि कुल धनराशि से कुछ लेना-देना नहीं है, मूल बात अनुपात की है। महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कुल धनराशि अनुपात की अपेक्षा अधिक सार्थक है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। यदि कृषि क्षेत्र को दिया जानेवाला ऋण 86,981 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,67,775 करोड़ रुपये हो गया है तो इससे पता चलता है कि किसानों को ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है। अनुपात तो बैंकिंग क्षेत्र की कुल बकाया ऋण राशि के आधार पर एक दशमलव ऊपर अथवा एक दशमलव नीचे हो सकता है।

वर्त्मान में गैर खाद्य ऋण करीब 30 प्रतिशत बढ़ा है और आवास ऋण में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि दर तेजी से बढ़ती है तो स्पष्ट रूप से प्रतिशतता एक दशमलव बढ़ जाएगी अथवा एक दशमलव घट जाएगी। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि यदि अनुपात महत्वपूर्ण है तो किसानों को दी जानेवाली धनराशि भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं 18 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में प्राप्त बैंकवार व वर्षवार उपलब्धियों का ब्यौरा माननीय सदस्य को भेजने में प्रसन्नता महसूस करूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के सुब्बारायण अगला अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास मात्र 30 मिनट हैं। कृपया इस बड़ी दुविधा पर भी विचार करे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप लोगों से भी कुछ और अन्य सूचनाएं प्राप्त होने की उम्मीद है जो मेरे पास नहीं आ रही हैं। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री के. सुब्बारायण : महोदय, कृषि क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची है। किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिए, क्या सरकार बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर दिया जा चुका है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से गहरी सहानुभूति रखता हूं। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : हमारे राज्य का किसान बैंक से जब ऋण लेने जाता है तो उसे क्षेत्र के सारे बैंकों से "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" लाने के लिए कहा जाता है और प्रत्येक बैंक किसान को "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" देने के बदले में 100 रुपये चार्ज करता है। किसी-किसी क्षेत्र में 50-50 या 60-60 तक राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंक हैं। जाहिर बात है कि प्रत्येक बैंक तक जाने के लिए उसे किराया-भाड़ा भी देना पड़ता है। हम वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो 100 रुपये प्रति बैंक गैर-इरादतन भार हमारे राज्य के किसानों पर पड़ रहा है उससे छुटकारा दिलाने के लिए क्या आप सभी बैंकों पर कोई ऐसा प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे जिससे कि जो 100 रुपया अनैतिक रूप से लिया जा रहा है उस पर रोक लग सके।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह इस प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में किसी बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा इस आधार पर बेबाकी प्रमाण-पत्र न देने अथवा ऋण न देने की कोई विशेष समस्या है और बेबाकी प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है तो कृपया ऐसे मामले को मेरी जानकारी में लाएं और मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा।

[अनुवाद]

श्री ब्रजेश पाठक : आपके नोटिस में आया है, मैंने आपको चिट्ठी दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में आत्महत्याओं की संख्या कम करने हेतु कदम उठाए हैं। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि किसानों ने ऋण प्राप्त किए हैं। परंतु साथ ही साथ मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऋण पाने वाले व्यक्तियों के ब्यौरों का विश्लेषण किया है ताकि यह पता चल सके कि क्या छोटे किसानों को बड़े किसानों की तुलना में अधिक ऋण प्राप्त हो रहे हैं। मुख्य बात यह है। आत्महत्या करने वाले किसानों में धनी किसानों की तुलना में निर्धन किसानों की संख्या अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है ताकि विशेषकर ये छोटे किसान आवश्यकता के समय ऋण प्राप्त कर सकें और वे बिना किसी कठिनाई के अपने उत्पाद बेच सकें ताकि उनका बोझ हल्का हो सके और वे समय पर अपना उत्पाद बेच सकें।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रश्न के सिर्फ उस भाग का उत्तर दूंगा जो ऋण से संबंधित है। खरीद, विपणन आदि से संबंधित बड़े प्रश्न कृषि मंत्री को संबोधित किए जाने चाहिएं।

जहां तक ऋण का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भूधारक किसानों को ऋण दिया जाता है। पट्टाधारक किसान को ऋण हासिल करने में परेशानी होती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। स्वामित्व व साक्ष्य के अभाव में पट्टाधारक किसान को ऋण मिलने में कठिनाई होती है। सामान्यतः अत्यंत छोटे किसान पट्टाधारक किसान होते हैं। इसलिए हमने बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि उन्हें दो साधनों के माध्यम से पट्टाधारक किसानों को दिए जाने वाले ऋण का अनुपात बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक है स्वः सहायता समूह तंत्र तथा दूसरा है संयुक्त-उत्तरदायित्व समूह तंत्र। यू.पी.ए सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद ही ये अनुदेश जारी किए गए थे।

पिछले वर्ष, ऋणों का एक बहुत छोटा अनुपात ही काश्तकारों के पास गया, परंतु इस वर्ष हमने ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि वर्ष के अंत तक काश्तकारों के पास ऋणों का कुछ अधिक अनुपात जाएगा, परंतु स्वत्वाधिकार के अभाव, प्रमाण के अभाव तथा भू-स्वामी द्वारा काश्तकार मानने के कारण गंभीर कठिनाइयां आ रही हैं। यहां गंभीर कठिनाइयां हैं परंतु हम संयुक्त उत्तरदायित्व समूह

तंत्र तथा स्व: सहायता समूह तंत्र के माध्यम से उनका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री हितेन बर्मन : महोदय, किसानों की यह समस्या केवल विदर्भ के छह जिलों की ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के छोटे तथा सीमांत किसानों की यही समस्या है। विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में, सरकार ने ऋण देने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है, परंतु 01 जुलाई को घोषणा के बाद से 26 दिन बीत चुके हैं तथा उस क्षेत्र में 15 किसान पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। विशेष पैकेज किसानों का जीवन बचाने की प्रक्रिया नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन सभी क्षेत्रों में किसानों का जीवन बचाने के लिए किसी अन्य कार्यक्रम के बारे में सोच रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, कृषि मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों से विचार-विमर्श करके यह पैकेज तय किया जा रहा है। मुझे याद है कि पिछले अधिवेशन के अंत में इस सभा में चर्चा हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि आत्महत्या-प्रवण जिलों के लिए वह एक पैकेज तैयार कर रहे हैं तथा पैकेज को क्रियान्वित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय तथा बैंक पैकेज का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हम पैकेज को क्रियान्वित कर रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार की यह सुनिश्चित करने में एक प्रमुख जिम्मेदारी है कि पैकेज का क्रियान्वयन किया जाए तथा किसान आत्महत्या करने जैसा अतिवादी कदम न उठाएं। पैकेज में विवेकाधीन धनराशि भी शामिल है, जिसे जिला कलैक्टर के पास रखा जाता है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि विपत्ति में फंसे किसान तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।

पैकेज के ऋण वाले भाग को सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी किया जाना अपेक्षित था, वह मैंने किया। मैं कृषि मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के पास माननीय सदस्य की भावनाओं को पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का दसवां तथा अंतिम अनुपूरक श्री येरननायडु द्वारा पूछा जाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने हाथ मत उठाइए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसका उचित उपयोग कीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, आंध्र प्रदेश में यह 2004 तथा आज तक के बीच लगभग 4000 किसानों ने आत्महत्या की है। यह स्थिति बहुत दयनीय तथा चिंताजनक है। क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के इन प्रभावित 16 जिलों को दिए जाने के लिए स्वीकृति हेतु कोई पैकेज भेजा है? पैकेज का ब्यौरा क्या है? इसे स्वीकृति देने में विलंब क्यों हो रहा है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस संबंध में हमारा राज्य ही सबसे अधिक प्रभावित है क्योंकि इन 16 जिलों में लगभग 4000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम सभी यह जानते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : आपने विदर्भ के लिए एक पैकेज की घोषणा की है और मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न हूं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के लगातार अनुरोधों के बावजूद आप आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पैकेज को स्वीकृति देने में विलंब क्यों कर रहे हैं? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इन मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न पूछने के लिए मैंने भी नोटिस दिया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, सभी ने नोटिस दिया हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं किसी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में नहीं उलझना चाहता...*(व्यवधान)* कृपया बैठ जाइए...*(व्यवधान)* मैं किसी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में नहीं पड़ना चाहता कि आत्महत्याएं 2 मई से पहले हुई थीं अथवा आत्महत्याएं 2 मई के बाद हुई थीं। जब भी कोई आत्महत्या करता है यह चिंता का ही विषय है, तथा हम सभी को दुख होना चाहिए कि आत्महत्याएं हो रही हैं। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि आत्महत्याओं की गणना के लिए कोई कट-ऑफ तारीख है। मुझे लगता है कि हमें इस बहुत ही चिंताजनक स्थिति में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति को दूर रखना चाहिए।

कृषि मंत्री राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। महाराष्ट्र से प्रथम पैकेज आया तथा पैकेज को स्वीकृत कर दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा कृषि मंत्रालय में इस पर विचार किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय पहले पैकेज को अंतिम रूप दे दे, तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय उस पैकेज को उपलब्ध कराएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 82 लिया जाएगा।

श्री अधीर चौधरी

(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, मैंने भी प्रश्न पूछने के लिए नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समुचित चर्चा हेतु नोटिस दीजिए। आप प्रश्न काल के दौरान ही सभी मुद्दों का समाधान कराना चाहते हैं। मैंने इस विशिष्ट प्रश्न में 11 सदस्यों को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवधान पैदा न करें।

(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, यह माननीय वित्त मंत्री से हमारे किसानों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में प्रश्न पूछने का अवसर है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह मेरी अनुमति लिए बिना बोल रहे हैं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

\+
***82. श्री पंकज चौधरी :**
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या कुछ ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं अभीष्ट परिणाम प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले राज्यवार कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में सभी गांवों को बिजली प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में राज्य-वार रूप से विद्युतीकृत एवं गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या अनुबंध-I के रूप में दर्शाई गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2003-04	24,011	2781
2004-05	23,861	3884
2005-06	10,000	9819

(ग) और (घ) सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अनेक स्कीमें लागू की हैं, यथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, कुटीर ज्योति त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम; एक लाख गांवों तथा एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण आदि। किंतु ये स्कीमें वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकी क्योंकि:-

(I) ग्रामीण विद्युतीकरण की गति और दिशा राज्यों पर छोड़ी गई थी और इससे विद्युतीकरण की गति कम हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ii) निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों के पास समय पर नहीं पहुंची।

(iii) राज्य यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति खराब थी और स्कीमों को सहायता देने में वे सक्षम नहीं थे।

(iv) राज्य विद्युत बोर्ड ग्रामीण विद्युतीकरण आरंभ करने के प्रति अनिच्छुक थे क्योंकि इससे और अधिक हानियां होंगी।

(v) अवसंरचना में किए गए निवेश की लागत को वसूलने और ऋण का भुगतान करने में अतिरिक्त विद्युतीकरण अवसंरचना की राजस्व स्थिरता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था।

(vi) इस प्रकार सृजित ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के अनुरक्षण हेतु राज्य यूटिलिटियों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहीं थी।

(ङ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत केवल ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। किंतु कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अन्य बातों के साथ-साथ 100% बिजली कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराती है। अब तक आरजीजीवीआई के अंतर्गत 42,745 बीपीएल कनेक्शन दिए गए हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्य-वार जारी किए बीपीएल कनेक्शन अनुबंध-II के रूप में दर्शाए गए हैं।

(च) ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने तथा सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2005 में भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आरंभ की। इस योजना का उद्देश्य वर्ष, 2009 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाना है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत अवसंरचना निर्माण के लिए 90% अनुदान दिया जाता है। पुराने सभी स्कीमों को आरजीजीवीवाई के साथ मिला दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ उठाए गए कदम निम्नवत् हैं:-

(i) पहली बार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युत वितरण आधार घटक को शामिल किया गया है।

(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण को परियोजना आधार पर शुरू किया गया है। कारगर कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं का काम टर्न-की आधार पर शुरू किया गया है।

(iii) ग्रामीण विद्युत वितरण की राजस्व संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत वितरण प्रबंधन हेतु फ्रैंचाइजी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।

(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए राज्यों को जिला समितियां गठित करने की सलाह दी गई है।

(v) उन राज्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यूटिलिटियों यथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा दामोदर वैली कॉरपोरेशन की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो स्कीम के कार्यान्वयन में उनकी सेवाएं लेने को इच्छुक हैं।

(vi) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी है। इसने परियोजना निरूपण, टर्न-की आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सामान एवं सेवा प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया, आरजीजीवीवीवाई के अंतर्गत फ्रैंचाइजी बनाने के लिए दिशा-निर्देश शामिल करते हुए एक कार्य संरचना तैयार की है। आरईसी ने उपस्करों/सामग्री के लिए अपने मौजूदा तकनीकी विनिर्देशों तथा परियोजना कार्यान्वयन निष्पादन में अपनाए जाने हेतु निर्माण मानकों को अद्यतन बनाया है।

(vii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन की सामयिक समीक्षा के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में उक्त योजना हेतु एक मॉनीटरिंग कमिटी भी गठित की गई है।

अनुबंध-I

2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001 की जनगणना के अनुसार बसे हुए कुल गांवों की संख्या	कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शेष अविद्युतीकृत गांव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26613	26565	48

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	3863	2335	1528
3.	असम	25124	19081	6043
4.	बिहार	39015	19251	19764
5.	झारखंड	29354	7641	21713
6.	गोवा	347	347	0
7.	गुजरात	18066	17940	126
8.	हरियाणा	6764	6759	5
9.	हिमाचल प्रदेश	17495	16891	604
10.	जम्मू और कश्मीर	6417	6301	116
11.	कर्नाटक	27481	26771	710
12.	केरल	1364	1364	0
13.	मध्य प्रदेश	52117	50474	1643
14.	छत्तीसगढ़	19744	18532	1212
15.	महाराष्ट्र	41095	40351	744
16.	मणिपुर	2315	2043	272
17.	मेघालय	5782	3016	2766
18.	मिजोरम	707	691	16
19.	नागालैंड	1278	1216	62
20.	उड़ीसा	47529	37663	9866
21.	पंजाब	12278	12278	0
22.	राजस्थान	39753	37276	2477
23.	सिक्किम	450	405	45
24.	तमिलनाडु	15400	15400	0
25.	त्रिपुरा	858	818	40
26.	उत्तर प्रदेश	97942	57042	40900
27.	उत्तरांचल	15761	13131	2630
28.	पश्चिम बंगाल	37945	31705	6240
	कुल (राज्य)	592857	473287	119570
	कुल (संघ राज्य-क्षेत्र	875	875	0
	अखिल भारत	593732	474162	119570

अनुबंध-II

14-7-06 तक आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यवार जारी बीपीएल कनैक्शन

राज्य	जारी बीपीएल कनैक्शन
उत्तर प्रदेश	21334
उत्तरांचल	997
कर्नाटक	12268
बिहार	3211
पश्चिम बंगाल	4937
कुल	42745

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा सभा में स्वीकार किया गया है कि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। मैं इस संबंध में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नए सिरे से कोई कार्रवाई की है और लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण, जो समय आगे बढ़ाया गया है तथा कार्य कराने के लिए धन की वृद्धि हुई है, वह कितनी हुई है? उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण का कार्य

बहुत धीरे चल रहा है। मंत्री जी के जवाब में आया है कि यह कार्य प्रदेश सरकारों पर छोड़ा जाता है लेकिन प्रदेश सरकार अगर कार्य नहीं कर पा रही हैं तो क्या मंत्री जी ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, पिछली 5 अप्रैल, 2005 से यह योजना शुरू हुई थी। वैसे देखा जाए, तो मेरे पास 1996 से इसकी फीगर्स हैं, लेकिन मैं इस वक्त उनका ब्यौरा नहीं देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश को अभी तक इस काम के लिए 2151 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा दी है जिससे वहां काम बहुत जोर से चला है। मैं स्वयं अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश गया था और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों को देखा था। मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनमें जो इनबिल्ट योजनाएं हैं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जब देहात में बनायी जाती है तो ट्रांसफॉर्मरों पर भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का नाम लगना चाहिए, गांवों में यह नाम लगाने का हमने निर्देश दिया है और नाम न लगाने पर दंड का भी प्रावधान है। इसके लिए हमने पैसा भी आवंटित किया है। मैं खुद उसका रिव्यू ले रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम हो रहा है। मैं डिस्ट्रिक्टवाइज उसका रिव्यू ले रहा हूं। आप इसकी चिंता मत करिये। मुझे सदन को बताने में खुशी हो रही है कि पूरे देश में 27 मई, 2006 तक दस हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और आज की तारीख तक कुल 14325 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में जिन पचास हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था, उनमें से दस हजार गांवों का विद्युतीकरण अभी तक किया जा चुका है। आज तक कुल मिलाकर 14 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और जो बाकी रह गये हैं, उन्हें हम इस साल के अंत तक पूरे कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने चार कारपोरेशंस इस काम में युद्ध स्तर पर लगाये हुए हैं।

श्री पंकज चौधरी : महोदय, आज गांवों में बिजली की मांग बढ़ती चली जा रही है। देश के तमाम प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है। क्या विद्युत की कमी को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है या केवल तार, पोल लगा देने मात्र से यह मान लिया जाएगा कि गांवों के लोगों को बिजली प्राप्त हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों में बिजली की कमी को देखते हुए, गांवों का सही इलेक्ट्रिफिकेशन हो, जिससे कि उन्हें पूर्ण रूप से बिजली मिल सके, क्या इसके लिए सरकार के पास कोई योजना है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दस सालों में विद्युत निर्माण का काम बहुत कम किया है। हमने इस बारे में वहां के मुख्य मंत्री तथा बिजली मंत्री से चर्चा की है। उन्होंने अब कुछ कार्य करना तय किया है। अभी तक की बिजली की स्थिति देखी जाए तो वहां भारत सरकार ही ज्यादा बिजली देती है। उनका 3646 मेगावाट फर्म शेयर है और 301 मेगावाट अनएलोकेटिड शेयर है। इस तरह से वहां टोटल 3947 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। देश में सबसे ज्यादा बिजली हम उत्तर प्रदेश को देते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं और मुझे इस बात की खुशी है टिहरी प्रोजैक्ट, जो बहुत सालों से रुका पड़ा था, इसका काम 1970 से चल रहा था, यह काम अब पूर्ण हो गया है और एक हजार मेगावाट क्षमता वाली परियोजना में उत्पादन अभी चार दिन पहले शुरू हो गया है। इसमें से 250 मेगावाट बिजली उन्हें मिलने की शुरूआत हो गई है। मैं परसों ही वहां जाकर इसका इनागुरेशन कर रहा हूं। टिहरी से उत्तर प्रदेश को 374 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। ताला, जो भूटान का प्रोजैक्ट है, वहां से तीन सौ मेगावाट बिजली मिलेगी और दुलहस्ती प्रोजैक्ट से टेन्टेटिवली 70 से 78 मेगावाट बिजली उन्हें मिलेगी। इस तरह से टोटल 752 मेगावाट विद्युत उनके पास हो जायेगी। लेकिन बिजली निर्माण करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमने देश के सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं और यूटिलिटी के बारे में भी बताया है कि जब तक स्टेट्स बिजली निर्माण का काम नहीं करेंगे, देश में बिजली पूरी नहीं पड़ेगी। मैंने इस सदन में पिछली बार भी बताया था कि एक लाख 25 हजार मेगावाट बिजली का हम निर्माण करते हैं। हमारा यह प्रोग्राम तय है। अभी एक लाख मेगावाट बिजली के निर्माण के कार्यक्रम हम आगे लेकर चल रहे हैं और युद्ध स्तर पर इस पर हमारे मंत्रालय में काम चालू है।

श्री हेमलाल मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें लक्ष्य और उपलब्धि के जो आंकड़े बताए गए हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर लगता है। उत्तर में बताया गया है कि 14 जुलाई तक पांच राज्यों में ही बी.पी.एल. कनैक्शंस दिये गये, शेष राज्यों में शून्य है। मेरा प्रश्न है कि झारखंड में विद्युतीकृत गांवों की सूची उपलब्ध कराते हुए, वहां के 21713 विद्युतीकृत गांवों में बिजली उपलब्ध कराने और बी.पी.एल. लोगों को समय-सीमा के अंदर कनैक्शंस प्रदान करने के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह बात सही है कि जब से ग्रामीण विद्युतीकरण का काम इस देश में शुरू हुआ है, मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, 1996-97 में देश में केवल 3843 गांवों का विद्युतीकरण हुआ,

1997-98 में 3207 गांवों का विद्युतीकरण हुआ, इस तरह देखा जाए तो एक साल में 2000-3000 के ऊपर यह आंकड़ा नहीं गया, जबकि 2005-06 में 9890 गांवों को बिजली दे दी गई है। इसलिए कि अब हमने तय किया कि जहां पहले ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में ज्यादातर पैसा नहीं दिया जाता था, कहीं इसमें लोन ज्यादा था, कहीं इसमें सब्सिडी कम थी लेकिन भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में एक निर्णय लिया और यू.पी.ए. सरकार का यह प्रथमदर्शी कार्यक्रम है कि पूरे देश के गांवों का विद्युतीकरण करना है, इसलिए एक लाख पच्चीस हजार गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया गया और एक साल में, यदि देखा जाए तो 14,325 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए कि पिछले वर्ष तक देश में 2,000-3,000 के ऊपर आंकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन इस सदन को मैं आश्वस्त करूंगा कि आने वाले दिनों में सब काम हम एक साल में पूरा कर देंगे।

जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में 21 डीपीआर हमें मिले हैं। असल में बात यह है कि हमने एक विशेष कार्यक्रम लिया है कि जिन राज्यों में अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत कम था, पूरे देश में, कई राज्यों में अलग बात थी, लेकिन यू.पी., बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम, इन चार राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम 25 प्रतिशत भी नहीं था, हाउसहोल्ड को मिलने की बात अलग थी, इसलिए 6 राज्यों में हम प्रॉयोरिटी स्तर पर यह काम ले रहे हैं और झारखंड को मैंने विशेष लक्ष्य दिया है। बीपीएल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना में ही एक इन-बिल्ट योजना यह है कि सर्वप्रथम हम सब बीपीएल को दें, क्योंकि बीपीएल को कनैक्शन फ्री देने की इसमें योजना बनाई गई है और हम खुद इसे मोनीटर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव : महोदय, किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु विद्युत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। यह न केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है अपितु यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को निशुल्क बिजली दी जा रही है और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि राज्य विद्युत बोर्ड ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को शुरू नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दी जा रही धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसका एक अन्य कारण यह भी बताया है कि राज्य सरकारों के माध्यम से धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों तक नहीं पहुंच पाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस योजना को किसी कॉरपोरेट सेक्टर अथवा भारत सरकार उपक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित कराने पर विचार करेगी।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, यह बात सही है कि वर्ष 2005 से पहले स्थिति यह थी कि हमारे पास अनेक योजनाएं थी परंतु कार्यान्वयन एजेंसियों के पास कभी धन नहीं पहुंच पाता था हमारे पास न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, कुटीर ज्योति योजना और एक लाख गांवों तथा एक करोड़ परिवारों के लिए त्वरित विद्युतीकरण इत्यादि योजनाएं थी।

तत्पश्चात् सरकार ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005 से पूर्व जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया कि अनेक कंपनियों और राज्य सरकार को आबंटित की गई धनराशि खर्च ही नहीं की जाती थी। वे इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग करते थे। ऋण की धनराशि भी बहुत बड़ी थी। वे ली गई धनराशि को भी वापस नहीं कर रहे थे। लेकिन डा. मनमोहन की अध्यक्षता में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचानी थी। जब हम विगत में देखते हैं तो पाते हैं कि कंपनियां और राज्य सरकारें इस काम में काफी पीछे थी। वर्तमान में हम पॉवरग्रिड कॉरपोरेशन, एनएचपीसी; हाइडल प्रोजेक्ट और दामोदर घाटी निगम के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। ये चारों एजेन्सियां इस परियोजना को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। हम यह कार्य युद्धस्तर पर कर रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर जो कुछ भी संभव है, कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह सदन को भ्रम में डालने वाला है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं बताया कि इसके पहले भी योजना चल रही थी और जो योजना आप चला रहे हैं, उसमें आप एक गांव के विद्युतीकरण के लिए केवल पांच से सात लाख रुपये देते हैं लेकिन

पांच से सात लाख रुपये में पूरे गांव का विद्युतीकरण नहीं हो पाता है, उसके मजले और पुरवे छूट जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मजले और पुरवे पहले छूटे हुए हैं और जो अब छूट रहे हैं, क्या 2009 तक आप इन सबको पूरा करा देंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे : मजले और पुरवे को भी लेने का हमने तय किया हे, उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। यह बात सही है और सरकार के ख्याल में आ गया है कि केवल ग्रामों का विद्युतीकरण ही हो रहा था, लेकिन बगल वाले हैमलैट्स का नहीं हो रहा है। वह भी काम हमने तय किया है और आने वाले चार सालों में वह काम पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मंत्री महोदय हटा दिए गए उत्तर में यह बताया गया है कि केरल में ऐसा एक भी गांव भी नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची हो। यह बात तकनीकी रूप से सही हो सकती है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम यह आशा करते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत केरल के ऐसे सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन सच्चाई यह है कॉरपोरेशन की प्रक्रिया के कारण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजना शुरू नहीं हो पाई है।

वहां पर टर्नकी आधार पर निविदाएं मांगी गई थी तब भी पहले कोई नहीं आया। जब इस बारे में पुन: निविदा जारी की गई तब तक वह 75 प्रतिशत की अनुमानित दर से बढ़कर 80 प्रतिशत की दर पर पहुंच गया। किसी भी टर्नकी आधार में 80 प्रतिशत सामग्री लागत है जबकि 20 प्रतिशत श्रम लागत है। यदि अनुमानित दर में इसी प्रकार वृद्धि होती रहेगी तो इसकी अनुमति कब दी जाएगी?...*(व्यवधान)* यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ऐसा आरईजी अथवा राज्य द्वारा किया जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां पर इन सभी बातों पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : समस्या यह है कि जहां तक केरल राज्य का संबंध है तो यहां पर कोई योजना शुरू नहीं की गई है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह योजना को शीघ्र से शीघ्र शुरू करें। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सामान्य ठेका प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्तता कोई अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : मुझे इसको सही-सही देखना होगा कि इस विशेष मामले में क्या हुआ है। परंतु मैं केरल के माननीय सदस्य को यह अवश्य बता दूं कि हमारे पास सात योजनाएं आई हैं। हमने केरल हेतु लगभग 221 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मैं निविदा के संबंध में माननीय सदस्य की समस्या की व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक असम प्रदेश के विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से कितनी धनराशि दी गई है? इसके अलावा हमारे बोडोलैन्ड अंचल में तथा पूरे हिन्दुस्तान में एस.सी., एस.टी. तथा जितने बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहां इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए भारत सरकार की क्या पॉलिसी है, उसके बारे में मैं साफ-साफ जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि 2009 तक हिन्दुस्तान के सारे गावों को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। मैं अपने यहां के ट्राइबल एरियाज के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के ट्राइबल विलेजिज एवं रिमोट एरिया वर्ष 3009 तक भी विद्युतीकृत नहीं हो पाएंगे, यह मेरी एप्रीहेंशन है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद के मन में जो संशय पैदा हुआ है, उसे मैं समझ सकता हूं। यह सही बात है कि आज तक रिमोट विलेजज में, विशेषतौर पर दलित और आदिवासियों की बस्तियों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। गरीबों की बस्तियों में बिजली पहुंचाने की ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमने नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी डिपार्टमेंट से भी कहा है कि वह रिमोट विलेजेज में बिजली पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करें। वह डिपार्टमेंट भी वहां काम कर रहा है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम को हमने पहले छ: बैकवर्ड राज्यों में बिजली पहुंचाने की दृष्टि से शामिल किया है। असम का अभी तक केवल एक ही प्रोजेक्ट आया है। उसके लिए हमने 55.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मैं वहां के मुख्य मंत्री जी से बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि वे जल्दी से जल्दी प्रपोजल भेज दें। हम खुद इसे मंत्रालय में मानीटर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन : महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा में इस विषय को प्रसन्नतापूर्वक कार्यवाही-वृत्तांत में लाना चाहूंगी कि हमारे प्रिय मुख्य मंत्री डा. कलइगनार करुणानिधि ने तमिलनाडु में कल सभी गरीब व्यक्तियों अर्थात् गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या विद्युत मंत्रालय की पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीब व्यक्तियों को मुफ्त बिजली देने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना है।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अभी तक सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। इसीलिए, हम ऐसा हस्तक्षेप कर रहे हैं।

इस विषय पर पहले ही आठ माननीय सदस्य अनपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

अब प्रश्न सं. 83।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन

+

*83. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के क्रियान्वयन के मामले में सरकार को प्रत्येक राज्य में कितनी सफलता मिली है;

(ख) इस अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्यों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या गुजरात सहित कतिपय राज्यों में समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यकों, महिलाओं, वृद्धों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं किया गया है या पंजीकरण नहीं किया जा रहा है/उन्हें पंजीकरण के लिए हतोत्साहित किया गया है या किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को अंतिम रूप देने के मुद्दे का समाधान कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार के कोई मामले सामने आए हैं; और

(ज) इस अधिनियम के शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन तथा जनता को योजना के बारे में जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एनआरईजीए की प्रगति रिपोर्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे पंचायत और जिला स्तरों पर प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी तैनात करें। कर्मचारियों की तैनाती में कुछ समय लग रहा है।

(ग) और (घ) अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के तहत रोजगार पाने की दृष्टि से अधिनियम में महिलाओं, वृद्धों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों बीच कोई भेद-भाव नहीं किया गया है। बजाए इसके अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 6 में यह व्यवस्था है कि महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि जिन लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा चुका है और जिन्होंने कार्य के लिए आवेदन किया हो उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाएं हों। तथापि, समाचार-पत्रों में गुजरात राज्य में एनआरईजीए के अंतर्गत एक खास समुदाय को पंजीयन से मना करने की खबरें छपी थीं। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की गई थी और गुजरात

सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ऐसे किसी भेदभाव से इंकार किया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा (6)(1) में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूरी दर विनिर्दिष्ट करेगी। धारा (6)(2) में आगे यह यह प्रावधान है कि जब तक केंद्र सरकार मजदूरी दर निर्धारित नहीं करती है, तब तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा (3) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर को इस अधिनियम के तहत मजदूरी दर के रूप में माना जाएगा। केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य के संबंध में अभी तक कोई मजदूरी दर निर्धारित नहीं की है। एनआरईजीए के प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी दर ही लागू है।

(छ) एनआरईजीए अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में कुछेक शिकायतें मिली हैं। इन रिपोर्टों को जांच और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त एक शिकायत में, लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दो राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) को प्रतिनियुक्त किया गया है।

(ज) इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर निदेश दिया गया है कि वे अधिनियम के ठोस कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराएं। विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्र दौरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएलएम की नियुक्ति की गई है जो अधिनियम की प्रगति पर नजर रखेंगे और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। कार्यान्वयन एजेंसियों के पास काम करने वाले कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों को निधियां दी गई हैं। सभी राज्यों से इस अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रासार करने का आग्रह किया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वे लोगों को जागरूक बनाने के लिए 26 जनवरी और 2 फरवरी को ग्राम सभाओं को विशेष बैठक बुलाएं। अभियान में हैंडबिल, पोस्टर, दीवार पर लिखाई आदि का सुझाव दिया गया है। दूरदर्शन और समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए थे। जागरूकता सृजित करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

अनुबंध

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति

क्र. सं.	राज्य	जिले	जारी किए गए जॉब कार्ड	मांगे गए रोजगार (व्यक्तियों की सं.)	दिए गए रोजगार (व्यक्तियों की सं.)	शुरू किए गए कार्यों की सं.	रिलीज की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13	4106477	721868	705822	22063	20000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	17480				272.85
3.	असम	7	104383	11205	6990	534	13970.845
4.	बिहार	23	1071522	533009	505281	17619	40503.38
5.	छत्तीसगढ़	11	1534636	165245	162480	9671	17321.72
6.	गुजरात	6	597028	73791	73791	1716	4113.94
7.	हरियाणा	2	76421	20261	15573	288	913.39

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	2	62408	29080	24848	2249	683.64
9.	जम्मू व कश्मीर	3	159158	20261	20261	1211	986.365
10.	झारखंड	20	1205239	501388	467133	9513	37618.59
11.	कर्नाटक	5	315412	118810	66530	3678	6329.69
12.	केरल	2					2179.51
13.	मध्य प्रदेश	18	4144413	1913133	1804953	69783	109384.11
14.	महाराष्ट्र	12	1094659	192867	183075	6152	17961.645
15.	मणिपुर	1	17880				570.89
16.	मेघालय	2					2064.68
17.	मिजोरम	2	36626	14508			298.9
18.	नागालैंड	1	27884		15		430.11
19.	उड़ीसा	19	1900553	577814	563681	23559	31516.56
20.	पंजाब	1	33375		21284	976	755.75
21.	राजस्थान	6	1423031	853061	846263	13809	64100
22.	सिक्किम	1	4696				451.5
23.	तमिलनाडु	6	535519	86625	82009	668	9889.21
24.	त्रिपुरा	1	58114	20148	16218	327	1456.66
25.	उत्तर प्रदेश	22	1662768	657041	528552	16293	33498.659
26.	उत्तरांचल	3	187029	13522	11178	2221	1910.6
27.	पश्चिम बंगाल	10	1149145	646412	495493	3305	18358.84
	कुल	200	21525838	7170049	6601430	205635	437542.065

सारणी में दिए गए रिक्त स्थान राज्यों से जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति को दर्शाते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, पूछे गए प्रश्न में आठ महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना मांगी गई थी। कई सूचनाएं मांगी गई थीं और दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय ने कंप्यूटर रिलीज दी है। इससे केवल राज्यों की संख्या, जारी किए गए जाब कार्ड और जारी की गई धनराशि के बारे में ही जानकारी मिलती है। परंतु प्रश्न में इससे काफी अधिक सूचना की आवश्यकता थी।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा यह उत्तर देने से बचने का मामला है। आप सभी जानते हैं कि यह एक नई और प्रशंसनीय योजना है; और आरंभिक समस्याएं आनी हैं। अनेक रिपोर्टें और शिकायतें हैं। उदाहरणार्थ, एक शिकायत रही है कि एक राज्य ने 52 लाख श्रमदिवसों का दावा किया था परंतु दावे पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : रिपोर्ट है कि एक महिला उच्च न्यायालय गई है क्योंकि उसे केवल 4 रुपये का भुगतान किया गया है। रिपोर्ट है कि विशेष मंत्रालय के सूत्रों से कहा जा रहा था कि न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये होनी चाहिए। मैं यह क्यों कह रहा हूं?

इसके कार्यान्वयन के बारे में उठाए जा रहे इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखकर क्या माननीय मंत्री जी कृपया सभा को यह स्पष्ट करेंगे अथवा आश्वस्त करेंगे कि वह समुचित प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करेंगे ताकि हम यह जान सकें कि कितने श्रमदिवसों का सृजन किया गया है और वास्तव में कितनी मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है आदि? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या ऐसी प्रणाली स्थापित की जाएगी और क्या माननीय मंत्री जी इसी सत्र के दौरान ऐसी प्रशंसनीय योजना के प्रभाव के संबंध में वक्तव्य देंगे?

अध्यक्ष महोदय : दोनों अनुपूरक प्रश्नों को पहले ही कवर किया जा चुका है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम और योजना की प्रशंसा की है और उनमें जानने की जिज्ञासा है। राज्यवार हमने, जो उन्होंने पूछा था, उसका उत्तर विवरण में दे दिया है। फिर भी उन्होंने मोनिटरिंग तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है, हमारे यहां पहले से तीन स्तर पर मोनिटरिंग तंत्र स्थापित है। हर जिले में नजर रखी जाती है कि कहां पर कैसे योजना लागू हो रही है। पांच राज्यों में चुनाव के चलते, उस समय पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, जिस समय में हमने योजना शुरू की, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बिहार में पंचायती राज के चुनाव शुरू हो गये थे, इसलिए पांच राज्यों में जो उत्साहजनक टेक ऑफ करना चाहिए, वह नहीं हुआ। बाकी राज्यों में बड़ा उत्साहजनक परिणाम आया है। फिर बरसात आ गई। बरसात के बाद से यह काम शुरू होगा, लेकिन बीच में सब राज्यों में पिछले साल में लगभग तीन हजार और इस साल चार हजार करोड़, कुल लगभग सात हजार करोड़ रुपये स्टेट्स के जिलों में जमा कर दिये और योजना चालू कर दी गई। हमारे यहां ई-गवर्नेंस है, ऑन लाइन मोनेटरिंग हो रही है। 560 जिलों में हमारी कनेक्टिविटी हो गई है, कुछ जिलों में बाकी है और हम चाहते हैं कि एम.आई.एस. से हमारी कनेक्टिविटी रहे ताकि सदन या जो भी माननीय सदस्य जानना चाहें, हर सूचना उनको दी जा सके और पीपुल्स पार्टीसिपेशन, स्टेट मोनिटरिंग एण्ड विजीलेंस, ट्रांसपेरेंसी एण्ड एकाउण्टेबिलिटी, चार सूत्री कार्यक्रम इसमें हमने लागू किया है, जिससे कोई हेराफेरी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो। माननीय सदस्यों की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट विजीलेंस एंड मोनिटरिंग कमेटी है। हमने आग्रह किया है कि सब अपने-अपने क्षेत्र में देखें, स्थिति की समीक्षा करें और हमें बतायें। चूंकि राज्य सरकारों के मार्फत और पंचायती राज के मार्फत इसे लागू होना है, इसीलिए पंचायती राज के कर्मी पी.आर.आई. इंस्टीट्यूशन के जो सदस्यगण हैं और अधिकारी/कर्मचारी और फिर लोकल विजीलेंस कमेटी, इन सबके लिए हमने ट्रैनिंग का प्रबंध कराया है। सभी राज्यों ने कहा है कि ट्रैनिंग कीजिए। राज्य स्तर पर हमने कहा है कि कम से कम दो प्रतिशत योजनाओं की छानबीन राज्य सरकार के पदाधिकारी करें, जिला एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम 10 प्रतिशत की छानबीन करे, जिससे कहीं हेराफेरी की गुंजाइश न हो। न्यूनतम मजदूरी का मैं क्लाज़ याद करा देता हूं, जो इस सदन ने पारित किया। हमने कहा कि जो राज्यों में मिनिमम वेजेज़ एक्ट 1948 का सेक्शन तीन लागू है, वही लागू रहेगा। जरूरत पड़ने पर सेण्ट्रल गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन अभी तक सैंटर के द्वारा मिनिमम वेज घोषित करने की जरूरत नहीं आई है। सभी राज्यों में अपनी-अपनी न्यूनतम मजदूरी लागू है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं एक लाइन का अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा? सरकार इस योजना का पूरे देश में विस्तार करने में कितना समय लेगी?

मोहम्मद सलीम : महोदय, यह एक लाइन (वन लाइन) अनुपूरक प्रश्न था या ऑनलाइन अनुपूरक प्रश्न था?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, दो फरवरी, 2006 को हमने यह योजना देश के एक तिहाई हिस्से में शुरू की है, 600 जिलों में से 200 जिलों में शुरू कर दी और एक्ट में ही प्रावधान है कि पांच वर्षों के अंदर देश भर में, हर हिस्से में हम लागू कर देंगे। पांच वर्ष से भी कम में देश भर में लागू हो जायेगी।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विभिन्न राज्यों का आंकड़ा प्रस्तुत किया है। जॉब कार्ड के संबंध में, रोजगार के संबंध में और पैसा रिलीज करने इत्यादि के संबंध में माननीय मंत्री जी ने हमारे स्टेट बिहार के संबंध में भी कुछ आंकड़े जारी किये हैं, मैं उन्हें पढ़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव : लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की यह जो ऐतिहासिक योजना थी कि गरीबों को काम मिले और खासकर जो पिछड़े प्रदेश के गरीब हैं, जिनका पलायन हो रहा था, उनको अपने गांव में काम मिले, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जिस मंशा के साथ राशि आबंटित कर रहे हैं, खासकर हमारे राज्य बिहार में, आपकी वह मंशा पूरी नहीं हो रही है। आपकी मंशा है कि गरीबों को रोजगार मिले, लेकिन वहां तो माफियाओं और ठेकेदारों के माध्यम से, बड़ी-बड़ी मशीनों के माध्यम से कार्य करवाये जा रहे हैं और इस योजना का माफियाओं के माध्यम से दुरुपयोग हो रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार ही नहीं पूरे देश की यही स्थिति है। भ्रष्टाचार का बोलबाला बड़े पैमाने पर है।...*(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव : मेरे राज्य में राशि का भारी दुरुपयोग हो रहा है।...*(व्यवधान)* जाली जाब कार्ड बन रहे हैं।...*(व्यवधान)* फर्जी मजदूर बहाल किए जा रहे हैं। वहां यह स्थिति है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव : मैं बहुत दुखी मन से यह बात कह रहा हूं। यह सच्चाई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को जवाब देने का मौका तो दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, पहले मैं मंत्री जी से प्रश्न तो पूछ लूं।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, ये बरसात में मिट्टी का काम करना चाहते हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न पर आऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : बड़े पैमाने पर ठेकेदारों और माफियाओं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के हाथों में गरीबों का पैसा चला गया है, उसे रोकने के लिए आप क्या कारगर उपाय कर रहे हैं? इसके साथ ही साथ बिहार के जो जिले योजना में शामिल होने से छूट गए हैं, उन जिलों को इसमें जोड़ने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें जवाब देने का टाइम तो दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश के 200 जिलों की 85 हजार पंचायतों में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। पांच महीने बीत चुके हैं। इन पांच महीनों में अभी तक हमें कुल 22 शिकायतें आयी हैं। ये शिकायतें जिन प्रान्तों से आयी हैं, उनमें उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा हैं, लेकिन बिहार से अभी तक एक भी शिकायत नहीं आयी है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं और मिनिस्टर साहब ने जवाब भी दे दिया है।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी यहां से यह दावा नहीं कर सकता कि सभी जगह दुरूस्त स्थिति है। जब यहां विधेयक पास हो रहा था, उस समय सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने हमें बड़ा भारी समर्थन दिया और यह सावधानी बरतने के लिए कहा कि इसमें हेराफेरी की गुंजाइश न हो, इस कानून में मशीन और ठेकेदार एकदम वर्जित है, लेकिन कहीं भी अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है, तो उसको पकड़ने के लिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत पायी जाती है, तो मैं चुनौती देता हूं कि माननीय सदस्य उसे बताएं।...*(व्यवधान)* अगर कहीं भी हेराफेरी की शिकायत है, तो उसकी हम जांच कराएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। यह तरीका सही नहीं है। यह बहुत गलत बात है। यह सही नहीं है। अब, मेरे पास एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृपलानी, आप अध्यक्षपीठ को परेशान कर रहे हैं।

मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि संसद सदस्यों की अध्यक्षता में कितनी सतर्कता समितियों ने बैठकें की हैं और आपको अपनी रिपोर्टें दी हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तक करीब 376 डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज की विभिन्न बैठकें हुई हैं। उनकी रिपोर्ट्स आयी हैं। जिन जिलों की रिपोर्ट नहीं आई है, उन जिलों को हम राज्य सरकारों के माध्यम से पास कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 376 जिलों के बारे में बताया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे यह पता चलता है कि सदस्य सतर्क हैं। वे अपना कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह विजिलेंस कमेटी 150 जिलों में बनी है जबकि मंत्री जी 376 जिले बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया, यह तरीका सही नहीं है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

शेयर बाजार में गिरावट

*84. श्री प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री आर. प्रभु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में शेयर बाजार में निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लघु निवेशकों को हुए कुल नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार शेयर बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति की जांच कराने का है; और

(ङ) लघु तथा मध्यम श्रेणी के शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सेंसेक्स और निफ्टी में मासिक औसत उतार-चढ़ाव प्रतिशत परिवर्तन सहित निम्नानुसार है:—

महीने	सेन्सेक्स	सेन्सेक्स में प्रतिशत परिवर्तन	निफ्टी	निफ्टी में प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5
जनवरी, 2006	9539.66	4.12	2892.68	4.33
फरवरी	10090.08	5.77	3019.32	4.38
मार्च	10857.03	7.60	3236.36	7.19
अप्रैल	11741.74	8.15	3494.06	7.96
मई	11599.16	-1.21	3437.41	-1.62
जून	9934.74	-14.35	2914.91	-15.20
जुलाई (24 जुलाई तक)	10531.35	6.01	3084.59	5.82

जैसाकि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है, स्टॉक सूचकांकों में परिवर्तन दरें दोनों दिशाओं में उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं। यद्यपि मई और जून, 2006 में सेन्सेक्स और निफ्टी के स्तर में गिरावट देखी गई, जुलाई, 2006 (24 जुलाई तक) के दौरान सूचकांकों की औसत घट-बढ़ जून, 2006 के स्तर की तुलना में उर्ध्वमुखी रही है।

(ग) बाजार मूल्य में गिरावट के कारण उठाई गई सांकेतिक हानि पोर्टफोलियो की संरचना और प्रतिभूतियों की प्राप्ति की लागत और पोर्टफोलियो सहित परवर्ती कारपोरेट लाभों पर निर्भर करेगी। इसलिए उपर्युक्तर शेयर मूल्यों में यदि कोई गिरावट हुई हो तो उसके कारण हानि की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है, हानि केवल शेयरों की बिक्री किए जाने पर ही होगी। अन्यथा केवल स्वामित्वाधीन शेयरों के मूल्य में ही गिरावट होगी।

(घ) सूचकांकों के स्तर की ओर ध्यान दिए बिना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बाजार के उतार-चढ़ाव की जांच करता है और प्रतिभूति बाजार में कोई अनियमितता पाई जाने पर उपयुक्त कार्यवाही करता है। वर्तमान मामले में भी सेबी बाजार पर लगातार नजर रख रहा है और जहां भी आवश्यक हो शीघ्र समाधान के उपाय कर रहा है। यह स्टॉक एक्सचेंजों के निगरानी अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठकों का आयोजन भी कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंजों को जहां-कहीं भी आवश्यक हो, तुरंत निदर्शनात्मक कार्यवाही शुरू करने का सुझाव दिया गया है जिससे कि निवेशकों के हित की रक्षा की जा सके और स्टॉक बाजार का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(ङ) सेबी और सरकार, निवेशकों को, चाहे वे छोटे हों अथवा बड़े, सलाह देते आ रहे हैं कि वे बाजार संबंधी अपनी स्वयं की समझ अथवा ऐसी सलाहों जो उन्हें निवेश सलाहकारों से प्राप्त हों, पर आधारित सूचित निवेश निर्णय लें बाजार में अल्प अवधि में अधोमुखी रूझान से निवेशक को बाजार छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए यदि निवेशक के पास बाजार का दीर्घावधिक सकारात्मक दृष्टिकोण है और उसने दीर्घ अवधि के लिए निवेश किया है। निवेशकों को अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए और घबराहट में निर्णय भी नहीं लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त निवेशकों को अस्थिरता के प्रभाव से बचाने के लिए, दिनांक 10 जुलाई, 2006 से नकदी बाजार में व्युत्पाद बाजार की तरह जोखिम व्यवस्थाओं को अंतरा-दिवसीय अद्यतन किया गया है। प्रयोज्य वीएआर मार्जिन दरें दिन में कम से कम 5 बार अद्यतन की जाती हैं। साथ ही एक्सचेंजों को बाजार में, अस्थिरता तथा विचलन, यदि कोई हो, पर पूरी तरह निगरानी रखने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

सामान्य बीमा कंपनियों को नुकसान

*58. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में बार-बार आई आपदाओं के कारण सामान्य बीमा कंपनियों को वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान बहुत भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) साधारण बीमा कंपनियों को वर्ष 2004 तथा 2005 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बड़ी संख्या में दावे प्राप्त हुए हैं। तथापि, ऐसी आपाती हानियों से स्वयं को बचाने के लिए कंपनियां भारतीय साधारण बीमा निगम (जी आई सी) तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से पुनर्बीमा सहायता की मांग करती हैं, इस तरह इन दावों के एक बड़े भाग की पूर्ति हो रही है। कंपनियों ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम को पुनः तैयार किया है तथा पुनर्बीमा कवर को वर्ष 2006-07 के लिए बढ़ा दिया। वर्ष 2004 में सुनामी, 2005 में गुजरात तथा मुंबई/महाराष्ट्र बाढ़ से सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा दावों पर किए गए व्यय के कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(रु. करोड़ में

कंपनी का नाम	दिसंबर, 2004 में सुनामी	जून, 2005 में गुजरात बाढ़	जुलाई, 2005 में मुंबई/महाराष्ट्र में बाढ़
1	2	3	4
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.45	13.85	375.15
दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7.31	35.26	476.34
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16.73	21.55	350.70
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11.59	32.54	270.96
कुल	37.08	103.20	1473.15

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार में निवेश

*86. श्री संतोष गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार में बैंकवार, संस्थावार कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) शेयर बाजार में निवेश करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्तर्निहित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शेयर बाजार में उनकी भागीदारी के बारे में कोई निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं (एफआई) अपनी आय को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अपनी समग्र निवेश कार्यनीति के भाग के रूप में शेयर बाजार में निवेश करते हैं। मार्च, 2005 एवं 2006 की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं एफआई का पूंजी बाजार में कुल निवेश (एक्सपोज़र; क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) पूंजी बाजार में निवेश से जुड़े जोखिम को सीमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शेयर, डिबेंचर एवं बांड में निवेश के बदले अग्रिमों के संबंध में बैंकों के लिए कुछ सांविधिक एवं विनियामक प्रकटन सीमाएं निर्धारित की हैं। वर्तमान में, बैंकों को, पूंजी बाजार में, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, अपने कुल बकाया अग्रिमों (वाणिज्यिक पत्र सहित) के 5 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने बैंकों/एफआई को शेयरों में निवेश इक्विटी अनुसंधान में पर्याप्त विशेषज्ञता पाने, बैंक में निवेश समिति गठित करने, जोखिम प्रबंधन मानदंड का पालन करने, जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अद्यतन करने, निरीक्षण करने एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा पूंजी बाजार में निवेश की निगरानी करने, अपने तुलनपत्रों के लिए ''लेखा संबंधी टिप्पणियों'' में शेयर बाजार में निवेश को प्रकट करने, आदि के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक पारदर्शी नीति एवं कार्यविधि तैयार करने के निदेश भी दिए हैं।

विवरण-I

पूंजी बाजार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल निवेश (एक्सपोजर)—वित्तीय वर्ष 2005 और वित्तीय वर्ष 2006

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	वर्ष (मार्च अंत के अनुसार)	निधिबद्ध निवेश (पूंजी बाजार को अग्रिम) क	गैर-निधिबद्ध निवेश (पूंजी बाजार को वित्तीय गारंटियां) ख	पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश ग	पूंजी बाजार में कुल निवेश घ=क+ख+ग
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	मार्च 2005	10	30	183	223
	मार्च 2006	0	25	337	363
आंध्रा बैंक	मार्च 2005	1	0	280	282
	मार्च 2006	4	0	144	148
बैंक ऑफ बड़ौदा	मार्च 2005	16	3	471	491
	मार्च 2006	12	25	502	539
बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2005	120	440	488	1048
	मार्च 2006	309	799	163	1271
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	मार्च 2005	2	12	64	78
	मार्च 2006	12	29	86	127
केनरा बैंक	मार्च 2005	29	220	343	592
	मार्च 2006	128	355	560	1043

1	2	3	4	5	6
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2005	19	29	102	149
	मार्च 2006	30	26	208	265
कार्पोरेशन बैंक	मार्च 2005	1	6	69	76
	मार्च 2006	1	42	347	390
देना बैंक	मार्च 2005	2	0	23	26
	मार्च 2006	27	65	48	140
आईडीबीआई लि.	मार्च 2005	0	0	2691	2691
	मार्च 2006	115	92	1271	1478
इंडियन बैंक	मार्च 2005	9	18	142	168
	मार्च 2006	7	47	168	221
इंडियन ओवरसीज बैंक	मार्च 2005	6	36	2345	387
	मार्च 2006	13	65	340	418
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	मार्च 2005	54	97	193	344
	मार्च 2006	48	253	334	635
पंजाब एंड सिंध बैंक	मार्च 2005	2	5	37	43
	मार्च 2006	8	14	26	47
पंजाब नैशनल बैंक	मार्च 2005	18	66	511	596
	मार्च 2006	17	202	963	1182
सिंडिकेट बैंक	मार्च 2005	1	10	78	89
	मार्च 2006	1	35	265	300
यूको बैंक	मार्च 2005	15	34	114	163
	मार्च 2006	2	154	146	302
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2005	14	220	300	534
	मार्च 2006	14	281	370	665

1	2	3	4	5	6
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2005	1	28	99	127
	मार्च 2006	2	35	124	161
विजया बैंक	मार्च 2005	8	5	176	189
	मार्च 2006	1	5	230	236
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	मार्च 2005	0	0	90	90
	मार्च 2006	0	5	134	139
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	मार्च 2005	3	0	170	173
	मार्च 2006	6	0	290	296
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2005	1097	65	2394	3556
	मार्च 2006	33	1	2290	2323
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	मार्च 2005	0	22	63	85
	मार्च 2006	1	22	85	107
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	मार्च 2005	0	15	59	74
	मार्च 2006	0	15	88	103
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	मार्च 2005	0	35	96	131
	मार्च 2006	1	21	172	194
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	मार्च 2005	0	7	82	90
	मार्च 2006	0	8	79	87
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	मार्च 2005	1	3	46	50
	मार्च 2006	1	5	93	98
सरकारी क्षेत्र के बैंक	मार्च 2005	1429	1406	9709	12543
	मार्च 2006	792	2625	9862	13279

टिप्पणी : 1. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निवेश में पूंजी बाजार में कुल अग्रिम, वित्तीय गारंटियां और प्रत्यक्ष निवेश शामिल हैं।

2. मार्च, 2006 - आंकड़ों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है और ये अनंतिम हैं।

विवरण-II

31 मार्च 2005 और 2006 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार में निवेश की गई कुल राशि

(करोड़ रुपए)

नाम	31.03.05 की स्थिति के अनुसार बकाया	31.03.05 की स्थिति के अनुसार बकाया
नाबार्ड	शून्य	शून्य
सिडबी	57.61	87.25
एक्जिम बैंक	48.41	44.15
एनएचबी	शून्य	शून्य
आईएफसीआई	शून्य	शून्य
टीएफसीआई	0.03	0.08
आईआईबीआई	शून्य	शून्य
कुल	106.05	131.48

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

*87. **श्री पी.सी. थामस :**

श्री गिरिधर गमांग :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनिवेश आयोग के विचारार्थ विषय और उसकी संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोग के गठन के बाद इसने वर्ष-वार क्या कार्य किया;

(ग) क्या आयोग के विचारार्थ विषय में हाल में परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विनिवेश कार्यप्रणाली की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विनिवेश के लिए अनुशंसित तथा सरकार द्वारा वास्तव में विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इस माध्यम से जुटाएं गए संसाधनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) आरंभ से अभी तक वर्ष-वार जुटाई गई धनराशि और सामाजिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्येक में प्रयुक्त उक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(छ) विनिवेश किए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में उपक्रम-वार कितनी सरकारी इक्विटी है;

(ज) क्या विनिवेश हेतु योजनाओं को लंबित रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्तमान में कोई विनिवेश आयोग मौजूद नहीं है। इसके पूर्व सरकार ने 23 अगस्त, 1996 को आरम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी एक विनिवेश आयोग का गठन किया था। तदुपरान्त, 24 जुलाई, 2001 को आरम्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए विनिवेश आयोग का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठित विनिवेश आयोग की बढ़ाई गई अवधि 31 अक्तूबर, 2004 को समाप्त हो गई थी। आयोगों के विचारार्थ विषय विवरण-I में दिए गए हैं। आयोग के कार्यनिष्पादन के बारे में संक्षेप में इसकी श्रेणी-वार सिफारिशों को दर्शाने वाला एक सारणीबद्ध विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अब कोई विनिवेश आयोग मौजूद नहीं है।

(ङ) विनिवेश आयोग द्वारा विनिवेश के लिए अनुशंसित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 1999-2000 से 2004-2005 तक की अवधि के दौरान मामरिक पद्धति तथा संबंधित सौदों के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा अन्य कंपनियों में सरकारी इक्विटी की बिक्री से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। 1997-98 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा

अन्य कंपनियों में इक्विटी के छोटे भागों की बिक्री से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(च) सरकार ने वर्ष 2005-2006 में एक "राष्ट्रीय निवेश कोष" का गठन किया है, जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को जमा कराया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75% हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगस जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरूद्धार योग्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जो पर्याप्त लाभ अर्जित करते हैं, की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा ताकि विस्तार/विविधीकरण के वित्त पोषण के लिए उनके पूंजी आधार को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय निवेश कोष में अभी तक कोई अर्जन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय निवेश कोष के गठन से पूर्व, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि में जमा कराया गया था जिसका उपयोग बजटीय आबंटन की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन तथा आधारभूत संरचना के विकास का वित्त पोषण करने के लिए भी किया गया था।

(छ) से (झ) सरकार ने 6 जुलाई, 2006 को विनिवेश संबंधी समस्त निर्णयों और प्रस्तावों को और आगे पुनरीक्षा किए जाने तक आस्थगित रखने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

23 अगस्त, 1996 को गठित विनिवेश आयोग के विचारार्थ विषय तथा संघटन:—

"संख्या 11013/3/96-प्रशासन — संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसरण में सरकार ने एतद्‌द्वारा प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकारी क्षेत्र संबंधी विनिवेश आयोग का गठन किया है।

2. आयोग की संरचना इस प्रकार होगी:—

1. श्री जी.वी. रामकृष्ण, पूर्णकालिक अध्यक्ष
2. श्री दीपाकर बासु, अंशकालिक सदस्य
3. श्री एम.आर.आर. नायर, अंशकालिक सदस्य
4. डा. सुरेश तेंदुलकर, अंशकालिक सदस्य
5. डा. डी.एम. ननजुनदप्पा, अंशकालिक सदस्य

आयोग में एक पूर्णकालिक सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति अलग से की जाएगी।

3. आयोग के विचारार्थ विषय स्थूल रूप से इस प्रकार हैं:—

(i) कोर समूह द्वारा सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 5 से 10 वर्ष की अवधि के भीतर एक विस्तृत समयबद्ध दीर्घावधिक विनिवेश कार्यक्रम तैयार करना।

(ii) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में विनिवेश की सीमा (कुल/आंशिक प्रतिशतता दर्शाते हुए) निर्धारित करना।

(iii) कोर समूह द्वारा सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समग्र विनिवेश कार्यक्रम के संदर्भ में प्राथमिकता निर्धारित करना।

(iv) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक अभिज्ञात उपक्रम के लिए विनिवेश के तरीकों (घरेलू पूंजी बाजार/अंतराष्ट्रीय पूंजी बाजार/नीलामी/अभिज्ञात निवेशकों को निजी बिक्री/कोई अन्य) की प्राथमिकता के बारे में सिफारिश करना। बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों के उचित सम्मिश्रण के बारे में भी सुझाव देना।

(v) सरकार के उद्देश्यों, संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं तथा बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण एवं गौण विनिवेश के मिश्रण के बारे में सिफारिश करना।

(vi) बिक्री की पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना तथा उचित साधनों, मूल्य निर्धारण और समय के बारे में निर्णय करना।

(vii) विनिवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के विशिष्ट उपक्रमों के लिए वित्तीय सलाहकारों का चयन करना।

(viii) विनिवेश प्रक्रिया के दौरान प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित उपाय सुनिश्चित करना जिसमें बिक्री संबंधी प्रक्रिया में कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

(ix) विनिवेश प्रक्रिया की प्रगति की जांच करना तथा आवश्यक उपाय करना और उक्त प्रगति के बारे में समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट देना।

(x) लोगों में वचनबद्धता का विकास करने के लिए सरकार की विनिवेश नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जन जागरूकता का सृजन करने में सरकार की सहायता करना।

(xi) विनिवेश प्रस्तावों का व्यापक प्रचार करना ताकि उद्यमों की शेयरधारिता में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(xii) यदि आवश्यक हो, न्यूनतम विनिवेश द्वारा उद्यमों के संभावित पूंजी पुनर्निर्माण पर सरकार को परामर्श देना ताकि विनिवेश द्वारा अधिक आय सुनिश्चित हो सके।

4. विनिवेश आयोग एक परामर्शी निकाय होगा तथा विनिवेश आयोग की सलाह के आधार पर सरकार विनिवेशित की जाने वाली कंपनियों तथा विनिवेश की प्रणाली के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। सरकारी उपक्रम, विनिवेश आयोग के समग्र पर्यवेक्षण में सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करेंगे।

5. उपर्युक्त विषयों पर सरकार को सलाह देते समय आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रम के भागीदारों, कामगारों, उपभोक्ताओं तथा अन्य भागीदारों के हितों को ध्यान में रखेगा।''

आयोग के संशोधित विचारार्थ विषयः—

आयोग के संशोधित विचारार्थ विषय, जो 12 जनवरी, 1998 को अधिसूचित किए गए थे, इस प्रकार थे:—

''संख्या 11013/3/96-प्रशासन-सरकारी क्षेत्र संबंधी विनिवेश आयोग के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 23.8.96 के संकल्प संख्या 11013/3/96-प्रशासन में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा संख्या 3, 4 और 5 को निकाल दिया गया है और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है:—''

3(i) विनिवेश आयोग एक परामर्शदायी निकाय होगा तथा उसकी भूमिका व कार्य सरकारी क्षेत्र की उन यूनिटों में विनिवेश के बारे में सरकार को परामर्श देना होगा, जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जाएंगे।

3(ii) आयोग, सरकार द्वारा इसे विशेष रूप से सौंपे गए विनिवेश संबंधी किसी अन्य मामले पर भी सरकार को परामर्श देगा तथा विनिवेश संबंधी ऐसे अन्य कार्यकलाप भी करेगा जो सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएंगे।

3(iii) अपनी सिफारिशें करते समय आयोग सरकारी क्षेत्र की यूनिट (यूनिटों) के कामगारों, कर्मचारियों तथा अन्य भागीदारों के हितों को भी ध्यान में रखेगा।

3(iv) विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।''

24 जुलाई 2001 को पुनर्गठित विनिवेश आयोग के विचारार्थ विषयः—

''**फाइल संख्या 11012/1/2000-प्रशासन** - सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी विनिवेश आयोग का आरम्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा पुनर्गठन करती है।

2. आयोग का नेतृत्व, अध्यक्ष डा. आर.एच. पाटिल द्वारा किया जाएगा। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति अलग से की जाएगी।

3. मोटे तौर पर आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:—

(i) यह एक परामर्शदायी निकाय होगा तथा इसकी भूमिका व कार्य सरकार को सरकारी क्षेत्र की उन यूनिटों में विनिवेश के बारे में परामर्श देना होगा, जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जाएंगे।

(ii) यह विनिवेश संबंधी किसी अन्य मामले पर भी सरकार को परामर्श देगा जो सरकार द्वारा इसे विशेष रूप से सौंपे जाएंगे तथा विनिवेश संबंधी ऐसे अन्य कार्यकलाप भी करेगा जो सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएंगे।

(iii) अपनी अनुशंसा करते समय यह सरकारी क्षेत्र की यूनिट (यूनिटों) के कामगारों, कर्मचारियों तथा अन्य भागीदारों के हितों को भी ध्यान में रखेगा।

(iv) विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।

''**फा.सं. 11012/1/2000-प्रशासन** - सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी विनिवेश आयोग का गठन करने वाले दिनांक 24 जुलाई 2001 के संकल्प सं. 11012/1/2000-प्रशासन के अनुक्रम में, सरकार

एतद्द्वारा आयोग के निम्नलिखित अंशकालिक सदस्यों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करती है:—

1. श्री एन.वी. अय्यर
2. श्री टी.एल. शंकर
3. डा. वी.वी. देसाई
4. प्रो. के.एस.आर. मूर्ति"

विवरण-II

फरवरी 1997 से मार्च 2004 तक की अवधि के बीच प्रस्तुत 25 रिपोर्टों में विनिवेश आयोग की श्रेणी-वार सिफारिशें

क्रमांक	कंपनी का नाम
1	2
	सामरिक बिक्री के जरिए विनिवेश
1.	मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड (एमएफआईएल)
2.	भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी)
3.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को)
4.	बोंगाईगांव रिफाइनिरीज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल)
5.	एचटीएल लिमिटेड (एचटीएल)
6.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)
7.	मैंगनीजल ओर इण्डिया लिमिटेड (एमओआईएल)
8.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)
9.	रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (आरआईटीईएस)
10.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)
11.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ईआईएल)
12.	इंजीनियर्स प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)
13.	हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड (एचपीएल)
14.	आईबीपी लिमिटेड (आईबीपी)
15.	नेपा लिमिटेड
16.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन
17.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजैडएल)
19.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एचसीआईएल)
20.	पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (पीपीसीएल)
21.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी)
22.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल)
23.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल)
24.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)
25.	एयर इण्डिया लिमिटेड (एआई)
26.	राज्य व्यापार निगम (एसटीसी)
27.	मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एमएमटीसी)
28.	पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल)
29.	एमएसटीसी लिमिटेड
30.	मेकॉन लिमिटेड (एमईसीओएन)
31.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल)
32.	स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)
33.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल)
34.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

1	2
35.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)
36.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल)
37.	इरकॉन इन्टरनैशनल लिमिटेड
38.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्लयूटीसी)
39.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल)
40.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)
41.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (डीसीआई)
42.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी)
43.	टैलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
44.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीसीआई)
45.	इण्डियन मैडिसिन्स फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईएमपीसीएल)
46.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी)
47.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीई)
48.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)
49.	कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)
50.	हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एचएचईसी)
51.	स्टेट फार्मस कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएफसीआईएल)
52.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)
53.	हॉस्पीटल सर्विसेज कन्सल्टेन्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी)
54.	वाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (डब्ल्यूएपीसीओएस)

1	2
55.	सेन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीसीआईसी)
56.	प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीईसी)
57.	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ)
58.	नॉर्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईएचएचडीसी)
59.	एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसी)
	सामरिक बिक्री के अलावा सिफारिशें
60.	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल)
61.	आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई)
62.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीओएनसीओआर)
63.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड (ओआईएल)
64.	ऑयल एण्ड नेचुरल गेस कमिशन लिमिटेड (ओएनजीस)
65.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पावरग्रिड)
66.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)
67.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)
68.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)
69.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएआईएल)
70.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)
71.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी)
72.	सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लैक्स लिमिटेड (एससीएल)
73.	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जेसीआई)
74.	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

1	2
75.	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी)
76.	एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड (इसीआईएल)
77.	नुमलीगढ़ रिफाइनिरी लिमिटेड (एनआरएल)
78.	महानगर टैलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
79.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)
80.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
81.	पावर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)
82.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एससीआई)
83.	नेशनल स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसएसआईसी)
84.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससीएल)
85.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी)

1	2
86.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)
87.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआई)
88.	इन्नॉर पोर्ट लिमिटेड (ईपीएल)
89.	इण्डियन वेक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
90.	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड (पीएचएल)
91.	सेन्ट्रल वेयरहाउसंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीडब्ल्यूसी)
	बंद करने की सिफारिश की गई
92.	इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डवलपमेंट (ईटीएण्डटी)
93.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचवीओसी)
94.	रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरआईसीएल)
95.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

विवरण-III

1999-2000 से 2004-2005 तक सामरिक बिक्री तथा संबंधित सौदों का ब्यौरा

क्र. सं.	विनिवेशित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	विनिवेश का प्रकार	क्रेता का नाम	बेची गई सरकारी इक्विटी की प्रतिशतता	सरकार की अवशिष्ट इक्विटी	जुटाई गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1999-00						
1.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.	सामरिक बिक्री	हिन्दुस्तान लीवर लि.	74%	26%	105.45
	उप जोड़					105.45
2000-01						
1.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.	सामरिक बिक्री	स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लि.	51%	49%	551.50

1	2	3	4	5	6	7
2.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लि.	सामरिक बिक्री	मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट्स लि.	74%	26%	2.53
	उप जोड़					554.03
2001-02						
1.	एचटीएल लि.	सामरिक बिक्री	हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लि.	74%	26%	55.100
2.	सीएमसी लि.	सामरिक बिक्री	टाटा सन्स लि.	51%	32.31%	152.00
3.	भारत पर्यटन विकास निगम					
	(i) अशोक बंगलौर	30 वर्षीय पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध	भारत होटल्स लि.	—	89.97%	39.41@
	(ii) बोधगया अशोक	सामरिक बिक्री	लोटस निक्को होटल्स	89.97%	—	1.81
	(iii) हसर अशोक	सामरिक बिक्री	मालनाड होटल्स एण्ड रिसॉर्टस (प्रा.) लि.	89.97%	—	2.27
	(iv) मदुरै अशोक	सामरिक बिक्री	सांगू-चक्र होटल्स प्रा.लि.	89.97%	—	4.98
	(v) टीबीएबीआर, मामल्लापुरम	सामरिक बिक्री	जी आर थंगा मालीगई (प्रा.) लि.	89.97%	—	6.13
	(vi) आगरा अशोक	सामरिक बिक्री	श्री मोहन सिंह	89.97%	—	3.61
	(vii) लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	सामरिक बिक्री	भारत होटल्स लि.	89.97%	—	6.77
	(viii) कुतुब होटल, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	सुशील गुप्ता एंड कन्सोरटियम	89.97%	—	34.45
	(ix) लोधी होटल, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	सिल्वर लिंक होल्डिंग्स लि. एण्ड कन्सोरटियम	89.97%	—	71.93
4.	एचसीआई					
	(i) संतूर होटल जुहू, मुंबई	सामरिक बिक्री	तुलिप हॉस्पिटिलिटी प्रा. लि.	100%	—	153.00*

1	2	3	4	5	6	7
	(ii) इण्डो होक्के होटल्स लि., राजगीर	सामरिक बिक्री	इन्नैक ट्रेवल्स (इंडिया) प्रा. लि.	100%	–	6.51*
5.	आईबीपी लि.	सामरिक बिक्री	भारतीय तेल निगम	33.58%	26%	1,153.68
6.	विदेश संचार निगम लि.	सामरिक बिक्री	पेनाटोन फिन्वेस्ट लि. (टाटा समूह की एक कंपनी)	25%	26%	3,689.00**
7.	पारादीप फॉस्फेटस लि.	सामरिक बिक्री	जुआरी मॉरोक फॉस्फेट्स प्रा. लि.	74%	26%	151.70
8.	विदेश संचार निगम लि.	कर्मचारी शेयर खरीद योजना	कर्मचारी	1.85%	26.12%	25.19
	उप जोड़					5,557.44
2002-03						
1.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	सामरिक बिक्री	स्टरलाईट अपर्चुनिटीज एंड वेंचर्स लि.	26%	49.92%	445.50
2.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि.	सामरिक बिक्री	रिलायन्स पेट्रो इन्वेस्टमेन्टस लि.	26%	33.95%	1,490.84
3.	**आईटीडीसी**					
	(i) कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट	सामरिक बिक्री	एम. फार होटल्स लि.	89.97%	–	40.35
	(ii) मनाली अशोक	सामरिक बिक्री	ऑटो इम्पैक्स लि.	89.97%	–	3.66
	(iii) खजुराहो अशोक	सामरिक बिक्री	भारत होटल्स लि.	89.97%	–	2.19
	(iv) वाराणसी अशोक	सामरिक बिक्री	रामनाथ होटल्स (प्रा.) लि.	89.97%	–	8.38
	(v) औरंगाबाद अशोक	सामरिक बिक्री	लोक संगम होटल्स एण्ड रिसॉर्टस प्रा. लि.	89.97%	–	16.50
	(vi) कनिष्का, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	नेहरु प्लेस होटल्स लि.	89.97%	–	92.38
	(vii) इन्द्रपस्थ, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	मोरल ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमैंट लि.	89.97%	–	43.38

1	2	3	4	5	6	7
	(viii) चण्डीगढ़ परियोजना	सामरिक बिक्री	टीएजेजीवीके होटल्स एण्ड रिसॉर्टस लि.	100%	–	17.27
	(ix) होटल रणजीत, नई दिल्ली	सामरिक बिक्री	यूनिसन होटल्स लि. और फोर्मेक्स कमर्शियल प्रा.लि. का संकाय	89.97%	–	29.28
	(x) होटल एयरपोर्ट, कोलकाता	सामरिक बिक्री	ब्राइट इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	89.97%	–	19.39
4.	मारुति उद्योग लि.	सामरिक बिक्री	सुजुकी मोटर्स	–	45.78%	1,000.00^
5.	एचसीआई (i) संतूर होटल एयरपोर्ट, मुंबई	सामरिक बिक्री	बत्रा हॉस्पिटिलिटी प्रा. लि.	100%	–	83.07*
6.	मॉडर्न फूड्स (इण्डिया) लि.	अवशिष्ट शेयरों की सामरिक भागीदारी को बिक्री (भारत सरकार द्वारा विक्रय विकल्प का उपयोग)	हिन्दुस्तान लीवर लि.	25.995%	–	44.07
7.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	कर्मचारी शेयर खरीद योजना	कर्मचारी	1.46%	48.45%	6.19
8.	सीएमसी लि.	कर्मचारी शेयर खरीद योजना	कर्मचारी	6.06%	26.25%	6.07
	उप जोड़					3,347.98
2003-04						
1.	जैसप एण्ड कंपनी लि.	सामरिक बिक्री	रुइया कोटेक्स लि.	72%	27%	18.18^^
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	सामरिक भागीदारी द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग	स्टर्लाइट अपार्च्युनिटीज एण्ड वैन्चर्स लि.	18.92%	29.53%	323.88
	उप जोड़					342.06

1	2	3	4	5	6	7
2004-05						
1.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कर्मचारी शेयर खरीद योजना	कर्मचारी	4.58%	0.42%	64.81
	उप जोड़					64.81
	सर्व जोड़					9,971.77

* अर्थागम एयर इण्डिया को जाना है। ^^राशि, धारक कंपनी बीबीयूएनएल द्वारा प्राप्त की गई। **इसमें 1,887 करोड़ रुपए का लाभांश और 363 करोड़ रुपए का लाभांश कर शामिल है। @ न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान (एमजीएपी), प्रतिभूति जमा और कारोबार अन्तरण प्रतिफल आदि सहित। ^1,000 करोड़ रुपए के नियंत्रण प्रीमियम के लिए 12,16,341 शेयरों के राइट्स इश्यु का परित्याग। सरकार की अवशिष्ट इक्विटी में 100 रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 34,000 शेयर शामिल हैं जो एमयूएल कर्मचारी पारस्परिक लाभ निधि के पास है।

विवरण-IV

वर्ष 1991-92 से 2005-06 के दौरान अवशिष्ट/अल्पांश शेयरों की बिक्री से विनिवेश अर्थागम का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विनिवेशित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	1997-98 धनराशि	1998-99 धनराशि	1999-00 धनराशि	2003-04 धनराशि	2004-05 धनराशि	2005-06 धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सीएमसी				190.44		
2.	कॉनकोर		221.65				
3.	डीसीआईएल				221.2		
4.	जीएआईएल		671.86	945	1627.36		
5.	आईबीपी				350.66		
6.	आईसीआई लिमिटेड				77.1		
7.	आईओसी		1208.96	162.79			
8.	आईपीसीएल				1202.85		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	एमटीएनएल	910					
10.	एमयूएल				993.34		1569.67
11.	एनटीपीसी					2684.07	
12.	ओएनजीसी		2484.96	296.48	10542.4	15.99	
13.	वीएसएनएल		783.68	75			
		910.00	5371.11	1479.24	15205.35	2700.06	1569.67
	कुल योग						27235.46

टिप्पणी : वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में शेयरों की बिक्री से कोई प्राप्ति नहीं हुई। उपरोक्त के अलावा ऐसे तीन मामले में जिनमें प्रतिस्पर्द्धात्मिक बोली की प्रक्रिया अपनाए बिना दूसरे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को शेयरों की बिक्री करके केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी अधिकांश शेयरधारिता का विनिवेश किया था। एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से दूसरे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को शेयरों की ब्लॉक बिक्री से 1318 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई थी।

सीएमसी	सीएमसी लिमिटेड
कॉनकोर	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
डीसीआईएल	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
जीएआईएल	गेल (इण्डिया) लिमिटेड
आईबीपी	आईबीपी कंपनी लिमिटेड
आईसीआई लि.	आईसीआई लिमिटेड
आईओसी	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन
आईपीसीएल	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओएनजीसी	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वीएसएनएल	विदेश संचार निगम लिमिटेड

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर निगरानी

*88. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए बहु-स्तरीय तथा बहु-साधन निगरानी प्रणाली (मल्टी लेवल और मल्टी टूल) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश राज्य अपनी उपयोगिता/उपलब्धि को आवधिक रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुपालन, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, संसद सदस्यों, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और उसके प्रभाव के मूल्यांकन की मॉनीटरिंग करने की एक व्यापक बहुस्तरीय और बहु-साधन प्रणाली पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा, ऑन-लाइन सिस्टम के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की भी व्यवस्था है। राज्य सरकारों को भी चार-आयामी कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं - (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही-ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा-परीक्षा। इसके अलावा, एसजीआरवाई के तहत प्रत्येक कार्य के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समिति का गठन करना अनिवार्य है जो कार्य के दौरान प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करेगी और समिति की अंतिम रिपोर्ट को कार्यसमापन प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करके उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के विचारार्थ पेश किया जाएगा जहां कार्य निष्पादित किए गए हैं।

मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों की सतत् निगरानी सभी राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों जिनमें कार्यक्रमों की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का वर्णन होता है, के माध्यम से की जाती है। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक आगामी महीने की 10 तारीख तक मंत्रालय को प्रत्येक योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेंगी। तथापि, कुछ मामलों में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है क्योंकि ये रिपोर्टें मूलत: ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाती हैं और फिर जिला प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं जो बाद में इसे राज्य पदाधिकारियों को भेजते हैं। राज्य, जिले-वार आंकड़े मिल जाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय को रिपोर्टें भेजता है। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता और क्षेत्र अधिकारी सौंपे गए जिलों का नियमित दौरा करते हैं तथा क्षेत्र दौरों, कार्यों की जांच और अभिलेखों के निरीक्षण के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की सूक्ष्म निगरानी करते हैं। उनकी टिप्पणियां/निष्कर्ष अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्यों को भेजे जाते हैं।

मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अंतराल को कम करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्रालय ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टें भेजने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करता रहा है।

छठा वेतन आयोग

*89. **श्री बची सिंह रावत "बचदा" :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन करने के लिए छठे वेतन आयोग की नियुक्ति करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके प्रस्तावित विचारार्थ विषय क्या-क्या होंगे;

(ग) यह आयोग कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार छठे वेतन आयोग के क्रियान्वित होने तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनधारकों को अंतरिम राहत प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 20.7.2006 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया है। छठे वेतन आयोग का गठन शीघ्र किए जाने की आशा है।

2. छठे वेतन आयोग के प्रस्तावित विचारार्थ विषय, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है, में मोटे तौर पर वे सिद्धांत शामिल होंगे जो वेतन, भत्तों, बोनस और अन्य सुविधाओं/लाभों की संरचना तथा उनके लागू होने की तारीख को शासित करें, कर्मचारियों की वे श्रेणियां जो इन सिफारिशों में कवर की जाएंगी; वेतन का एक ऐसा व्यापक पैकेज तैयार करना जो केन्द्र सरकार के संगठनों को जनमानस की सेवा में समर्पित आधुनिक, व्यावसायिक और नागरिक-अनुकूल संगठनों में तब्दील करने हेतु कर्मचारियों की दक्षता, उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के संवर्धन से उपयुक्त रूप से संबद्ध हो; ऐसे सिद्धांतों की जांच करना जो मौजूदा और पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की संरचना/पेंशन संबंधी लाभों को शासित करें; तथा अंतरिम राहत की वांछनीयता, आवश्यकता और मात्रा की जांच करना। यह प्रस्ताव है कि छठा वेतन आयोग अंतरिम राहत की वांछनीयता, आवश्यकता और मात्रा के मामले की जांच भी करेगा।

ग्रामीण कल्याण योजनाएं

*90. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी/आबंटित/उपयोग की गई;

(ग) क्या कतिपय राज्यों से धनराशि के अन्यत्र उपयोग की रिपोर्ट मिली है और सरकार को बहुत से संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी संख्या में ग्रामीण लोग, विशेषकर, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में आत्महत्या कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2003-04 से 2005-06) के दौरान निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं (i) योजना आयोग द्वारा अभिज्ञात देश के 150 अत्यधिक पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम; (ii) योजना आयोग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार देश के 200 अत्यधिक पिछड़े जिलों (काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के 150 जिलों सहित) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) का कार्यान्वयन; (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना और (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्यक्रम (एनआरडब्ल्यूक्यूएम एवं एस पी)। इसके अलावा, वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण भारत ने आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए "भारत निर्माण" नामक ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण संबंधी प्रमुख योजना शुरू की गई है जिसे चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत निर्माण के कुल 6 घटकों (अर्थात् सुनिश्चित सिंचाई, गांवों के लिए सड़क-संपर्क, निर्धनों के लिए अतिरिक्त आवासों का निर्माण, कवर न की गई शेष बसावटों के लिए पेयजल, गांवों में बिजली तथा शेष गांवों में टेलीफोन सुविधा) में से तीन घटकों नामतः ग्रामीण सड़क, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा ग्रामीण आवास निर्माण को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित रिलीज एवं उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय को इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग सहित निधियों के विचलन के कुछ मामले प्राप्त हुए हैं जिन्हें उपचारात्मक उपाय/उपयुक्त कार्रवाई हेतु तत्काल संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति क्षेत्र अधिकारी योजना, संसद सदस्यों की अधिक सहभागिता सहित राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति, काम की गुणवत्ता की निगरानी हेतु राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, योजनाओं के कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन आदि के माध्यम से निधियों

के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रभाव की निगरानी करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था की है। इसके अलावा, राज्यों को चार स्तरीय कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) लोगों की सहभागिता और (iv) ग्राम सभा के माध्यम से उत्तरदायित्व निर्धारण-सामाजिक लेखा-परीक्षा शामिल हैं।

(च) से (ज) ग्रामीण विकास मंत्रालय को बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले कृषि मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं जो राज्य सरकारों द्वारा दिए गए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों ने किसानों द्वारा आत्महत्या के लिए निम्नलिखित कारणों को मुख्य रूप से जिम्मेवार माना है:—

— फसल खराब होना;

— ऋणों की अधिक ब्याज दर के कारण ऋणग्रस्तता;

— सूखा पड़ना; और

— सामाजिक तथा आर्थिक असुरक्षा।

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की स्थिति में सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं और किसानों को विभिन्न घटकों के तहत सहायता दी जा रही है। अधिकांश योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णय इस प्रकार हैं—(i) अगले तीन वर्षों में कृषि संबंधी ऋण की उपलब्धता दोगुनी करना तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को ऋण में राहत देना, (ii) ब्याज दर को किसानों के अनुकूल बनाना, (iii) सहकारी ऋण संरचना का नवीकरण; (iv) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), (v) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या के अधिक मामलों वाले जिलों में किसानों के कष्टों को कम करने के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.*			एन.आर.ई.जी.ए. **			पी.यू.आर.ए. @	
	2005-06			2005-06	2006-07		2004-05	2005-06
	आवंटन	रिलीज	व्यय	आवंटन	रिलीज	व्यय	रिलीज	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	27199.63	30074.63	19880.75	16474.81	20000	8334.26	150.00	78.80
अरुणाचल प्रदेश	425.26	658.94	488.45	446.31	272.85			
असम	37100.61	33650.13	10519.65	33650.13	138970.845	721.00	150.00	130.00
बिहार	58812.89	52854.82	27536.63	30806.30	40503.38	5171.19	150.00	150.00
छत्तीसगढ़	23181.35	23966.35	24149.14	785.00	17321.72	9834.02		
गुजरात	8895.33	8250.67	4617.72	4241.12	4113.94	819.03		
हरियाणा	627.62	1187.63	335.05	873.82	913.39	188.95		

1	2	3	4	5•	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	676.75	1236.75	385.43	898.37	683.64	339.27		
जम्मू व कश्मीर	1100.60	1685.6	794.56	1135.29	986.365	428.43		
झारखंड	50315.90	53348.03	30468.505	23429.66	37618.59	3371.35		
कर्नाटक	6514.20	7659.21	2662.277	4402.10	6329.69	909.28		
केरल	1218.36	1169.18	121.14	1169.18	2179.51			
मध्य प्रदेश	35201.76	47623.1	41960.52	21213.82	109384.11	40380.90		
महाराष्ट्र	34504.70	25357.82	0	19743.56	17961.645	4441.42	100.00	147.30
मणिपुर	889.78	1351.41	718.59	461.63	570.89			
मेघालय	1212.16	2063.95	298.57	1457.87	2064.68			
मिजोरम	212.89	877.36	111.063	770.91	298.9	23.60		
नागालैंड	1015.71	1031.28	0	1031.28	430.11	25.00		
उड़ीसा	49621.06	50606.06	29187.63	7384.75	31516.56	8494.48	150.00	200.00
पंजाब	1595.09	1620.09	902.3	822.54	755.75	451.97		
राजस्थान	7866.58	12008.69	7370.11	4142.11	64100	30000.00	150.00	130.00
सिक्किम	703.70	1074.01	350.36	722.16	451.5			
तमिलनाडु	10803.45	11973.45	6549.711	6571.72	9889.21	429.41		
त्रिपुरा	3439.89	4292.92	2624.07	2572.97	1456.66	276.83		
उत्तरांचल	2259.88	2160.77	981.84	1269.11	1910.6	154.33		
उत्तर प्रदेश	58738.53	37515.83	15085.95	33242.07	33498.69	3700.97	150.00	157.90
पश्चिम बंगाल	25496.32	29786.32	11221.82	17038.15	18358.84	1622.08		
कुल	449630.00	445085.00	239621.866	236756.74	437542.065	120117.778	1000.00	1000.00

*योजना 2005-06 के दौरान शुरू की गई थी तथा इसे 2006-07 के दौरान रोक दिया गया क्योंकि इसे एनआरजीए में मिला दिया गया है।

** योजना फरवरी 2006 से 200 जिलों में शुरू की गई।

⊙ सात राज्यों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की गई।

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	एनआरडब्ल्यूक्यूएम एवं एसपी 2005-06 $ रिलीज की गई निधियां	एनआरडब्ल्यूएसपी 2005-06			एआरडब्ल्यूएसपी 2006-07		
		आवंटन	रिलीज	व्यय	आवंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	487.95	21032.00	25080.29	15875.26	20084.08	10042.04	777.32
अरुणाचल प्रदेश	22.44	9060.00	10674.54	10674.54	9843.00	3540.75	0.00
असम	133.56	15280.00	14800.00	11350.00	15501.00	0.00	0.00
बिहार	393.56	15324.00	15324.00	7368.06	16557.00	8276.50	0.00
छत्तीसगढ़	171.71	5154.00	5020.44	2150.00	5839.00	2919.50	0.00
गोवा	7.42	193.00	182.45	96.-08	226.00	113.00	0.00
गुजरात	271.84	12339.00	12789.16	12789.16	13151.58	6550.78	798.75
हरियाणा	127.47	3690.00	4193.80	2211.75	5552.63	2776.32	288.11
हिमाचल प्रदेश	60.53	10805.00	11895.00	11422.24	9706.88	4853.43	0.00
झारखंड	149.28	5529.00	8307.28	4952.20	6474.00	3237.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	67.71	20073.00	23671.5	21152.94	23487.79	1163.00	0.00
कर्नाटक	206.52	17555.00	21208.99	21653.05	19502.40	9751.20	0.00
केरल	108.17	5388.00	8170.65	6170.65	6216.00	3108.00	243.56
मध्य प्रदेश	421.32	15101.00	15039.88	15439.55	15759.00	8379.50	46.88
महाराष्ट्र	508.24	27591.00	33235.68	14142.11	3232.00	16116.00	0.00
मणिपुर	11.54	3110.00	2713.67	1825.37	3379.00	1689.50	0.00
मेघालय	19.30	3588.00	3190.10	3294.20	3893.00	1946.50	0.00
मिजोरम	13.30	2569.00	2589.27	1975.94	2791.00	1395.50	0.00
नागालैंड	12.08	2637.00	2847.76	1748.00	2885.00	1432.50	0.00
उड़ीसा	209.97	12405.00	13880.94	9314.80	9212.00	4606.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	186.06	3842.00	4134.81	2179.400	3854.00	1827.00	109.22
राजस्थान	273.97	44034.00	49135.34	34838.20	41489.65	20744.84	6106.93
सिक्किम	6.06	1083.00	1283.68	1221.56	1175.00	587.50	21.42
तमिलनाडु	295.58	11875.00	12053.68	9994.88	12057.00	8028.50	110.33
त्रिपुरा	29.96	3176.00	3199.86	3299.13	3453.00	1728.50	0.00
उत्तरांचल	115.82	5725.00	6559.12	5533.12	6707.00	3903.50	220.35
उत्तर प्रदेश	1149.40	24764.00	28372.10	21428.92	27990.00	13995.00	4030.22
पश्चिम बंगाल	298.95	13308.00	15078.33	14238.09	14892.00	7046.00	1100.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.86	9.37	1747.51	0.00	32.73	0.00	0.00
दादरा व नगर हवेली	2.92	6.25	0	0	5.92	0.00	0.00
दमन व दीव	1.97	0.00	0.00	0.00	13.53	0.00	0.00
दिल्ली	7.94	4.69	0.00	0.00	0	0.00	0.00
लक्षद्वीप	3.78	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
पांडिचेरी	3.01	4.69	0.00	0.00	38.72	0.00	0.00
चंडीगढ़	1.98	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	0.00
कुल	5784.17	315750.00	352170.64	268067.22	335100.00	278202.86	13853.11

$ फरवरी 2006 में शुरू की गई योजना।

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इंदिरा आवास योजना 2005-06			इंदिरा आवास योजना 2006-07		
	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	24399.42	24609.65	31791.06	25939.14	12969.57	1624.21

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	949.43	711.88	1189.94	1018.68	507.75	44.30
असम	20994.23	21465.64	23682.96	22525.46	9982.16	2489.64
बिहार	72020.72	62437.06	87769.49	76565.57	36688.78	5866.97
छत्तीसगढ़	3773.17	4473.57	5043.71	4011.28	2005.64	52.31
गोवा	150.28	136.95	179.54	159.77	79.89	2.82
गुजरात	11966.03	11959.28	15840.26	12721.14	5823.82	1121.12
हरियाणा	1680.04	2008.33	2448.31	1786.06	885.60	271.87
हिमाचल प्रदेश	592.56	755.75	812.56	629.95	299.05	7.28
जम्मू व कश्मीर	1840.52	2001.35	1834.88	1956.67	710.62	68.46
झारखंड	6423.93	8823.34	13023.93	6829.31	2893.45	असूचित
कर्नाटक	9400.43	9639.02	12850.18	9993.64	5109.32	1965.66
केरल	5227.51	5169.28	7421.36	5557.39	2278.70	163.54
मध्य प्रदेश	7504.14	9592.17	11438.67	7977.69	3863.74	असूचित
महाराष्ट्र	14714.56	14960.66	22522.75	15643.12	7167.83	944.29
मणिपुर	824.15	876.39	1128.85	884.26	291.96	असूचित
मेघालय	1435.38	918.84	1561.47	1540.07	464.87	असूचित
मिजोरम	305.89	331.12	482.43	328.20	164.10	असूचित
नागालैंड	949.84	928.20	1188.07	1019.11	497.50	322.55
उड़ीसा	14149.75	15047.54	22344.43	15042.66	7529.94	419.97
पंजाब	2077.71	1523.88	1753.49	2208.83	386.64	142.77
राजस्थान	6013.11	6494.31	8563.52	6392.56	3196.28	338.52
सिक्किम	181.66	197.04	275.69	194.91	97.46	47.37
तमिलनाडु	9768.97	9999.13	18109.11	10385.44	5192.72	86.02
त्रिपुरा	1849.42	2070.92	2808.54	1984.31	992.16	146.81

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	32348.75	35470.31	44862.77	34390.12	16830.59	1374.65
उत्तरांचल	1621.77	1806.85	3563.92	1724.11	733.88	103.14
पश्चिम बंगाल	19518.40	19355.70	20728.16	20750.10	10375.05	1258.89
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	309.46	0.00	74.03	328.99	0.00	असूचित
दादरा व नगर हवेली	51.56	25.78	9.01	54.82	0.00	2.99
दमन व दीव	23.07	0.00	0.61	24.52	0.00	0.09
लक्षद्वीप	20.00	32.64	18.55	21.26	0.00	5.83
पांडिचेरी	154.14	0.00	77.68	163.86	0.00	असूचित
कुल	273240.00	273822.58	365399.93	290753.00	138519.07	18872.0

(लाख रु. में)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10000.00	18769.00	10000.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5200.00	5381.00	5200.00	0.00
3.	असम	17600.00	15682.00	27600.00	28806.00
4.	बिहार	33200.00	234239.00	33200.00	15859.00
5.	छत्तीसगढ़	33000.00	30757.00	43500.00	42852.00
6.	गोवा	500.00	0.00	500.00	0.00
7.	गुजरात	6000.00	7056.00	6000.00	2465.00
8.	हरियाणा	2500.00	2056.00	2500.00	4511.00
9.	हिमाचल प्रदेश	13200.00	17127.00	23200.00	0.00

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू व कश्मीर	6000.00	7035.00	6000.00	0.00
11.	झारखंड	19500.00	15270.00	24500.00	0.00
12.	कर्नाटक	10500.00	14302.00	10500.00	0.00
13.	केरल	2500.00	4241.00	2500.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	53500.00	37629.00	68500.00	66000.00
15.	महाराष्ट्र	14000.00	14192.00	14000.00	0.00
16.	मणिपुर	2800.00	633.00	2800.00	0.00
17.	मेघालय	4000.00	750.00	4000.00	0.00
18.	मिजोरम	2700.00	6099.00	2700.00	0.00
19.	नागालैंड	2500.00	5603.00	2500.00	0.00
20.	उड़ीसा	26800.00	30529.00	36800.00	36548.00
21.	पंजाब	3000.00	4890.00	3000.00	0.00
22.	राजस्थान	28600.00	43482.00	60400.00	59433.00
23.	सिक्किम	2500.00	4120.00	2500.00	0.00
24.	तमिलनाडु	8500.00	5895.00	8500.00	0.00
25.	त्रिपुरा	3500.00	2176.00	3500.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	44500.00	64469.00	52000.00	0.00
27.	उत्तरांचल	9500.00	1429.00	9500.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	22100.00	35558.00	32100.00	5000.00
	कुल योग	388200.00	418559.00	498000.00	2616.74

शिक्षा ऋण

*91. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से शिक्षा के लिए दिए गए ऋण की वर्ष-वार तथा बैंक-वार प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की मात्रा राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए संवितरित कुल ऋण (बकाया निवल बैंक ऋण) की तुलना में शिक्षा ऋण का प्रतिशत निम्नानुसार है:—

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक (%)	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक (%)
2003	0.59	0.14
2004	0.75	0.19
2005	0.89	0.17

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लिए बकाया निवल बैंक ऋण (यथा उपलब्ध) की तुलना में बकाया शिक्षा ऋण के प्रतिशत का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में बैंक-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संस्वीकृत ऋणों की प्रमात्रा उनके सीमित शाखा नेटवर्क के कारण आकार में अपेक्षाकृत कम है। बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण मंजूर न किए जाने से संबंधित विशिष्ट शिकायत की जांच की जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक/संबंधित बैंक द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बकाया निवल बैंक ऋण की तुलना में बकाया शिक्षा ऋण का प्रतिशत

क्र.सं.	बैंक का नाम	2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	0.80	0.93
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.34	0.41
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1.39	1.53
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.47	0.49
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.88	0.96
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.32	0.38
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.41	0.54
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.00	2.42
9.	इलाहाबाद बैंक	0.52	0.53
10.	आंध्रा बैंक	3.11	3.06
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.83	0.95
12.	बैंक ऑफ इंडिया	0.62	0.85
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.50	0.54
14.	केनरा बैंक	1.24	1.25
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.50	0.64
16.	कार्पोरेशन बैंक	0.51	0.64
17.	देना बैंक	0.33	0.51
18.	इंडियन बैंक	0.68	0.97
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.37	1.38
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.78	0.85
21.	पंजाब नेशनल बैंक	0.79	0.85
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.49	0.71
23.	सिंडिकेट बैंक	0.84	1.12
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.50	0.61
25.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.32	0.68
26.	यूको बैंक	0.22	0.37
27.	विजया बैंक	0.57	0.63

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्षमता का दोहन

*92. श्री रामदास आठवले : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा क्षमताओं का सन्दोहन करने के लिए सभी राज्यों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) देश में अपारंपरिक ऊर्जा की संभाव्यता के दोहन को सुगम बनाने के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित अवमूल्यन, रियायती शुल्क और करों से राहत शामिल हैं जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं। इसके अतिरिक्त बिजली अधिनियम 2003, राष्ट्रीय बिजली नीति-2005 और राष्ट्रीय शुल्क-दर नीति 2006 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अक्षय विद्युत के विनियमन हेतु एक सामान्य फ्रेमवर्क उपलब्ध है। तथापि, बायोगैस संयंत्रों, बायोमास गैसीफायरों और लघु पनबिजली से संबंधित इस मंत्रालय की स्कीमों में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी के राज्यों में केवल अविद्युतीकृत गांवों हेतु सौर लालटेनों पर सब्सिडी उपलब्ध है।

(ग) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत दिनांक 31.3.2006 के अनुसार संचयी उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार संचयी उपलब्धियां

(क) ग्रिड संबद्ध अक्षय विद्युत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायो विद्युत					
		लघु पन बिजली (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	बायोमास विद्युत (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)	सौर विद्युत (केडब्ल्यूपी)	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	178.81	121.00	279.25	22.50	0.28	601.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
3.	असम	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
4.	बिहार	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
5.	छत्तीसगढ़	11.00	0.00	27.50	0.00	0.00	38.50
6.	गोवा	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
7.	गुजरात	7.00	338.10	0.50	0.00	0.00	345.60
8.	हरियाणा	62.70	0.00	6.00	0.00	0.00	68.70
9.	हिमाचल प्रदेश	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	132.08
10.	जम्मू एवं कश्मीर	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	109.74

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
12.	कर्नाटक	329.63	584.60	224.48	1.00	0.03	1139.74
13.	केरल	84.62	2.00	0.00	0.00	0.03	86.65
14.	मध्य प्रदेश	41.16	40.30	1.00	2.70	0.34	85.50
15.	महाराष्ट्र	207.08	989.60	36.00	1.00	0.19	1233.87
16.	मणिपुर	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
17.	मेघालय	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
18.	मिजोरम	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
19.	नागालैंड	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
20.	उड़ीसा	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
21.	पंजाब	122.55	0.00	28.00	1.00	0.33	151.88
22.	राजस्थान	23.85	339.60	15.30	0.00	0.15	378.90
23.	सिक्किम	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
24.	तमिलनाडु	77.70	2892.50	174.00	1.75	0.21	3146.16
25.	त्रिपुरा	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10	0.00	121.50	5.00	0.33	151.93
27.	उत्तरांचल	75.45	0.00	0.00	0.00	0.05	75.50
28.	पश्चिम बंगाल	98.30	1.10	0.00	0.00	0.05	99.45
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5.25	0.00	0.00	0.00	0.10	5.35
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
	अन्य	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
	कुल (मेगावाट)	1826.43	5310.40	913.53	34.95	2.75	8088.06

(ख) ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रिकृत अक्षय ऊर्जा प्रणालियां/युक्तियां :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र (सं.)	बायोमास गैसीफायर (मेवा.)	अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (मेवा.)	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां एसएलएस (सं.)	एचएलएस (सं.)	एसएल (सं.)	पीपी (केडब्लूपी)	एसपीवी पंप (सं.)	जल पंपन पवन चक्कियां (सं.)	एरोजनरेटर/ हाइब्रिड प्रणालियां (किलोवाट)	सौर कुकर (सं.)	दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण गांव/बस्तियां (सं.)	वीईएस पी (सं.)	ऊर्जा पार्क (सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	400857	15.68	1.20	3733	1246	35152	21.66	613	6	16	12867		3.00	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	2210	1.58		738	1270	4937	7.90	1			530	106		4
3.	असम	58667	0.12		98	2787	541	7.50	45	3	6	80	39	14.00	12
4.	बिहार	124935	0.02		690	1069	33765		139	46		475			4
5.	छत्तीसगढ़	16952	0.51		1409	6864	3192		14			37136	325	9.00	10
6.	गोवा	3732	0.02	2.95	174	167	443	1.72	15		39	1500			2
7.	गुजरात	378846	15.21		2004	4952	31603	29.90	85	646		114595	2	3.00	14
8.	हरियाणा	49190	1.19		852	13266	32727	24.20	469			24366			20
9.	हिमाचल प्रदेश	44866	0.01		1794	11948	20697	1.50	6			28264	1		12
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2122	0.52		3789	15317	9202	75.60	39			368	90		8
11.	झारखंड	2083	0.18		383	102	16374					280	53	1.00	16
12.	कर्नाटक	392382	6.23		1219	8921	7634	29.41	456	25	10	254			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	केरल	108313	0.73		1090	18679	41181	44.70	810	79	8	236	558		17
14.	मध्य प्रदेश	247536	4.73		5846	924	8564	22.40	87			141618		15.00	23
15.	महाराष्ट्र	719084	4.67	0.90	3491	825	8683	6.44	228	26	344	58044		7.00	40
16.	मणिपुर	2128			370	1650	3883	11.00	12			365	109		10
17.	मेघालय	4226	0.25		593	1540	4875	42.00	19			1165	25		7
18.	मिजोरम	3470	0.20		315	2245	5812	109.00	37			110	7		8
19.	नागालैंड	2617	0.28		271	143	95	6.00							6
20.	उड़ीसा	224373	0.07	0.03	5769	4344	9882	36.52	5			3437	18	10.00	10
21.	पंजाब	80682	0.70	0.75	2137	3180	14995	71.00	1821			22050			20
22.	राजस्थान	66944	1.07		6573	45330	4716	25.80	283	222	4	36683		6.00	10
23.	सिक्किम	5574			152	10215	720	14.70			10	20			4
24.	तमिलनाडु	210040	4.03	1.98	2272	471	16818	30.05	829	56	25	1537		4.00	45
25.	त्रिपुरा	2442	1.10		760	2238	20805	24.57	25			80	31		10
26.	उत्तर प्रदेश	407966	5.33	3.00	950	50938	52815	129.20	751			51664			39
27.	उत्तरांचल	6603			250	36980	27027	80.03	26			8047	429	5.00	11
28.	पश्चिम बंगाल	263587	8.05		1611	26890	3662	675.00	48		18	7959	1038	7.00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	137	0.17		358	405	6296	167.00	5	2		60			6
30.	चंडीगढ़	97				275	1675		12			1529			4
31.	दादरा एवं नगर हवेली	169							1			80			
32.	दमन एवं द्वीव														
33.	दिल्ली	677	0.07		301		4753	30.00	89			27990			11
34.	लक्षद्वीप							85.00							
35.	पांडिचेरी	573	0.60		62	13	1637		21		5	90			3
	अन्य		0.32		8005	5669	28197	50.00				16750			12
	कुल (मेगावाट)	3834080	73.64	10.81	54659	280863	463058	1859.80	6991	1111	485	600229	2831	84.00	459

एसएलएस = सड़क रोशनी प्रणालियां ; एचएलएस घरेलू = रोशनी प्रणालियां; वीईएसपी = ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परियोजना;

एसएल = सौर लालटेन; एसपीवी = सौर प्रकाशवोल्टीय; मेवा. = मेगावाट; केडब्लूपी = किलोवाट पीक;

न्यायाधीशों के रिक्त पद

*93. श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(ग) रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारी संख्या में सिविल, आपराधिक तथा अन्य मामले लम्बित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि में लम्बित पड़े मामलों का कारणों सहित राज्य-वार तथा अवधि-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने तथा न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित पड़े मामलों के तेजी से निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (च) भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 24.07.2006 को न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या और रिक्त पदों की संख्या तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या (सरकार को उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार) संलग्न विवरण में दी गई है।

2. उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना, सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच निरंतर चलने वाली एक परामर्शी प्रक्रिया है। यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति के कारण उद्भूत होती रहती हैं।

2.1 उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उनके तारीख 06 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने की संपूर्ण प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ की जाती है। सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सभी रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने का अनुस्मरण कराती रहती है।

3. न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिक संख्या विभिन्न कारणों से है, जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों के रिक्त पद, नए विधान, संस्थित होने वाले नए मामलों की संख्या में सारवान वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि नागरिकों में उनके अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, आस्थगनों का मंजूर किया जाना, देश का औद्योगिक विकास, व्यापार और वाणिज्य तथा सामाजिक-आर्थिक मामलों में वृद्धि नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले विधायी और प्रशासनिक पहलू, वकीलों की हड़ताल आदि हैं।

4. सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन, सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन, लोक उपयोगिता से संबंधित विवादों के लिए स्थायी अदालतें, न्यायाधीशों के पदों की संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विधिक शिक्षा के स्तर में सुधार माध्यस्थम और सुलह जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों का अपनाया जाना सम्मिलित हैं।

विवरण

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	24.7.2006 को रिक्तियों की संख्या	31.12.2005 को लंबित मामलों की संख्या		
				सिविल	दांडिक	योग
1	2	3	4	5	6	7
उच्चतम न्यायालय		26	4	31203+	6084+	37323 + (36 अन्य मामलों सहित
	उच्च न्यायालय					
1.	इलाहाबाद	95	13	565500	198922	764422
2.	आंध्र प्रदेश	39	07	141249	18570	159819
3.	बंबई	60	06	315020	36310	351330
4.	कलकत्ता	50	05	212448*	40270*	252718*
5.	छत्तीसगढ़	08	—	49521	23382	72903
6.	दिल्ली	36	02	63655	14724	78379
7.	गुवाहाटी	19	02	54405	7419	61824
8.	गुजरात	42	08	113505*	25962*	139467*
9.	हिमाचल प्रदेश	08	05	18011	5760	23771
10.	जम्मू-कश्मीर	14	06	39529	2444	41973
11.	झारखंड	12	02	25085	18785	43870
12.	कर्नाटक	40	05	73157	12754	85911
13.	केरल	29	03	109316	24060	133376
14.	मध्य प्रदेश	41	02	130259	55759	186018
15.	मद्रास	42	04	334383	29168	363551
16.	उड़ीसा	20	04	176708^	16854^	193562^

1	2	3	4	5	6	7
17.	पटना	31	07	66549	25033	91582
18.	पंजाब और हरियाणा	40	01	201151	42320	243471
19.	राजस्थान	40	09	158318	47867	206185
20.	सिक्किम	03	—	29	13	42
21.	उत्तरांचल	09	01	320437	7163	37600
	योग	678	92	2878235	653539	3531774

+ 30.06.2005 को यथाविद्यमान

* 31.12.2004 को यथाविद्यमान

^ 30.06.2005 को यथाविद्यमान

"कापार्ट" का पुनर्गठन

*94. **श्री अजीत जोगी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद" (कापार्ट) में कोई बदलाव किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी नयी संरचना में युवाओं को शामिल किया गया है अथवा किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन युवाओं द्वारा ग्रामीण लोगों के बीच किन-किन कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही है अथवा किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या यह योजना सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में शुरू की जा चुकी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ज) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) की योजनाओं के संबंध में नए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, कापार्ट ने ग्रामीण युवाओं को जीवन-कौशलों तथा रोजगार सृजन कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना को देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को स्व/मजदूरी रोजगार से जोड़ा जाएगा अथवा उन्हें प्रशिक्षण की अवधि, जो कौशल विकास प्रशिक्षण के स्वरूप के आधार पर चार से छ: माह की होगी, समाप्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए गैर-सरकारी संगठनों/पंचायतों के साथ सहबद्ध किया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद दो वर्ष के लिए गैर-सरकारी संगठनों/पंचायतों के साथ सहबद्ध किया जाएगा तथा कपार्ट द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। चयनित युवा शिक्षित और गांव का स्थानीय निवासी हो तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से हो। ऐसी आशा की जाती है कि ये ग्रामीण युवा सरकारी योजनाओं, नौकरियों, बैंक ऋण, महत्वपूर्ण ग्रामीण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में समुदाय की मदद करने के लिए गांव के लिए रिसोर्स पर्सन्स के रूप में काम करेंगे ताकि ग्रामीण समुदाय की सामाजिक-आर्थिक दशाओं को व्यापक तौर पर सुधारा जा सके। इस योजना के कार्यान्वयन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और झारखंड, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य

सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ आरंभिक दौर की वार्ता पूरी हो गई है।

[अनुवाद]

शहरी विरासत

*95. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में शहरी विरासत की बिगड़ती स्थिति से चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरी विरासत की बिगड़ती स्थिति के वास्तविक कारकों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में शहरी विरासत के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तीव्र शहरीकरण, विरासत के महत्व के प्रति जागरूकता की कमी, सीमित तकनीकी संरक्षण विशेषज्ञता, विरासत विनियमों को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के पास सीमित क्षमता, भागीदारी तथा धन की कमी और अभिकरणों की बाहुलता कुछ ऐसे कारक हैं, जो शहरी विरासत की स्थिति में गिरावट के लिए जिम्मेदार है।

(घ) संस्कृति मंत्रालय के अधीन विरासत स्थल आयोग के गठन का एक प्रस्ताव है जिसका कार्य मोटे तौर पर नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करना तथा इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है।

शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में दिसंबर, 2005 के दौरान जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम शुरू की है। विरासत क्षेत्रों का संरक्षण घटक इन दोनों स्कीमों के अधीन निधियां पाने का पात्र है।

कुछ राज्य सरकारों ने शहरी विरासत के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय अथवा नगर स्तरीय शहरी विरासत विनियम बनाए हैं।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से परियोजनाओं का कार्यान्वयन

*96. **श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में शहरी अवसंरचना, गरीबी उन्मूलन और आवास क्षेत्र से संबंधित कुछ परियोजनाएं विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त सहायता का उपयोग किया गया;

(ग) क्या राज्यों में विदेशी सहायता से कुछ और परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आयकर विभाग द्वारा छापे

*97. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कंपनियों और सरकारी अधिकारियों पर मारे गए इन छापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों के दौरान कर-चोरी के संबंध में राज्य-वार कितनी बेहिसाब धनराशि का पता चला;

(घ) क्या इस प्रकार के भी मामले हैं जिनमें इनका सत्यापन किए बिना मीडिया को सूचना दे दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशियों की संख्या, तलाशियों के लिए जारी किए गए वारंटों की संख्या तथा की गई जब्ती के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II तथा III के अनुसार हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों तथा सरकारी अधिकारियों पर की गई तलाशियों एवं उनसे संबंधित जब्ती संलग्न विवरण-IV के अनुसार है।

(ग) तलाशी के दौरान पता लगाई गई लेखा बाह्य आय पर उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए जब्ती के आंकड़ों के संबंध में विचार किया जा सकता है। एक ही समूह के विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न कर निर्धारण वर्षों के कर निर्धारण भिन्न-भिन्न वित्तीय वर्षों में अलग-अलग समय में पूर्ण होते हैं। इन कर निर्धारणों में कर अपवंचन का इन कर निर्धारणों के पूर्ण हो जाने एवं अपीलों के अंतिम निर्णय के पश्चात् ही पता लगाया जा सकता है।

(घ) ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जहां तलाशी के निष्कर्षों का सत्यापन करने के पूर्व मीडिया को सूचना दी गई।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण-I

(जब्ती के आंकड़े लाख रुपए में)

आयकर महानिदेशक (जांच)	राज्य	वित्त वर्ष 2003-04					
		तलाशी लिए गए समूहों की सं.	निष्पन्न वारंटों की संख्या	नकदी	जवाहिरात	अन्य	कुल जब्ती
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद	गुजरात	18	253	704.00	111.00	569.00	1384.00
बंगलौर	कर्नाटक	21	130	807.06	19.23	232.72	1059.01
	गोवा	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
भोपाल	मध्य प्रदेश	20	83	180.08	78.41	252.71	511.20
	छत्तीसगढ़	1	10	1.00	3.28	0.00	4.28
चंडीगढ़	चंडीगढ़	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	पंजाब	8	67	179.00	31.99	923.00	1133.99
	हरियाणा	4	35	56.00	32.18	188.29	276.47
	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	जम्मू और कश्मीर	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00
चेन्नई*	तमिलनाडु	45	209	2653.47	1123.59	1435.56	5212.62
दिल्ली	दिल्ली	26	462	2670.66	600.29	961.24	4232.19
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	26	141	801.27	92.76	205.57	1099.60
जयपुर	राजस्थान	35	181	413.18	116.48	321.65	851.31
कोच्वी	केरल	9	60	110.25	23.60	19.76	153.61
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	16	164	709.83	390.64	1249.95	2350.42
	उड़ीसा	6	26	91.85	14.50	60.25	166.60
	एन ई आर**	4	20	61.11	0.00	114.20	175.31
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	23	97	387.34	60.06	250.11	697.51
	उत्तरांचल	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
मुंबई	महाराष्ट्र	20	261	874.89	181.15	908.63	1964.67
पुणे	महाराष्ट्र	17	191	381.31	264.42	537.17	1182.90
पटना	बिहार	4	56	72.98	0.00	414.83	487.81
	झारखंड	5	42	160.72	0.00	33.20	193.92

टिप्पणी : *-आंकड़ों में पांडिचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

** - एन ई आर के आंकड़ों में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-II

(जब्ती के आंकड़े लाख रुपए में)

आयकर महानिदेशक (जांच)	राज्य	वित्त वर्ष 2004-05					
		तलाशी लिए गए समूहों की संख्या	निष्पन्न वारंटों की संख्या	नकदी	जवाहिरात	अन्य	कुल जब्ती
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद	गुजरात	20	240	1164.24	207.55	183.03	1554.82

1	2	3	4	5	6	7	8
बंगलौर	कर्नाटक	20	123	878.02	10.85	568.41	1457.28
	गोवा	1	13	7.37	9.31	10.54	27.22
भोपाल	मध्य प्रदेश	17	58	344.60	182.72	365.72	893.04
	छत्तीसगढ़	4	23	47.05	0.00	51.33	98.38
चंडीगढ़	चंडीगढ़	1	18	31.64	3.31	16.65	51.60
	पंजाब	9	100	280.22	138.07	140.80	559.09
	हरियाणा	5	74	332.58	5.55	26.15	364.28
	हिमाचल प्रदेश	2	4	13.50	0.00	9.51	23.01
	जम्मू और कश्मीर	1	2	36.70	9.49	3.39	49.58
चेन्नई*	तमिलनाडु	23	111	1443.66	79.82	25.57	1549.05
दिल्ली	दिल्ली	15	208	1206.66	178.05	543.80	1928.51
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	33	197	1045.76	318.00	727.66	2091.42
जयपुर	राजस्थान	41	173	567.88	112.86	594.83	1275.57
कोच्चि	केरल	16	85	300.53	22.28	75.86	398.67
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	15	184	303.18	886.56	76.40	1266.14
	उड़ीसा	5	26	49.60	4.30	12.80	66.70
	एन ई आर**	3	20	189.38	0.00	48.49	237.87
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	19	188	1392.28	124.49	528.35	2045.12
	उत्तरांचल	1	11	1.35	6.23	0.00	7.58
मुंबई	महाराष्ट्र	11	309	1635.38	286.11	346.14	2267.63
पुणे	महाराष्ट्र	29	178	537.08	414.52	791.90	1743.50
पटना	बिहार	3	19	12.00	165.87	75.18	253.058
	झारखंड	4	13	4.50	0.00	14.21	18.71

टिप्पणी : *- आंकड़ों में पांडिचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

** - एन ई आर के आंकड़ों में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-III

(जब्ती के आंकड़े लाख रुपए में)

आयकर महानिदेशक (जांच)	राज्य	वित्त वर्ष 2005-06					
		तलाशी लिए गए समूहों की सं.	निष्पन्न वारंटों की संख्या	नकदी	जवाहिरात	अन्य	कुल जब्ती
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद	गुजरात	43	380	793.50	411.14	533.63	1738.27
बंगलौर	कर्नाटक	23	120	1478.93	0.00	453.02	1931.95
	गोवा	2	21	75.71	0.00	0.92	76.63
भोपाल	मध्य प्रदेश	8	27	178.27	62.80	285.96	527.03
	छत्तीसगढ़	2	21	44.60	9.92	20.81	75.33
चंडीगढ़	चंडीगढ़	4	13	68.32	9.53	0.00	77.85
	पंजाब	15	132	619.169	195.77	399.84	1214.77
	हरियाणा	7	37	318.47	82.61	0.40	401.48
	हिमाचल प्रदेश	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू और कश्मीर	2	3	1.50	0.00	0.00	1.50
चेन्नई*	तमिलनाडु	104	276	4373.12	549.72	95.54	5018.38
दिल्ली	दिल्ली	45	480	2507.02	560.48	1407.38	4474.88
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	64	320	1266.73	586.10	1470.27	3323.10
जयपुर	राजस्थान	32	116	927.00	299.00	1659.00	1395.00
कोच्ची	केरल	20	81	164.44	76.25	14.81	255.50
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	23	232	914.34	1646.86	156.64	2717.84
	उड़ीसा	8	36	101.45	23.47	27.06	151.98
	एन ई आर**	7	34	781.19	0.00	66.17	847.36

1	2	3	4	5	6	7	8
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	29	155	482.89	287.08*	559.60	1329.57
	उत्तरांचल	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
मुंबई	महाराष्ट्र	39	557	1905.31	1038.23	1736.37	4679.91
पुणे	महाराष्ट्र	40	287	2056.99	506.43	2164.44	4727.86
पटना	बिहार	5	18	39.00	0.00	110.76	149.76
	झारखंड	3	17	37.59	0.00	16.14	53.73

टिप्पणी : *-आंकड़ों में पांडिचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

** - एन ई आर के आंकड़ों में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-IV

(जब्ती के आंकड़े लाख रुपए में)

आयकर महानिदेशक (जांच)	राज्य	कंपनियां						सरकारी अधिकारी					
		वित्त वर्ष 2003-04		वित्त वर्ष 2004-05		वित्त वर्ष 2005-06		वित्त वर्ष 2003-04		वित्त वर्ष 2004-05		वित्त वर्ष 2005-06	
		तलाशियों की संख्या	जब्ती	तलाशियों की संख्या	जब्ती	तलाशियों की संख्या	जब्ती	तलाशियों की संख्या	जब्ती	तलाशियों की संख्या	जब्ती	तलाशियों की संख्या	जब्ती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अहमदाबाद	गुजरात	18	7.26	22	293.32	25	18.00	0	0	1	58.10	0	0.00
बंगलौर	कर्नाटक	3	56.00	4	147.33	3	91.69	0	0	0	0.00	0	0.00
	गोवा	0	0.00	0	0.00	1	38.13	0	0	0	0.00	0	0.00
भोपाल	मध्य प्रदेश	1	40.00	6	178.69	2	55.00	0	0	0	0.00	0	0.00
	छत्तीसगढ़	1	4.28	2	7.00	2	75.32	0	0	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
चंडीगढ़	चंडीगढ़	1	0.00	2	0.00	1	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
	पंजाब	2	807.81	2	62.51	9	245.88	0	0	0	0.00	0	0.00
	हरियाणा	13	32.95	4	80.00	9	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
चेन्नई*	तमिलनाडु	4	366.33	1	380.01	3	140.20	0	0	0	0.00	0	0.00
दिल्ली	दिल्ली	15	1409.54	10	1218.19	18	2907.00	0	0	0	0.00	0	0.00
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	9	654.00	12	1484.00	15	2622.00	0	0	0	0.00	4	66.20
जयपुर	राजस्थान	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
कोच्ची	केरल	J	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	11	423.34	13	219.60	16	546.90	0	0	0	0.00	0	0.00
	उड़ीसा	3	10.00	2	3.00	2	1.30	0	0	0	0.00	0	0.00
	एन ई आर**	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.89	0	0.00	0	0.00
लखनऊ	उत्तर प्रदेश	5	78.90	8	108.81	5	123.74	0	0	0	0.00	0	0.00
	उत्तरांचल	0	0.00	1	3.54	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
मुंबई	महाराष्ट्र	20	1055.06	11	604.17	39	4215.31	0	0	0	0.00	0	0.00
पुणे	महाराष्ट्र	0	0.00	6	133.28	4	108.51	0	0	0	0.00	0	0.00
पटना	बिहार	5	43;71	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00
	झारखंड	2	7.03	1	16.61	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00

टिप्पणी : *-आंकड़ों में पांडिचेरी के आंकड़े शामिल हैं।

** - एन ई आर के आंकड़ों में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की धीमी गति

*98. श्री बी. विनोद कुमार :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खामियों के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत जारी कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी है क्योंकि इस योजना को सात वर्षों में पूरा किया जाना था जबकि मार्च, 2005 तक केवल 24 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) योजना की आरंभिक लागत, उपबंधित धनराशि, इस हेतु अभी तक जारी की गई धनराशि और इसके अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आबंटित की गई भारी धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया गया है और इस धनराशि को अनधिकृत खातों में जमा किया गया है अथवा इसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा इसकी खामियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (छ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बसावटों की कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है, तथापि, इसे कवर करने में निर्धारित समय की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए लक्षित 1,72,787 बसावटों में से मंत्रालय ने (जून, 2006 तक) 56,638 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तावित सड़क कार्यों को मंजूरी दे दी है। राज्यों ने बताया है कि मई, 2006 तक 27,883 लक्षित बसावटों को सड़कों से जोड़ा गया है।

2. पीएमजीएसवाई में संपर्कविहीन बसावटों को नयी सड़कों से जोड़ने तथा मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए लगभग 3,73,000 कि.मी. लंबी सड़क बनाने की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय ने 1,18,497 कि.मी. लंबी सड़क बनाने के प्रस्तावों को मंजूर किया था, जिसमें से मार्च, 2005 तक 65,922 कि.मी. लंबी सड़क बन चुकी है। तथापि, अब कार्यान्वयन के कार्य में तेजी आई है। मंत्रालय ने अब तक 1,77,971 कि.मी. लंबी सड़क बनाने के प्रस्तावों को मंजूर किया है, इसमें से मई, 2006 तक 93898 कि. मी. लंबी सड़क बन चुकी है।

3. कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित न किए जाने, राज्यों के पास उपलब्ध अपर्याप्त कार्यान्वयन क्षमताओं, पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने, अपर्याप्त संविदात्मक क्षमता, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों, प्रतिकूल जलवायु स्थितियों के कारण इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हासिल नहीं किया जा सका है।

4. पीएमजीएसवाई के कार्यान्वियन की लागत आरंभ में 60,000 करोड़ रु. आंकी गई थी। कार्यक्रम के लिए 2000-01 से 2005-06 की अवधि के दौरान बजट में 16,528 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2006-07 के लिए बजट में 5225.62 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है तथा 4000 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि नाबार्ड द्वारा दिए जाने की बात कही गई है। 30 जून, 2006 तक राज्यों को कुल 18,143.50 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं जिसमें से 14553 करोड़ रु. खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है।

5. 2000 से 2005 तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (2006 की सं. 13) में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों में किए गए व्यय के नमूना परीक्षण से यह पता चलता है कि निधियों के कुछ हिस्से का अन्यत्र उपयोग किया गया है, उन्हें अप्राधिकृत खातों में जमा किया गया है अथवा इनका उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए ये निधियां दी गई थीं। ये टिप्पणियां मुख्य रूप से चरण-I तथा II (वर्ष 2002-2003) के कार्यों के संबंध में की गई हैं। इन दो चरणों में, राज्य दिसंबर, 2000 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर योजनाएं कार्यान्वित कर रहे थे, जिनपर अच्छी तरह से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तथापि, इन कार्यों पर की गई लेखा-परीक्षा टिप्पणियां चरण-III तथा उसके बाद के चरणों में अपनाए जाने के लिए तैयार किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के संदर्भ में हैं, जो कि चरण-I तथा चरण-II के कार्यों पर लागू नहीं थीं। अब मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश जारी किए हैं कि नवंबर, 2004 में जारी किए गए व्यापक दिशानिर्देशों को पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन में कड़ाई से पालन किया जाए। संशोधित दिशानिर्देशों में निधियों के प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था शामिल है। सभी राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे

अनियमितताएं पाए जाने पर उन पर सुधारात्मक कार्रवाई करें।

ऋण वसूली

*99. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की वसूली के मामलों में उपभोक्ताओं को परेशान किए जाने संबंधी मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई आचार-संहिता तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध ऋण वसूली के लिए परेशान किए जाने के संबंध में ग्राहकों से लगभग 700 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्टीकरण देने एवं निवारण के लिए संबद्ध बैंकों के साथ इन शिकायतों को उपयुक्त तरीके से उठाया गया था। इसके अतिरिक्त, कैलेण्डर वर्ष 2004 एवं 2005 में ऋण वसूली से संबंधित शिकायतों सहित 22,273 शिकायतों का बैंकिंग लोकपाल द्वारा निवारण किया गया।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ''उधारकर्ताओं के लिए उचित परंपरा संहिता'' मानदंडों को तैयार किया है जिन्हें कार्यान्वयन करने के लिए मई, 2003 में बैंकों को भेजा गया था। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित है कि ऋण वसूली के मामले में उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं को असुविधाजनक समय में लगातार परेशान करने, ऋण वसूली के लिए बल प्रयोग करने इत्यादि जैसे अनुचित रूप से परेशान करने का सहारा नहीं लेना चाहिए।

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने ''बकायों की वसूली एवं प्रतिभूति के पुनर्अधिग्रहण के लिए आदर्श संहिता'' भी तैयार की है जिन्हें अपनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए बैंकों को सिफारिश की गई है।

नेशनल पॉवर ग्रिड का विस्तार

*100. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पॉवर ग्रिड कारपोरेशन का विचार नेशनल ग्रिड का विस्तार करने के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना नेवेश किया गया है;

(ग) देश में पहले से स्थापित विद्युत पारेषण क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2011-12 तक अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल), जिसे अंत:राज्य एवं अंत: क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के विकास के लिए अधिदेश प्राप्त है, समूचे देश में विभिन्न पारेषण प्रणालियों को क्रियान्वित कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रिडों के सुदृढ़ीकरण के लिए और नेशनल पावर ग्रिड के विकास के जरिए अंत क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संदर्शी पारेषण योजना तैयार की गई है। उत्पादन से जुड़ी पारेषण स्कीमें और ग्रिड सुदृढ़ीकरण स्कीमें, जिन्हें 10वीं तथा 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित/तैयार किया जा रहा है, को एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

पीजीसीआईएल ने विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के अनुसार 10वीं योजना के दौरान 17,360 करोड़ रुपए और 11वीं योजना के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया है।

(ग) और (घ) वर्तमान अंत:क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग 9450 मे.वा. है, जो कि सन् 2012 तक लगभग 37000 मे.वा. होने का अनुमान है। अंत: क्षेत्रीय संपर्कों और अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता समेत सन् 2012 तक पूरा करने के लिए नियोजित संपर्कों को विनिर्दिष्ट करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में दिया गया है।

विवरण-I

1. उत्पादन से संबंधित पारेषण स्कीमें (10वीं योजना)

परियोजना का नाम	पारेषण प्रणाली की स्थिति	लागत (करोड़ रु.)
1	2	3
थर्मल		
एनटीपीसी		
विन्ध्याचल-III (1000 मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन (2006-07 से पूर्व)	596
कहलगांव-II, फेज-1 (1000 मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन (2006-07 से पूर्व)	1772
कहलगांव-II, फेज-2 (500 मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन (2006-07 से पूर्व)	464
सीपत (1980 मेगावाट) (उत्पादन 11वीं योजना में होगा)	कार्यान्वयनाधीन (2006-07 से पूर्व)	1455
सीपत-II (1000-मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन (2006-07 से पूर्व)	602
हाइड्रो		
एनएचपीसी		
दुलहस्ती एचईपी (390 मेगावाट)	निकासी प्रणाली पूर्ण	465
तीस्ता-5 (510 मेगावाट)	कार्यान्वयनाधीन (2007-08 तक)	209
2. ग्रिड सुदृढ़ीकरण स्कीमें (10वीं योजना)		
उत्तरी क्षेत्र		
कानपुर-बल्लभगढ़-आर एंड डी हेतु सीरिज कैपेसिटर्स	चालू होनी है	4
उत्तरांचल में एसएस स्कीम	कार्यान्वयनाधीन (2007)	76
सिंगरौली-विन्ध्याचल में एसएस (सिंगरौली-विन्ध्याचल कॉरीडोर का पुनर्संयोजन)	कार्यान्वयनाधीन (2007)	17
उत्तरी क्षेत्र-II में एसएस	कार्यान्वयनाधीन (2007)	22।
पश्चिमी क्षेत्र		
विन्ध्याचल-कोरबा टीएस	कार्यान्वयनाधीन (2007)	164

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
एसआर-4 में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	कार्यान्वयनाधीन (2007)	102
अंतर-क्षेत्रीय स्कीम		
उ.क्षे.-पू.क्षे. में एसएस स्कीम (पूर्व ताला सप्लीमेंट्री स्कीम का भाग)	कार्यान्वयनाधीन (2007)	391

1. उत्पादन से संबंधित पारेषण स्कीमें (11वीं योजना)

परियोजना का नाम	विद्युत उत्पादन परियोजना से होने वाले लाभ का वर्ष (सीईए के राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार)	लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
थर्मल		
एनटीपीसी		
सीपत-I (1980 मेगावाट)	2007-09	1455
ऊंचाहार-III (210 मेगावाट)	2006-07	73
बाढ़ (1980 मेगावाट)	2008-11	3779
कवास-II (1300 मेगावाट)	2007-08	381
गांधार-II (1300 मेगावाट)	2007-08	653
उत्तरी करनपुरा (1980 मेगावाट)	2011-12	4104
कायमकुलम-II (1950 मेगावाट)	2009-10	600
एनएलसी		
नैवेली टीएस-II विस्तार	2008-10	692
हाइड्रो		
एनएचपीसी		
कोटेश्वर (400 मेगावाट)	2007-08	260
सेवा-II (120 मेगावाट)	2007-08	98
पार्बती-II (800 मेगावाट)	2007-09	360

1	2	3
लोअर सुबानसिरी (2000 मेगावाट)	2010-11	9484
उड़ी-II (240 मेगावाट)	2009-10	230
पार्बती-III (520 मेगावाट)	2010-11	557
चमेरा-III (231 मेगावाट)	2010-11	490
नीपको		
कामेंग एचईपी (600 मेगावाट)	2009-10	–
एनटीपीसी		
कोलडैम एचईपी (800 मेगावाट)	2008-09	478
टीएचडीसी		
टिहरी पीएसएस (1000 मेगावाट)	2009-10	1100
एसजेवीएनएल		
रामपुर (412 मेगावाट)	2010-11	250
न्यूक्लीयर		
आरएपीपी 5 व 6 (440 मेगावाट)	2007-09	499
कैगा-3 व 4 (400 मेगावाट)	2007-08	588
कुदानकुलम (2000 मेगावाट)	2007-09	1779
कलपक्कम पीएफबीआर (500 मेगावाट)	2011-12	100

2. ग्रिड सुदृढ़ीकरण स्कीमें (11वीं योजना)

परियोजना का नाम	पारेषण प्रणाली की स्थिति	लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-6 (गुड़गांव उपकेंद्र)	2008	170

1	2	3
उ.क्षे.-III, एसएस	2008	231
उ.क्षे.-I में एसएस	2008	272
मोगा और अमृतसर में रूपांतरण क्षमता	2008	47
रुड़की क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	2009	110
उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-5	2010	721
उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-7 व 8	2009	350
उत्तरी क्षेत्र में पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर का प्रणाली सुदृढ़ीकरण	2009	120
पश्चिमी क्षेत्र		
प.क्षे. एसएस-I	2008	199
प.क्षे. एसएस-III	2008	76
बीना-नागदा पारेषण प्रणाली	2008	267
सीपत-II सप्लीमेंट्री स्कीम	2009	814
पश्चिम क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-4	2009	97
डब्ल्यूआरएसएस-II	2010	3581
डब्ल्यूआरएसएस-5	2009	450
11वीं योजना के अंत में डब्ल्यूआरएसएस	2012	2000
पूर्वी क्षेत्र		
पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-I	2009	815
पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-II	2010	800
पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-III	2011	400
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
उ.पूर्वी. क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण-I	2009	59
मीसा-बायरनिहाट परियोजना का टीएस	2009	150

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-6	2008	114
दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-3	2008	285
दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण-5	2008	92
तालचेर-कोलार एचवीडीसी बाईपोल की ट्रांसफार क्षमता का उन्नयन	2009	118
प्रणाली सुदृढ़ीकरण-7	2010	279
तालचेर-कोलार का दूसरा स्पेयर कन्वर्टर ट्रांसफार्मर	2008	65
अंतर-क्षेत्रीय		
उत्तर-पश्चिम पारेषण प्रणाली	2009	483
पूर्व-पश्चिम पारेषण प्रणाली	2009	804
प.क्षे.-द.क्षे. एचवीडीसी लिंक	2012	1000

विवरण-II

200 केवी और उससे ऊपर अंतर-क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (मेगावाट)

2011-12 तक विद्यमान एवं निर्माणाधीन/प्रस्तावित

	26.7.2006 अनुसार विद्यमान	2006-07 प्रत्याशित अभिवृद्धि	11वीं योजना में नियोजित अभिवृद्धि	2011-12 के अंत तक कुल
1	2	3	4	5
थर्मल				
देहरी साहूपुरी 220 केवी एस/सी	100			100
सासाराम एचवीडीसी बैक-टू-बैक	500*			500
मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 केवी डीसी क्वाड टीसीएससी के साथ सीरिज कम्पो. एवं टीसीएससी		2000		2000
पटना-बलिया, 400 केवी डी/सी क्वाड		1200		1200

1	2	3	4	5
बिहारशरीफ-बलिया, 400 केवी डी/सी क्वाड		1200		1200
उत्तरी क्षेत्र प्रणाली में श्रृंखलाबद्ध तरीके से पटना-बलिया और बिहारशरीफ-बलिया 400 केवी डी/सी क्वाड की बढ़ी हुई भार क्षमता		800		800
अपेक्षाकृत अधिक भार क्षमता सासाराम-फतेहपुर 765 केवीएस/सीकेएम के लिए पूर्वी क्षेत्र प्रणाली में श्रृंखलाबद्ध बाढ़-बलिया 400 केवी डी/सी क्वाड			1600 2300	1600 2300
सासाराम-बलिया 400 केवी डी/सी क्वाड			1600	1600
उपजोड़	600	5200	5500	11300
पाथ ही सीरिज कम्पो. एवं टीसीएससी	1400*			1400
रांची-सीपत 400 केवी डीसी			1000	1000
राउरकेला-रायपुर 400 केवी डी/सी (द्वितीय) साथ ही सीरिज कम्पो. एवं टीसीएससी			1400	1400
उत्तर-करनपुरा-सीपत 765 केवी एस/सी			2300	2300
उपजोड़	1800	0	4700	6500
उत्तर-पश्चिम				
विन्ध्याचल एचवीडीसी बैक-टू-बैक	500			500
औरेया-मालनपुर 220 केवी डी/सी	250			250
कोटा-उज्जैन 220 केवी डी/सी	250			250
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी प्रथम सर्किट (400 केवी पर प्रभारित)		1100		1100
765 केवी पर आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी प्रथम सर्किट की चार्जिंग			1200	1200
765 केवी पर आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी द्वितीय सर्किट की चार्जिंग			2300	2300

1	2	3	4	5
कांकरोली-जेरदा 400 केवी डी/सी			1000	1000
आरएपीपी-नागदा 400 केवी डी/सी			1000	1000
उप जोड़	1000	1100	5500	7600
पूर्व-दक्षिण				
गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक माड्यूल-1	500			500
गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक माड्यूल-2	500*			500
बालीमेला-अपर सिलेरू 220 केवी एस/सी	100			100
तालचेर-कोलार एचवीडीसी बाइपोल	2000*			2000
तालचेर-कोलार एचवीडीसी का उच्चीकरण			500	500
उप जोड़	3100	0	500	3600
पश्चिमी-दक्षिण				
चन्द्रपुर एचवीडीसी बैक-टू-बैक	1000			1000
बरसूर-लोअर सिलेरू 220 केवी एचवीडीसी मोनोपोल	200			200
कोल्हापुर-बेलगांव 220 केवी डी/सी	250			250
पोंडा-नागझरी 220 केवी डी/सी	250			250
दक्षिण-पश्चिम अतिरिक्त लिंक			1000	1000
उप जोड़	1700	0	1000	2700
पूर्व-उत्तर पूर्व				
बीरपाड़ा-सलाकटी 220 केवी डी/सी	250			250
बोंगाईगांव-सिलीगुड़ी (मालदा लाईन) 400 केवी डी/सी	1000			1000
बोंगाईगांव-सिलीगुड़ी (मालदा लाईन) 400 केवी डी/सी क्वाड			1200	1200
उप जोड़	1250	0	1200	2450

1	2	3	4	5
उत्तर पूर्व-उत्तर-पश्चिम एचवीडीसी				
विश्वनाथ चरियाली और आगरा में 3000 मेगावाट मॉडल के साथ एनईआर (-एनआर/डब्ल्यूआर+800 केवी (एचवीडीसी बाईपोल)			3000	3000
	0	0	3000	3000
जोड़	9,450	6,300	21,400	37,150

टिप्पणी- 9वीं योजना 5050 मेगावाट के अंत में विद्यमान।

*4400 मेगावाट जोड़ी गई।

10वीं योजना में अनुमानित कुल 4400 मेगावाट (2002-06) + 6300 (2006-07) = 10700 मेगावाट।

10वीं योजना के अंत तक कुल 9450 + 6300 = 15750 मेगावाट।

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम संबंधी कृतक बल

602. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) संबंधी मुद्दों की जांच करने और इसकी उपलब्धियों तथा खामियों एवं इसमें सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृतक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) से संबंधित मुद्दों एवं उपलब्धियों, खामियों, कार्यान्वयन की समस्याओं की जांच करने और इसमें सुधार के लिए सुझाव देने की दृष्टि से त्वरित विद्युत विकास सुधार एवं कार्यक्रम के पुनर्गठन के लिए 23 मार्च, 2006 को श्री पी. अब्राहम, अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कं.लि. की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:-

(i) ए.पी.डी.आर.पी. के तहत चल रहे प्रयासों का मूल्यांकन।

(ii) राज्यों द्वारा किए जा रहे ए.पी.डी.आर.पी. के लक्ष्यों से संबंधित वर्तमान सुधार पहलों का विश्लेषण।

(iii) स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अन्य फीडबैक के आलोक में किए जाने वाले संशोधन की आवश्यकता का मूल्यांकन।

(iv) ए.पी.डी.आर.पी. के लक्ष्य हासिल करने के उपाय बताना।

(ग) से (ङ) आशा है कि कार्य बल अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2006 के अंत तक प्रस्तुत कर देगा।

दिल्ली का पुनर्विकास

603. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में शहरी विकास के पुनर्गठन हेतु एक समिति गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों और परिसरों के दुरुपयोग की समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखने तथा इससे निपटने के लिए व्यापक कार्यनीति का सुझाव देने हेतु दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना की अध्यक्षता में 14.02.2006 को सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 13 मई, 2006 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

ब्रह्मपुत्र नदी का सौन्दर्यीकरण

604. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने के सौंदर्यीकरण हेतु एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मलिन बस्तियों को नियमित करना

605. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मलिन बस्तियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) चूंकि स्लम राज्यों का विषय है इसलिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्लमों को नियमित नहीं करता। तथापि, शहरी गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आश्रय, बुनियादी सेवाएं तथा अन्य संगत नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी परियोजनाओं के जरिए स्लमों का एकीकृत विकास करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी, गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) संबंधी उप-मिशन तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) नामक एक स्कीम के मार्फत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। देश में चुनिंदा 63 शहरों में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उप-मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक से 2 शहर (बंगलौर व मैसूर) शामिल हैं। देश में शेष शहरों/कस्बों में एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी, दोनों ही मांग आधारित स्कीम है, जिनके लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती है तथा सुधारों के कार्यान्वयन के वचन के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

आवासों की कमी

606. **श्री सुब्रत बोस :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली (बीपीएल) लोगों के लिए आवास की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवासीय समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(ग) इस श्रेणी के लिए कुल कितने आवासों की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) 10वीं योजना दस्तावेज के अनुसार देश में 22.44 मिलियन आवासों की कमी है। 2001 की जनगणना के आधार पर नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन (एनबीओ) द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1.73 मिलियन (गांवों में 1.09 मिलियन और शहरों में 0.64 मिलियन) आवास की कमी है तथा दिल्ली में 0.55 मिलियन (गांवों में 0.02 मिलियन और शहरों में 0.53 मिलियन) आवास की कमी है।

(ख) से (ङ) देश में कुल 22.44 मिलियन आवासों की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उप मिशन को 63 चुनिंदा शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। बीएसयूपी के अंतर्गत राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत मांग आधारित परियोजनाओं के जरिए स्लम वासियों/शहरी गरीबों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/ अल्प आय समूह श्रेणियों को किफायती मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। अन्य सभी शहरों/नगरों में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यान्वित किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

607. **श्री के.एस. राव :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से अर्जित ब्याज स्रोत पर कटौती (टीडीएस) के अंतर्गत कर योग्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को शुरू करते समय यह खण्ड लागू था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अर्जित ब्याज पर आयकर से कितनी धनराशि संग्रहित की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को, विशेषकर बढ़ती हुई मुद्रास्फीती, जिससे इन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ है, के मद्देनजर वित्तीय राहत देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के तहत देय ब्याज पर आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर लगाया जाएगा और कर की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 194क के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर की जाएगी। तथापि, 65 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल आय पर अनुमानित कर शून्य है, स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने के लिए फार्म 15-ज में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे। अन्य जमाकर्ता फार्म 15-छ में घोषणा प्रस्तुत करने पर अन्य विहित शर्तों के अधीन, स्रोत पर कर की कोई कटौती न करने का दावा करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी जमाकर्ता आय कर अधिनियम की धारा 197(1) के अधीन स्रोत पर कर की कोई कटौती न किए जाने अथवा कम कटौती किए जाने के लिए अपने कर-निर्धारण अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी की गई हों। 2 अगस्त, 2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमावली, 2004 में इस योजना के तहत जमाराशियों पर कर रियायतों के संबंध में कोई उपबंध नहीं था। इस योजना को लागू करने की घोषणा करने वाली दिनांक 3 अगस्त, 2004 की प्रेस विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि इस योजना के तहत जमाराशियों पर अर्जित ब्याज पर कर देय होगा।

(ङ) स्रोत पर कर की कटौती की योजना-वार सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(च) और (छ) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिफल की एक सुनिश्चित वास्तविक दर प्रदान करती है जो तुलनीय बचत साधनों पर बाजार दर की तुलना में अधिक है। वित्त अधिनियम, 2005 के अधीन, 65 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 1,85,000/- रुपए कर दी गई थी जबकि अन्य व्यक्तियों (आवासी महिलाओं को

छोड़कर) के लिए छूट की यह सीमा 1,00,000/- रुपए बनी हुई है। वरिष्ठ नागरिकों को इसके अतिरिक्त वित्तीय राहत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जल विद्युत उत्पादन में कमी

608. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी कमी रह गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और इनके पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है;

(घ) कार्य के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एनएचपीसी विद्युत परियोजनाओं के समयबद्ध निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) सरकार द्वारा दिए गए निवेश अनुमोदन के अनुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) द्वारा 2480 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि किए जाने का लक्ष्य था जिसमें नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. (एनएचडीसी) (एचएचपीसी एवं मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) की इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) भी शामिल थी। आज तक 1580 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि कर ली गई है जिसमें एनएचडीसी की इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट भी शामिल है। ब्यौरे संलग्न-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एनएचपीसी के पास इस समय 11 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसमें एनएचडीसी की 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। एनएचपीसी की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने की लक्षित तारीख तथा विलंब के कारण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) एनएचपीसी द्वारा परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने को, सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है:-

- परियोजना स्तर तथा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें;
- एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा केंद्रीय स्तर पर सभी परियोजनाओं/विभागों के अध्यक्ष के साथ नियमित समन्वयन बैठकें;
- प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए मंडल स्तर एवं विद्युत मंत्रालय में नियमित प्रगति समीक्षा; और
- विद्युत मंत्रालय में तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकें।

विशाल एवं प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में सरकार/अंत:मंत्रालय मुद्दों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा उच्चतम स्तर पर प्रबंधन।

विवरण-I

क्र. सं.	परियोजना/राज्य का नाम	10वीं योजना लक्ष्य (मे.वा.)	जोड़ी गई क्षमता	चालू होने की लक्षित तारीख	चालू होने की की प्रत्याशित तारीख	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	धौलीगंगा एचईपी, उत्तरांचल	280	280	मार्च, 2005	चालू	—
2.	चमेरा-2 हिमाचल प्रदेश	300	300	मई, 2004	चालू	—

1	2	3	4	5	6	7
3.	दुलहस्ती, जम्मू व कश्मीर	390	—	मार्च, 2001	दिसंबर, 2006	— कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। — मुख्य सुंरग (एचआरटी) के ऊपरी क्षेत्र में कमजोर भूगर्भीय संस्तर का मिलना। — चट्टान गिरने से सुंरग भेदक मशीन का दबना। — श्रमिक समस्याएं।
4.	तीस्ता-5, सिक्किम	510	—	फरवरी, 2007	फरवरी, 2007	—
5.	इंदिरा सागर एचईपी*	120	—	मई, 2005	सभी यूनिटें मार्च, 2005 तक चालू की गई हैं।	—
	कुल योग		1580			

*नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनएचडीसी) (एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार संयुक्त उद्यम)।

**एनएचडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है (मध्य प्रदेश सरकार के एचएचपीसी का संयुक्त उद्यम)।

विवरण-II

लोक सभा में दिनांक 28.7.2006 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 608 के भाग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट अनुबंध

क्रम सं.	परियोजना	अधिष्ठापित क्षमता	राज्य	चालू होने का कार्यक्रम	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	दुलहस्ती	390	जम्मू व कश्मीर	मार्च, 2001	प्रतिकूल भूगर्भीय परिस्थितियां, मुख्य सुरंग में भारी मात्रा में पानी का प्रवेश, कानून एवं व्यवस्था तथा स्थानीय श्रमिक समस्याएं इत्यादि।
2.	तीस्ता-5	510	सिक्किम	फरवरी, 07	निर्माणाधीन
3.	पार्बती-II	800	हिमाचल प्रदेश	सितंबर, 09	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6
4.	सेवा-II	120	जम्मू व कश्मीर	सितंबर, 07	क्षमता अभिवृद्धि के लिए परियोजना को 10वीं योजना में लिया गया। विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां लेने में हुए विलंब के कारण तथा कमजोर भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण मुख्य सुरंग के कार्यों में हुए विलंब के कारण परियोजना में विलंब हुआ।
5.	तीस्ता लो डैम-3	132	पश्चिम बंगाल	मार्च, 08	विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां देर से प्राप्त होना।
6.	सुबानसिरी लोअर	2000	अरुणाचल प्रदेश	सितंबर, 10	निर्माणाधीन
7.	उड़ी-II	240	जम्मू व कश्मीर	नवंबर, 09	निर्माणाधीन
8.	चमेरा-III	231	हिमाचल प्रदेश	अगस्त, 10	निर्माणाधीन
9.	तीस्ता लो डैम-4	*160	पश्चिम बंगाल	सितंबर, 09	निर्माणाधीन
10.	पार्बती-III	520	हिमाचल प्रदेश	नवंबर, 10	निर्माणाधीन
11.	ओंकारेश्वर*	520	मध्य प्रदेश	फरवरी, 06	निर्माणाधीन
	कुल	5623			

*168 मेगावाट की क्षमता पर विचार किया गया था।

सेवा कर संग्रहण

609. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सेवा कर के जरिए कितनी धनराशि संग्रहित की गई;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान सेवा कर में शामिल की गई/से हटाई गई सेवाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष के दौरान सेवा कर की दर में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष के दौरान सेवा कर के जरिए कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2005-06 के सेवा कर, जिसे वास्तव में अप्रैल, 2006 में वसूला गया था, सहित वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान संग्रहित सेवाकर की राशि 24,039 करोड़ रु. (अनंतिम) थी।

(ख) कराधेय सेवाओं के वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। धारा 65 (105) में वित्त अधिनियम, 2006 के खंड 68 (क) के तहत संशोधन किए गए थे। सेवाएं जो वित्त अधिनियम, 2006 के तहत कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट की गई हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सेवाकर की दर को दिनांक 18 अप्रैल, 2006 से 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान सेवाकर से राजस्व का बजट अनुमान 34.500 करोड़ रु. का है।

विवरण

क्रम सं.	वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) के अंतर्गत कराधेय सेवाओं के रूप में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं के नाम
1.	किसी निर्गम के पंजीयक
2.	शेयर हस्तांतरण एजेंट
3.	आटोमेटेड टेलर मशीन का संचलन, रखरखाव अथवा प्रबंधन
4.	वसूली एजेंट
5.	प्रिंट मीडिया को छोड़कर स्थान की बिक्री अथवा विज्ञापन के लिए समय
6.	खेल कार्यक्रमों का प्रायोजन को छोड़कर प्रायोजक सेवाएं
7.	इकानोमी क्लास को छोड़कर एयर द्वारा अंतर-राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत में आने वाले यात्रियों को लाना व ले जाना
8.	सरकारी रेलवे को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई रेल द्वारा कन्टेनरों में माल की ढुलाई
9.	कारोबार समर्थन सेवा
10.	नीलामीकर्ता सेवा
11.	जन संपर्क सेवा
12.	जहाज प्रबंध सेवा
13.	इंटरनेट टेलीफोनी सेवा
14.	क्रूज जहाज द्वारा व्यक्तियों को लाना व ले जाना
15.	क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड अथवा अन्य भुगतान कार्ड से संबंधित सेवा।

उत्पाद शुल्क हटाना

610. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र तथा विद्युत या भारी मशीनरी से रहित कुटीर उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं पर चालू बजट में अधिरोपित 16% और 8% के उत्पात शुल्क को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अति छोटे उद्योगों के उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का ऐसा अधिरोपण उनमें नियोजित करोड़ों गरीब लोगों को बेरोजगार कर देगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे उत्पादों पर अधिरोपित शुल्क को वापस लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सरकार को इस वर्ष के बजट में बिना विद्युत सहायता के उत्पादित वस्तुओं पर हटाई गई उत्पाद शुल्क छूट को पुनः बहाल करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसी मदों का उत्पादन करने वाली छोटी और लघु उद्योग इकाइयां सामान्य रूप से लघु उद्योगों को प्राप्त उत्पाद शुल्क छूट के पात्र हैं जिसके तहत एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रु. तक के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है और इस प्रकार उनके हितों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है। वर्तमान समय में उक्त छूटों को बहाल करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

611. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का विशेषकर सीमावर्ती गांवों में बहुत धीमी गति से क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन सीमावर्ती गांवों में कार्यक्रम के

क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सीमावर्ती गांवों को विद्युतीकृत गांवों का दर्जा देने के लिए क्या न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और गृह विद्युतीकरण की एक स्कीम "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" अप्रैल, 2005 में आरंभ की गई है जिसका उद्देश्य चार वर्षों की अवधि में सभी घरों तक विद्युत पहुंचाना है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्न के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी)

ब्लाकों में पर्याप्त क्षमता और लाइनों वाले 33/11 के वी (अथवा 66/11 के वी) सब स्टेशनों का प्रावधान।

ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना का सृजन (वीईआई)

- गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
- गैर विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण।
- विद्युतीकृत गांवों/आवासों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान।

विकेन्द्रीयकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) और आपूर्ति

उन गांवों के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेन्द्रीयकृत उत्पादन-सह-वितरण जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो संभव नहीं है या किफायती नहीं है बशर्ते कि यह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सुदूरवर्ती ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्रदान करने की योजना में शामिल न हो।

ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबॉन (आरईडीबी), ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई और विकेन्द्रीयकृत वितरित उत्पादन से भी कृषि और निम्नलिखित समेत अन्य क्रियाकलापों की आवश्यकता पूरी होगी:-

- सिंचाई पम्पसेट
- लघु व मझौले उद्योग
- खादी और ग्राम उद्योग
- कोल्ड चैन
- स्वास्थ्य रक्षा
- शिक्षा और आईटी

यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार उत्पादन और गरीबी उन्मूलन को सुगम बनाएगा।

इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ देश में गरीबी रेखा से नीचे के गैर विद्युतीकृत सभी घरों के विद्युतीकरण हेतु वित्तपोषण का प्रावधान किया गया है।

(ख) आरजीजीवीवाई स्कीम की परिकल्पना सीमावर्ती गांवों समेत सभी गांवों और घरों को शामिल करते हुए देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए की गई है। वर्ष 2005-06 में ही 9819 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है और वर्ष 2006-07 में 40000 गांवों का विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य है।

चूंकि स्कीम का लक्ष्य चार वर्षों की अवधि में सभी गैर विद्युतीकृत गांवों/हेमलेटों को विद्युतीकृत करना है और देश के समस्त गैर विद्युतीकृत और विद्युतीकृत गांवों में सभी ग्रामीण परिवारों को विद्युत की पहुंच प्रदान करना है इसलिए प्रत्याशा की जाती है कि सभी गांवों को चाहे वे सीमावर्ती हो या नहीं विद्युतीकृत कर लिया जाएगा।

(ग) आरजीजीवीवाई में भारत सरकार, राज्य सरकार और यूटीलिटियों द्वारा आरंभ की जाने वाली कार्यों को समेकित किया जाता है ताकि कृषि, ग्रामीण उद्यमों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आई टी के लिए अपेक्षित विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सृजन में तेजी लाई जा सके।

- चूंकि विद्यमान कार्यान्वियन एजेंसियों यथा राज्य विद्युत बोर्डों/यूटीलिटियों को ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने में कठिनाई हो रही थी इसलिए उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाए ली गई है जिन्होंने प्रभावी परियोजना प्रबंधन के साथ समय से परियोजना क्रियान्वयन करने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र उपक्रमों ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्कीम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु 131 जिलों को लिया है।

– इसके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई के तहत परियोजना के सुसंगत एवं बेहतर क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिले-वार तैयार की जाती है और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन परियोजनाओं को टर्नकी आधार पर लिया गया है।

– ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति को मानीटर करने के लिए राज्यों को जिला समितियां गठित करने की सलाह प्रदान की गई है।

– रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) जो कि स्कीम हेतु नोडल एजेंसी है, ने नेशन थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि., नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) और दामोदर वेली कारपोरेशन लि. (डीवीसी) जैसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया है ताकि इनकी परियोजना प्रबंधन विशेषताएं और क्षमताएं इच्छुक राज्यों को उपलब्ध कराई जा सके।

– परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरईसी ने एक कार्यढांचा विकसित किया है जिसमें परियोजनाएं तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश, टर्न-की आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की सेवाओं और सामग्रियों के प्रापण हेतु बोली प्रक्रियाओं, आरजीजीवीवाई के तहत प्रतिनिधि व्यवस्था और परियोजना कार्यान्वयन/निष्पादन में अपनाए जाने हेतु उपस्कर/सामग्री और निर्माण मानकों के विद्यमान आरईसी तकनीकी विनिर्देशनों को अद्यतन किया जाना भी शामिल है।

(घ) किसी भी गांव को विद्युतीकृत घोषित करने के लिए निर्धारित न्यूनतम मानदंड (1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी ग्राम विद्युतीकरण की संशोधित परिभाषा के अंतर्गत) निम्नवत है:-

"(i) दलित बस्तियों/पुरवों, जहां ये स्थित हैं, के साथ-साथ आबादी वाले इलाके में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी मूल सुविधाएं दी जा चुकी हों। (गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के जरिए विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है)

(ii) स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों में बिजली पहुंचा दी गई हो।

(iii) गांव में कुल आवासों के कम से कम 10% आवास विद्युतीकृत हों।"

यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत प्रमाणित करेगी कि क्या गांव को नई परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की गैर-निष्पादनकारी संपत्तियां

612. डा. के. धनराजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंकों की गैर-निष्पादनकारी संपत्तियों (एन.पी.ए.) ने गत छह माह के दौरान नई ऊंचाई को छुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-निष्पादनकारी संपत्तियों की प्रभावी रूप से वसूली करने के लिए बैंक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) को उत्तरदायी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 31,708 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार गिरकर 27,702 करोड़ रुपए हो गई। पिछले तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की सकल अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार ने अनुपयोज्य आस्तियों सहित विभिन्न निष्पादन पैरामीटरों पर उन्हें प्रस्तुत "वार्षिक लक्ष्य संबंधी उद्देश्य विवरण" के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए तंत्र बनाया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	1418	1284	1184
2.	आंध्रा बैंक	615	441	437
3.	बैंक आफ बड़ौदा	3980	3322	2390
4.	बैंक आफ इंडिया	3734	3156	2479
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	954	962	944
6.	केनरा बैंक	3127	2371	1793
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3092	2763	2684
8.	कार्पोरेशन बैंक	722	647	626
9.	देना बैंक	1484	1148	949
10.	इंडियन बैंक	1192	748	669
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1576	1388	1228
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1211	2492	2116
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1204	1197	942
14.	पंजाब नेशनल बैंक	4670	3741	3138
15.	सिंडिकेट बैंक	1590	1433	1506
16.	यूको बैंक	1479	1399	1235
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2347	2058	2098
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	764	726	744
19.	विजया बैंक	390	432	540
	कुल	35,549	31,708	27,702

लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

613. **श्री नवीन जिंदल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) के पास लंबित विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उत्तरांचल सरकार ने हाल ही में तीन जल विद्युत परियोजनाएं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को हस्तांतरित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (90 मेगावाट) के मामले को छोड़कर नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) की मंजूर किसी भी परियोजना का कार्य लंबित नहीं है। राज्य में व्याप्त कानून एवं व्यवस्था की खराब स्थिति और परियोजना स्थल के लिए उचित संपर्क मार्ग के अभाव में लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना पर कार्य आरंभ नहीं किया जा सका।

(ख) से (घ) सर्वेक्षण, जांच एवं निष्पादन की दृष्टि से उत्तरांचल राज्य में अवस्थित परियोजनाओं, जिन्हें एनएचपीसी को सौंप दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	निवेश अनुमोदन की तिथि से अनुमानित निर्माण अवधि
1	2	3	4
1.	लखवर व्यासी	420	4 वर्ष 6 महीने

1	2	3	4
2.	कोटली भेल-1ए	195	4 वर्ष 6 महीने
3.	कोटली भेल-1बी	320	4 वर्ष 6 महीने
4.	कोटली भेल-II	530	4 वर्ष 9 महीने
5.	छुंगार चल	240	5 वर्ष 9 महीने
6.	गरबा तवाघाट	630	5 वर्ष 9 महीने
7.	खारमोली लुमटी तुल्ली	55	4 वर्ष 6 महीने

*सर्वेक्षण एवं जांच को पूरा करने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी और सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात्)।

बकाया विदेशी ऋण

614. श्री प्रहलाद जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ब्याज सहित कुल बकाया विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संवितरित किए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे विदेशी ऋणों का निर्धारित अवधि में उपयोग न करने के लिए किए गए प्रतिबद्धता शुल्क तथा इसके लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे सड़क, पेयजल तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च किए गए विदेशी ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) गत दो वर्षों के दौरान अदा किए गए ब्याज सहित बकाया कुल विदेशी ऋणों (सरकारी खाते में) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	विदेशी ऋणों का बकाया ऋण (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	अदा किया गया ब्याज
2004-05	191180.30	2643.33
2005-06	193574.90	2994.39

(ख) प्राप्त किए गए विदेशी ऋण राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में जारी किए जाते हैं। गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे विदेशी ऋण उपयोग न करने के लिए विभिन्न राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा अदा किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

	2004-05	2005-06
केन्द्र	165.11	143.92
महाराष्ट्र	–	1.33
तमिलनाडु	–	2.53
पांडिचेरी	–	0.13
बहुराज्यीय	–	0.25
सकल योग	165.11	148.16

उनकी राशि पर प्रतिबद्ध होने के लिए विकास भागीदार द्वारा लगाया गया प्रभार प्रतिबद्धता प्रभार कहलाता है। इसका अर्थ अनिवार्य रूप से यह नहीं है कि परियोजना विलंब से आरंभ करने के लिए प्रभार लगाया गया है। तथापि, सहायता के उपयोग में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए हैं : राज्य और केन्द्र सरकार के बजट में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को कारगर बनाना, सार्वजनिक

क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को विदेशी सहायता के प्रवहन का अमध्यस्थीकरण करना, कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना मानीटरिंग यूनिटों को सुदृढ़ करना, राज्यों के लिए तथा परियोजनाओं आदि की नियमित समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना आदि।

(घ) सड़क और पेयजल तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मुहैया करायी जाने वाली अन्य नागरिक सुविधाओं जैसे अवंसरचना परियोजनाओं के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान संवितरित विदेशी ऋणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	अब तक के संवितरण
सड़क अवसंरचना	8730.81
शहरी विकास	9259.84
जल संसाधन प्रबंधन	1998.54
कृषि और ग्रामीण विकास	2618.76
जल आपूर्ति साफ सफाई	29.21

विवरण-I

गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1228.32	801.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.94	7.04
3.	असम	293.51	479.10
4.	बिहार	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	8.88	31.92
6.	गुजरात	893.85	978.23
7.	गोवा	0.00	0.00
8.	हरियाणा	72.62	29.34
9.	हिमाचल प्रदेश	38.26	39.45
10.	जम्मू और कश्मीर	28.6	37.48
11.	झारखंड	1.02	2.05
12.	कर्नाटक	926.74	912.35
13.	केरल	733.73	335.83
14.	मध्य प्रदेश	450.73	420.31
15.	महाराष्ट्र	394.27	605.65
16.	मणिपुर	67.38	2.91
17.	मेघालय	16.05	14.81
18.	मिजोरम	76.2	37.28
19.	नागालैंड	6.92	5.75
20.	उड़ीसा	1106.42	70.06
21.	पंजाब	98.01	31.39
22.	राजस्थान	628.07	524.78
23.	सिक्किम	9.21	7.14
24.	तमिलनाडु	185.97	491.13
25.	त्रिपुरा	2.47	3.40
26.	उत्तर प्रदेश	498.05	424.88
27.	उत्तरांचल	65.79	34.81
28.	पश्चिम बंगाल	876.78	1009.06
	कुल जोड़	8716.69	7338.09

विदेशी सहायता अन्तःप्रवाह

615. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2002 से मार्च, 2002 के दौरान सकल विदेशी सहायता अन्तःप्रवाह कितना रहा;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी सहायता का नवीन अंतःप्रवाह कितना रहा;

(ग) 30 मार्च, 2005 को विदेशी मुद्रा भण्डार कितना था; और

(घ) विदेशी मुद्रा भण्डार के विभिन्न घटकों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जनवरी, 2002 से मार्च, 2002 के दौरान विदेशी सहायता का निवल अन्तःप्रवाह 3652.11 करोड़ रुपए था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता का निवल अन्तःप्रवाह निम्न प्रकार है:-

वर्ष	निवल अन्तःप्रवाह (करोड़ रु. में)
2003-04	17377.66
2004-05	17166.58
2005-06	18457.56

(ग) और (घ) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 141514 मि. अमरीकी डालर की राशि के थे। विदेशी मुद्रा भंडार के विभिन्न संघटकों के ब्यौरे-वार घटक निम्नानुसार है:-

(मि. अमरीकी डालर में)

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तिया	135571
सोना	4500
एसडीआर	5
आरटीपी (रिजर्व ट्रांश पोजिशन)	1438
जोड़	141514

नई पेंशन योजना

616. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन निधि लेखे अव्यवस्थित हैं और भविष्य निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) लेखाओं के प्रबंधन को आऊटसोर्स करने पर विचार कर रहा है, जैसा कि दिनांक 11 जुलाई, 2006 के "द हिंदुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निधि का निवेश किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मामलों को शीघ्रातिशीघ्र सही ढंग से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक, 2005 के अधीन नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के संघटन की व्यवस्था इस प्रकार करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें सांविधिक विनियामक ढांचे के तहत अन्यों के साथ-साथ एक केन्द्रीय अभिलेख पाल (रिकार्ड कीपिंग) एजेंसी, पेंशन निधियां और उपस्थिति स्थल शामिल होंगे। अंतरिम तौर पर एनपीएस के तहत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी महालेखा नियंत्रक के अधीन केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को सौंपी गई है।

एनपीएस के तहत केन्द्र सरकार में भर्ती कर्मचारियों के पेंशन संबंधी अंशदानों और सरकार के समतुल्य हिस्से को भारत के लोक लेखे में रखा जा रहा है और सरकार इस पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के एक नियत प्रतिफल का भुगतान कर रही है।

सीपीओ के अनुसार, विभिन्न लेखा एककों से सूचना के प्रवाह में कोई अंतराल नहीं आया है और वे लेखों के रखरखाव,

आवश्यक मिलान और अभिलेखा पालन (रिकार्ड कीपिंग) की गुणवत्ता और यथातथ्यता में सुधार करने के अन्य प्रयासों के संबंध में सभी मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से संवीक्षा बैठकें आयोजित करते रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार ने पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को सलाह दी है कि वह महालेखा नियंत्रक एवं सीपीओ के परामर्श से व्यापक रूप से संवीक्षा करें तथा रिकार्ड कीपिंग और लेखा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं।

कोयला मंत्रालय की बकाया राशि

617. **श्री मिलिंद देवरा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय के ऊपर कोयला मंत्रालय की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राशि बकाया होने के क्या कारण हैं और ये कब से भुगतान हेतु लंबित है; और

(घ) इस बकाया राशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (बीटीपीएस) जो भारत सरकार के अधीन था और जिसका प्रबंधन 01.06.2006 को इसके एनटीपीसी द्वारा किया जाता था, द्वारा 31.5.2006 को कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला कंपनियों को 440.45 करोड़ रुपये (अनंतिम) देय है।

(ग) भारत सरकार के स्वामित्व की अवधि, अर्थात् 31.05.2006 तक की बीटीपीएस की बकाया राशि अधिकांशतः मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की गई थी जिसे 16.08.2005 को घोषित किया गया और मध्यस्थता अवधि 1980-85 तथा 1992-95 से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय बकायों के निपटान पर अहलूवालिया समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर बीटीपीएस ने कोयला कंपनियों के नाम अधिनिर्णीत राशि के प्रतिभूतिकरण का सुझाव दिया। यद्यपि मै. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी इकाई है, ने इस पर सहमति दी और बकायों को निपटा दिया गया, किंतु मै. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सीआईएल की अनुषंगी इकाइयां) ने प्रतिभूतिकरण पर सहमति नहीं दी है, पर प्रतिभूतिकरण सिद्धांत पर 31.03.2006 तक बने ब्याज का उन्हें भुगतान कर दिया गया है।

(घ) सीसीएल तथा ईसीएल के बकायों के प्रतिभूतिकरण का मामला विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला मंत्रालय के साथ सचिव स्तर पर उठाया गया है ताकि मामले का शीघ्र समाधान हो सके और बकायों का निपटान किया जा सके।

दादरी विद्युत संयंत्र को गैस की आपूर्ति

618. **श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने पूर्व निर्धारित कीमतों पर अपनी दादरी विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए गैस की आपूर्ति करने का ठेका दिया है;

(ख) यदि हो, तो क्या आपूर्तिकर्ता कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. अब अपने संविदागत दायित्व से पीछे हट गई है;

(ग) क्या अब एनटीपीसी न्यायालय के निर्देशों के माध्यम से संविदा को लागू करने की संभावना की जांच कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। एनटीपीसी ने मैसर्स गेल, मैसर्स आईओसीएल और मैसर्स बीपीसीएल को पूर्व निर्धारित कीमतों पर अपनी दादरी विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए गैस की आपूर्ति करने का ठेका दिया था। मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रज लि. को दादरी गैस पावर स्टेशन के लिए गैस आपूर्ति के लिए ठेका नहीं दिया गया था!

(ग) और (घ) उपर्युक्त के संबंध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्रियदर्शिनी योजना

619. **श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रियदर्शिनी योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) महिलाओं के क्षमता विकास हेतु सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण संबंधी मौजूदा स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रियदर्शिनी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया एक प्रयास है। पर्यटन गाइड और टैक्सी आपरेशन आदि सहित पर्यटन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यवसायों में पहचान की गई महिलाओं को प्रशिक्षण करने की परिकल्पना की गई।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय

620. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार, उत्पीड़न और अपराध के अनेक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में बलात्कार से संबंधित कितने मामले लंबित हैं;

(ग) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के निपटान हेतु विशेष न्यायालयों का गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी, हां।

(ख) तारीख 31.12.2005 को देश के विभिन्न न्यायालयों में बलात्संग से संबंधित 58,310 मामले विचारण के लिए लंबित थे।

(ग) से (च) ऐसे मामलों सहित मामलों के शीघ्र विचारण के लिए देश के विभिन्न भागों में त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया गया है। वर्तमान में 1562 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। सरकार ने इन त्वरित निपटान न्यायालयों की कार्यावधि को 31.3.2010 तक विस्तारित कर दिया है। सरकार ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया है कि वे यौन उत्पीड़न और बलात्संग सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों के संबंध में अनन्य रूप से कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक त्वरित निपटान न्यायालय को पदाभिहित करने के लिए अपने-अपने उच्च न्यायालय के परामर्श से कार्य योजना आरंभ करें।

[अनुवाद]

'नोटरियों' की नियुक्ति

621. श्री पी. करुणाकरन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में 'नोटरियों' की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने 'नोटरियों' को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाती है;

(ग) क्या केरल सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार से राज्य में 'नोटरियों' की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए सन्नियम नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 में अधिकथित है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें नोटरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त हैं। केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नोटरियों को नियुक्त करने की शक्ति है, जबकि राज्य सरकार कोई संपूर्ण संबद्ध राज्य या उसके किसी भाग के लिए नोटरी नियुक्त करने के लिए सशक्त हैं। नोटरी नियमों के नियम 3 के अधीन विधि व्यवसायियों में से कोई व्यक्ति नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह कम से कम 10 वर्षों से विधि व्यवसाय कर रहा है। यदि नोटरी के

लिए आवेदक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का है या वह कोई महिला है तो नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता 7 वर्ष का विधि व्यवसाय है। ऐसा कोई व्यक्ति भी नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है यदि वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो या यदि 10 वर्षों तक न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या उसने अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण किया हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो या न्यायाधीश महाअधिवक्ता के विभाग में या सशस्त्र बलों के विधिक विभाग में कोई पद धारण किया हो।

पात्र व्यक्ति नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए विहित प्ररूप, अर्थात् अभ्यावेदन में आवेदन कर सकेंगे, जिस पर किसी मजिस्ट्रेट, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक, किसी वणिक् और दो प्रमुख स्थानीय निवासियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेदन की जांच करता है और उस राज्य विधिज्ञ परिषद् से, जहां अभ्यावेदक अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, टिप्पणियों/आक्षेपों की मांग करता है। आवेदक से एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाता है जिसमें शपथ पर यह कथन किया गया हो कि वह न तो किसी राज्य सरकार द्वारा पहले से ही नियुक्त किया गया नोटरी है और न ही नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन संबंधित राज्य सरकार के पास लंबित है और साथ ही उससे व्यवसाय के वांछित क्षेत्र में न्यायालयों की संख्या और नोटेरियों की संख्या का कथन करने का भी अनुरोध किया जाता है। आक्षेपों और विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी नियम 7 के अधीन समुचित सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर विचार करने के पश्चात् उचित निर्णय लेती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल की राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों के कोटे में 50% की वृद्धि की गई है अर्थात् उसे 375 से बढ़ाकर 563 किया गया है और उसे 19.5.2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार तथा साथ ही राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	575	863
2.	असम	575	575
3.	बिहार	925	925
4.	गुजरात	625	625
5.	केरल	375	563
6.	मध्य प्रदेश	1125	1688
7.	तमिलनाडु	725	1088
8.	महाराष्ट्र	875	1313
9.	कर्नाटक	675	675
10.	उड़ीसा	750	750
11.	पंजाब	638	425
12.	राजस्थान	800	800
13.	उत्तर प्रदेश	1750	1750
14.	पश्चिमी बंगाल	450	450

1	2	3	4
15.	जम्मू और कश्मीर	350	350
16.	नागालैंड	200	200
17.	हरियाणा	713	475
18.	हिमाचल प्रदेश	300	300
19.	मणिपुर	225	225
20.	त्रिपुरा	100	100
21.	मेघालय	175	175
22.	सिक्किम	100	100
23.	मिजोरम	200	200
24.	अरुणाचल प्रदेश	325	325
25.	गोवा	50	50
26.	उत्तरांचल	325	325
27.	छत्तीसगढ़	400	600
28.	झारखंड	450	450
29.	दिल्ली	488	325
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50	50
31.	लक्षद्वीप	25	25
32.	दादरा और नगर हवेली	25	25
33.	दमन और दीव	50	50
34.	पांडिचेरी	100	100
35.	चंडीगढ़	38	25

वित्तीय सीमाओं के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश

622. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी सेवाओं अथवा सेवा के नये घटकों (इन्स्ट्रूमेंट) के संबंध में तय की जाने वाली वित्तीय सीमाओं संबंधी दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या संशोधन सरकार के मितव्ययिता उपाय का हिस्सा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे सरकारी खर्च पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नई सेवा/नई सेवा लिखत से संबंधित मामलों के निर्धारण में पालन किए जाने वाले वित्तीय सीमाओं संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) विधान के अधिदेश के तहत राजकोषीय नीतिगत योजना संबंधी विवरण (बजट 2005-06) में सरकार द्वारा की गई वचनबद्धता के अनुसार और लोक लेखा समिति (2005-06) की तेइसवीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) में उसके अनुमोदन का अनुपालन करते हुए 25.05.2006 को जारी किए गए थे। इस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति प्राप्त हो गई है। इसमें उन सीमाओं को जहां तक व्यय की पूर्ति संसद को सूचित करते हुए अनुदान में बचतों के पुनर्विनियोग द्वारा की जा सकती है और उन सीमाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके परे, का.ज्ञा.सं.एफ 1 (23)-बी (एसी)/2005 दिनांक 25.05.2006 के अनुबंध में दिए गए विभिन्न किस्मों के व्यय के संबंध में संसद का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है। यह संशोधन मंत्रालयों/विभागों को विभागीय बजटों के प्रबंध और कार्यान्वयन में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता, प्रत्यायोजन और जिम्मेदारी प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी व्यय प्रशासन को तर्कसंगत बनाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपक्रमों का एक भाग है।

(घ) से (च) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एसबीआई के साथ उद्यम पूंजीगत निधि

623. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ पांच हजार करोड़ रुपए मूल्य की उद्यम पूंजी का प्रावधान करने और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आगामी तीन वर्षों में इसका वितरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वनस्पति इकाइयां

624. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क में 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत को बढ़ोतरी से भारत में ज्यादातर वनस्पति उत्पादन इकाईयों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रुझान को पलटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) इस वर्ष के बजट में वनस्पति के घरेलू उत्पादों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए वनस्पति पर सीमा शुल्क को यथामूल्य 30% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया ताकि वनस्पति और कच्चा पाम तेल पर सीमा शुल्क को बराबर किया जा सके।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषण

625. श्री विजय कृष्ण : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने देश में चुनावों के लिए एक निधि की स्थापना करने हेतु सरकार के प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या सरकार ने चुनाव के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषण के संबंध में 10-सूत्री प्रस्ताव तैयार किया है तथा चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात् अपने मत को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या चुनाव आयोग ने अपने विचार प्रकट किए हैं और केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) सरकार ने निर्वाचनों के राज्य वित्त-पोषण के संबंध में 10 कोणीय प्रस्ताव सूत्रबद्ध किए हैं और निर्वाचन आयोग से यह कहा गया था कि वह सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात् अपने विचारों को अंतिम रूप दे। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित बैठक में किसी राय पर आम सहमति नहीं हो सकी थी। तथापि, आयोग ने 29 जून, 2006 को अपने विचार सरकार को अग्रेषित कर दिए थे। तथापि, इनमें देश में मतदान के लिए किसी निधि को गठित करने का कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है।

(घ) निर्वाचन विधियों में सुधार/परिवर्तन की प्रक्रिया और अन्य संबद्ध विषय एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है, कोई समय-सीमा उपदर्शित करना संभव नहीं है।

मुद्रास्फीति की दर

626. श्री उदय सिंह :
श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री पी. मोहन :

श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री रामजीलाल सुमन :

डा. चिन्ता मोहन :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत प्रत्येक छह महीनों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जनवरी 2006 से जून 2006 की अवधि में थोक मूल्य सुचकांक (डब्ल्यूपीआई) तथा औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के संदर्भ में वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति की दरें निम्न सारणी में दशाई गई हैं:-

माह/वर्ष	वार्षिक मुद्रास्फीति दर%	
	डब्ल्यूपीआई*	सीपीआई-आईडब्ल्यू
1	2	3
जनवरी 2006	4.08	4.37
फरवरी 2006	4.03	4.95
मार्च 2006	3.85	4.95
अप्रैल 2006	3.86	5.10
मई 2006	4.42	6.26
जून 2006	5.07	—

*साप्ताहिक औसत पर आधारित।

(ग) से (च) चालू वर्ष में, कुछ खाद्यान्नों और पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर दबाव रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मोटे तौर पर मांग की तुलना में घरेलू आपूर्तियों में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। सरकार ने पहले ही घटाई गई शुल्क दरों पर आयातों के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि करके, दालों और चीनी के निर्यात पर रोक लगाकर, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का नियमित अनुवीक्षण करके और वायदा (फ्यूचर्स) बाजार में सट्टेबाजी सौदों को प्रतिबंधित करने के लिए विनियामक उपाय करके मूल्य वृद्धि रोकने के उपाय किए हैं।

सरकारी कार्यालयों के लिए भवन

627. **श्री एस. मल्लिकार्जुनैया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालय देश के विभिन्न शहरों में किराये के परिसरों में कार्यशील हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यालयों के लिए सरकारी परिसर बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) संपदा निदेशालय द्वारा पट्टे पर लिए गए किराए के परिसरों में चल रहे कार्यालयों के ब्यौरे की सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) योजना के विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

केन्द्र सरकार के कार्यालयों के समायोजन हेतु विभिन्न शहरों में संपदा निदेशालय द्वारा पट्टे/किराए पर लिए गए भवन

क्रमांक	शहर	भवन	अधिभोक्ता
1	2	3	4
1.	दिल्ली	जीवन तारा बिल्डिंग	आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक
2.	दिल्ली	जीवन दीप बिल्डिंग	वित्त मंत्रालय
3.	दिल्ली	ट्रोपिकल इंस्योरेंश बिल्डिंग	पीआईबी
4.	दिल्ली	स्टरलिंग हाऊस	संगीत एवं नाट्य विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
5.	दिल्ली	कुंदन मैंशन	मुख्य कारखाना सलाहकार का कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम
6.	दिल्ली	जीवन प्रकाश	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
7.	दिल्ली	लोक नायक भवन	24 विभिन्न सरकारी कार्यालय
8.	दिल्ली	बीकानेर हाऊस	7 विभिन्न सरकारी कार्यालय
9.	दिल्ली	फरीदकोट हाऊस	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
10.	दिल्ली	कश्मीर हाऊस	रक्षा मंत्रालय
11.	दिल्ली	4/14-ए आसफअली रोड	आयकर विभाग
12.	दिल्ली	4/20 आसफअली रोड	ग्रामीण विकास मंत्रालय
13.	दिल्ली	1102 अंसल भवन	कोयला विभाग
14.	दिल्ली	1101 अंसल भवन	बोर्ड आफ आर्बीटेशन
15.	दिल्ली	1103 अंसल भवन	श्रम मंत्रालय
16.	दिल्ली	1108 अंसल भवन	श्रम मंत्रालय
17.	मुम्बई	बोतवाला चेंबर	कार्यपालक अभियंता विद्युत, केलोनिवि
18.	मुम्बई	बोतवाला चेंबर	फिशरी सर्वे आफ इंडिया
19.	मुम्बई	यूनाइटेड इंडिया बिल्डिंग	सीजीएचएस
20.	मुम्बई	सवाला चेंबर	जनगणना आपरेशन

1	2	3	4
21.	मुम्बई	सवाला चेंबर	सहायक अभियंता पीएंडटी विद्युत सब डीविजन
22.	मुम्बई	सवाला चेंबर	एमटीएनएल
23.	मुम्बई	कामर्स हाऊस	डाकघर
24.	मुम्बई	कामर्स हाऊस	पीएओ प्रिंटिंग
25.	मुम्बई	कामर्स हाऊस	सीजीएचएस
26.	मुम्बई	कामर्स हाऊस	प्रकाश विभाग
27.	मुम्बई	कामर्स हाऊस	माइनर पोर्ट सर्वे आर्गेनाइजेशन
28.	मुम्बई	कामर्स हाऊस	हिन्दी शिक्षण योजना
29.	मुम्बई	हारून हाऊस	विकास आयुक्त हथकरघा
30.	मुम्बई	कैसर-ए हिन्द बिल्डिंग	फिल्मस् डिवीजन
31.	मुम्बई	कैसर-ए हिन्द बिल्डिंग	कस्टोडियम आफ इनमी प्रापर्टी
32.	मुम्बई	मेहर हाऊस	पीएओ आफिस नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय
33.	मुम्बई	किताब महल	फूड एंड न्यूट्रीशन भवन
34.	मुम्बई	किताब महल	सीबीआई इकनोमिक विंग
35.	मुम्बई	रोयाल इंस्योरेंश बिल्डिंग	खादी ग्राम उद्योग आयोग
36.	कोलकाता	5 सीअसा एवेन्यू	लेखा नियंत्रक का कार्यालय एफ वाई एस रक्षा मंत्रालय

विवरण-II

निर्माणाधीन सामान्य पूल कार्यालय आवास का ब्यौरा

क्रमांक	स्टेशन
1	2
1.	पुणे
2.	कालीकट
3.	बरेली
4.	नासिक
5.	आईएनए नई दिल्ली
6.	कवादीगुडा सिकंदराबाद

सामान्य पूल कार्यालय वास के निर्माण के लिए नया प्रस्ताव

क्रमांक	स्थान
1.	बंगलौर
2.	पोर्टब्लेयर अंडमान
3.	गंगटोक सिक्किम
4.	पटना
5.	चेन्नई
6.	इलाहाबाद
7.	वाराणसी
8.	वडोदरा, गुजरात
9.	सिल्चर
10.	जालंधर
11.	मैसूर
12.	पुष्पा भवन फेस-II नई दिल्ली में कार्यालय भवन
13.	पाकेट-9, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली
14.	सीबीडी, शाहदरा दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से सहायता

628. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष विकसित देशों में कृषि विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में लगी सहायता धनराशि को दर्शाते हुए आईएफएडी से प्राप्त सहायता से 31 मार्च, 2006 तक कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार आईएफएडी की सहायता से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न परियोजनाओं हेतु आईएफएडी से आज तक कुल कितना ऋण प्राप्त किया गया;

(ङ) उक्त ऋण को चुकाने की निबंधन और शर्तें क्या हैं ऋण पर ब्याज दर कितनी है; और

(च) सरकार ने आज तक कितनी धनराशि चुकाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 31 मार्च, 2006 तक आई.एफ.ए.डी. की सहायता से कार्यान्वित की गयी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 19 परियोजनाओं के लिए आई.एफ.ए.डी. से 479.78 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का ऋण प्राप्त हुआ है।

(ङ) इन परियोजनाओं को प्राप्त आई.एफ.ए.डी. सहायता, रियायती ऋण के रूप में है, जिस पर कोई ब्याज नहीं है लेकिन 0.75% का सेवा प्रभार लगाया जाता है। इनकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की आरम्भिक छूट की अवधि सहित 40 वर्ष में करनी होगी।

(च) सरकार ने 31 मार्च, 2006 तक 6,27,64,267 एसडीआर (लगभग 92.58 मिलियन अमरीकी डालर) का भुगतान कर दिया है।

विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	राशि (मिलियन अमरीकी डालर में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु के तटवर्ती समुदायों के लिए सुनामी-पश्च स्थायी जीविकोपार्जन कार्यक्रम	14.96	चल रही

1	2	3	4
2.	हिमालयी क्षेत्रों में जीविकोपार्जन सुधार परियोजना	39.92	चल रही
3.	उड़ीसा जन-जातीय अधिकारिता और जीविकोपार्जन कार्यक्रम	20.00	चल रही
4.	गुजरात में भूकंप-प्रभावित ग्रामीण निवासियों के लिए जीविकोपार्जन सुरक्षा परियोजना	14.98	चल रही
5.	राष्ट्रीय माइक्रोफाइनांस सहायता कार्यक्रम	21.96	चल रही
6.	झारखंड-छत्तीसगढ़ जन-जातीय विकास कार्यक्रम	23.00	चल रही
7.	"अपलैंड" क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना	22.90	चल रही
8.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना	19.21	बंद
9.	मेवट क्षेत्र विकास परियोजना	14.96	बंद
10.	आंध्र प्रदेश सहभागिता जन-जातीय विकास परियोजना	26.72	बंद
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना	29.20	बंद
12.	आंध्र प्रदेश जन-जातीय विकास परियोजना	19.98	बंद
13.	तमिलनाडु महिला विकास परियोजना	17.00	बंद
14.	उड़ीसा जन-जातीय विकास परियोजना	12.20	बंद
15.	द्वितीय उत्तर प्रदेश सार्वजनिक ट्यूबवेल परियोजना	35.30	बंद
16.	मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना	25.00	बंद
17.	सुंदरवन विकास परियोजना	17.50	बंद
18.	राजस्थान कमांड क्षेत्र विकास और पुनर्वास परियोजना	55.00	बंद
19.	भीमा कमांड क्षेत्र विकास परियोजना	55.00	बंद

हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना

629. श्री जी.वी. हर्ष कुमार :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री ए. साई प्रताप :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री एम. अंजन कुमार यादव :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री ई.जी. सुगावनम :

श्री एम. शिवन्ना :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद मुंबई और बैंगलौर के लिए मेट्रो रेल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा केवल बंगलौर मेट्रो परियोजना अनुमोदित की गई है। मुम्बई और हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं की योजना वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अन्तराल वित्तपोषण स्कीम के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित है। हैदराबाद के मामले में, राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप देना है जबकि मुम्बई के लिए, राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय/भारत सरकार को 650 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण का प्रस्ताव भेजा है।

(ग) बंगलौर मेट्रो-रेल परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। मुम्बई मेट्रो की आधारशिला रख दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने तथा निजी भागीदार तय करने के बाद ही हैदराबाद परियोजना को शुरू किए जाने की तारीख तय की जा सकेगी।

(घ) बंगलौर और मुम्बई मेट्रो को पांच वर्ष में पूरा करने का कार्यक्रम है। हैदराबाद मेट्रो में भी इसे शुरू किए जाने से 5 वर्ष तक लगने की संभावना है।

(ङ) चालू वर्ष के बजट में बंगलौर परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अन्य दोनों परियोजनाओं के लिए इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

एकमुश्त निपटान योजना

630. **श्री बालासाहेब विखे पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी बैंकों विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में ओटीएस (एकमुश्त निपटान योजना) के अंतर्गत कितने मामले निपटाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-बार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के परिणामस्वरूप सहकारी/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि का घाटा उठाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा देश में एकबारगी निपटान (ओटीएस) के तहत दी गई राहत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अभिकरण	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
वाणिज्यिक	60,609	246.57
सहकारी बैंक	98,151	298,94
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	62,955	64.04
कुल	2,21,715	609.55

वर्ष 2005-06 के दौरान महाराष्ट्र में ओटीएस के तहत 1942 मामले निपटाए गए थे और इनमें अंतर्ग्रस्त राशि 248.82 लाख रुपये थी। वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान किसानों को ओटीएस सुविधा देने के संबंध में 30 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में से क्रमशः 9 तथा 3 डीसीसीबी ने सूचना दी है। ओटीएस का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	डीसीसीबी का नाम	निपटाए गए मामलों की सं.	राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
2004-05			
1.	अकोला	1779	182.80

1	2	3	4
2.	औरंगाबाद	3	0.57
3.	भंडारा	3	0.04
4.	चन्द्रपुर	1297	89.74
5.	जलगांव	2918	503.43
6.	लातूर	14915	1004.73
7.	रायगढ़	887	12.01
8.	सिंधुदुर्ग	282	5.61
9.	शोलापुर	1	0.84
	कुल	22085	1799.77
2005-06			
1.	अकोला	1778	182.80
2.	औरंगाबाद	10	2.18
3.	सिंधुदुर्ग	20	42.20
4.	शोलापुर	134	21.64
	कुल	1942	248.82

एकबारगी निपटान तंत्र द्वारा बैंक एक बहुत बड़ी राशि वसूल करने में सफल हुए हैं, जिनकी बैंकों की बहियों के अनुसार वसूली नहीं हुई थी।

तिरुवनंतपुरम में पर्यावास केन्द्र

631. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनंतपुरम में पर्यावास केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोक्त कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अभी करार किया जाना है। आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड ने यह बताया है कि केरल राज्य एजेंसी (केरल राज्य आवास बोर्ड) ने यह करार करने में रुचि नहीं दिखाई है। इसलिए आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड का विचार है कि तिरूवनंतपुरम में पर्यावास केन्द्र की परियोजना को फिलहाल हाथ में नहीं लिया जाए।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

632. श्री श्रीचंद कृपलानी :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त इनके नवीकरण का कार्य शुरू करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के अनुसार योजना के प्रारंभ में 25417 मेगावाट तापीय क्षमता बढ़ाए जाने पर विचार किया गया था। मध्यावधि मूल्यांकन एवं परवर्ती समीक्षाओं के दौरान, 10वीं योजना में 21230.17 मेगावाट की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया। क्षमता अभिवृद्धि के विवरण नीचे प्रदर्शित किए गए हैं:-

1. वे परियोजनाएं जो पहले ही उत्पादन की रही हैं — 8999.25 मेगावाट

2. निर्माणाधीन परियोजनाएं	—	12230.92 मेगावाट
3. 10वीं योजना के दौरान वृद्धि की जाने वाली कुल संभाव्य तापीय क्षमता	—	21230.17 मेगावाट

उपर्युक्त के अतिरिक्त 11930 मेगावाट तापीय क्षमता निर्माणाधीन है तथा इसके, 11वीं योजना के दौरान जुड़ने की संभावना है!

(ग) जी, हां। भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों के साथ परामर्श करते हुए, दसवीं योजना के दौरान, 106 पुरानी तापीय इकाइयों को जीवन विस्तार (एल.ई.) के लिए तथा 57 तापीय इकाइयों को नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर. एवं एम.) कार्यों के लिए चिह्नित किया है।

(घ) आर. एवं एम. तथा एल.ई. स्कीमों को 10वीं योजना के दौरान पूरा कर लिए जाने की योजना है। मगर कुछ इकाइयों में ये कार्य निम्नलिखित कारणों से 11वीं योजना में होने की संभावना है:-

(i) संबंधित यूटिलिटियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में तथा आर.एम./एल.ई. के लिए आदेश देने में प्रक्रियात्मक विलंब।

(ii) आदेश देने के कार्य को अंतिम रूप देने में राज्य सरकारों द्वारा विलंब/अनिर्णय।

(iii) विद्युत अभाव के कारण, आर एवं एम/एल.ई. कार्यों हेतु लंबे समय तक उत्पादन बंद रखने में अनिच्छा होना।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों हेतु दिशा-निर्देश

633. **श्री के.सी. सिंह "बाबा"** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को कतिपय श्रेणी के भारतीय नागरिकों के खातों की निगरानी करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसे आदेश जारी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अनुसार कार्य न करने वाले विदेशी बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी इस आदेश को लागू करने के संबंध में अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) भारतीय नागरिकों की कतिपय श्रेणी के खातों की निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से विदेशी बैंकों को कोई आदेश जारी नहीं किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 नवम्बर, 2004 के अपने परिपत्र के माध्यम से सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का उद्देश्य आपराधिक तत्वों द्वारा काले धन को वैध बनाने के लिए बैंकों का उपयोग किए जाने को रोकना है।

बैंकों से ग्राहक स्वीकार्यता नीति, ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं, लेन-देनों की निगरानी और जोखिम प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखते हुए खाता खोलने हेतु अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिए कहा गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संगत उपबंधों के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण

634. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में किए अवैध निर्माण के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिश की गई है; और

(ङ) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माण तथा परिसरों के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने तथा इससे निपटने के लिए व्यापक कार्यनीति सुझाने हेतु दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना की अध्यक्षता में दिनांक 14.2.2006 को विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति के विचारार्थ विषयों में इस समस्या के विस्तार का आकलन करना, उल्लंघन के कारणों का पता लगाना, लाल डोरा क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण, तथा इस समस्या से निपटने और भावी उल्लंघनों को रोकने के लिए कार्यनीति सुझाना, शामिल था।

(ग) समिति ने दिनांक 13.5.2006 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त तल कवरेज तथा अतिरिक्त तल अथवा उसके हिस्से के संबंध में कंपाउंडिंग फीस वसूलना, जुर्माना, मिश्रित उपयोग नीति की एक अवकलित संकल्पना, प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाना, सांस्थानिक व्यवस्थाएं तथा लालडोरा व विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों और फार्म हाउसों में निर्माण क्रियाकलाप संबंधी कुछेक सिफारिशें शामिल हैं।

(ङ) स्थानीय निकायों के परामर्श से सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने रिहायशी प्लाटेड विकास के लिए विकास नियंत्रण मानकों तथा मिश्रित उपयोग विनियमों के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में संशोधन करने के लिए जनता से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1957 की धारा 11(क) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 21.7.2006 को सार्वजनिक सूचना का प्रारूप जारी कर दिया है। सरकार ने रिपोर्ट में की गई कुछ अन्य सिफारिशों के संबंध में संबंधित एजेंसियों के विचार भी मांगे हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल हेतु वित्तीय सहायता

635. **श्री रूपचंद मुर्मू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में भी जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण और उन्हें परस्पर जोड़ने हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो कब और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलों, सभी उप-प्रभागों और सभी ब्लॉकों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल राज्य विस्तृत (वाईड) क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू.बी.एस.डब्ल्यू.ए.एन.) के अंतर्गत अन्य विभागों के लिए 7189 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्य-योजना के तहत् दिसम्बर, 2005 में क्षमता निर्माण के लिए और राज्य एरिया नेटवर्क के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तौर पर 96.20 लाख रुपए तथा 1319.75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। कार्य में प्रगति और उपयोगिता रिपोर्ट के आधार पर अगली निधियां भी जारी की जाएंगी।

निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत लेना

636. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य नेशनल पावर ग्रिड से निर्धारित सीमा से अधिक विद्युत ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) अप्रैल-जून 2006 के दौरान ग्रिड से विद्युत निकासी की निर्धारित मात्रा

वास्तविक मात्रा तथा कम/अधिक मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य सरकारों/यूटिलिटियों को समय-समय पर यह अनुदेश जारी किए हैं, कि वे ग्रिड की सुरक्षा व बचाव को बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव जरूरी कदम उठाएं कि विद्युत निकासी अधिक न हो सकें।

विवरण

अप्रैल-जून 2006 की अवधि में निकासी की निर्धारित मात्रा, वास्तविक मात्रा तथा कम/अधिक मात्रा

(आंकड़े मि. यू. में)

राज्य/स्टेशन/प्रणाली	निर्धारित	निकासी	अधिक निकासी (+)/कम निकासी (-)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
चंडीगढ़	368.12	360.76	-7.36
दिल्ली	3564.91	3450.18	-114.73
हरियाणा	3060.61	3271.03	210.42
हिमाचल प्रदेश	665.67	313.93	-351.74
जम्मू और कश्मीर	1707.41	1586.06	-121.35
पंजाब	4473.22	4616.07	142.85
राजस्थान	2882.81	2789.9	-92.87
उत्तर प्रदेश	5395.41	6100.28	704.87
उत्तरांचल	505.93	464.16	-41.77
पश्चिमी क्षेत्र			
छत्तीसगढ़	838.00	998.00	160.00
गुजरात	2877.00	2949.00	72.00
मध्य प्रदेश	2944.00	2968.00	24.00
महाराष्ट्र	5637.00	6082.00	445.00
गोवा	474.00	455.00	-19.00
दमन और दीव	262.00	329.00	67.00
दादरा व नगर हवेली	564.00	671.00	107.00
दक्षिण क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	2784.88	3083.89	299.01
कर्नाटक	2293.10	2388.24	95.14
केरल	1272.94	1144.46	-128.48
तमिलनाडु	4539.38	4556.01	16.63
पांडिचेरी	482.38	462.55	-19.83
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	1867.20	1712.51	-154.69
झारखंड	412.95	260.70	-152.25
डीवीसी	-192.33	-204.10	-11.77
उड़ीसा	588.65	562.41	-26.24
पश्चिम बंगाल	896.83	613.89	-282.94
सिक्किम	60.55	51.35	-9.20
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
असम	*	*	44.58
मेघालय	*	*	34.58
नागालैंड	*	*	4.10

*केवल अधिक निकासी करने वाले राज्यों का विवरण दिया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

637. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मनी सरकार और उद्योगपतियों को प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र में आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें उक्त यात्रा के दौरान क्या प्रकिक्रिया मिली; और

(ङ) अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को उक्त यात्रा से कितना लाभ होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) सरकार, अपारंपरिक ऊर्जा के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना को सुगम बनाने में पूरी सहायता करेगी, बशर्ते कि इस संबंध में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

(ग) से (ङ) उक्त यात्रा के दौरान जर्मन उद्योग ने अपारंपरिक ऊर्जा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में रुचि दिखाई है। इसके अतिरिक्त, जर्मन पवन उद्योग संघों और विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श के दौरान देश में जर्मन निवेश को बढ़ाने, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और पवन टरबाइन जनरेटरों के लिए उप-प्रणालियों तथा संघटकों के संयुक्त उत्पादन की संभावना पर विचार-विमर्श किया गया।

स्वर्ण ऋण योजना

638. श्री पी. मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ज्वैलर्स की सहायता करने के लिए नई स्वर्ण-ऋण योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में सोना आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव बैंक को बंद किया जाना

639. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में ''द पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव बैंक'' बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह बैंक किस दिन बंद हुआ और उक्त बैंक को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त बैंक के बंद होने के कारण किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) पंचमहल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को बंद नहीं किया गया है। तथापि, बैंक के कार्यकरण की बेहद संतोषजनक स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35-क के तहत कुछ निर्देश लागू किये हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-04 के दौरान, गुजरात राज्य सहकारी बैंक (जीएससीबी) ने क्षेत्र में प्राथमिक कृषि समिति (पीएसीएस) के गैर चूककर्ता पात्र किसानों को फसल ऋण देने हेतु संवितरण के लिए 696.04 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। बाद के वर्षों के लिए

शीर्ष बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) एवं वाणिज्य बैंकों को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीबी) में कहा गया था कि वे ऐसी आवश्यकता का ध्यान रखें। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देशों के संबंध में, पंचमहल डीसीसीबी भी सीमित रूप से वित्तपोषित किया गया है। जिले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2003-04 में 38.87 करोड़ रुपए, वर्ष 2004-05 में 68.53 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2005-06 में 69.35 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

विश्व बैंक

640. श्री बी.के. हुम्मर :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त तथा निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार को इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने ''भारतीय ग्रामीण गरीबों के लिए धन की पहुंच को बढ़ाने'' पर किए अपने विश्लेषणात्मक कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में धन की पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में धन की उपलब्धता और निवेश को बढ़ाने के लिए की गई पहलों में कुछ निम्नानुसार हैं:-

(1) वर्ष 2005-06 में, बैंकों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण को वर्ष 2004-05 में 1,25,309 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 1,67,775 करोड़ रुपए कर दिया है।

(2) वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान किसानों को संवितरित खरीफ और रबी के लिए सभी फसल ऋण दो प्रतिशतांक की ब्याज राहत के लिए पात्र होंगे। तथापि, जहां प्रत्येक फसल ऋण एक लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो ब्याज राहत केवल एक लाख रुपए तक की मूलधन राशि पर ही लागू होगी।

(3) वर्ष 2006-07 के लिए 3.85 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ''माइक्रो-फाइनांस'' क्रियाकलापों को विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की पहुंच बनाने हेतु एक केन्द्र भी खोला गया है।

वित्त और निवेश की उपलब्धता को बढ़ाने के सरकार के प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में समुन्नत आधारभूत ढांचा बनाने और आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि करने की ओर अग्रसर होंगे।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

641. श्री रघुनाथ झा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ख) क्या दिल्ली को हर समय बढ़ती बेरोजगारी तथा इसके शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ङ) देश में शहरी गरीबों की जीवन-यापन स्थिति में सुधार लाने तथा शहरी गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिनांक 1.12.1997 से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के मार्फत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

नामक एक रोजगारोन्मुखी केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार गरीबों के लिए लघु उद्यमों की स्थापना करके तथा साथ ही लाभप्रद सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार प्रावधान के जरिए लाभकारी रोजगार मुहैया कराना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान स्व-रोजगार के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबी की संख्या इस प्रकार है:-

2003-04	2004-05	2005-06
133	181	149

द्वारका हेतु पेयजल

642. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली नगर निगम द्वारका उप-नगर के सभी आपार्टमेंटों की पानी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेयजल की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) द्वारका में पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि द्वारका में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा डीडीए को बड़ी मात्रा में पानी की सप्लाई की जाती है जिसे डीडीए द्वारा आगे द्वारका उपनगर के उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। फिलहाल डीडीए को प्रतिदिन 8 मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता की तुलना में दिल्ली जल बोर्ड से 2.5 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त होता है।

(ग) यह भी बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड से द्वारका में पानी की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इस बीच, डीडीए ने 44 ट्यूबवेलों से प्रतिदिन 1.5 मिलियन गैलन पानी सप्लाई करके जल आपूर्ति में वृद्धि की है। इसके अलावा जहां कहीं कमी की सूचना मिलती है, वहां पानी सप्लाई करने के लिए टैंकर भी भेजे जाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के लिए पैकेज

643. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के अवसंरचना विकास हेतु कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन परियोजनाओं हेतु ऋण पर ब्याज दरों में कटौती का कोई प्रस्ताव है, जिनकी क्षेत्रीय योजना 2021 के लिए पुष्टि हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तथा उनके वित्तपोषण के तौर-तरीके सुझाने के लिए एक उच्च अधिकार प्रदत्त समूह का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण के ब्याज दर में कटौती के रूप में 0.50% का कार्य-निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन दे रहा है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 24.5.2006 को अपनी बैठक में बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य सरकारों या उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है:-

अनुपालन प्रोत्साहन :

(i) क्षेत्रीय योजना 2021 तथा उसकी अन्य अनुषंगी कार्यात्मक योजनाओं और उन शहरों, जहां परियोजनाओं और उन शहरों,

जहां परियोजनाएं चल रही हों, के मास्टर प्लानों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उन परियोजनाओं के लिए ऋण के ब्याज में 0.25% की रिबेट को विधिवत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(ii) ब्याज पर 0.25% की रिबेट को प्रोत्साहन यदि उस क्षेत्र, जहां वह परियोजना स्थित हो, की जिला योजना भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई हो।

परियोजना लागत अनुवर्तन प्रोत्साहन

परियोजना को पूरा करने में अतिरिक्त लागत नहीं लगना सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं को पूरा करने पर 0.25% का प्रोत्साहन।

गुणवत्ता आश्वासन प्रोत्साहन परियोजना

स्वीकृत मानकों के आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन में उच्च गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की दर में 0.25% की छूट।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, विद्युत, परिवहन एवं प्रदूषण से बचने हेतु ठोस कचरा निपटान तथा स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने संबंधी समस्याओं के लिए एक जैसे उपाय एवं समाधान ढूंढने के एवं बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के तरीके बताने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त दल के गठन का निर्णय लिया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

644. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु, ताप तथा जल विद्युत क्षेत्र देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत की अधिकांश मांग, देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विस्तृत योजना तैयार की गई है; और

(च) देश में अपारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक बजट के आवंटन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) देश 11-12 प्रतिशत की पीक कमी के साथ 8 प्रतिशत की ऊर्जा मांग-आपूर्ति के अंतराल का सामना कर रहा है।

(ख) दिनांक 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार देश में 8088 मेवा. की अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है जिसमें शामिल है — पवन विद्युत - 5310 मेवा.; लघु पनबिजली - 1826 मेवा.; बायोपावर - 949 मेवा.; और सौर विद्युत - 3 मेवा., जो बिजली मिश्रण में लगभग 2 प्रतिशत के अंशदान के साथ कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के 6 प्रतिशत से अधिक के बराबर है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान 4200 मेवा. की अक्षय विद्युत क्षमता स्थापित की गई है जिसमें शामिल है— पवन विद्युत - 3443 मेवा.; बायोपावर-450 मेवा.; और लघु पनबिजली - 307 मेवा.। इससे अनुमानित उत्पादन 10 बिलियन किवा. घं./वर्ष से अधिक है। इसके अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र, एसपीवी प्रणालियां और सौर तापीय प्रणालीयां जैसी बड़ी संख्या में ऑफ-ग्रिड अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियां/युक्तियां स्थापित की गई हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा के संवर्धन हेतु वर्तमान में जारी कार्यक्रम हैं, विशेष रूप से (i) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य लगभग ऐसे 10,000 दूरस्थ गांवों और इतनी ही संख्या में दूरस्थ बस्तियों, जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी प्राप्त होने की संभावना नहीं है, का विद्युतीकरण/रोशनी उपलब्ध कराना है; (ii) ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाएं जिनका उद्देश्य स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय स्रोतों, विशेषकर बायोमास के माध्यम से कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर हेतु दूरस्थ गांवों की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करना है; (iii) बायोगैस कार्यक्रम जिसका उद्देश्य गांवों में स्वच्छता में सुधार के अतिरिक्त

कुकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना है; और (iv) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य एक समेकित तरीके से पारंपरिक तथा अपारंपरिक स्रोतो के माध्यम से कुकिंग, रोशनी तथा मोटिव पावर ऊर्जा सेवाओं के प्रावधान हेतु राज्य, जिला तथा ग्राम स्तरों पर ऊर्जा योजना बनाना है।

(च) वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु इस मंत्रालय को 600 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई है जिसे इस समय पर्याप्त समझा जाता है।

सफाई संबंधी लंबित प्रस्ताव

645. श्री मोहन रावले :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई तथा विकास से संबंधित विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से अब तक राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(घ) सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त तथा मंजूर किए गए प्रस्तावों का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) परियोजनाएं मंजूर करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने तथा उन्हें मंजूर करने के लिए राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) की नियमित रूप से बैठक होती हैं। जो प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण होते हैं, उन्हें एनएसएससी द्वारा मंजूर किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		कुल	
		प्राप्त	मंजूर	प्राप्त	मंजूर	प्राप्त	मंजूर	प्राप्त	मंजूर	प्राप्त	मंजूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10
3.	असम	3	3	1	1	5	5	2	0	11	9
4.	बिहार	0	0	0	0	22	22	0	0	22	22
5.	छत्तीसगढ़	2	2	1	1	8	8	1	0	12	11
6.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8.	गुजरात	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	हरियाणा	12	12	0	0	0	0	1	0	13	12
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5
11.	जम्मू-कश्मीर	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10
12.	झारखण्ड	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
13.	कर्नाटक	0	0	15	15	9	9	0	0	24	24
14.	केरल	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
15.	मध्य प्रदेश	30	30	0	0	0	0	0	0	30	30
16.	महाराष्ट्र	13	13	0	0	0	0	0	0	13	13
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
18.	मेघालय	2	2	0	0	1	1	1	0	4	3
19.	मिजोरम	1	1	0	0	6	6	0	0	7	7
20.	नागालैंड	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1
21.	उड़ीसा	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
22.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	9	9	0	0	2	2	0	0	11	11
24.	राजस्थान	0	0	11	11	11	11	0	0	22	22
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	6	6	1	1	0	0	0	0	7	7
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	29	29	0	0	0	0	0	0	29	29
29.	उत्तरांचल	7	7	0	0	0	0	0	0	7	7
30.	पश्चिम बंगाल	3	3	0	0	0	0	1	0	4	3
	कुल	132	132	80	80	81	81	8	0	301	293

[हिन्दी]

डाबड़ी में फ्लाई ओवर

646. **श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डाबड़ी मोड़ पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि दिल्ली में डाबड़ी मोड़ के पास ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य नहीं किया गया है परंतु प्रशासनिक अनुमोदन लेने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी

647. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) उक्त सभी मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितनी धनराशि की धोखाधड़ी हुई;

(ग) क्या ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि गत एक वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था से किसी धोखाधड़ी के मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के अपने स्थापित तंत्र के एक भाग के रूप में उनकी निगरानी के लिए आवश्यक उपाय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि वे अपने आंतरिक सतर्कता तंत्र की समीक्षा करें एवं यदि कोई कमी हो तो उसे दूर करें तथा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कर्मचारी की जवाबदेही की जांच करें। भारतीय रिजर्व बैंक बेईमान उधारकर्ताओं एवं संबंधित पक्षों, जिन्होंने धोखाधड़ी की है, के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को सतर्क रहने की सलाह भी जारी करता है ताकि वित्तीय संस्थाएं ऐसे लोगों के साथ कार्य करते समय सतर्क रह सकें।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

648. **श्री ब्रजेश पाठक : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से राज्यों में संभावित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वर्ष 1994-95 से समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। विगत में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर), नई दिल्ली; आपरेशंस रिसर्च ग्रुप, वडोदरा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के माध्यम से आईआरईपी कार्यक्रम पर मूल्यांकन अध्ययन किए गए। वर्ष 2001-02 के दौरान यूएनडीपी के माध्यम से किए गए पिछले मूल्यांकन अध्ययन में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों और कमियों के अपने मूल्यांकन के आधार पर इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई कि इस कार्यक्रम में, उसके प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए,

संशोधन किया जाना चाहिए। तदनुसार, आईआरईपी कार्यक्रम को वर्ष 2003-04 में संशोधित किया गया। संशोधित आईआरईपी को वर्तमान में 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

झुग्गीवासी

649. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पुश्ता तथा लक्ष्मीनगर में रह रहे झुग्गी वालों को डीडीए की भूमि से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यमुना पुश्ता तथा लक्ष्मीनगर की झुग्गी-बस्तियों से कितने परिवारों को हटाया गया;

(घ) उपर्युक्त भूमि से हटाए गए परिवारों के पुनर्वास का स्थान कौन सा है; और

(ङ) इन परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अप्रैल, 2006 के दौरान लक्ष्मीनगर में डीडीए की भूमि पर 433 झुग्गियां (जिन्हें ठोकर सं. 8 के नाम से जाना जाता था) हटाई गइ थी। इनमें से 191 पात्र बेदखल व्यक्तियों को बवाना पुनर्वास क्षेत्र में पुनर्स्थापन का प्रस्ताव दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा तथा परिसंपत्तियों में वृद्धि

650. श्री तूफानी सरोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्तियों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो बैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान इन बैंकों की जमा में 12-26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई;

(घ) यदि हां, तो बैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा में वृद्धि दर्ज की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियों और जमाराशियों में क्रमशः 13.58% तथा 13.00% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 और 2006 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियों और जमाराशियों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। वर्ष 2005-06 में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां वर्ष 2004-05 के 1,61,042 करोड़ रु. से बढ़कर 1,70,649 करोड़ रु. हो गई हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियां और जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल आस्तियां			कुल जमाराशियां		
		वित्तीय वर्ष 05	वित्तीय वर्ष 06	प्रतिशत वृद्धि	वित्तीय वर्ष 05	वित्तीय वर्ष 06	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	45145	55292	22.48	40762	48500	18.98

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्रा बैंक	32729	40669	24.26	27551	33922	23.13
3.	बैंक आफ बड़ौदा	94664	113393	19.78	81333	93662	15.16
4.	बैंक आफ इंडिया	94978	112274	18.21	78821	93962	19.17
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	32885	31215	-5.08	28844	26906	-6.72
6.	केनरा बैंक	110305	132822	20.41	96908	116803	20.53
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	68596	74681	8.87	60752	66483	9.43
8.	कार्पोरेशन बैंक	33924	40507	19.40	27233	32877	20.72
9.	देना बैंक	24029	26545	10.47	20096	23623	17.55
10.	आईडीबीआई लि.	81360	88565	8.86	15103	26001	72.16
11.	इंडियन बैंक	43861	47635	8.61	34808	40806	17.23
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	50815	59358	16.81	44241	50529	14.21
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	54069	58937	9.00	47850	50197	4.91
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	15718	19043	21.16	14171	16925	19.43
15.	पंजाब नेशनल बैंक	126241	145267	15.07	103167	119685	16.01
16.	सिंडिकेट बैंक	52109	61077	17.21	46295	53624	15.83
17.	यूको बैंक	54589	61839	13.28	49470	54544	10.26
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	72413	89126	23.08	61831	74094	19.83
19.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	29098	33248	14.26	25348	29250	15.39
20.	विजया बैंक	29335	31534	7.49	25618	27709	8.16
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	23402	27514	17.57	19038	21694	13.95
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	34922	40630	16.35	28930	34025	17.61
23.	भारतीय स्टेट बैंक	459883	493870	7.39	367048	380046	3.54

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	16898	20711	22.56	13807	16661	20.67
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	16553	19337	16.82	13585	16369	20.49
26.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	31503	41417	31.47	26496	33778	27.48
27.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	15040	16530	9.91	12613	13841	9.74
28.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	28875	31862	10.35	24133	25997	7.72
	कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	1773939	2014898	13.58	1435853	1622481	13.00

आंकड़ा स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत स्थलेतर विवरणियां।

मध्य-प्रदेश में विद्युत पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

651. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मध्य-प्रदेश सरकार से त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत झाबुआ, बदवानी, पिथमपुर, बदवार तथा सानावाड की पारेषण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश के झाबुआ, बदवानी, पीथमपुर और सानावाड नगरों के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत सहायता के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) पर संचालन समिति द्वारा दिनांक 20.9.04 को अयोजित बैठक में विचार किया गया था लेकिन एपीडीआरपी के अंतर्गत निधियों के उपयोग में धीमी गति के कारण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। नई स्कीमों का अनुमोदन एपीडीआरपी के अंतर्गत संतोषजनक प्रगति पर निर्भर करेगा। बदवार नगर का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-कार्यालय की स्थापना

652. **श्री दुष्यंत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उप-कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में आरबीआई के उप-कार्यालय खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 2006-07 के दौरान आरबीआई के नए उप-कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक का अहमदाबाद, बंगलौर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना एवं तिरुवनंतपुरम में एक-एक कार्यालय है, लखनऊ, कोच्चि, देहरादून एवं श्रीनगर में एक-एक उप कार्यालय है तथा पणजी में एक विदेशी विनिमय विभाग प्रकोष्ठ है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक किसी राज्य में कतिपय कार्य क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट भूमिका को ध्यान में रखने के लिए वहां अपना कार्यालय/उप कार्यालय खोलने पर विचार करता है।

[हिन्दी]

समेकित रेल बस परिवहन सेवा

653. श्री रशीद मसूद :
श्री चैंगरा सुरेन्द्रन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित रेल बस परिवहन सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के किन शहरों में क्रियान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) समेकित रेल बस परिवहन सेवा के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली को गुड़गांव तथा गाजियाबाद से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एक समेकित रेल-सह-बस परिवहन प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इन शहरों में दिल्ली मेट्रो का ही विस्तार किए जाने के भी प्रस्ताव हैं। इसको देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के इस प्रस्ताव की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली मेट्रो के टर्मिनल प्वाइंटों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने में सुधार के लिए नए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के टर्मिनल प्वाइंटों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने में सुधार के लिए विस्तृत प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है तथा इस उद्देश्य के लिए कार्यदल का गठन किया गया है। इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा अंतिम प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद ही बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजना

654. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगोत्री, उत्तरांचल में लघु जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की आंशिक वित्तीय सहायता से उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा गंगोत्री में 100 किलोवाट की एक लघु पनबिजली (एसएचपी) परियोजना स्थापित की गई है।

(ग) और (घ) अब तक 1826 मेगावाट की समग्र क्षमता की 556 एसएचपी परियोजनाएं स्थापित कर ली गई हैं और 468 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 203 एसएचपी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं जिनके राज्यवार विवरण संलग्न हैं। सामान्य उद्देश्य यह है कि भविष्य में स्थापित की जाने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता में से 2 प्रतिशत आदर्शतः एसएचपी से प्राप्त की जानी चाहिए, जो 2002-12 की 10 वर्ष की अवधि में एसएचपी की संस्थापित क्षमता के लगभग 2000 मेगावाट के तदनुरूप है। इसमें से अधिकांश क्षमता के निजी निवेश के माध्यम से स्थापित होने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

स्थापित तथा कार्यान्वयनाधीन एसएचपी परियोजनाओं (25 मेवा. तक) की राज्यवार संख्या और क्षमता (दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	स्थापित परियोजनाएं		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	
		संख्या	क्षमता (मेवा.)	संख्या	क्षमता (मेवा.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57	178.81	9	13.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	64	44.30	48	41.27

1	2	3	4	5	6
3.	असम	3	2.11	7	26.00
4.	बिहार	7	50.40	7	9.50
5.	छत्तीसगढ़	4	11.00	2	8.0
6.	गोवा	1	0.05	—	—
7.	गुजरात	2	7.00	—	—
8.	हरियाणा	5	62.70	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	55	132.08	8	28.75
10.	जम्मू एवं कश्मीर	30	109.74	7	7.31
11.	झारखंड	6	4.05	8	34.85
12.	कर्नाटक	56	329.63	16	67.99
13.	केरल	14	84.62	7	57.75
14.	मध्य प्रदेश	8	41.16	3	24.20
15.	महाराष्ट्र	27	207.08	5	25.75
16.	मणिपुर	8	5.45	3	2.75
17.	मेघालय	3	30.71	9	3.28
18.	मिजोरम	16	14.76	3	15.50
19.	नागालैंड	9	20.67	5	12.20
20.	उड़ीसा	6	7.30	7	40.92
21.	पंजाब	29	122.55	1	2.00
22.	राजस्थान	10	23.85	—	—
23.	सिक्किम	13	38.60	4	12.20
24.	तमिलनाडु	12	77.70	2	7.90
25.	त्रिपुरा	3	16.01	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	9	25.10	—	—
27.	उत्तरांचल	76	75.45	37	23.01
28.	पश्चिम बंगाल	22	98.30	5	3.80
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	5.25	—	—
	कुल	556	1,826.43	203	468.83

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 पर संशोधन विधेयक

655. **श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में एक 'संशोधन विधेयक 2004' तैयार किया है और उसे संसद में प्रस्तुत करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस संबंध में कतिपय संशोधन प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे संशोधनों से राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थों की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (च) जी, नहीं। तथापि, अर्जन प्रक्रिया को समयबद्ध तथा प्रभावी बनाने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में कुछेक प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में राज्यों के विचार प्राप्त करने के लिए वर्ष 2004 में राज्य सरकारों को भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2004 का एक प्रस्तावित प्रारूप परिचालित किया गया था। सभी राज्य सरकारों के

उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तदनुसार, इन प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

656. **श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में अपनाए गए संकल्प का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए संकल्पों अथवा क्रियान्वित किए जा रहे संकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैठक में त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था पर सहमति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) संकल्प और उसमें पारित विनिश्चयों से युक्त सम्मेलन के कार्यवृत्त की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) संकल्प सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कार्यवृत्त की एक प्रति अग्रेषित की है और सम्मेलन के संकल्पों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक केन्द्रीय स्तर की समिति भी गठित की है। राज्य सरकारों से इसी प्रयोजन के लिए समितियां गठित करने का भी अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का सम्मेलन (11 मार्च, 2006) त्वरित और सस्ते न्याय के संबंध में कार्यवृत्त

मद सं. 1 : **सितंबर 18, 2004 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के पूर्व सम्मेलन में पारित संकल्पों का कार्यान्वयन**

मद सं. 11 : **मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन के संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना**

इन मदों के संबंध में एक साथ विचार किया गया था।

सभी राज्य इस बात पर सहमत थे कि मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन और मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में किए गए विनिश्चयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी तंत्र की आवश्यकता है जिससे कि ऐसे सम्मेलनों के आयोजन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। केन्द्रीय स्तर के साथ-साथ राज्यों के स्तर पर मानीटरी समितियों की स्थापना करने के पक्ष में आम सहमति हुई थी। कुछ भाग लेने वालों का मत यह था कि राज्य स्तर पर दो समितियां हो सकेंगी, पहली मुख्य सचिव, सचिव (विधि) और उच्च न्यायालय के महा रजिस्ट्रार से मिलकर बनेगी, जबकि दूसरी समिति मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधि मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित एक न्यायाधीश से मिलकर बनेगी। इस बात पर सहमति हुई थी कि केन्द्रीय स्तर पर मानीटर समिति में भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, संघ वित्त मंत्री और संघ विधि मंत्री होने चाहिए और जब कभी उचित समझा जाए माननीय प्रधानमंत्री को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाए।

विनिश्चय

(i) मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन और मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में किए गए विनिश्चयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, संघ के वित्त मंत्री और संघ के विधि और न्याय मंत्री से मिलकर बनने वाली एक समिति राष्ट्रीय स्तर पर गठित की जाए। जब कभी उचित समझा जाए भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाए।

(ii) मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन और मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में किए गए विनिश्चयों के यथासमय कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में मानीटरी समितियां दो स्तरों पर स्थापित की जाएं। प्रथम स्तर की समिति में मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के महा रजिस्ट्रार और राज्य के विधि सचिव होने चाहिए, जबकि दूसरे स्तर की समिति में मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के विधि मंत्री होने चाहिए।

मद सं. 2 लंबित बकाया मामलों में कमी और मामलों का त्वरित निपटान

मद सं. 4 उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना

इन मदों के संबंध में एक साथ विचार किया गया था।

सभी भाग लेने वालों ने अधिक संख्या में, विशिष्टतया अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर मामलों के लंबित रहने के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की थी और पहले से लंबित मामलों को कम करने के तरीके और साधनों का पता लगाने तथा मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने की अत्यावश्यकता पर जोर दिया। इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों का उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की पदसंख्या में यथोचित रूप से वृद्धि किए बिना नहीं निपटाया जा सकता। तथापि, कुछ राज्यों ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए वित्तपोषण के लिए संसाधनों की कमी का उल्लेख किया। छोटे-मोटे अपराधों वाले मामलों को विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को अंतरित करने के सुझाव का किसी ने विरोध नहीं किया था।

विनिश्चय

लंबित बकाया मामलों की संख्या में कमी लाने और मामलों का तुरंत निपटान करने के उद्देश्य से सभी संबंधितों द्वारा यथोचित उपाय किए जाएं जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि प्रक्रिया का सरलीकरण, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग, आधुनिक न्यायालय प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग है, जिससे कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। यातायात और नगरपालिका चालान सहित छोटे-मोटे अपराधों वाले मामलों को विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को अंतरित किया जाए।

मद संख्या 3 न्यायालयों का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण और उनके लिए अवसंरचना का संवर्द्धन करना

सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से न्यायालयों के अधुनिकीकरण और तुरंत कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। किसी भी वक्ता ने इस बात से इंकार पहीं किया कि अवसंरचना, विशिष्टतया जिला न्यायालयों के स्तर पर उन्नयन द्वारा अभिवृद्धि तथा विद्यमान न्यायालय भवनों के विस्तार और नए न्यायालय परिसरों को जोड़कर सारभूत संवर्धन की आवश्यकता है। तथापि, कुछ राज्यों ने अवसंरचना के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने में वित्तीय मजबूरियां व्यक्त की।

विनिश्चय

सभी स्तरों पर न्याय परिदान प्रणाली के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए हमारे देश में उपलब्ध कम्प्यूटरों के उपयोग और विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग में ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग किया जाए। राज्य, न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और उनके लिए अवसंरचना संवर्धन करने के लिए अधिक निधियां प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे।

मद सं. 5 न्यायाधीशों और न्यायालय कर्मचारिवृन्द के लिए प्रशिक्षण

सभी भाग लेने वाले इस बात पर सहमत थे कि सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के लिए अधिष्ठापन और साथ ही सेवा प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। न्यायालय कर्मचारिवृन्द को विशिष्टरूप से न्यायालय प्रशासन और प्रबंध में प्रशिक्षण दिए जाने के आवश्यकता के संबंध में कोई विवाद नहीं था।

विनिश्चय

न्यायाधीशों और साथ न्यायालय कर्मचारिवृंद को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा यथोचित प्रशिक्षण दिया जाए।

मद सं. 6 मजिस्ट्रेटों के त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन

मजिस्ट्रेटों के स्तर पर लंबित आपराधिक मामलों की संख्या और सेशन न्यायाधीशों के त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा प्राप्त सफलता को ध्यान में रखते हुए सभी भाग लेने वालों ने मजिस्ट्रेटों के त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया जिससे कि नियमित न्यायालयों के कार्य के भार को कम किया जा सके।

विनिश्चय

सेशन न्यायाधीशों के त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए विद्यमान स्कीम की पद्धति से उचित स्कीम विकसित करके शीघ्रता से मजिस्ट्रेटों के त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया जाए।

मद सं. 7 उच्च न्यायालयों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना

कुछ राज्यों ने उच्च न्यायालय की सभी बजट संबंधी मांगों को पूरा करने तथा न्यायपालिका के लिए बजट संबंधी आबंटनों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय मजबूरियां अभिव्यक्त की। तथापि, मुख्य न्यायमूर्तियों को, न्यायपालिका के लिए आबंटित बजट के भीतर विनियोग और पुनर्विनियोग की संपूर्ण शक्ति प्रदान करने के संबंध में कोई विरोध नहीं था।

विनिश्चय

(i) कि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को राज्य सरकार द्वारा न्यायपालिका के लिए आबंटित बजट के भीतर विनियोग और पुनर्विनियोग की संपूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित की जाए; और

(ii) राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों के अनुरूप न्यायपालिका के लिए ब्रजट संबंधी आबंटन उपलब्ध कराएगी।

मद सं. 8 ई-न्यायालयों की स्थापना और वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाएं

सभी भाग लेने वाले इस बात पर सहमत थे कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा अत्यन्त उपयोगी होगी, विशिष्टतया उचित मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों के प्रतिप्रेषण, साक्ष्य को लेखबद्ध करने तथा न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण के लिए। यह भी महसूस किया गया था कि ई-न्यायालय और ई-फाइलिंग को चयनित न्यायालयों में आरंभ किया जाना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की निधियों से गुजरात में एक आदर्श ई-न्यायालय को गठित करने का प्रस्ताव किया है।

विनिश्चय

सभी राज्यों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा को उपलब्ध कराया जाए और चयनित स्थानों में आदर्श ई-न्यायालय का गठन किया जाए।

मद सं. 9 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुसंधान सहायकों और विधि लिपिकों की सुविधा

इस बात पर सहमति थी कि उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को उनके समक्ष न्याय-निर्णयन के लिए आने वाले विधिक विवाद्यकों के संबंध में अनुसंधान कार्य में सहायता की आवश्यकता होती है। यह भी महसूस किया गया था कि विख्यात विधि विद्यालयों से प्रतिभासंपन्न विधि स्नातकों को इस प्रयोजन के लिए नियोजित किया जाए।

विनिश्चय

उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को ऐसे विधि लिपिक-सह-अनुसंधान सहायकों की सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक पर नियोजित किया जा सकेगा जो, जहां तक संभव हो 10,000/- रु. प्रति मास से कम नहीं होना चाहिए।

मद सं. 10 अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के चयन के कार्य को, ऐसे स्थानों में उच्च न्यायालयों को सौंपना, जहां पहले से ही इसे नहीं सौंपा गया है

कुछ राज्यों में सिविल न्यायाधीशों के स्तर पर अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों का चयन पहले ही उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कुछ राज्य, जहां यह चयन अभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है, इस बात पर सहमत थे कि चयन का कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा जाए, जबकि हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंमाल, पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों का विचार यह था कि विद्यमान प्रणाली को जारी रखा जाए।

विनिश्चय

हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब और केरल राज्यों में प्रश्नपत्र तैयार करने और उत्तर पत्रों के मूल्यांकन का कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा जाए। अन्य ऐसे राज्यों में, जहां अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों का चयन उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है, वहां सुसंगत नियमों का संशोधन करके ऐसे चयन का कार्य उच्च न्यायालय को सौंपा जाए।

[हिन्दह]

थोक मूल्य सूचकांक

657. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थोक मूल्य सूचकांक निर्धारित करने के लिए कितनी वस्तुएं शामिल की गयी हैं;

(ख) क्या इन वस्तुओं की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संशोधन को कब से लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) आधार वर्ष 1993-94 की चालू थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) श्रृंखला में 435 वस्तुएं शामिल की गई हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान आधार वर्ष 1993-94 में परिवर्तन से संबंधित विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर सरकार को परामर्श देने के लिए योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया है। इस समय यह कार्य दल डब्ल्यूपीआई की संशोधित श्रृंखला के निर्माण के लिए आवश्यक साप्ताहिक मूल्यों के संग्रहण के तौर तरीकों पर विचार-विमर्श करने में लगा है। डब्ल्यूपीआई की वर्तमान श्रृंखला के वस्तु-समूह की पुनर्संरचना कार्य दल की अनुशंसाओं के आधार पर की जाएगी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

658. **श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति के क्या करण हैं;

(ख) योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसके कार्यान्वियन को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत किया गया है। बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना-2001 तैयार की गई जिसे जनवरी, 1989 में अधिसूचित किया गया तथा दिनांक 17.9.2005 को क्षेत्रीय योजना 2021 अधिसूचित की गई। क्षेत्रीय योजना में शामिल नीतियों और सिद्धांतों को सहभागी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना विकास की गति तेज करने के लिए बोर्ड द्वारा सहभागी राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वियन एजेंसियों को अवस्थापना परियोजना की 75% लागत तक ब्याज पर ऋण सहायता भी मुहैया कराई जाती है। अब तक बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस प्रकार की 215 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई है जिनकी अनुमानित लागत कुल 8614.70 करोड़ रु. है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नीतियों के कार्यान्वियन और आयोजन का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले दशक के दौरान आप्रवासन की वृद्धि दर में आई कमी से देखा जा सकता है जो 1981-91 में 51.45% थी और घटकर 1991-2001 में 47.02% रह गई।

(ग) क्षेत्रीय आयोजना एक सतत प्रक्रिया है। क्षेत्रीय योजना-2021 पहले ही दिनांक 17.9.2005 को अधिसूचित कर दी गई है। विभिन्न सेक्टरों तथा उप-क्षेत्रों के लिए क्रमशः कार्य योजनाएं तथा उप-क्षेत्रीय योजनाएं भी समय-समय पर तैयार की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने हाल ही में अवस्थापना परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/कार्यान्वियन एजेंसियों को ऋण के ब्याज पर रिबेट के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। बोर्ड ने क्षेत्र में नए टाउनशिप की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अध्ययन हेतु सहायता देने का भी निर्णय किया है। विद्युत और जल संसाधन क्षेत्रों में अध्ययनों से बड़े स्तर की क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाने में मदद मिलने की आशा है।

गैस आपूर्ति हेतु समझौता

659. **श्री सुनिल कुमार महतो :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस की आपूर्ति के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) और रिलायंस कंपनी के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते को स्वीकार करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) एनटीपीसी ने प्राकृतिक गैस के प्रापण के लिए, पारदर्शी एवं न्यायोचित बोली प्रक्रिया अपनाते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के तहत बोलियां आमंत्रित की थीं। अनेक अग्रणी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बोलीकर्ताओं ने बोली में भाग लिया। अप्रैल, 2003 में बोली प्रक्रिया के अनुसार बोलीकर्ताओं की अर्हता के पश्चात् सभी अर्हता-प्राप्त बोलीकर्ताओं को 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध' (आर.एफ.पी.) जारी किया गया। बोलीकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाने के लिए करार तैयार किया गया तथा 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध' के दस्तावेजों में भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को भेजा गया। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां सितंबर, 2003 में खोली गई। प्रतिभागी बोलीकर्ताओं द्वारा बोली में रखी गई शर्तों/किए गए विचलनों पर की गई परिचर्चा के आधार पर हस्ताक्षर करवाये जाने के लिए करार के अंतिम मसौदे को सभी बोलीकर्ताओं को जारी किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.) ने बोली प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, करार के अंतिम मसौदे को स्वीकार किया।

उपर्युक्त बोली प्रक्रिया के आधार पर हुए कुल मूल्यांकन में, आर.आई.एल. की बोली सबसे कम पाई गई तथा 16.06.2004 को आर.आई.एल. को आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) दिया गया। अनिवार्य संविदा इसी का परिणाम थी।

(ख) करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) योजनाबद्ध क्षमता अभिवृद्धि 1300 मेगावाट कवास एवं गंधार प्रत्येक में।

(ii) वार्षिक संविदाकृत मात्रा (ए.सी.क्यू.)—करार के तहत ए.सी.क्यू. 132 ट्रिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (बी.टी.यू.) के (लगभग 3 मिलियन टन प्रति वर्ष तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी. के समतुल्य) है। गैस की यह मात्रा कवास एवं गंधार की विस्तारण इकाइयों के लिए, लगभग 80% पी.एल.एफ. को संपोषित करने के लिए पर्याप्त समझी गई थी।

(iii) संविदा की अवधि—शुल्क के उद्देश्य से गैस आधारित परियोजना का आर्थिक जीवनकाल 15 वर्ष माना जाता है। प्रारंभिक रैम्पअप/निर्माण अवधि को ध्यान में रखकर संविदा अवधि 17 वर्ष रखी गई थी।

(iv) मात्रा में भिन्नता—प्रचालन को सुविधापूर्वक रखने के लिए वार्षिक आधार पर ए.सी.क्यू. के ± 5% की भिन्नता रखी गयी है।

(v) लीजिए अथवा भुगतान कीजिए (टीओपी) स्तर—किसी भी संविदा वर्ष में यदि क्रेता गैस को कम मात्रा में लेता है तो शत-प्रतिशत ए.सी.क्यू. के लिए भुगतान करना होगा चाहे उस वर्ष इसे लिया हो या न लिया हो।

(vi) गैस/एल.एन.जी. की अनापूर्ति विक्रेता द्वारा गैस की कम आपूर्ति किए जाने के मामले में, वैकल्पिक ईंधन तथा प्राकृतिक गैस को पहुंचाने पर आई लागत के मूल्य-अंतर का भुगतान करना होगा।

(vii) मूल्य संबंधी शर्तें—निवेदित मूल्य में 85% मूल्य को स्थिर रखा गया, जबकि 15% परिवर्तनीय है, जो डॉलर मूल्य के लिए संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (यू.एस.सी.पी.आई.) से तथा रुपए मूल्य के लिए मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) से जुड़ा है।

(viii) शर्तों का पूर्वोदाहरण (सी.पी.)—पक्ष अपने वित्तीय समापन प्राप्त कर सकें, इसके लिए उपर्युक्त सी.पी. रखने के लिए प्रावधान किए गए थे पक्ष अपने-अपने संबंधित सी.पी. को संतुष्ट कर सकें, इसलिए 12 माह के समय की अनुमति दी गई।

(ix) गैस की प्रथम आपूर्ति—गैस विक्रय एवं क्रय करार (जी.एस.पी.ए.) के अनुसार बोलीकर्ता को गैस आपूर्ति, सी.पी. को संतुष्ट करने की तिथि से 28-40 माह की अवधि के अन्दर-अन्दर प्रारंभ कर देनी होगी।

(x) मूल्य—आर.आई.एल. द्वारा प्राकृतिक गैस का मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मिलियन बी.टी.यू.)—विद्युत संयंत्र की चारदीवारी में मूल्य दर नेट कैलोरीफिक वैल्यू (एन.सी.पी.) आधार पर 3.27 अमेरिकी डॉलर तथा ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) आधार पर 2.97 अमेरिकी डॉलर (दोनों में कर शामिल) है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर पैरा (क) में स्पष्ट किया गया है, प्राकृतिक गैस के प्रापण के लिए बोली का कार्य पारदर्शी एवं उचित बोली प्रक्रिया अपनाते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया गया था। उस समय लागू अंतरराष्ट्रीय गैस आपूर्ति संविदा के आधार पर तथा एनटीपीसी के हित को ध्यान में रखते हुए करार तैयार किए गए थे। बोलीकर्ताओं को अवसर भी दिया गया था यदि उन्हें एनटीपीसी द्वारा विर्निदिष्ट शर्तें स्वीकार न हों तो वे बोली-प्रतिभूति जब्त करवाए बिना अपनी बोली वापिस ले सकते हैं। इसके अलावा इस प्रापण में अपनाई गई बोली प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय रूप में स्वीकृत द्विचरण निविदा प्रक्रिया पर आधारित थी। अत: आर.आई. एल. द्वारा स्वीकृत करार को तैयार करते समय तथा उसे अंतिम रूप देते समय किसी नियम का उल्लघंन नहीं किया गया। फिर भी यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह

660. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने कह कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में कुल पूंजी अंतर्प्रवाह में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भागीदारी कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) वर्ष 2005-06 के दौरान 27755 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल पूंजी प्रवाह में से एडीआर/जीडीआर सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 10303 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 37.12 प्रतिशत बनता है।

(ख) सरकार ने फरवरी, 2006 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और संबद्ध क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा की है। परिणामानुसार, अनेक यौक्तिकीकरण उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ ये शामिल हैं : सरकार और/अथवा कुछेक क्षेत्रकों में विद्यमान विनियामक अभिकरणों से बहुल अनुमोदनों की आवश्यकता को समाप्त करना, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अधिक क्षेत्रकों को शामिल करना और नए क्षेत्रकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत करना।

दिल्ली मेट्रो बुकिंग प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

661. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन की बुकिंग प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न तरह के टिकट जारी करने की प्रणाली पहले ही कम्प्यूटरीकृत है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का कार्यनिष्पादन

662. श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री सूरज सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का कार्यनिष्पादन निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के समतुल्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधाओं जैसी सुविधाएं देने या निजी बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं के परिणामत: सृजित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) निजी बीमा कंपनियों द्वारा इस व्यवसाय में हाल ही में प्रवेश किए जाने के कारण निजी बीमा कंपनियों द्वारा की गई वृद्धि को निम्नतर आधार के संबंध में देखा जाना चाहिए, सरकारी तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन की तुलना करना उचित

नहीं होगा, तथापि, वर्ष 2002-03 से 2004-05 के वर्षों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के व्यवसाय में वृद्धि इस प्रकार है:-

(प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि)

बीमा कंपनियां	2004-05	2003-04	2002-03
सरकारी क्षेत्र (गैर-जीवन)	4.77	6.22	14.36
निजी क्षेत्र (गैर-जीवन)	55.36	67.14	289.29
भारतीय जीवन बीमा निगम	18	18	10
निजी क्षेत्र (जीवन)	148	179	310

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र की कंपनियां ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन, आन लाइन सेवाओं के लिए कार्यालयों को आपस में जोड़ने, अभिनव सेवाओं की शुरूआत और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/मोटर यान निर्माताओं में तालमेल कर रही है।

[अनुवाद]

कायमकुलम विद्युत परियोजना

663. डा. के.एस. मनोज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम, केरल में 359.58 मेगावाट की क्षमता वाले नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के नाप्था आधारित विद्युत परियोजना का नाप्था की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी के कारण अत्यधिक न्यून उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नाप्था पर उत्पादन शुल्क पर छूट पुनः शुरू करने का है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संयंत्र को अर्थक्षम और लाभकारी बनाने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो नाप्था के स्थान पर एलएनजी का उपयोग शुरू करने हेतु यदि कोई हो, क्या व्यवस्था की गयी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) एनटीपीसी की नाप्था आधारित कायमकुलम कम्बाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट का विगत वर्षों में पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है क्योंकि नाप्था मूल्य में काफी वृद्धि होने के कारण जुलाई, 2004 से लाभार्थी किसी प्रकार का उत्पादन कार्यक्रम नहीं दे रहे थे। वर्ष 1995 में जब इस परियोजना की संकल्पना की गई थी, तब नाप्था का मूल्य 6200 रु. प्रति मैट्रिक टन तथा परिवर्तनीय (ईंधन) प्रभार 114.14 पैसा प्रति कि.वा. घंटा थी और तब से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। नाप्था का वर्तमान मूल्य रु. 38744 प्रति टन तथा परिवर्तनीय (ईंधन) प्रभार 704 पैसा प्रति कि.वा. घंटा है। संयंत्र जुलाई, 2004 से दिसंबर, 2004 से दिसंबर, 2004 तक केरल राज्य विद्युत बोर्ड तथा तमिनाडु विद्युत बोर्ड से कार्यक्रम के अभाव में पूरी तरह बंद रहा, जिसमें ये प्रत्येक को 50% क्षमता आवंटित की गई है। स्टेशन को 6 जनवरी, 2005 से तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से 160 मे.वा. का कार्यक्रम प्राप्त करने पर पुनः आरंभ किया गया तथा तत्पश्चात् स्टेशन का कार्यक्रम निर्धारण तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा अल्पकालिक पीकिंग विद्युत आवश्यकता पूरी करने के लिए समय-समय पर किया गया है।

गत तीन वर्षों में कायमकुलम केन्द्र का प्रचालनात्मक निष्पादन निम्नानुसार था:

मानदंड	2006-07 (अप्रैल, 06 से जून, 06)	2005-06	2004-05	2003-04
मशीन उपलब्धता(%)	99.72	99.73	90.23	91.60
पीएलएफ(%)	40.46	11.38	19.74	67.06

(ख) राजीव गांधी कम्बाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट, कायमकुलम को नाप्था आपूर्ति पर आबकारी शुल्क/काउन्टरवेलिंग शुल्क की छूट देने का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(ग) और (घ) मौजूदा कायमकुलम सीसीपीपी ईंधन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोच्चि में प्रस्तावित रिगैसिफिकेशन टर्मिनल तथा कायमकुलम (3x650 मे.वा. अर्थात् 1950 मे.वा.) के विस्तार के लिए आस्ट्रेलिया से पेट्रोनेट एलएनजी लि. द्वारा तरल प्राकृतिक गैस के 2.5 एमएमटीपीए में से 2.1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष आहरण निर्धारित किया गया है। इस संबंध में ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना बाकी है।

विद्युत की स्थिति पर विचार करने के लिए विद्युत सचिवों की बैठक

664. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के विद्युत/ऊर्जा सचिवों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया; और

(ग) देश में पूरी विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों के ऊर्जा/विद्युत सचिवों और विद्युत यूटिलिटियों के प्रमुखों का एक सम्मेलन दिनांक 30 मई, 2006 को हुआ, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया:-

(i) दसवीं योजनों में क्षमता अभिवृद्धि की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना की तैयार; और

(ii) विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा मांग पक्ष प्रबंधन।

(ग) राष्ट्रीय विद्युत नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विचार रखा गया कि 2012 तक विद्युत की मांग को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया जाए तथा उपलब्ध 5 प्रतिशत स्पिनिंग रिजर्व से ऊर्जा और व्यस्ततम कमी को पूरा किया जाए। तदनुसार, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उत्पादन क्षमता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाएं ताकि ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से अपने केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों पर भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जोर डाला है। वर्तमान में कुल मिलाकर 39,000 मे.वा. से अधिक की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:-

— चालू की गई नई इकाइयों का जल्द से जल्द स्थायीकरण।

— थर्मल विद्युत स्टेशनों के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में बेहतर निष्पादन द्वारा अधिकतम उत्पादन करना।

— कम पीएलएफ वाले विद्युत स्टेशनों की पहचान की गई है और बेहतर प्रचालन पद्धियों को अपनाने के लिए उत्कृष्टता के लिए साझेदारी स्कीम के अंतर्गत उन्हें बेहतर निष्पादन वाले स्टेशनों से जोड़ा गया है।

— अंत:क्षेत्रीय पारेषण लिंकों के सुदृढ़ीकरण के द्वारा अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि, ताकि अंतत: राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जा सके।

— ऊर्जा क्षमता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा।

नेशनल इनर्जी लेबलिंग प्रोग्राम

665. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ''नेशनल इनर्जी लेबलिंग प्रोग्राम'' शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) भारत सरकार दिनांक 18.5.2006 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा लेबलिंग प्रोग्राम आरंभ किया जा चुका है। इसे फ्रोस्ट-फ्री (नो-फ्रोस्ट) रेफ्रीजरेटर और ट्यूब्यूलर फ्लेरोसेंट लैंप के लिए स्वैच्छिक आधार पर आरंभ किया गया है। इन उपस्करों के विनिर्माता/आयातकर्त्ता व्यवसाय में शामिल व्यक्ति ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय के अधीन स्थापित एक संवैधानिक निकाय) में पंजीकरण करवा कर इस योजना में भाग ले सकते हैं। उपस्करों की ऊर्जा दक्षता के आधार पर ऊर्जा लेबल रेटिंग योजना तैयार की गई है। ब्यूरो में रजिस्टर एक स्वतंत्र (एनएबीएल प्रत्यायित) प्रयोगशाला में कराए गए परीक्षण के परिणाम के आधार पर निर्माता/आयातकर्त्ता/इन उपस्करों के व्यवसाय में शामिल लोग, ऊर्जा स्टार रेटिंग लेबल का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत होंगे। ये लेबल उपस्कर की तुलनात्मक ऊर्जा दक्षता का संकेतक होंगे।

धन हस्तातंरण के लिए दिशा-निर्देश

666. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धन हस्तांतरण योजना से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में तथा देश से बाहर धन के विशेष रूप से हवाला लेन-देन के माध्यम से बेरोकटोक हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुमोदित किया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक, डाकघर, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक जिनके नियमित संस्था (एफएफएमसी) होने के कारण धन अंतरण व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गृह मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे मुख्य एजेन्टों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अन्य मौजूदा एवं प्रस्तावित संस्थाओं को उनकी सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं, पहचान संबंधी दस्तावेजों सहित रिकार्डों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रत्यक्ष संरक्षण, विदेश स्थित मुख्य संस्थाओं की पृष्ठभूमि एवं पूर्ववृत्तों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुष्टि आदि के अनुसार गृह मंत्रालय के पूर्वानुमोदन से भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य एजेन्ट के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देगा।

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयूइंड) की स्थापना की है जो प्रवर्तन एजेंसियों एवं विदेशी एफआईयू को संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, कार्यवाही करने, विश्लेषण करने और सूचना का प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

667. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को अपने विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार के निदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के पारित होने के पूर्व विभिन्न राज्यों ने राज्य विद्युत सुधार अधिनियम पारित किए थे जिनमें राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172(क) में प्रावधान है कि राज्य विद्युत बोर्ड नियत तारीख, अर्थात्, 10 जून, 2003 से एक वर्ष के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य पारेषण यूटिलिटी और लाइसेंसी माने जाएंगे। इस धारा में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य पारेषण यूटिलिटी या लाइसेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के एक वर्ष के बाद भी तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकती है, जब तक कि अवधि के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार परस्पर रूप से सहमत हों।

अब तक 12 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया है। उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, दिल्ली गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने राज्य विद्युत सुधार अधिनियमों के अंतर्गत अपने राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर लिया है। असम और महाराष्ट्र ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया है। असम राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में केवल विद्युत व्यापार के लिए ही लाइसेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

नौ राज्यों द्वारा अभी भी अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया जाना बाकी है। इन राज्यों ने समय-समय पर अपने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए समय विस्तार हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 172(क) के अंतर्गत समय विस्तार पर अपनी सहमति दे दी है।

एनसीईएस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

668. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए कर्नाटक सहित राज्य सरकारों से प्रस्ताव नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। कभी-कभी ये प्रस्ताव अपूर्ण अथवा इन स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होते हैं। बजट प्रावधान के अध्यधीन पूर्ण प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किया जाता है, जो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

फैरा तथा फैमा के अंतर्गत कार्यवाही

669. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों अर्थात् 2004-05 से 2005-06 के दौरान पूरे देश में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में अंतर्ग्रस्त विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसी कंपनियों के विरूद्ध विदेशी मुद्रा कानूनों तथा नियमों और विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसा कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही के कारण इनमें से कोई विदेशी कंपनी बन्द हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत दो वर्षों अर्थात् 2004-05 और 2005-06 के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के उल्लघंन में मैसर्स ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मॉरिशस, समुद्रपारीय निगमित निकाय (स.नि.न.) तथा इसके निदेशकों एवं अन्य और मैसर्स जे. हेनरी स्क्रोड्डर बैंक ए.जी., स्विटजरलैंड (विदेशी संस्थागत निवेशक) को अंतर्ग्रस्त पाया गया।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधान के अंतर्गत (i) मैसर्स ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट लि., मारिशस और समुद्रपारीय निगमित निकाय (स.नि.नि.) तथा इसके निदेशकों एवं अन्य और (ii) मैसर्स जे. हेनरी स्क्रोड्डर बैंक ए.जी. स्विटजरलैंड (वि.स.नि.) और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। मैसर्स ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और इसके निदेशकों तथा अन्य के विरूद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां पूरी कर ली गयी हैं और कुल 327 करोड़ रुपए की शास्तियां अधिरोपित की गई हैं।

(घ) और (ङ) मैसर्स ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मॉरिशस सहित समुद्रपारीय निगमित निकायों (स.नि.नि.) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों में संव्यवहार करने से रोक दिया गया है।

लघु बचतों पर प्रोत्साहन

670. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई नई लघु बचत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में डाकघर लघु बचतों पर सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु बचत योजना को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) एक नई बचत योजना नामतः वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 दिनांक 2 अगस्त, 2004 से शुरू की गई थी। ऐसे व्यक्ति, जो 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं और ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति जिनकी उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक है परन्तु 60 वर्ष से कम है, इस योजना के तहत निवेश के पात्र हैं। इस योजना के तहत जमाराशियों पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर है जो तिमाही आधार पर देय है।

(ख) डाकघर लघु बचत योजनाएं जोखिम रहित निवेश हैं क्योंकि इनमें एक अव्यक्त संप्रभु प्रत्याभूति (सॉवरेन गारंटी) होती है। इन योजनाओं की रूपरेखा निवेशकों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार की गई है। इन योजनाओं में कई प्रकार के प्रोत्साहन हैं जैसे, शून्य जोखिम, नियमित आय, कर छूट, आसान पहुंच, नकदीकरण इत्यादि।

(ग) लघु बचत योजनाओं में अलग-अलग अवधि और ब्याज दर भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती है तथा लघु निवेशकों के

विभिन्न वर्गों को सुरक्षित एवं आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान करने के लिए इनकी रूपरेखा तैयार की गई है। इन योजनाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें विभिन्न कदम उठाती है, जिनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग सहित सेमिनारों और बैठकों का आयोजन और संग्रहण कार्य में प्रवृत्त विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेबसाईट शुरू की गई है जो लघु बचत योजनाओं संबंधी मुद्दों पर सरकार के साथ नागरिकों के अंतरापृष्ठ को सुकर बनाएगी। वेबसाइट का पता है nsiindia.gov.in

पेयजल आपूर्ति हेतु अतिरिक्त निधियां

671. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने केन्द्र सरकार के "भारत निर्माण" कार्यक्रम के अनुसार स्वजलधारा के अन्तर्गत सभी गांवों को कवर करने के लिए पेयजल आपूर्ति के कार्यान्वयन हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आवश्यक सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है और भारत सरकार राज्यों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति करने के उनके प्रयासों में वित्तीय सहायता देती है। ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति सुविधा मुहैया कराने का कार्य एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य), स्वजलधारा और राज्जय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है। गुजरात सरकार ने भारत निर्माण के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसमें व्यापक कार्य योजना, 1999 के कवर न की गई बसावटों की कवरेज के लिए 3.60 करोड़ रु. और निचली श्रेणी में चली गई और नवनिर्मित बसावटों की कवरेज के लिए 828.08 करोड़ रु. की केन्द्रीय निधियों की आवश्यकता बताई गई है।

(ग) से (ङ) एआरडब्ल्यूएसपी (स्वजलधारा सहित) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यों को प्रति वर्ष निर्धारित मानदंडों के अनुसार निधियां आबंटित की जाती हैं। निधियों की उपलब्धता और राज्यों के निष्पादन के अध्यधीन अतिरिक्त निधियों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष के अंत में विचार किया जाता है।

सीएसआईआर-मानित विश्वविद्यालय

672. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए यूजीसी को आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य विश्वविद्यालयों ने इसका विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। यूजीसी की अपेक्षाओं के अनुसार सीएसआईआर-एडवांस्ड इंस्टिट्यूट आफ सांइस ट्रेनिंग (सीएसआईआर-एआईएसटी) नामक स्वायत्त सोसाइटी को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया है ताकि परा-विषयी अनुसंधान प्रेरित पी.एच.डी. को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्ण सफाई अभियान

673. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण सफाई अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने में अब तक राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार कितनी प्रगति की गई है;

(ख) अनुमानित कितनी जनसंख्या ऐसी है जो अभी भी सफाई से कोसों दूर है;

(ग) इस वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अभियान के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार कितनी केन्द्रीय धनराशि आबंटित की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को इस अभियान के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ङ) इस योजना (अभियान) के लिए केन्द्रीय धनराशि का आबंटन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(च) इस धनराशि के लीकेज अथवा दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकिंग के कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग

674. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के कुछ कार्य जैसे खाता खोलना, ड्राफ्ट जारी करना, निकासी कार्य आदि को निजी क्षेत्र की एजेंसियों से करवाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकिंग कार्य को बाहर से करवाने से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकिंग कार्य को बाहर से करवाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंक परिचालनात्मक लागतों को युक्तियुक्त बनाने और आंतरिक रूप से अनुपलब्ध विशेष निपुणता प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा ले रहे हैं। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति सूचना ("फीड बैक") के लिए दिनांक 6.12.2005 को बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के संबंध में प्रारूप मार्गनिर्देश जारी किया है। आउटसोर्सिंग संबंधी मार्गनिर्देशों का उद्देश्य ऐसे आउटसोर्सिंग क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रभावी निरीक्षण, उचित उद्यम और प्रबंधन के लिए ठोस और अनुकूल जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए बैंकों को निदेश और मार्गनिर्देश उपलब्ध कराना है।

(ग) आउटसोर्सिंग के कारण पूर्वानुमानित धोखाधड़ीपूर्ण क्रियाकलापों से सुरक्षा के लिए उक्त प्रारूप मार्गनिर्देशों में यह व्यवस्था है कि बैंक कारपोरेट प्लानिंग, संगठन, प्रबंधन और नियंत्रण, जैसे कोर प्रबंधन कार्यों तथा जमा खाता खोलने संबंधी अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदण्डों के अनुपालन का निर्धारण, ऋणों को मंजूरी देने तथा निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन जैसे निर्णय लिए जाने संबंधी कार्यों को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कल्याण योजनाओं के अंतर्गत ऋण संस्वीकृत करने में विलम्ब

675. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को अस्वीकृत करने की दर काफी अधिक है तथा ऋण वितरण में अनावश्यक विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण देने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब रोकने तथा इसे सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार वर्ष 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) से संबंधित ऋण आवेदनों की अस्वीकृति की बैंक-वार संख्या संलग्न विवरण में है।

(ग) सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण आवेदनों की अस्वीकृति के कारणों में सामान्यतया अर्थक्षम क्रियाकलापों का बाहुल्य, संस्वीकृति की शर्तों को पूरा न करना एवं परियोजनाओं की गैर-अर्थक्षमता इत्यादि बतलाया गया है।

(घ) सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों को सरलीकृत करने एवं संस्वीकृति में होने वाली देरी से बचने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:-

(i) बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों को दो सप्ताह के भीतर तथा 2 लाख रुपए तक के ऋण आवेदनों को चार सप्ताह के भीतर (एसजेएसआरवाई के मामले में 8 से 9 सप्ताह) निपटाएं।

(ii) बैंकों से कहा गया है कि वे, जब कभी भी आवश्यक हो, 15 दिनों के भीतर "अदेयता प्रमाण पत्र" जारी करें अन्यथा इसे जारी किया माना जाएगा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई के अंतर्गत घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है।

(iv) इन योजनाओं की प्रगति, इस योजना के अंतर्गत बनाई गई आरंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तरीय निगरानी समिति के विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श की कार्यसूची का एक भाग होता है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से कहा है कि एसजीएसवाई एवं एसजेएसआरवाई के तहत संस्वीकृत ऋणं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम माना जाना चाहिए।

(vi) भारती रिजर्व बैंकों से कहा है कि शाखा प्रबंधकों को एसजीएसवाई एवं एसजेएसआरवाई के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए पर्याप्त विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए।

(vii) एसजीएसवाई के तहत ऋण आवेदन को 5 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत निपटाया जाए तथा इसे निपटाए जाने में किसी भी स्थिति में एक महीने से अधिक समय न लें।

विवरण

एसजीएसआरवाई और एसजीएसवाई के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान अस्वीकृत किए गए ऋण आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	एस जी एस आर वाई			एस जी एस वाई		
		प्राप्त आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	अस्वीकृति की दर	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	अस्वीकृति की दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	18561	4784	25.77	64638	3139	4.86
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4669	272	5.83	5595	229	4.09
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1946	0	0.00	4235	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	783	497	63.47	1523	173	11.36
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	887	331	37.32	244	0	0.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	867	165	19.03	410	6	3.90
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1162	367	31.58	3455	927	26.83
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1099	0	0.00	637	86	13.50
9.	इलाहाबाद बैंक	2082	341	16.38	9186	664	7.23
10.	आंध्रा बैंक	1899	7	0.37	2138	8	0.37
11.	बैंक आफ बड़ौदा	5788	1361	23.51	19151	3153	16.46
12.	बैंक आफ इंडिया	3678	739	20.09	18650	3344	17.93
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	924	6	0.65	2187	28	1.28
14.	केनरा बैंक	2726	392	14.38	6857	971	14.16
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	4266	876	20.53	18399	1952	10.61
16.	कार्पोरेशन बैंक	282	53	18.79	346	23	6.65
17.	देना बैंक	2302	562	24.41	6019	1381	22.94
18.	इंडियन बैंक	1536	246	16.02	6603	227	3.44
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1293	250	19.33	3830	51	1.33
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1819	295	16.22	1328	164	12.35
21.	पंजाब नेशनल बैंक	5562	969	17.42	24544	1969	8.02
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	380	70	18.42	999	83	8.31
23.	सिंडिकेट बैंक	1672	306	18.30	3218	112	3.48
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2930	714	24.37	6275	560	8.92
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1233	81	6.57	3080	120	3.90

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	यूको बैंक	2380	699	29.37	4917	497	10.11
27.	विजया बैंक	669	7	1.05	745	39	5.23
	कुल	73395	14390	19.61	219209	19916	9.09

[हिन्दी]

नया आयकर फार्म

676. श्री संतोष गंगवार :
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री वैंगरा सुरेन्द्रन :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री एस.के. खारवेनथन :
डा. के. धनराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर विवरणी भरने के लिए नया फार्म लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नए फार्म की जटिलताओं तथा निर्धारिती को पेश आने वाली दिक्कतों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) सरकार ने ऐसे निवासी व्यष्टियों/हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए एक नया आयकर विवरणी फार्म संख्या 2च अधिसूचित किया है, जिन्हें कारोबार, पूंजीगत अभिलाभों तथा कृषि से आय प्राप्त नहीं होती है और जो एक से अधिक गृह संपत्ति के स्वामी नहीं हैं। कतिपय क्षेत्रों में यह विचार प्रकट किया गया है कि नया फार्म 2च उतना सरल नहीं है। इस संबंध में सरकार ने विभिन्न मंचों पर यह स्पष्ट किया है कि नया फार्म 2च मौजूदा नया सरल का अनिवार्य रूप से एक विस्तारित रूप है ताकि ब्यौरों को भरने के लिए अधिक से अधिक स्थान दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, फार्म च में रोकड़ प्रवाह विवरण का आशय वेतनभोगी करदाताओं को किसी हस्तक्षेपी जांच से सुरक्षित रखना है। बहरहाल, किसी वेतनभोगी करदाता के पास फार्म 2च अथवा नया सरल भरने का विकल्प है। यह विकल्प 31 जुलाई, 2006 जो आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि है, तक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, जहां कोई व्यक्ति फार्म 2च को दाखिल करने का चयन करता है, वहां उसे रोकड़ प्रवाह दाखिल न करने का विकल्प है।

[अनुवाद]

ग्रामीण जनता का पलायन

677. श्री अनन्त नायक :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य में भारी संख्या में ग्रामीण जनता शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) यद्यपि गांव से शहर की ओर पलायन विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है, लेकिन उपलब्ध आकलनों ये यह स्पष्ट होता है कि 1983-2000 की अवधि के दौरान कुल आबादी की तुलना में पुरुषों के पलायन का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक समान अर्थात् 7 प्रतिशत रहा। ग्रामीण महिलाओं के मामले में यह प्रतिशत 1983 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में लगभग 43 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से देश के ग्रामीण गरीब परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार देने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)—मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों को उनके गांवों अथवा आस-पास के गांवों में रोजगार मुहैया करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं ताकि ऐसे लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन रोका जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और वाटरशेड विकास कार्यक्रम जैसी अन्य योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की स्थितियों में सुधार लाने और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए बनाई गई हैं। सरकार ने शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से देश के 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया है।

लेखन सामग्री की आपूर्ति

678. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सरकारी कार्यालयों में लेखन सामग्री और अन्य सामान्य मदों की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय भण्डार को प्राधिकृत करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने यह उल्लेख किया था कि सामान्यत: निविदाएं भ्रष्टाचार का प्रमुख स्रोत हैं; और

(घ) यदि हां, तो निविदाओं के माध्यम से लेखन सामग्री और मदों की खरीद पर बल देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय भण्डार को तरजीह देने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सर्तकता आयोग ने निविदाओं पर रोक लगाने के बारे में कोई सलाह नहीं दी है। निविदाओं का कार्य पूर्ण कर्तव्य परायणता के साथ किया जाना चाहिए। पूर्ण कर्तव्य परायणता की कमी के फलस्वरूप अनियमितताएं होती हैं। तथापि, निविदाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगाना यथेष्ट नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु मास्टर प्लान

679. **श्री रामदास आठवले** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए जिला स्तर पर योजनाएं और मास्टर प्लान तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार कौन-कौन से जिलों में आरम्भ में उक्त प्रस्ताव को लागू किए जाने की सम्भावना है;

(घ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप और लागू कर दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा सिलेसिलाए वस्त्रों के आयात की जांच

680. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय कारीपुर विमानपत्तन के रास्ते चीन से भारी मात्रा में सिलेसिलाये वस्त्रों के किये जा रहे आयात में संलिप्त एक बड़े रैकेट की छानबीन कर रहा है जैसा कि दिनांक 10 मई, 2006 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस रैकट के कार्य करने की पद्धति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे रैकेटों पर अंकुश लगाने का है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय, कालीकट के अधिकारी कारीपुर विमानपत्तन, कालीकट के जरिए हांग कांग (चीन जनवादी गणराज्य) और थाईलैंड से सिलेसिलाये वस्त्रों के आयात की जांच कर रहे हैं।

(ख) कार्य प्रणाली में निम्न शुल्क दर का गलत ढंग से लाभ लेने के लिए माल की संरचना को गलत ढंग से वर्गीकृत करना/गलत घोषित करना शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। सिलेसिलाये वस्त्रों की सभी खेपों को आयातित माल की प्रकृति और संरचना का पता लगाने तथ सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए जांच हेतु भेजा जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल और डीजल संबंधी उत्पाद शुल्क में कटौती

661. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित अन्तर्मंत्रालयी समिति ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यनिर्धारण और कराधान के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण और कराधान से संबंधित डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.2.2006 को सरकार को सौंप दी गई थी। इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

1. **पेट्रोल और डीजल के मूल्य-निर्धारण के संबंध में :** (i) शोधनशाला मूल्य के साथ-साथ खुदरा-मूल्य तय करने के लिए व्यापार समता-कीमत फार्मूला अपनाना; (ii) सरकार मूल्य-निर्धारण की प्रक्रिया से दूर रहे और प्रस्तावित फार्मूले के अन्तर्गत खुदरा मूल्य नियत करने के लिए सभी कम्पनियों को स्वतन्त्रता दी जाए; और (iii) पेट्रोल और डीजल पर सीमा-शुल्क घटाकर 7.5% करके प्रभावी संरक्षण में कमी लाना।

2. **घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के मूल्य-निर्धारण के संबंध में :** (i) सब्सिडी-प्राप्त मिट्टी का तेल केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को ही दिया जाए; (ii) घरेलू एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 75/- रुपये की वृद्धि की जाए; (iii) प्रवाह-विरुद्ध (अपस्ट्रीम) कम्पनियों से अपस्ट्रीम सहायता मुहैया कराने के लिए कहने की प्रथा समाप्त करना, लेकिन इसके स्थान पर ओआईडीबी उपकर को 1,800/-रुपए प्रति मी. टन के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 4,800/-रुपये प्रति मी. टन करके उनका अंशदान एकत्र करना; और (iv) सरकार सब्सिडी के शेष खर्च को बजट से पूरा करें।

3. **उत्पाद-शुल्कों की पुनर्संरचना के संबंध में :** विशिष्ट और मूल्यानुसार शुल्कों की मौजूदा मिश्रित व्यवस्था से हटकर पूर्णतया विशिष्ट शुल्क लगाना और डीजल पर 5.00 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 14.75 रुपए प्रति लीटर के शुल्क प्रभारित करना।

समिति ने सिफारिश की है कि सिफारिशों के पहले दो सेट में प्रत्येक को समेकित पैकेजों के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकृत की हैं: (i) पेट्रोल और डीजल पर सीमा-शुल्क 10% से घटाकर 7.5% करके व्यापार-समता के सिद्धान्त को लागू करना; (ii) सरकार से पूर्व-परामर्श किए बिना संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में प्रत्येक माह में एक बार तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) द्वारा स्वायत्त समायोजन करने की अनुमति देना; (iii) पीडीएस मिट्टी के तेल को दी जा रही सब्सिडी को "सिद्धान्त रूप में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल) तक ही सीमित रखना।

एफडीआई संबंधी निवेश आयोग की सिफारिशें

682. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई प्रोफाइल निवेश आयोग ने बैंककारी और बीमा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश पूंजी में अत्यधिक वृद्धि और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने की सिफारिश की है जैसाकि दिनांक 14 जुलाई, 2006 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य और मामला क्या है;

(ग) क्या सिफारिश करने से पहले इन पैनल ने घरेलू खुदरा क्षेत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने वाले सभी पहलुओं पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) निवेश आयोग ने फरवरी, 2006 में "भारत के लिए निवेश योजना" शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि प्रतिवर्ष 8% से अधिक वृद्धि बरकरार रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश स्तरों में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 28% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 32% तक करने की आवश्यकता होगी। यह अगले 5 वर्षों में लगभग 1.5 ट्रिलियन डालर का संचयी निवेश बैठता है। आयोग ने वर्ष 2007-08 तक एफडीआई के 5 बिलियन डालर के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर 15 बिलियन डालर तक करने का अपना लक्ष्य रखा है। आयोग ने अवसंरचना, विनिर्माण, सेवाओं प्राकृतिक संसाधनों और जानकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित 25 मुख्य क्षेत्रों का अध्ययन किया है।

(ग) आयोग ने पाया है कि कार्यदक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक खुदरा क्षेत्र निजी खपत बढ़ा सकता है जिससे विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि होगी और इससे रोजगार का सृजन होगा। उचित नीतिगत समर्थन से व्यवस्थित खुदरा क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 3 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से पांच गुना से अधिक वृद्धि होने की क्षमता है, जिसके लिए लगभग 5-6 बिलियन डालर निवेश करने की आवश्यकता होगी। आयोग ने पहली बार में खुदरा क्षेत्र में स्वतः मार्ग के अधीन 49 प्रतिशत तक एफडीआई को अनुमति देने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने 2006 में एफडीआई नीति और संबंधित प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की है। इसके परिणामस्वरूप यौक्तिकीकरण के अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ "एकल ब्रांड" उत्पादों के खुदरा व्यापार के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देना शामिल है।

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन

683. **श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार संबंधी वित्तपोषण परियोजनाओं के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अलावा कोई अन्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार राज्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2005 में घोषित अवस्थापना में सरकारी-निजी भागीदारी सहायता योजना स्कीम के तहत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अलावा सरकारी-निजी भागीदारी के रूप में प्रस्तुत शहरी परिवहन परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी-निजी भागीदारी के रूप में प्रस्तावित परियोजनाएं कुल परियोजना लागत के 20% तक व्यवहार्यता अंतर धनराशि प्राप्त कर सकती है।

(ग) धनराशि का राज्य-वार नियतन नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

कोटा ताप विद्युत परियोजना

684. श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा ताप विद्युत संयंत्र की पांचवीं इकाई जो दिसम्बर, से बंद पड़ी है, पुनः आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस इकाई को पुनः आरम्भ करने में कितना खर्च आयेगा;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालकर राज्यों को राहत देना

685. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को दिए गए ऋणों को सशर्त बट्टे खाते में डालने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्तुत्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्य इसके लिए अब पात्र हैं; और

(घ) क्या उड़ीसा राज्य भी बट्टे खाते वाले राज्यों में से एक है और आज तक बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण समेकन और ऋण माफी सुविधा स्कीम के अंतर्गत, उन राज्यों को जिन्होंने सुझाए गए प्रमुख प्रावधानों के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू कर लिया है, उन राज्यों द्वारा लागू करने के वर्ष से 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा 31.03.2005 तक बकाया केन्द्रीय ऋणों को समेकित किया जाएगा और 20 वर्षों की अवधि के लिए नए सिरे से पुनःनिर्धारण किया जाएगा, जिसकी वापसी अदायगी 20 एक समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी और उन पर 7.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। इसके अतिरिक्त, समेकन के लिए संस्तुत केन्द्रीय ऋणों पर 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्यों से देय पुनर्अदायगी पर राज्यों को ऋण माफी भी उपलब्ध है। ऋण माफी की मात्रा उस संपूर्ण राशि से जुड़ी होती है, जिससे अवार्ड अवधि के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के दौरान राजस्व घाटे को कम किया जाता है।

(ग) वर्ष 2005-06 में ऋण माफी के लिए अब तक नौ राज्य इसके पात्र हो चुके हैं और इन राज्यों को ऋण माफी दे दी गई है। ये राज्य छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।

(घ) जी, हां। वर्ष 2005-06 के लिए ऋण माफी हेतु 381.90 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को उपलब्ध करायी गई है।

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) द्वारा काम न करना

686. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अंकलेश्वर स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) कर्मचारियों की कमी के कारण काम नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अंकलेश्वर स्थित अंतर्देशीय आधान डिपो (आई.सी.डी.) पर तैनात किए जाने हेतु दिनांक 2.06.2006 को तीन पद स्वीकृत किए गए हैं जिनमें अधीक्षक, परीक्षक/निवारक अधिकारी और मूल्यांकक, प्रत्येक का एक-एक पद शामिल है। अंकलेश्वर स्थित अंतर्देशीय आधान डिपो पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ होने की संभावना है।

दाभोल विद्युत परियोजना

687. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाभोल विद्युत परियोजना नाप्था के स्टॉक के समाप्त होने की वजह से बंद होने के कगार पर है जैसा कि दिनांक 19 जून, 2006 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टॉक का समय पर कोई आकलन नहीं किया गया और न ही कोई उपाय किये गए;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या अर्थोपाय है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (एमएसईडीसीएल) द्वारा नाप्था की ऊंची लागत की वजह से विद्युत उत्पादन की मांग नहीं होने के कारण आरजीपीपीएल द्वारा पुन: नाप्था का स्टॉक प्राप्त नहीं किया गया है परिणामस्वरूप पुन: आरंभ विद्युत ब्लॉक-II का वर्तमान में रिजर्व शट डाऊन मोड में अनुरक्षण किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (एमएसईडीसीएल) की व्यस्ततम ग्रीष्मकालीन विद्युत आवश्यकता के आधार पर रत्नागिरि गैस एंड पावर प्रा.लि. ने मई एवं जून, 2006 के महीनों के दौरान पुन: आरंभ विद्युत ब्लॉक-II से तरल ईंधन आधारित 346 मिलियन यूनिट अतिरिक्त (इन्फर्म) विद्युत आपूर्ति करने के एमएसईडीसीएल के साथ एक-कालिक व्यवस्था की थी। तदनुसार, आरजीपीपीएल को परिसंपत्तियों के साथ हस्तांतरित नाप्था के मौजूदा स्टॉक बढ़ाने के लिए ईंधन की मात्रा आरजीपीपीएल द्वारा निर्धारित की गई थी। आरजीपीपीएल द्वारा इस विद्युत की आपूर्ति की प्रतिबद्धता 3 जुलाई, 2006 को पूरी हुई।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) नाप्था का वर्तमान मूल्य बहुत अधिक है, अत: भारत सरकार ने गैस आपूर्ति उपलब्ध होने तक अंतरिम अवधि में इस संयंत्र द्वारा उपयोग के लिए नाप्था के आयात पर से सीमा शुल्क में छूट दे दी है ताकि नाप्था आधारित विद्युत उत्पादन की लागत कम हो सके और यह एमएसईडीसीएल को स्वीकार्य हो सके।

महानगरों में पानी की कमी

688. **श्री नवीन जिन्दल :**
श्री काशीराम राणा :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महानगरों में पानी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पानी की कमी के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने 35 मेट्रो नगरों के संबंध में वर्तमान तथा भविष्य के लिए पानी की मांग तथा पानी की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े दिये हैं। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा जल आपूर्ति, सफाई तथा कचरा निपटान की स्थिति से संबंधित एक अध्ययन किया गया। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की 22 मेट्रो नगरों से संबंधित रिपोर्ट के आधार पर मेट्रो नगरों में पीने के पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता से संबंधित विवरण तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। कई वर्षों से लगातार मानसून की कमी के कारण कुछ नगरों/कस्बों में गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता कम हो गई है।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य 63 चुनिंदा नगरों/कस्बों में अवस्थापना सेवाओं के समन्वित विकास तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित प्रमुख अवस्थापना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करते हुए इन नगरों/कस्बों का विकास करना है। जो नगर/कस्बे जेएनएनयूआरएम में शामिल नहीं हैं वे छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।

बरसाती पानी संग्रहण के उपायों को बढ़ावा देने के लिए भवन नक्शों को स्वीकृति देते समय 100 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक आकार के प्लाटों पर सभी नए भवनों में बरसाती पानी संग्रहण के लिए अनिवार्य प्रावधान शामिल करते हुए आदर्श भवन निर्माण उप नियम राज्य सरकारों को परिचालित किए गए हैं।

विवरण-I

जल संशाधन जरूरतों और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता के बारे में क्षेत्रीय समितियों द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट से दी गई पानी की मांग, पानी की उपलब्धता, पानी की वर्तमान और भावी स्रोत दर्शाना वाला विवरण

(संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा दी गई सूचना पर आधारित)

क्र. सं.	शहरी समूह	पानी की मांग		पानी उपलब्धता/आपूर्ति		पानी का वर्तमान स्रोत	भावी मांग को पूरा करने के स्रोत
		2001	2021	2001	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लुधियाना (पंजाब)	242 (एमएलडी) (घरेलू) + 125 (एम एल डी) (औद्योगिक)	580 (एमएलडी) (घरेलू) + 160 (एम एल डी) (औद्योगिक)	375 एमएलडी	भविष्य में कोई कमी नहीं होगी	नलकूपों के जरिए भूमिगत जल। उद्योग अपनी स्वयं व्यवस्था कर रहा है।	50% नहरों (सिदवन नहर) के जरिए और 50% नलकूपों से। यह मान लिया गया है कि उद्योग अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा।
2.	अमृतसर (पंजाब)	175 (एमएलडी) (घरेलू) + 42.11 (एम एल डी) (औद्योगिक)	267 (एमएलडी) (घरेलू) + 52.64 (एम एल डी) (औद्योगिक)	232.56 एमएलडी	भविष्य में कोई कमी नहीं होगी	नलकूपों के जरिए भूमिगत जल। उद्योग अपनी स्वयं व्यवस्था कर रहा है।	50% नहरों (यूबीडीसी) प्रणाली के जरिए और 50% नलकूपों से। यह मान लिया गया है कि उद्योग अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा।
3.	फरीदाबाद (हरियाणा)	89.5 एमजीडी (406 एमएलडी) जिसमें 29.5 एमजीडी (133 एमएलडी) उद्योगिक और शेष अन्य उपयोगों के लिए शमिल है।	160.77 एमजीडी (730 एमएलडी) जिसमें 41.8 एमजीडी (189 एमएलडी) उद्योगिक और शेष अन्य उपयोगों के लिए शमिल है।	40 एमजीडी (182 एमएलडी) वर्तमान कमी 49.5 एमजीडी (225 एमएलडी)	परिलक्षित जल आपूर्ति मांग नहर प्रणाली नलकूप और रैनी कुओं से पूरी की जायेगी।	नलूकूपों के जरिए	नहर (मेवात नहर) के पानी और भूजल द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	255 (एमएलडी) (घरेलू) + 80 (एम एल डी) (औद्योगिक)	482 (एमएलडी) (घरेलू) + 80 (एम एल डी) (औद्योगिक)	कुल आपूर्ति 265 एमएलडी कमी 70 एमएलडी	ज्ञात स्रोतों से 530 एमएलडी है	कोलार नदी, ऊपरी झील, नलकूप और खुदे कुएं	कोलार नदी, ऊपरी झील, भूजल नर्मदा नदी
5.	इन्दौर (मध्य प्रदेश)	318.20 (एमएलडी) (घरेलू) कोई प्रमुख उद्योग नहीं।	671 (एमएलडी) (घरेलू) उद्योग का कोई उल्लेख नहीं।	कुल आपूर्ति 183.5 एमएलडी कमी 134.70 एमएलडी	अतिरिक्त आवश्यकता 487.5 एमएलडी है जिसे नर्मदा नदी पर परियोजनाओं द्वारा पूरा किया जाएगा।	नर्मदा नदी, यशवंत सागर जलाशय और भूजल	नर्मदा नदी पर अतिरिक्त जलापूर्ति परियोजना। नर्मदा नदी पर एक बड़ी परियोजना भी अपेक्षित है।
6.	जबलपुरे (मध्य प्रदेश)	214.312 (एमएलडी) (घरेलू) + 25 (एम एल डी) (औद्योगिक)	327 (एमएलडी) (घरेलू) + 25 (एम एल डी) (औद्योगिक) जो केवल वर्तमान मांग है।	कुल आपूर्ति 145 एमएलडी कमी 94.51 एमएलडी	2021 के लिए आकलित आवश्यकता को ज्ञात स्रोतों से पूरा किया जायेगा।	खंडारी बांध और गौर नदी। परियत बांध और फगवा घाट नर्मदा नदी तथा भूजल	पानी और भूजल की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए तिलवारा घाट के निकट नर्मदा नदी पर इंटेक के लिए स्थल चुना गया है।
7.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	956 (एमएलडी) (210 एमजीडी)	1817 (एमएलडी) (400 एमजीडी)	कुल आपूर्ति 770 एमएलडी (170 एमजीडी) कमी 186 एमएलडी (40 एमजीडी)	ज्ञात स्रोतों से 2000 एम एल डी (440 एमजीडी)	ओसमानसागर, हिमायत सागर मंजिरा फेस-I और-II तथा मंजिरा फेस-III तथा IV भेदन कुओं के जरिए भूजल।	पानी की भावी मांग को पूरा करने के लिए एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा तैयार प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि नागार्जुन सागर के आगे के किनारों से तीन चरणों में कच्चा पानी लिया जाये।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	विशाशापटनम (आंध्र प्रदेश)	314 (एमएलडी) (69 एमजीडी)+ 264 एमएलडी (68 एमजीडी) उद्योगिक आवश्यकता	521 (एमएलडी) (115 एमजीडी) + 592 एमएलडी (130 एमजीडी) उद्योगिक आवश्यकता	वीएमसी क्षेत्र के लिए कुल आपूर्ति 168 एमएलडी (37 एमजीडी) है। कमी 146 एमएलडी (32 एम जी डी) है।	वीएमसी क्षेत्र के लिए कुल आपूर्ति 168 एमएलडी (37 एमजीडी) है। कमी 353 एमएलडी (78 एम जी डी) होगी।	मुदासरलोवा, येलेरु, रायवाड़ा, मेघाड्रिगेड्डा, थातिपुडी जलाशय स्कीम और गोसथानी नदी।	येलेरु बाई मुख्य नहर और थातीपुडी जलाशय से मौजूदा जलनिकासी में वृद्धि करना। झंझावती से जल निकालना और गोदावरी नदी से अतिरिक्त जल निकालना।
9.	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	150 (एमएलडी) (33 एमजीडी)	270 (एमएलडी) (60 एमजीडी)	कुल आपूर्ति 155 एमएलडी (34 एमजीडी) है।	अभिज्ञात स्रोतों से 270 एमएलडी (60 एमएलडी) है।	कृष्णा नदी (सतही जल) और भूजल (कृष्णा नदी बेसन में इन्फिल्ट्रेशन गैलरिज सहित) से।	कृष्णा नदी (सतही जल) और भूजल (कृष्णा नदी बेसन में इन्फिल्ट्रेशन गैलरिज़ सहित) से।
10.	बंगलौर (कर्नाटक)	1176 एमएलडी (एलडीआर) 1680 एमएलडी (एचडीआर)	2232 एमएलडी (एचजीआर एंड एलडीआर) 1910 एमएलडी (एलजीआर एंड एलडीआर) 3189 एमएलडी (एचजीआर एंड एचडीआर 2729 एमएलडी) (एलजीआर एंड एचडीआर)	705.5 एमएलडी	2575 एमएलडी	1 अरकावती 2 कावेरी (i) स्टेज-I (ii) स्टेज-II (iii) स्टेज-III	कोवरी स्टेज-iv (i) फेज-I (i) फेज-II कोवरी स्टेज-v 2025 तक जल की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त। 2025 से आगे जल की मांग को पूरा करने के लिए बीडब्ल्यूएसएसबी को नये संसाधनों का पता लगाना होगा।
11.	नागपुर (महाराष्ट्र)	361 एमएलडी	600 एमएलडी (155.25 एलपीसीडी की खपत दर के लिए) 670	430 एमएलडी	2670 एमएलडी	गोरखाड़ा टैंक, कनहा नदी और पैंच सिचाई परियोजना	कनहा नदी (350 एमएलडी) पर राहरी बैराज जामघाट एवई परियोजना

1	2	3	4	5	6	7	8
			एमएलडी (172.50 एलपीसीडी की खपत दर के लिए)				(1827 एमएलडी) 450 एमएलडी अतिरिक्त भूजल
12.	ग्रेटर मुंबई (महाराष्ट्र)	378 एमएलडी (जीएमएमसी मानदंडों के अनुसार कुल आवश्यकता) 2056 एम. एल डी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार घरेलू आवश्यकता)	5081 एमएलडी (जीएमएमसी मानदंडों के अनुसार कुल आवश्यकता) 2741 एम एल डी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार घरेलू आवश्यकता)	2906 एमएलडी (सतही जल) 60 एमएलडी (भूजल)	5293 एमएलडी (सतही जल) 288 एमएलडी (भूजल)	तुलसो झील, वेहर झील, तनसा बांध, वेतरना बांध, अपर वेतरना बांध, भाटसा बांध और भूजल	मध्य वैतरना, गारगाई, पिंजल, कालू परियोजना और भूजल
13.	नासिक (महाराष्ट्र)	199 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार) 179 एमएलडी (135 एलपीसीडी के साथ एनएमसी के अनुसार)	345 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार)	7 एमएलडी गैर घेरलू मांग सहित कुल जल आपूर्ति 185 एमएलडी है।	सतही स्रोतों से 325 एमएलडी और भूजल स्रोतों से 16 एमएलडी	गंगापुर बांध और डरना बांध	गंगापुर बांध और डरना बांध तथा गोतमी और कश्यपी बांधों के निर्माण के साथ।
14.	पुणे (महाराष्ट्र)	635 एमएलडी (पीएमसी के अनुसार कुल आवश्यकता) 468 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार घरेलू आवश्यकता)	777 एमएलडी (सीपीएचईईओ मानदंडों के अनुसार)	इस समय 750 एमएलडी जल की पीएमसी क्षेत्र को आपूर्ति की जाती है	खड़कवासला परियोजना से 892.20 एमएलडी और भूजल से अतिरिक्त 29.64 एमएलडी	खड़कवासला परियोजना और टेमघर बांध	पीएमसी को नये स्रोतों का पता लगाना अपेक्षित है क्योंकि खड़कवासला परियोजना से जल लेने की स्वीकृति 2002 तक वैध है।
15.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	2258.4 एमएलडी	3124 एमएलडी	3207.7 एमएलडी	भावी मांग की पूर्ति सतही और भू जल	हुगली नदी केयूए के लिए एकमात्र	भावी मांग की पूर्ति नए संयंत्र लगाकर तथा मौजूदा

1	2	3	4	5	6	7	8
					स्रोतों से की जा सकती है।	सतही जल का स्रोत है। जल आपूर्ति के लिए जल शोधन संयंत्र कार्यरत हैं। गहरे ट्यूबवेलों हैंड ट्यूबवेलों के जरिए भूजल का भी इस्तेमाल किया जाता है।	शोधन संयंत्रों यथा गार्डन रीच वाटर वर्क्स तथा पाल्टा वाटर वर्क्स की क्षमता बढ़ाकर करने का प्रस्ताव किया गया है।
16.	आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	136.35 एमएलडी	206 एमएलडी	165 एमएलडी	भावी आपूर्ति में अनुमानित 14 एमएलडी की कमी है।	दामोदर, अजय तथा बाराकर नदी।	आरसीएफए पार्ट-III जल आपूर्ति स्कीम पूरी होने पर। भू-जल स्रोतों इत्यादि का पता लगाकर।
17.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	588.50 एमएलडी	1226.50 एमएलडी	310 एमएलडी	1600 एमएलडी	गंगा नदी, नहर और ट्यूबवेल	गंगा बैराज, कानपुर
18.	आगरा (उत्तर प्रदेश)	270.97 एमएलडी	425.79 एमएलडी	रिपोर्ट में आंकड़े नहीं दिए गए।	345 क्यूसेक गोकुल बैराज तथा आगरा बैराज से।	यमुना नदी और ट्यूबवेल	गोकुल बैराज तथा प्रस्तावित आगरा बैराज
19.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	431 एमएलडी	776 एमएलडी	410 एमएलडी	भावी मांग की पूर्ति शारदा सहायक कैनाल सिस्टम से की जाएगी।	गोमती नदी और ट्यूबवेल	शारदा सहायक कैनाल सिस्टम का तीसरा और चौथा वाटर वर्क्स
20.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	210 एमएलडी	330 एमएलडी	235 एमएलडी	भावी मांग की पूर्ति दूसरे वाटर वर्क्स का निर्माण करके की जाएगी।	गंगा नदी और ट्यूबवेल	

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	180 एमएलडी	300 एमएलडी	140 एमएलडी	भावी मांग की पूर्ति दूसरे वाटर वर्क्स का निर्माण करके की जाएगी।	यमुना नदी और ट्यूबवेल	भावी मांग की पूर्ति के लिए दूसरे वाटर वर्क्स का प्रस्ताव किया गया है।
22.	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	267.37 एमएलडी	400.20 एमएलडी	267.37 एमएलडी	रिपोर्ट में आंकड़े नहीं दिए गए।	ट्यूबवेल	
23.	पटना (बिहार)	रिपोर्ट में आंकड़े नहीं दिए गए।	628 एमएलडी (6.28 लाख कि.ली. प्रति दिन)	135 एमएलडी (1.35 लाख कि.ली. प्रति दिन तथा 60000-80000 कि.ली. प्रति दिन)	2021 और उसके बाद के वर्षों के लिए भावी मांग की पूर्ति भू जल से की जा सकती है।	उच्च क्षमता के 72 ट्यूबवेल	काफी मात्रा में भूजल उपलब्ध है और वर्ष 2021 व उसके बाद की भावी मांग की पूर्ति की जा सकती है।
24.	जमशेदपुर (झारखंड)	रिपोर्ट में आंकड़े नहीं दिए गए।	601 एमएलडी (6.01 लाख कि.ली. प्रति दिन)	वर्तमान मांग की पूर्ति सतही जल स्रोतों से की जानी है।	भावी उपलब्धता केवल सतही जल स्रोतों से।	मैंगो ब्रिज के समीप कम ऊंचाई से सुवर्णरेखा के पार तालाब बनाकर पंपों द्वारा तथा दिमना लेक, सीतारामपुर लेक द्वारा।	सुवर्ण रेखा के पार चांदील डैम तथा खरकई नदी के पार इच्छा डैम।
25.	धनबाद (झारखंड)	रिपोर्ट में आंकड़े नहीं दिए गए।	653 एमएलडी (6.53 लाख कि.ली. प्रति दिन)	वर्तमान आवश्यकता को भूमिगत जल स्रोत से पूरा किया जाता है।	भविष्य में भी केवल सतही जल स्रोत से पूरा किया जाएगा।	दामोदर नदी पर जमदावा के पास छोटा तालाब	बोकारो बैराज तथा कोनार डैम
26.	चेन्नई (तमिलनाडु)	809 एमएलडी	1230 एमएलडी	299 एमएलडी	भविष्य में सतही जल भूमिगत जल और समुद्री जल स्रोत से पूरा किया जाएगा।	पुन्डी, छोलावरम तथा रेड हिल्स जलाशय प्रणाली तथा भूमिगत जल	इस अंतर को कृष्णा जलापूर्ति स्कीम के जरिए पूरा किया जा सकता है। शेष को अन्य स्रोतों से पूरा किया जाना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	249.441 एमएलडी	437.858 एमएलडी	153.284 एमएलडी 96.157 एमएलडी का अंतर है।	276.254 एमएलडी 161.604 एमएलडी का अंतर है।	सिरुवाणी नदी स्रोत पिल्लूर जल आपूर्ति स्कीम	पिल्लूर नदी स्कीम-II, नेल्लीथुरै के नजदीक भवानी नदी से कोंडमलयम एवं वडावल्ली कस्बा पंचायत के लिए स्कीम और अलीयार नदी स्कीम
28.	मदुरै (तमिलनाडु)	215.04 एमएलडी	264.53 एमएलडी	115 एमएलडी वर्तमान में 99.96 एमएलडी का अंतर है।	प्रस्तावित जल आपूर्ति स्कीमों से भविष्य में जल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।	वईगई जलापूर्ति स्कीम के लिए सतही जल। 6 पिकअप कूपों उप सतही जल। मेलाक्कल, थटकाम्पाधु कोचाडाई कलेक्टर कूप, कोचाडाई, मनालूर और थिरूप्पूवनम	कल्लार नदी आपूर्ति स्कीम, कावेरी नदी स्रोत, मदुरै निगम में तथा आसपास टैंकों और आपूर्ति चेनलों का पुनरूद्धार तथा नदी तट से लेने के बजाय सीधे वाईगाई डैम से अतिरिक्त जल लाने के लिए प्रस्ताव
29.	कोच्चि (केरल)	274.2 एमएलडी	358.7 एमएलडी	250 एमएलडी	विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन से लगभग मांग के बराबर जल उपलब्ध होगा।	कोच्ची जलाआपूर्ति स्कीम तथा 7 अन्य जलापूर्ति स्कीम	वर्तमान स्रोतों के अतिरिक्त जल की मात्रा बढ़ाने वाली 2 स्कीमें तथा 4 नई जलापूर्ति स्कीमें
30.	राजकोट (गुजरात)	135 एमएलडी (घरेलू मांग) 162 एमएलडी कुल मांग)	315 एमएलडी	94 एमएलडी 69 एमएलडी की कमी है।	94 एमएलडी 221 एमएलडी की कमी है।	अजि-I जलापूर्ति स्कमी, न्यारी-I जलापूर्ति स्कीम, भदार जल आपूर्ति स्कीम, न्यारी-II जलापूर्ति स्कीम, माही नहर से पेयजल	मिट्टी के डैम को ऊपर उठाकर तथा जलधारा को चौड़ाकर न्यारी-I डैम की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। जल वितरण के नेटवर्क का विस्तार भी प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	सूरत (गुजरात)	573 एमएलडी	1440 एमएलडी	स्थापित क्षमता (सतह+भू) 673 एमएलडी है। औसत जलापूर्ति 540 एमएलडी है।	जलापूर्ति मास्टर प्लान में वर्ष 2021 तक 24 x 7 आपूर्ति का विचार है।	जलापूर्ति का मुख्य स्रोत तापी नदी है। जल कार्य वराछा, कटारगम तथा रेंडर है।	वर्षा जल पुनः शुरू तथा संचय योजना, वर्तमान अवसंरचना का आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्र भागीदार इत्यादि
32.	वडोदरा (गुजरात)	275.90 एमएलडी	460 एमएलडी	275.85 एमएलडी वर्तमान में कोई कमी नहीं है।	275.85 एमएलडी भविष्य में 184 एमएलडी की कमी का अनुमान है।	श्री सयाजी सरोवर। माही नदी फजलपुर, पोइचा, राइक डोडका में फ्रेंच कुएं। नलकूप	वडोदरा नगर निगम ने 2 मास्टर प्लान तैयार किए। नर्मदा नदी बेसिन में स्रोत वृद्धि तथा वितरण प्रणाली का उन्नयन
33.	अहमदाबाद (गुजरात)	रिपोर्ट में आंकड़े दर्शाए नहीं गए हैं।	279 एमजीडी (1266 एमएलडी)	औसत दैनिक जलापूर्ति 524786 एमएलडी है।	भविष्य में आपूर्ति 334 एमजीडी (1516 एमएलडी) अनुमानित है।	डीडीडब्ल्यू में फिल्टर प्लांट फ्रेंच कुएं, रस्का परियोजना, आगत कुएं, भेदन कुएं	डीडी डब्ल्यू में फिल्टर प्लांट, फ्रेंच कुएं, रस्का परियोजना आगत कुएं-I आगत कुएं-II तथा भेदन कुएं
34.	दिल्ली (दिल्ली)	क) 893 एमसीएम* (2445 एमएलडी) ख) 1326.56 एमसीएम** (3632 एमएलडी)	क) 1574 एमसीएम (4310 एमएलडी) ख) 2288 एमसीएम (6265 एमएलडी)	1231.04 एमसीएम/वर्ष (1231.04 एमएलडी)	4017.28 एमसीएम/वर्ष (11000 एमएलडी)	यमुना नदी, गंगा नदी, भाखड़ा जलाशय तथा भूमिगत जल	वर्तमान स्रोतों के अलावा जल टिहरी, रेनुका, किशाऊ तथा लखपार-व्यासी बांधों से भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
35.	जयपुर (राजस्थान)	361.1 एमएलडी (बीआईएस नार्मस) 349 एमएलडी (सीपीएचईईओ नार्मस)	796.5 एमएलडी 885 एमएलडी	वर्तमान जलापूर्ति 313 एमएलडी की है।	प्रस्तावित सतही जल स्रोतों से उपलब्धता में वृद्धि का अनुमान है।	शहरी क्षेत्रों के बाहर नलकूप, रामगढ़ झील तथा टी डब्ल्यू हैंड पंप, कैविती कुएं	वर्तमान बिलासपुर बांध तथा प्रस्तावित इसारडाह बांध से

क)* सीपीएचईईओ मानक के अनुसार ● 172 एलपीसीडी

ख)** डीजेबी प्रस्तावके अनुसार ● 274 एलपीसीडी

टिप्पणी : यह विवरण राज्य सरकारों के संबंधित विभागों द्वारा जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराए गए आंकड़ो/सूचनाओं पर आधारित है।

विवरण-II

मेट्रोपॉलिटन शहरों/शहरी समूहों
(2001 जनगणना के अनुसार)

क्र. सं.	मेट्रोपॉलिटन शहर/शहरी समूह	प्रति व्यक्ति जलापूर्ति (एलपीसीडी) नवंबर, 03/एनआईयूए 1999 के अनुसार
1	2	3
1.	ग्रेटर मुंबई	268*
2.	कोलकाता	173*
3.	दिल्ली	218*
4.	चेन्नई	106*
5.	बंगलौर	141*
6.	हैदराबाद	164*
7.	अहमदाबाद	139*
8.	पुणे	283*
9.	सूरत	139*
10.	कानपुर	124*
11.	जयपुर	170*
12.	लखनऊ	164*
13.	नागपुर	176*
14.	पटना	107*
15.	इन्दौर	149*
16.	वडोदरा	169*
17.	भोपाल	180*
18.	कोयम्बटूर	108*
19.	लुधियाना	117*
20.	कोच्चि	124*
21.	विशाखापतनम	131*
22.	आगरा	134*
23.	वाराणसी	191*
24.	मदुरै	88*
25.	मेरठ	185*
26.	नासिक	140
27.	जबलपुर	95
28.	जमशेदपुर	90
29.	आसनसोल	120
30.	धनबाद	70
31.	फरीदाबाद	120
32.	इलाहाबाद	111
33.	अमृतसर	135
34.	विजयवाड़ा	137
35.	राजकोट	88

*एन आई यू ए रिपोर्ट 1999 (2005 में प्रकाशित) के अनुसार।

बड़ी विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

689. श्री के.एस. राव :
श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री किन्जरपु येरननायडू :

श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितनी बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक बड़ी विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण की प्रणाली क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के तीव्र क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं और बाधाओं की प्रकृति क्या है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक पृथक क्रियान्वयन प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जिन विद्युत परियोजनाओं को ''मेगा विद्युत परियोजनाओं'' के रूप में प्रमाणित किया गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मेगा विद्युत परियोजनाओं को सामान्यत: 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है। जहां इक्विटी घटक की पूर्ति विकासकर्ता द्वारा की जाती है वहीं ऋण घटक का वित्तपोषण वित्तीय संस्थानों से किया जाता है।

(ग) पर्यावणीय स्वीकृति और/अथवा ईंधन लिंकेज बड़ी बाधाएं हैं जो कि मेगा विद्युत परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन के मार्ग में आई है और इनको अंतर-मंत्रालयीय समन्वयन बैठकों के माध्यम से सुगम बना दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

विवरण

मेगा परियोजनाओं की सूची

परियोजना का नाम	क्षमता	राज्य
1	2	3
एनटीपीसी की परियोजनाओं का ब्यौरा		
कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	3 x 500 = 1500 मे.वा.	बिहार
तालचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट*	4 x 500 = 2000 मे.वा.	उड़ीसा
रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट*	2 x 500 = 1000 मे.वा.	उत्तर प्रदेश
विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	2 x 500 = 1000 मे.वा.	मध्य प्रदेश
सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज-I)	3 x 600 = 1980 मे.वा.	छत्तीसगढ़
सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज-II)	2 x 500 = 1000 मे.वा.	छत्तीसगढ़
बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	3 x 660 = 1980 मे.वा.	बिहार
कोलडेम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट	4 x 200 = 800 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश
लोहरिनागापाला एचईपी	4 x 150 = 600 मे.वा.	उत्तरांचल

1	2	3
झनौर गंधार सीसीपीपी-II	1300	जिला—भरुच, गुजरात
कवास सीसीपीपी-II	1300	जिला—सूरत, गुजरात
नार्थ करनपुरा एसटीपीपी	2000	
एनएचपीसी की परियोजना का ब्यौरा		
तीस्ता-V	3 x 170 = 510 मे.वा.	सिक्किम
पार्बती-II	4 x 200 = 800 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश
पार्बती-III	520 मे.वा.	हिमाचल प्रदेश
सुबानसिरी लोअर	8 x 250 = 2000 मे.वा.	अरुणाचल प्रदेश
नीपको की परियोजना का ब्यौरा		
कामेंग एचईपी	4 x 150 = 600 मे.वा.	अरुणाचल प्रदेश
डीवीसी की परियोजना का ब्यौरा (संयुक्त उपक्रम)		
मैथन टपीपी	1000 मे.वा.	झारखंड
राज्य क्षेत्र की परियोजना का ब्यौरा		
पुरुलिया पम्प स्टोरेज हाइडल प्रोजेक्ट	9000 मे.वा.	पश्चिम बंगाल
राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजना का ब्यौरा		
रायगढ़ टीपीपी	4 x 250 = 1000 मे.वा.	छत्तीसगढ़
अखाखोल जीबीपीपी	4 x 376 *= 1128 मे.वा.	गुजरात

*पूर्ण

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धि

690. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का प्रचार टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त उत्तरदायित्व नेशनल जियोग्राफिक इंटरनेशनल को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू चैनलों और फिल्म निर्माताओं को उक्त उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियों का प्रचार करने हेतु लघु फिल्मों का निर्माण करने के लिए प्रत्यायित विज्ञान फिल्म निर्माताओं का चयन किया गया है। इनका प्रसारण टेलीविजन के माध्यम से घरेलू चैनलों पर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक अभियान हेतु नेशनल जियोग्राफिकल चैनल का चयन किया गया है। इस अभियान के हिस्से के रूप में 15 लघु फिल्में और 45 मिनट की अवधि की एक लंबी फिल्म प्रसारित की जाएगी। इस चैनल का संचालन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा किया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा गैर-लाभकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करना है। इस मंच द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय के कई अन्य अभियानों का प्रसारण दूरदर्शन और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के नेटवर्क पर किया जाता है।

[अनुवाद]

नगरों के लिए योजनाएं

552. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री कैलाश बैठा :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुनिल कुमार महतो :
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत भारतीय नगरों को और अधिक रहने योग्य और जनोनुकूल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नगरवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत नगरों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त योजना हेतु नगरवार कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने दिनांक 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसका उद्देश्य चुने हुए नगरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, परिवहन, सड़कें तथा बरसाती पानी की निकासी जैसी अवस्थापना के विकास हेतु सुधारों से जुड़ी केन्द्रीय सहायता मुहैया कराना है ताकि भारतीय नगरों को बेहतर और अधिक सुविधायुक्त बनाया जा सके। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले 63 शहरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा जो नगर जेएनएनयूआरएम में शामिल नहीं हैं, उनमें बेहतर अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस मंत्रालय द्वारा छोटे एवं मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) भी शुरू की गई है। आशा है कि इन दोनों योजनाओं से भारतीय नगरों में रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा।

(ग) नगरों के चयन के लिए निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं:—

क.	2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक वाले नगर/शहरी क्षेत्र	07
ख.	2001 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से अधिक परंतु 4 लाख से कम आबादी वाले नगर/शहरी क्षेत्र	28
ग.	चुने गए नगर/शहरी क्षेत्र (राज्यों की राजधानियों तथा एक लाख से कम आबादी वाले नगर/शहरी क्षेत्र जो धार्मिक/ऐतिहासिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।	28

(घ) वर्ष 2005-06 से शुरू होने वाली सात वर्ष की मिशन अवधि के लिए 50,000 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता नियत की गई है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत धनराशि का नगर-वार नियतन नहीं किया जाता।

विवरण

चयनित शहरों की सूची

क्र. सं.	शहर	राज्य का नाम	आबादी (लाख में)
1	2	3	4
क.	**मैगा शहर**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42
ख.	**दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	13.45
15.	बड़ोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयमबटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40
ग.	**दस लाख से कम आबादी वाले चुने गए शहर**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12

1	2	3	4
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखण्ड	8.63
8.	तिरुवन्तपुरम	केरल	8.90
9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलांग	मेघालय	2.68
11.	आइजवाल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पुरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पॉंडिचेरी	पॉंडिचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
28.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4.31

सुनामी राहत

692. **श्री पी. मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सुनामी प्रभावित राज्यों को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कृषि विकास स्कंध से ऋण के रूप में राहत सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और एजेंसीवार निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) किन राज्य सरकारों ने प्राप्त सूनामी राहत का ब्यौरा केन्द्र सरकार को सौंप दिया है;

(घ) क्या तमिलनाडु ने अपना संबंधित ब्यौरा सौंपा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। सुनामी से प्रभावित राज्यों को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त हुई है। हालांकि, इस प्रयोजनार्थ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अनुबंधों और शर्तों सहित राज्यवार और एजेंसीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु ब्यौरे नियमित तौर पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। सहायता के उपयोग संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सुनामी राहत-विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना का नाम	राज्य	वचनबद्ध राशि (मि. अमरीकी डालर)	अनुबंधन और शर्तें	मार्च, 2006 तक उपयोग (मि. अमरीकी डालर)
1.	विश्व बैंक	आपातिक सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना	तमिलनाडु	423	– 10 वर्षों की छूट की अवधि सहित 35 वर्ष में वापस अदा किया जाने वाला आईडीए ऋण।	47.63
			पांडिचेरी	42	– कोई ब्याज नहीं केवल 0.75% का सेवा प्रभार लगाया जाता है।	4.00
					– 0.30% का वचनबद्धता प्रभार लगता है।	
2.	एशियाई विकास बैंक	सुनामी आपातिक सहायता (क्षेत्र) परियोजना	तमिलनाडु	67.55	– 8 वर्ष की छूट की अवधि सहित 32 वर्ष में वापसी अदायगी किया जाने वाला सामान्य पूंजी संसाधनगत ऋण।	0.45
			केरल	32.45	– ब्याजदर, लिबोर आधारित+60 आधार बिंदु सहित है।	
					– वचनबद्धता प्रभार 0.75% लगाया जाता है।	

[हिन्दी]

स्वजलधारा के अंतर्गत लम्बित प्रस्ताव

693. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वजलधारा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और राज्यवार किन-किन स्थानों के लिए ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उनमें से स्वीकृत हो चुके तथा स्वीकृति हेतु लम्बित राज्यवार प्रस्ताव कौन-कौन से हैं;

(घ) ऐसे प्रस्तावों के लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ङ) स्वजलधारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार स्वजलधारा परियाजनाओं के नियोजन, अनुमोदन, निष्पादन एवं कार्यान्वयन हेतु सशक्त हैं। केन्द्र ऐसी परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं करता है। एक वर्ष के लिए अंतर राज्यीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) में निर्धारित आबंटन अनुपात के आधार पर स्वजलधारा के अंतर्गत राज्यों को प्रतिवर्ष निधियां आबंटित की जाती हैं। इसके बाद, राज्य जिला-वार आबंटन करते हैं और जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूएससी)/राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) स्तर पर विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करते हैं तथा उन्हें स्वजलधारा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित करते हैं। डीडब्ल्यूएससी/एसडब्ल्यूएसएम द्वारा योजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अब तक, स्वजलधारा के अंतर्गत गुजरात राज्य को भारत सरकार द्वारा आबंटित और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(रु. लाख में)

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	रिलीज
2003-04	रु. 765.56	रु. 765.56
2004-05	रु. 826.42	रु. 826.42
2004-05 (अतिरिक्त)	रु. 1173.67	रु. 880.25
2005-06	रु. 1629.73	रु. 1222.30
2005-06 (अतिरिक्त)	रु. 543.21	रु. 407.41
2006-07	रु. 1838.00	रु. 1378.50

[अनुवाद]

घोषित वस्तु श्रेणी के अंतर्गत एविएशन टर्बाइन फ्यूल

694. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एविएशन टर्बाइन फ्यूल को 'घोषित वस्तु' में स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय से भी कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) देश के पूर्वोत्तर एवं अन्य सुदूर क्षेत्रों में ऐसे छोटे विमानों के प्रचालन की वित्तीय व्यवहार्यता सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 2001 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की अंतर्गत टर्बो आधारित विमानों को बेचे जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) को घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया था। इसे छोड़कर, वर्तमान में घोषित वस्तुओं की सूची में ए टी एफ को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि ए टी एफ की सारी श्रेणी को घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय से पहले भी प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच की गई थी और राज्यों के विरोध को देखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इससे राज्यों को राजस्व हानि होती।

[हिन्दी]

गैर-कानूनी बैंक ऋण

695. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न बैंकों विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी संथाल परगना ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों और अन्य ग्राहकों को नई ऋण राशि स्वीकृत की गई है बावजूद इसके कि इन लोगों के नाम पहले की ऋण राशि (गैर-निष्पादनकारी आस्तियां) बकाया पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संथाल परगना ग्रामीण बैंक के उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जिन्होंने उन लोगों के लिए गैर-कानूनी ऋण स्वीकृत किए हैं जिनके नाम पहले से ही गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बकाया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विवेकपूर्ण बैंकिंग पद्धतियों के अनुसार, सामान्यतया उन उधारकर्ताओं को नए ऋण मंजूर नहीं किए जाते हैं जिनके ऋण खातों को अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, बैंकों द्वारा नए ऋण ''किसानों को ऋण राहत'' के संबंध में नाबार्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के ''प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के बैंकों द्वारा राहत उपाय'' के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किए गए हैं।

(ग) अनुपयोज्य आस्तियों के बदले नए ऋण मंजूर करने के लिए संथाल परगना ग्रामीण बैंक के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूर किए गए थे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दुकानों का आबंटन

696. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय/एन.डी.एम.सी./डी.डी.ए. की काफी संख्यों में दुकानें/वाणिज्यिक फ्लैट लम्बे समय से अनाबंटित/खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन दुकानों/वाणिज्यिक फ्लैटों के तत्काल आबंटन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शहरी कचरे के माध्यम से विद्युत उत्पादन

697. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़े-गले फलों, सब्जियों और शहरी कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु कोई नई प्रौद्योगिकी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसके लिए वित्तीय सुविधा मुहैया करा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) विभिन्न शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के लिए म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से उत्पादित कचरा जनित ईंधन (आरडीएफ) के बायोमिथेनेशन और कम्बस्टन की प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। हैदराबाद और विजयवाड़ा में आरडीएफ पद्धति पर आधारित परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में सब्जीमंडी अपशिष्टों; लुधियाना, पंजाब में पशु गोबर; और मेडक, आंध्र प्रदेश में बूचड़खाना अपशिष्ट से बायोमिथेनेशन पर आधारित परियोजनाएं सफलतापूर्वक स्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ) अपारंपिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर एक त्वरित कार्यक्रम का कार्यान्वियन कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रति मेगावाट 1.50 करोड़ रु. से 3.00 करोड़ रु. के बीच पूंजीगत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है जो 8.00 करोड़ रु. प्रति परियोजना की ऊपरी सीमा के अध्यधीन है। सब्सिडी की राशि अपशिष्ट के प्रकार और प्रयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है और जो पात्रता तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन है। यह कार्यक्रम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है।

(ङ) सभी नगर-निगमों/शहरी स्थानीय निकायों और राज्य नोडल एजेंसियों से शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति के लिए परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनजागरूकता के सृजन और सूचना के प्रसार के लिए अनेक कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

698. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में शहरी क्षेत्रों के विस्तार के मद्देनजर दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में फार्म हाउसों हेतु एक नई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में हरित पट्टियों के एक बड़े भाग तथा उनमें बने फार्म हाउसों को वर्ष 2021 तक शहरीकरण के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि की सीमितता को देखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के प्रारूप में ऐसे कुछ क्षेत्रों में शहरी विस्तार करने का प्रस्ताव है जो मास्टर प्लान 2001 में ग्रामीण/कृषि प्रयोजनों के लिए नियत हैं किंतु उनमें विकास हो रहा है अथवा विकास की संभावनाएं हैं जैसे प्रमुख यातायात कारीडोर के साथ वाले क्षेत्र तथा पहले से शहरीकृत क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्र।

(ग) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप में प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ-साथ एक बाहरी ग्राम सीमा तक की भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी नए फार्म हाउस तथा मोटल की अनुमति नहीं दी जाएगी परंतु पहले से विद्यमान स्वीकृत फार्म हाउस तथा मोटल उस समय तक बने रहेंगे जब तक कि वह क्षेत्र शहरीकरण के लिए घोषित न कर दिया जाए।

(घ) दिनांक 8.4.2005 के समाचारपत्रों में प्रकाशित प्रारूप दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियां/सुझाव इस प्रयोजनार्थ गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं ताकि बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करें।

राज्यों द्वारा अर्जित राजस्व

699. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि के अनुसार राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित राजस्व का राजयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान राज्यों से प्रत्यक्ष करों के कारण वसूले गए राजस्व का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों से प्रत्यक्ष करों के कारण वसूल किए गए राजस्व के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, राज्य-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्यों को जारी किया गया हिस्सा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्रत्यक्ष करों के कारण राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से संग्रहित राजस्व

(रुपये करोड़ों में)

क्रमांक	राज्य	2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3846.36	4830.58

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.58	8.40
3.	असम	1205.64	1390.18
4.	बिहार	340.16	429.69
5.	झारखंड	602.28	1124.77
6.	गोवा	355.74	793.09
7.	गुजरात	3779.11	4969.89
8.	हरियाणा	1128.02	1651.32
9.	हिमाचल प्रदेश	196.21	251.70
10.	जम्मू एवं कश्मीर	345.50	208.60
11.	कर्नाटक	7334.73	10466.92
12.	केरल	1739.48	1739.73
13.	मध्य प्रदेश	1622.63	1844.73
14.	छत्तीसगढ़	898.69	1444.91
15.	महाराष्ट्र	40582.59	48900.40
16.	मणिपुर	8.45	5.18
17.	मेघालय	18.44	59.88
18.	मिजोरम	0.22	0.21
19.	नागालैंड	11.42	6.67
20.	दिल्ली	16171.95	20232.15
21.	उड़ीसा	1399.38	2199.63
22.	पंजाब	1483.25	1700.24
23.	राजस्थान	1398.39	1652.81
24.	सिक्किम	7.09	6.89
25.	तमिलनाडु	6333.54	8296.77
26.	त्रिपुरा	27.86	40.33
27.	उत्तर प्रदेश	2186.21	2839.71
28.	उत्तरांचल	5583.97	7725.40
29.	पश्चिम बंगाल	4729.32	5716.34
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6.96	6.40
2.	चंडीगढ़	401.04	518.91
3.	दमन	12.63	10.30
4.	दीव	0.15	0.05
5.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	42.46	64.07
7.	लक्षद्वीप	0.02	0.08
8.	सिलवासा	9.13	0.31

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों को संघीय करों और शुल्कों से राज्यों को जारी किए गए हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5068.52	6058.42	6950.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	160.50	191.95	272.15

1	2	3	4	5
3.	असम	2152.07	2584.33	3056.78
4.	बिहार	7627.47	9117.13	10420.59
5.	छत्तीसगढ़	1559.72	1876.28	2507.82
6.	गोवा	135.59	162.07	244.70
7.	गुजरात	1856.69	2219.30	3372.43
8.	हरियाणा	621.31	742.62	1015.77
9.	हिमाचल प्रदेश	449.54	537.32	493.26
10.	जम्मू एवं कश्मीर	817.05	961.00	1135.26
11.	झारखंड	1979.73	2366.40	3175.89
12.	कर्नाटक	3244.73	3878.44	4213.42
13.	केरल	2012.00	2404.95	2518.20
14.	मध्य प्रदेश	4247.14	5076.63	6341.35
15.	महाराष्ट्र	3048.64	3644.02	4721.81
16.	मणिपुर	240.89	287.96	342.09
17.	मेघालय	225.08	269.04	350.57
18.	मिजोरम	130.33	155.78	225.83
19.	नागालैंड	144.80	173.08	248.50
20.	उड़ीसा	3327.68	3977.56	4876.75
21.	पंजाब	754.91	902.35	1227.45
22.	राजस्थान	3602.14	4305.61	5300.08
23.	सिक्किम	121.08	144.73	214.50
24.	तमिलनाडु	3544.20	4236.39	5012.75
25.	त्रिपुरा	320.52	383.10	404.38
26.	उत्तर प्रदेश	12595.30	15055.02	18202.93
27.	उत्तरांचल	435.03	519.97	887.32
28.	पश्चिम बंगाल	5341.65	6384.89	6668.33
	योग	65784.41	78616.52	94401.77

ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कंपनी का कार्यनिष्पादन

700. **श्री तूफानी सरोज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वसूल किए गए प्रीमियम में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कंपनी की सकल वृद्धि दर और निवल वृद्धि दर में गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो सकल वृद्धि दर और निवल वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी को स्वास्थ्य और वाहन बीमा क्षेत्र में हानि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। कंपनी (भारतीय तथा विदेशी) का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वर्ष 2004-05 में 3090.55 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 3609.77 करोड़ रु. पर पहुंच गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2005-06 के लिए कंपनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और निवल प्रत्यक्ष प्रीमियम में क्रमशः 16.80% तथा 12.73% की वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) जी, हां। स्वास्थ्य बीमा और वाहन (मोटर) बीमा की जोखिम अंकन हानियों का विवरण नीचे दिया गया है:—

वर्ष	स्वास्थ्य बीमा	वाहन (मोटर) बीमा
2004-05	125.36 करोड़	571.32 करोड़
2004-05	196.08 करोड़	396.63 करोड़

लुटियन जोन में बंगलों के लिए नीति

701. श्री रशीद मसूद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली की लुटियन जोन में स्थित बंगलों हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति पर अमल कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) क्या लुटियन जोन में स्थित बंगलों में भारी संख्या में अवैध निर्माण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा लुटियन बंगला जोन और उसमें स्थित बंगलों के संबंध में दिशानिर्देश 8.2.1988 को जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त मुख्य बंगला, कार्याल स्थान, स्टाक क्वार्टस, गैराज और सुरक्षा जरूरतों के लिए अनुमत्य क्षेत्रफल के संबंध में टाइप-VII और टाइप-VIII बंगलों हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के लिए दिनांक 18 अप्रैल, 2006 को भी दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) ने 514 बंगलों (टाइप-VI और उससे ऊपर) का सर्वेक्षण किया है। 49 बंगलों के दखलकारों द्वारा किया गया निर्माण कार्य दिनांक 18.4.2006 के दिशानिर्देशों में निर्धारित कुर्सी क्षेत्रफल मानदण्डों से अधिक पाया गया है।

केलोनिवि ने ऐसे निर्माण कार्यों का पता लगाने की कार्रवाई भी शुरू की है जो संरचनात्मक सुरक्षा, सौन्दर्यपरकता की अपेक्षाओं को पूरी नहीं करते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी कोई बंगला या मकान खाली होता है तो केलोनिवि पुन: आबंटन से पूर्व अनधिकृत निर्माण हटाएगा।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा ताप विद्युत परियोजना का आधुनिकीकरण

702. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विजयवाड़ा ताप विद्युत इकाई 1 और 2 को आधुनिकीकरण किए जाने हेतु चिन्हित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत, इन इकाइयों की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इनके आधुनिकीकरण के पश्चात् इनकी क्षमता में अनुमानित वृद्धि कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) इन इकाइयों की अनुमानित लागत, वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इनके आधुनिकीकरण के पश्चात् इनकी दक्षता में प्रत्याशित वृद्धि का विवरण इस प्रकार है:—

इकाई सं. 1 और 2 की आर एण्ड एम की अनुमानित लागत	234.63 करोड़ रुपये
वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता	प्रत्येक इकाई की निर्धारित क्षमता 210 मे.वा. है, जिसे आर एण्ड एम के पहले 180 मे.वा. तक सीमित किया गया था।
इन इकाइयों के आधुनिकीकरण के पश्चात् विद्युत में अनुमानित वृद्धि	प्रत्येक इकाई की निर्धारित क्षमता को पुन: स्थापित कर 210 मे. वा. किया जाना।

(ग) जी, हां।

(घ) इकाई-1 पर आर एण्ड एम का मुख्य कार्य 2004-05

में पूर्ण हो गया, इकाई 1 पर आर एण्ड एम का शेष कार्य तथा इकाई 2 पर मुख्य कार्य 10वीं योजना के अंत, अर्थात् 31.3.2007 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

सोनिया विहार जल परियोजना

703. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनिया विहार जल परियोजना अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में कुल कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) उपरोक्त संयंत्र की मूल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र की सफाई तथा उपकरणों की जांच का कार्य शुरू किया जा चुका है।

(घ) इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता 140 मिलियन गैलन प्रति दिन है।

कमजोर वर्गों के लिए आवास

704. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु महानगरों में 20-25 प्रतिशत भूमि आरक्षित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं ताकि इस आरक्षित भूमि पर उनके लिए आवासों का निर्माण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विधान लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लाए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दिनांक 3.12.2005 को आरम्भ किये गये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत ''शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सुविधाएं'' नामक उप मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले वैकल्पिक सुधारों के तहत यह व्यवस्था है कि सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों अभिकरणों) में विकसित भूमि की कम से कम 20-25% भूमि को क्रॉस सब्सिडाइजेशन प्रणाली के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वाले वर्गों के लिए रखा जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मजदूरों को ऋण उपलब्ध कराना

705. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मजदूरों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005 के दौरान कृषि मजदूरों को बैंक ऋण के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उक्त ऋण से कितने कृषि मजदूरों को लाभ हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। कृषि मजदूरों को बैंकों द्वारा दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, भेड़/बकरी पालन जैसे संबद्ध क्रियाकलापों को कृषीतर क्षेत्र कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है। अनुमान लगाया गया है कि 3.3 करोड़ गरीब परिवार (अधिकांशतः कृषि मजदूर/भूमिहीन परिवार) ने स्व-सहायता समूह (एसएचजी) बैंक से जुड़े कार्यक्रम के

माध्यम से ऋण सुविधा सहित औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का प्रत्यक्ष लाभ उठाया है। 31 मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने संचयी रूप से लगभग 22.38 लाख स्व-सहायता समूहों को लगभग 11,397 करोड़ रुपए की राशि का ऋण दिया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 620069 नए एसएचजी एवं 344502 विद्यमान एसएचजी ने बैंकिंग प्रणाली से करीब 4499 करोड़ रुपए का बैंक ऋण लिया है।

इसके अतिरिक्त, कृषि मजदूरों के स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड दिया गया है ताकि वे ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलापों को करने में समर्थ हो सकें। इसके अलावा, बैंकों ने वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि कार्यों के लिए भूमि खरीद हेतु बंटाईदारों एवं काश्तकारों को 190.84 करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया है।

कमजोर वर्गों (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे में) के लिए उधार कृषि मजदूर सहित छोटे एवं सीमांत किसानों को संस्वीकृत ऋण के आंकड़े को प्रदर्शित करता है। कृषि मजदूरों को दिए गए ऋण के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

706. **श्री विजय कृष्ण :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने हेतु कोई ऊर्जा नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना क्या है; और

(घ) इन राज्यों के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस समय-सीमा में किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 5 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की स्टैंड एलोन प्रणाली, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत की वृहत् खरीद तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विवरण का प्रबंध करने आदि के संबंध में राष्ट्रीय नीतियां तैयार की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप ग्रामीण विद्युतीकरण नीति के उद्देश्य निम्न हैं:-

- वर्ष 2009 तक घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने का प्रावधान।
- युक्तिसंगत दरों पर गुणवत्तापरक और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति।
- वर्ष 2012 तक मैरिट गुड (मैरिट गुड) आधार पर प्रत्येक घर का एक यूनिट प्रतिदिन की न्यूनतम जीवनरेखा खपत।

(ग) और (घ) ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने तथा सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2005 में भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आरंभ की है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष, 2009 तक सभी गांवों/आवासों में बिजली पहुंचाना है सिवाय सुदूरवर्ती उन स्थापनाओं में जहां ग्रिड कनैक्टिविटी व्यवहार्य नहीं है या फिर किफायती नहीं है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत अवसंरचना निर्माण के लिए 90% अनुदान दिया जाता है। पुराने सभी स्कीमों को आरजीजीवाई के साथ मिला दिया गया है। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:—

(i) पहली बार ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन घटक को शामिल किया गया है।

(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण को परियोजना प्रकार आधार पर शुरू किया गया है। कारगर क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं का काम टर्न-की आधार पर शुरू किया गया है।

(iii) ग्रामीण विद्युत वितरण की राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत वितरण प्रबंधन हेतु फ्रेंचाइजी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।

(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए राज्यों को जिला समिति गठित करने की सलाह दी गई है।

(v) उन राज्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यूटिलिटियों यथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा दामोदर वैली कॉरपोरेशन की सेवा उपलब्ध कराई गई है, जो स्कीम के क्रियान्वयन में उनकी सेवाएं लेने को इच्छुक हैं।

(vi) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी है। इसने परियोजना निरूपण संबंधी दिशा-निर्देशों, टर्न-की आधार पर क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सामान एवं सेवा प्राप्त करने की बोली प्रक्रिया तथा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत फ्रेंचाइजी व्यवस्था को शामिल करते हुए एक कार्य संरचना तैयार की है। उपस्करों/सामग्री के लिए अपने मौजूदा तकनीकी विनिर्देशों तथा परियोजना क्रियान्वयन में अपनाए जाने हेतु निर्माण मानको को आरईसी ने अद्यतन बनाया है।

(vii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन की सामयिक समीक्षा के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में आरजीजीवीवाई हेतु एक मॉनीटरिंग समिति भी गठित की गई है।

[हिन्दी]

न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी में भ्रष्टाचार

707. श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री सूरज सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में कार्यरत न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शाखाओं में, विशेषकर समस्तीपुर जिला शाखा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भ्रष्टाचार की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कंपनी की शाखाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की कोई सूचना नहीं है। वर्ष 1991 में श्री रामसकल राय, सुपुत्र श्री शिव नन्दन राय, गांव दाधपुर, चकनूर, समस्तीपुर से कंपनी में अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में एक पररूपधारी व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाते हुए न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें सम्मिलित अधिकारियों को बड़ा दंड देने के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है।

(ग) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में कंपनी में सुव्यवस्थित पद्धति है तथा कंपनी ने पद्धति के अनुसार उचित कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त कंपनी में सुव्यवस्थित सतर्कता व्यवस्था है जिसका नेतृत्व महाप्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो कंपनी द्वारा मुख्य सतर्कता आयोग (सी वी सी) के दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, बीमा कंपनी के सतर्कता अधिकारी उपचारात्मक/निवारक कार्रवाई के लिए मंडल कार्यालयों/शाखा कार्यालयों का अचानक निरीक्षण करते हैं।

[अनुवाद]

अधिस्थगन के अंतर्गत बैंक

708. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में कुछ बैंकों को अधिस्थगन के अंतर्गत रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धन के दुरुपयोग को रोकते हुए बचतकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(2) के तहत 7 जुलाई, 2006 से 6 अक्तूबर, 2006 तक की तीन महीने की अवधि के लिए दि गणेश बैंक आफ कुरूंदवाड लि. (जीबीकेएल) के संबंध में 6 जुलाई, 2006 को एक अधिस्थगन आदेश जारी किया है।

(ग) निधियों के दुरुपयोग से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी कदम उठाए हैं जैसे निदेशकों एवं उनके परिजनों को ऋण एवं अग्रिम देने पर प्रतिबंध, शेयरों की जमानत के बदले शेयर दलालों को ऋण देने पर प्रतिबंध, नकदी की कमी के संदर्भ में पूर्वक्रय से प्राप्त अधिमान भुगतान के लिए जमाराशियों के भुगतान पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्देश लागू करना आदि। इसके अतिरिक्त, अधिस्थगन आदेश से अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऋण एवं अग्रिम देने, कोई दायित्व लेने, किसी प्रकार का निवेश करने अथवा इसके लिए सहमत होने, किसी प्रकार की राशि के संवितरण, किसी

समझौते अथवा व्यवस्था में शामिल होने के लिए बैंक पर प्रबंधित लग सकता है।

कावेरी जल विद्युत परियोजना को पुनः चालू करना

709. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विद्युत परियोजना (सी.एच.पी.पी.) को पुनः चालू करने की लंबे समय से मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसको पुनः चालू करने संबंधी कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसको पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) जनवरी, 2001 के दौरान तमिलनाडु एवं कर्नाटक की सरकार के अनुरोध पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) को कावेरी बेसिन में 4 जल विद्युत परियोजनाओं, यथा-तमिलनाडु में होगेनेक्कल जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) एवं रसीमनाल-जल विद्युत परियोजना (360 मेगावाट) तथा कर्नाटक में शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना (270 मेगावाट) मेकादतू जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।

एनएचपीसी द्वारा उपर्युक्त परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दोनों राज्य सरकारों तथा एनएचपीसी के बीच हस्ताक्षरित होने वाले त्रिपक्षीय करार के मसौदे से संबंधित तमिलनाडु सरकार एवं कर्नाटक सरकार के बीच के मतभेदों को सुलझा लिए जाने के पश्चात् तथा त्रिपक्षीय करार पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

राज्यों में अनधिकृत निर्माण

710. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में अनधिकृत निर्माणों के मुद्दे की जांच करने हेतु राज्यों को विशेषज्ञों की समिति गठित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में अनधिकृत निर्माणों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ख) जी, नहीं। तथापि दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण तथा परिसरों के दुरुपयोग के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने एक विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भवनों का निर्माण संबंधित शहरों/कस्बों के भवन उपनियमों के द्वारा विनियमित होता है तथा यह शहरी स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों, जैसा कि मामला हो, का उत्तरदायित्व है कि वे निर्माण गतिविधियों की मॉनीटरिंग करें।

सेवा कर

711. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री थावर चन्द गेहलोत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना डाक सेवाओं पर सेवा कर लगाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डाक सेवाओं पर सेवा कर लगाए जाने के बाद संभावित गुणावगुण क्या होंगे;

(घ) क्या उक्त कदम के संभावित दोषों से बचने के लिए किन्हीं सुरक्षोपायों पर विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और आदेश को वापस लेने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विश्वस्तरीय डाक सेवा कार्य जिसे डाक सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है कि जरूरतों को पूरा करने के लिए डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी डाक सेवाएं सेवा कर योग्य नहीं हैं। ऐसी सेवाएं विशिष्ट रूप से भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम, 1898 के अनुसार डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। बैंकिंग प्रकृति की सेवाएं तथा अन्य वित्तीय सेवाएं जिन्हें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(12) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जैसे, डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मनीआर्डर सेवाएं भी सेवा कर योग्य नहीं हैं। उपर्युक्त सेवाओं पर सेवा कर लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

चालू खाता घाटा

712. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान अर्थव्यवस्था ने चालू खाता घाटा अथवा अधिशेष का सामना किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रकार की घटना के क्या कारण हैं; और

(घ) अर्थव्यवस्था की वृद्धि और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) वर्ष 2005-06 के दौरान, अर्थव्यवस्था में चालू लेखा घाटा देखा गया।

(ख) वर्ष 2005-06 के संबंध में चालू लेखा घाटा 10,612 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर है।

(ग) चालू लेखा घाटे में वृद्धि मुख्यतया भुगतान-संतुलन आधार पर व्यापार-संतुलन के बिगड़ने के कारण हुई। भुगतान-संतुलन के आधार पर, निर्यातों में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयातों में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐसा विशेषकर तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि का तेल आयातों पर पड़े प्रभाव के कारण हुआ। निवल अदृश्य प्राप्तियों में हुई वृद्धि इस बिगड़ते व्यापार-संतुलन को पूरी तरह प्रतिसंतुलित नहीं कर पाई।

(घ) अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं: अधिक सरकारी निवेश पर जोर, कृषि का विविधीकरण, अवसंरचना के विकास के लिए सरकारी-निजी सहभागिता का संवर्धन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण, समर्थकारी नीतिगत माहौल के जरिए उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास के सुसाध्य बनाना तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 द्वारा अधिदेशित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हासिल करना। सरकार की मुद्रास्फीति-रोधी नीतियों में ये शामिल हैं: कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन, आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद और आयात-शुल्कों का यौक्तिकीकरण ताकि निर्धनों पर कोई अनुचित बोझ न पड़े, उदार टैरिफ और व्यापार नीतियों के जरिए संवेदी मदों की मांग-आपूर्ति का कारगर प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।

कर कटौती हेतु मानक

713. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों से पूरा कर वसूलने के लिए कदम उठाए हैं जो अपने वेतन के बड़े भाग को विभिन्न भत्तों के रूप में दिखाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) कर्मचारियों को उनकी कर देयता से बचाने/उसे कम कराने के लिए प्रतिपूर्तियों अथवा अन्य विविध व्ययों के रूप में दर्शाई गई अनुपलब्धियां प्रदान करने की व्यापक प्रथा को रोकने के दृष्टिकोण से वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा नियोक्ता पर एक सरोगेट टैक्स के रूप में अनुषंगी लाभ कर लगाया गया है। इसे नियोक्ता के द्वारा

अपने कर्मचारियों को पूर्व वर्ष में प्रदान किए गए अथवा प्रदत्त समझे गए अनुषंगी लाभों के संबंध में इस तरह के अंनुषंगी लाभों के मूल्य पर 30% की दर से अधिरोपित किया जाएगा।

(ग) उपर्युकत (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शेयर उधार देना

714. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के पास शेयरों का स्वामित्व रखे बिना ही उन्हें उधार देने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि 8 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव का शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इससे क्या लाभ तथा खामियां उत्पन्न होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास नकदी बाजार में संस्थागत निवेशकों द्वारा अल्पकालीन विक्रय हेतु एक विनियामक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है ताकि खुदरा और संस्थागत निवेशकों को समान अवसर मिल सके और पूर्ण-विकसित प्रतिभूति परिदाय और ऋणदात्री योजना (एसएलबी) है ताकि निवेशकों की सभी श्रेणियां पर्याप्त सुरक्षोपायों और प्रकटनों के साथ प्रतिभूतियां उधार देने और लेने में समर्थ हो सकें।

(ग) और (घ) अल्पकालीन विक्रय से बाजार में नकदी में वृद्धि होने और एक उदीयमान बाजार में प्रतिभूतियों के लिए उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इससे नकदी और व्युत्पाद बाजार के बीच क्रय-विक्रय को कम करना संभव होगा। एक पूर्ण विकसित और सक्रिय प्रतिभूति, परिदाय और ऋणदात्री योजना प्रतिभूतियों को उधार लेने और देने के लिए एक गतिशील बाजार सुनिश्चित करने और निवेशकों के उन सभी वर्गों को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, जिन्होंने प्रतिभूतियां उधार लेने और अपनी निपटान बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालीन विक्रय किया है।

विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी

715. **श्री के.एस. राव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन से जुड़े हुए निजी भागीदारों को विद्युत बिक्री हेतु विद्युत के दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण की वचनबद्धता देनी होती है जबकि विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक वस्तुओं, गैस और तरल ईंधन के मूल्य का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है;

(ख) देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या स्वतंत्र निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा नई प्रशुल्क नीति को भेद-भाव पूर्ण पाया गया है जोकि उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हतोत्साहित करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 19 जनवरी, 2005 को वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत प्राप्ति के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु प्रतिस्पर्धी बोली संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि ठेका मान्यता अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि के लिए उचित प्रावधान के साथ बोली में विनिर्दिष्ट मूल ऊर्जा प्रभार से संबंधित होगी। यदि बोलीदाता ठेका अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सुनिश्चित ऊर्जा प्रभार दर देता है, तो इसकी अनुमति टैरिफ में शामिल करने हेतु भी दी जाएगी।

(ख) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- विद्युत अधिनियम, 2003 ने विद्युत उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया है। ग्रुप कैप्टिव समेत कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
- अधिनियम आरंभ से ही पारेषण में खुली प्रवेश की अनुमति देता है। यह राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण क्षेत्र में खुली प्रवेश चरण में शुरू करने की व्यवस्था करता है। इससे विद्युत के लिए अखिल भारतीय विद्युत उपलब्ध हो गया है।
- टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम के अंतर्गत लगभग 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं

के विकास को सुगम बनाने के लिए पहल किए गए हैं। निवेशक का विश्वास बढ़ाने, जोखिम कम करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु पहल के अंतर्गत परियोजना विशिष्ट विशेष उद्देश्य तंत्र (एसपीवी) निर्माण का विचार है जो आवश्यक सूचना एवं स्वीकृति, जैसे कैप्टिव माइनिंग ब्लॉक एवं जल के जरिए स्थल तथा ईंधन की व्यवस्था करेगा।

- टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए पारेषण परियोजनाओं के विकास हेतु दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिए गए हैं।

- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में बिना लाइसेंस के विद्युत उत्पादन करने की अनुमति देती है।

(ग) और (घ) एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए निजी भागीदारी को आमंत्रित करना सरकार की दीर्घकालिक नीति रही है। यह कदम पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया था।

टैरिफ नीति में प्रावधान है कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की भावी प्राप्ति प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर होनी चाहिए सिवाय विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार के मामले में या जहां अभिज्ञात विकासकर्त्ताओं के रूप में राज्य नियंत्रण/स्वामित्व वाली कंपनी विद्यमान है। नीति में आगे प्रावधान है कि सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में भी सभी नई विद्युत उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं की टैरिफ का निर्धारण जांच की अवधि के पश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।

ऋण का वितरण

716. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मझौले उद्योगों में ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करने तथा लघु उद्योगों को ऋण के वितरण में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के बीच समन्वयन को सुकर बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसकी किस हद तक लघु उद्योग क्षेत्र के लिए लाभदायक होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे एवं मझौले उद्यम (एमएमई) क्षेत्र (अत्यंत लघु एवं सेवा क्षेत्र सहित) में परस्पर सहमति वाले परिचालनात्मक तौर-तरीके से सह वित्तपोषण के लिए बैंकों की अपनी शाखाओं एवं सिडबी की शाखाओं, जो लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए समूह में स्थित हैं, के बीच बेहतर समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करने को प्रेरित करने के लिए वर्ष 2005-06 में एक योजना तैयार की है। अद्यतन सूचना के अनुसार, 16 बैंकों ने सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, 30 जून, 2006 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत सहयोगी बैंकों द्वारा 123.16 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता वाले 34 व्यावसायिक प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

(घ) इन उपायों से लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण प्रवाह में व्यापक सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

विद्युत पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

717. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में विद्युत पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने की एक योजना आरंभ करने के लिए 722 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को हाल में स्वीकृति प्रदान की गयी हे और जम्मू और कश्मीर में 89 मेगावाट की दो परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर झारखंड में पारेषण प्रणाली, विद्युत उत्पादन क्षमता तथा विद्युत आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विद्युत उत्पादन क्षमता सहित विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 9.6.2006 को ''उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-V'' को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा 721.25 करोड़ रुपये की लागत से स्कीम को कार्यान्वित किया जाएगा।

सरकार ने जम्मू व कश्मीर में केन्द्रीय क्षेत्र में चूटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (44 मे.वा.) तथा निम्मों बाजगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (45 मे.वा.) की स्थापना को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमश 621.26 करोड़ रुपये तथा 611.01 करोड़ रुपये होगी। स्कीमों को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) और (घ) पारेषण प्रणाली क्षमता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। पीजीसीआईएल लगभग 800 सर्किट कि.मी. पारेषण लाइनों और झारखंड राज्य में जमशेदपुर में 630 एमवीए ट्रांसफारमेशन क्षमता वाले एक सब स्टेशन का प्रचालन कर रहा है।

विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्य-वार (झारखंड समेत) ब्यौरे विवरण-II में दिये गए हैं। अप्रैल 2006 तथा जून 2006 में राज्यवार (झारखंड समेत) विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे और पूरी की गई व्यस्ततम कालीन मांग के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

मार्च, 2006 के अनुसार पारेषण प्रणाली क्षमता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

वितरण प्रणाली प्रकार/वोल्टेज वर्ग	इकाई	11वीं योजना के अंत मार्च, 2002 के अनुसार	2002-06 के दौरान शामिल (चार वर्ष)	2005-06 के अंत में प्राप्त मार्च, 2006 तक
1	2	3	4	5
वितरण लाइनें				
(क) 765 के.वी.	स.कि.मी.	971	186	1157
(ख) एच.वी.डी.सी.+500 कि. वोल्ट	स.क्रि.मी.	3138	2738	5876
(ग) 400 कि. वोल्ट	स.कि.मी.	49378	13773	63151
(घ) 230/220 कि. वोल्ट	स.कि.मी.	96994	10593	107587
(ङ) एचवीडीसी 200 कि. वोल्ट	स.कि.मी.	162	0	162
(क),(ख),(ग),(घ) एवं (ङ) का कुल योग	स.कि.मी.	150643	27290	177933
उप केन्द्र				
(क) 765 कि. वोल्ट	एम.वी.ए.	0	0	0
(ख) 400 कि. वोल्ट	एम.वी.ए.	60380	20540	80920
(ग) 230/220 कि. वोल्ट	एम.वी.ए.	116363	28758	145121
(क), (ख) एवं (ग) का कुल योग		176743	49298	226041

1	2	3	4	5
एच वी डी सी				
(क) बाई-पोल लिंक कैपिसिटी	मेगावाट	3000	2000	5000
(ख) बैक-टू-बैक कैपिसिटी	मेगावाट	2000	1000	3000
(ग) मोनो-पोल लिंक कैपिसिटी	मेगावाट	200	0	200
(क), (ख) एवं (ग) का कुल योग	मेगावाट	5200	3000	8200

विवरण-II

30.6.06 के अनुसार मुख्य भूमि एवं द्वीप के क्षेत्र में अवस्थित विद्युत स्टेशनों की अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता (मे.वा.)

राज्य	ओनरशीप क्षेत्र	हाइड्रो	विधिवत विवरण				न्यूक्लीयर	आर ई एस बीजी	सकल योग
			थर्मल			कुल थर्मल			
			कोल	गैस	डीजल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी क्षेत्र	राज्य	6563.68	10752.50	901.20	14.99	11668.69	0.00	0.00	18685.05
	निजी	590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	832.11
	केन्द्रीय	4108.00	6840.00	2311.99	0.00	9151.99	1180.00	0.00	14439.99
	उप-जोड़	11261.88	17592.50	3213.99	14.99	20820.68	1180.00	7.45	33957.15
पश्चिमी क्षेत्र	राज्य	5420.83	14291.50	1390.72	17.28	15699.50	0.00	0.00	21315.38
	निजी	460.50	2290.00	3138.00	0.20	5428.20	0.00	23.66	6792.48
	केन्द्रीय	1000.00	4360.00	1292.00	0.00	5652.00	1840.00	0.00	8492.00
	उप-जोड़	6881.33	20941.50	5820.72	17.48	26779.70	1840.00	23.66	36599.86
दक्षिणी क्षेत्र	राज्य	10912.26	7362.50	735.80	362.52	8460.82	0.00	0.00	21137.82
	निजी	55.45	510.00	2500.50	576.80	3587.30	0.00	37.00	6111.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	केन्द्रीय	0.00	8090.00	350.00	0.00	8440.00	880.00	0.00	9320.00
	उप-जोड़	10967.71	15962.50	3586.30	939.32	20488.12	880.00	37.00	36569.32
पूर्वी क्षेत्र	राज्य	2292.53	5538.50	100.00	17.06	5655.56	0.00	0.00	8052.64
	निजी	0.00	1441.38	0.00	0.14	1441.52	0.00	7.12	1448.64
	केन्द्रीय	204.00	6682.50	90.00	0.00	6772.50	0.00	0.00	6976.50
	उप-जोड़	2496.53	13662.38	190.00	17.20	13869.58	0.00	7.12	16477.78
पूर्वोत्तर क्षेत्र	राज्य	253.07	330.00	372.00	142.74	844.74	0.00	0.00	1143.07
	निजी	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	1.60	26.10
	केन्द्रीय	860.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	1235.00
	उप-जोड़	1113.07	330.00	771.50	142.74	1244.24	0.00	1.60	2404.17
द्वीप	राज्य	5.25	0.00	0.00	50.02	50.02	0.00	0.00	60.52
	निजी	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.17	20.17
	केन्द्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़	5.25	0.00	0.00	70.02	70.02	0.00	0.17	80.69
	राज्य	25447.62	38275.00	3499.72	604.61	42379.33	0.00	0.00	70394.48
	निजी	1106.15	4241.38	5663.00	597.14	10501.52	0.00	77.00	15231.00
	केन्द्रीय	6172.00	25972.50	4418.99	0.00	30391.49	3900.00	0.00	40663.49
अखिल भारत	कुल	32725.77	68488.88	13581.71	1201.75	83272.34	3900.00	77.00	126088.97

संक्षिप्त रूप: एस.एच.पी. — लघु, जल परियोजना, बीसी — बायोमास गैसीफायर, बीपी—बायोमास विद्युत, यू एवं आई—शहरी एवं औद्योगिक कचरे से बनने वाली विद्युत, आर ई एस—नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत।

नोट: (i) लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से कम की लघु जल विद्युत परियोजना) सहित नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों की क्षमता 7239.81 मेगावाट है जिसमें लघु जल विद्युत परियोजनाओं की एम.एन.ई.एस. सूची से एकत्रित किया गया है। 1048.95 मेगावाट की सामान्य क्षमता पर जल विद्युत क्षमता के तहत विचार किया गया है अतः एस.एच.पी. की क्षमता 777.48 मेगावाट दर्शायी गई है।

(i) दशमलव के दूसरे स्थान पर संख्या का मिलान होना आवश्यक नहीं है क्योंकि कंप्यूटर द्वारा उसे पूर्ण कर दिया गया है।

30.6.06 के अनुसार संयुक्त एवं केन्द्रीय क्षेत्र यूटीलिटीयों में आवंटित शेयरों को मिलाकर उत्तरी क्षेत्र में स्थित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटीलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

राज्य	ओनरशीप क्षेत्र	हाइड्रो	विधिवत विवरण थर्मल कोल	गैस	डीजल	कुल थर्मल	न्यूक्लीयर	आर ई एस बीजी	सकल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	राज्य	0.00	320.00	612.40	0.00	932.40	0.00	0.00	932.40
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
	केन्द्रीय	432.03	1896.98	204.30	0.00	2101.28	47.08	0.00	2580.39
	उप-जोड़	432.03	2216.98	816.70	0.00	3033.68	47.08	0.07	3512.86
हरियाणा	राज्य	946.64	1602.50	0.00	3.92	1606.42	0.00	0.00	3553.36
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	7.06
	केन्द्रीय	382.80	364.02	532.04	0.00	896.06	76.16	0.00	1355.02
	उप-जोड़	1329.44	1966.52	532.04	3.92	2502.48	76.16	1.06	3915.44
हिमाचल प्रदेश	राज्य	323.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	372.21
	निजी	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	386.01
	केन्द्रीय	733.24	89.32	60.89	0.00	150.21	14.08	0.00	897.53
	उप-जोड़	1442.24	89.32	60.89	0.13	150.34	14.08	0.01	1655.75
जम्मू-कश्मीर	राज्य	309.15	0.00	175.00	8.94	183.94	0.00	0.00	503.68
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52
	केन्द्रीय	571.76	183.68	127.09	0.00	310.77	68.00	0.00	950.53
	उप-जोड़	880.91	183.68	302.09	8.94	494.71	68.00	0.52	1454.73
पंजाब	राज्य	2470.52	2130.00	0.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	4715.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	33.90
	केन्द्रीय	589.72	516.18	259.72	0.00	775.90	151.04	0.00	1516.66
	उप-जोड़	3064.44	2646.18	259.72	0.00	2905.90	151.04	0.70	6266.33
राजस्थान	राज्य	1008.84	2420.00	113.80	0.00	2533.80	0.00	0.00	3775.93
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	90.18
	केन्द्रीय	351.56	548.38	217.74	0.00	766.12	469.00	0.00	1586.68
	उप-जोड़	1360.40	2968.38	331.54	0.00	3299.92	469.00	0.22	7715.78
उत्तर प्रदेश	राज्य	518.60	4280.00	0.00	0.00	4280.00	0.00	0.00	4810.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	114.37
	केन्द्रीय	619.04	2308.84	541.16	0.00	2850.00	203.72	0.00	3672.76
	उप-जोड़	1137.64	6588.84	541.16	0.00	7130.00	203.72	4.87	8597.13
उत्तरांचल	राज्य	986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.70
	निजी	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	केन्द्रीय	144.48	225.24	68.25	0.00	293.49	16.28	0.00	454.25
	उप-जोड़	1331.41	225.24	68.25	0.00	293.49	16.28	0.00	1673.95
चंडीगढ़	राज्य	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	39.19	25.04	15.07	0.00	40.11	4.84	0.00	84.14
	उप-जोड़	39.19	25.04	15.07	2.00	42.11	4.84	0.00	86.14
केन्द्रीय	अनावंटित	244.18	682.32	285.73	0.00	968.05	129.80	0.00	1342.03
कुल उत्तरी क्षेत्र	राज्य	6563.68	10752.50	901.20	14.99	11668.69	0.00	0.00	18685.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी	590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	832.11
	केन्द्रीय	4108.00	6840.00	2311.99	0.00	9151.99	1180.00	0.00	14439.99
	सकल जोड़	11261.88	17592.50	3213.19	14.99	20820.68	1180.00	7.45	33957.15

30.6.06 के अनुसार संयुक्त एवं केन्द्रीय क्षेत्र यूटीलिटीयों में आवंटित शेयरों को मिलाकर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटीलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

राज्य	ओनरशीप क्षेत्र	हाइड्रो	विधिवत विवरण				न्यूक्लीयर	आर ई एस बीजी	सकल योग
			थर्मल			कुल			
			कोल	गैस	डीजल	थर्मल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गोवा	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	निजी	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.02	48.02
	केन्द्रीय	0.00	257.03	0.00	0.00	257.03	0.00	0.00	257.03
	उप-जोड़	0.00	257.03	48.00	0.00	305.03	0.00	0.02	305.10
दमन और दीव	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	0.00	8.04	4.13	0.00	12.17	1.98	0.00	14.15
	उप-जोड़	0.00	8.04	4.13	0.00	12.17	1.98	0.00	14.15
गुजरात	राज्य	777.00	4429.00	478.72	17.28	4925.00	0.00	0.00	5801.73
	निजी	0.00	640.00	1430.00	0.20	2070.20	0.00	14.58	2277.35
	केन्द्रीय	0.00	828.89	417.40	0.00	1246.29	825.00	0.00	2071.29
	उप-जोड़	777.00	5897.89	2326.12	17.48	8241.49	825.00	14.58	10150.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	राज्य	1687.17	2157.50	0.00	0.00	2157.50	0.00	0.00	3859.18
	निजी	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	50.18
	केन्द्रीय	1000.00	1057.60	252.91	0.00	1310.51	92.88	0.00	2403.39
	उप-जोड़	2700.67	3215.10	252.91	0.00	3468.01	92.88	4.73	6312.75
चंडीगढ़	राज्य	125.00	1280.00	0.00	0.00	1280.00	0.00	0.00	1411.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	28.01
	केन्द्रीय	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
	उप-जोड़	125.00	1490.00	0.00	0.00	1490.00	0.00	0.51	1649.01
महाराष्ट्र	राज्य	2831.66	6425.00	912.00	0.00	3737.00	0.00	0.00	10243.42
	निजी	447.00	1650.00	1660.00	0.00	3310.00	0.00	3.82	4388.92
	केन्द्रीय	0.00	1339.05	397.28	0.00	1736.33	852.06	0.00	2588.39
	उप-जोड़	3278.66	9414.05	2969.28	0.00	12383.33	852.06	3.82	17220.73
दादरा और नगर हवेली	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	0.00	9.04	26.61	0.00	35.65	1.98	0.00	37.63
	उप-जोड़	0.00	9.04	26.61	0.00	35.65	1.98	0.00	37.63
केन्द्रीय	अनाबंटित	0.00	650.35	193.67	0.00	844.02	66.10	0.00	910.12
कुल पश्चिमी क्षेत्र	राज्य	5420.83	14291.50	1390.72	17.28	15699.50	0.00	0.00	21315.38
	निजी	460.50	2290.00	3138.00	0.20	5428.20	0.00	23.66	6792.48
	केन्द्रीय	1000.00	4360.00	1292.00	0.00	5652.00	1840.00	0.00	8492.00
	सकल जोड़	6881.33	20941.50	5820.72	17.48	26779.70	1840.00	23.66	36599.86

30.6.06 के अनुसार संयुक्त एवं केन्द्रीय क्षेत्र यूटीलिटीयों में आवंटित शेयरों को मिलाकर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटीलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

राज्य	ओनरशीप क्षेत्र	हाइड्रो	विधिवत विवरण				न्यूक्लीयर	आर ई एस बीजी	सकल योग
			थर्मल			कुल			
			कोल	गैस	डीजल	थर्मल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	राज्य	3582.61	2922.50	272.30	0.00	3194.80	0.00	0.00	6908.87
	निजी	3.75	0.00	1603.40	36.80	1640.20	0.00	15.38	2057.78
	केन्द्रीय	0.00	2428.38	0.00	0.00	2428.38	37.41	0.00	2465.79
	उप-जोड़	3586.36	5350.88	1875.70	36.80	7263.38	37.41	15.38	11432.44
कर्नाटक	राज्य	3376.20	1470.00	0.00	127.92	1597.92	0.00	0.00	5489.43
	निजी	51.70	260.00	220.00	106.50	586.50	0.00	4.61	1039.81
	केन्द्रीय	0.00	1118.67	0.00	0.00	1118.67	136.78	0.00	1255.45
	उप-जोड़	3427.90	2848.67	220.00	234.42	3303.09	136.78	4.61	7784.69
केरल	राज्य	1807.60	0.00	0.00	234.60	234.60	0.00	0.00	2090.32
	निजी	0.00	0.00	174.00	21.84	195.84	0.00	0.73	196.57
	केन्द्रीय	0.00	798.38	350.00	0.00	1148.38	61.17	0.00	1209.55
	उप-जोड़	1807.60	798.38	524.00	256.44	1578.82	61.17	0.73	3496.44
तमिलनाडु	राज्य	2145.85	2970.00	431.00	0.00	3401.00	0.00	0.00	6616.70
	निजी	0.00	250.00	503.10	411.66	1164.76	0.00	15.68	2816.74
	केन्द्रीय	0.00	2364.81	0.00	0.00	2364.81	547.39	0.00	2912.20
	उप-जोड़	2145.85	5584.81	934.10	411.66	6930.57	547.39	15.68	12345.64
एनएससी	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	0.00	100.17	0.00	0.00	100.17	0.00	0.00	100.17
	उप-जोड़	0.00	100.17	0.00	0.00	100.17	0.00	0.00	100.17
पांडिचेरी	राज्य	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
	केन्द्रीय	0.00	214.01	0.00	0.00	214.01	13.13	0.00	227.14
	उप-जोड़	0.00	214.01	32.50	0.00	246.51	13.13	0.60	260.24
केन्द्रीय	अनावंटित	0.00	1065.58	0.00	0.00	1065.58	84.12	0.00	1149.70
कुल दक्षिणी क्षेत्र	राज्य	10912.26	7362.50	735.80	362.52	8460.82	0.00	0.00	21137.82
	निजी	55.45	510.00	2500.50	576.80	3587.30	0.00	37.00	6111.50
	केन्द्रीय	0.00	8090.00	350.00	0.00	8440.00	880.00	0.00	9320.00
	सकल जोड़	10967.71	15962.50	3586.30	939.32	20488.12	880.00	37.00	36569.32

30.6.06 के अनुसार संयुक्त एवं केन्द्रीय क्षेत्र यूटीलिटीयों में आवंटित शेयरों को मिलाकर पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटीलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

राज्य	ओनरशीप क्षेत्र	हाइड्रो	विधिवत विवरण				न्यूक्लीयर	आर ई एस बीजी	सकल योग
			थर्मल			कुल थर्मल			
			कोल	गैस	डीजल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	राज्य	44.90	553.50	0.00	0.00	553.50	0.00	0.00	628.80
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
	केन्द्रीय	21.00	978.79	0.00	0.00	978.79	0.00	0.00	999.79
	उप-जोड़	65.90	1532.29	0.00	0.00	1532.29	0.00	0.02	1628.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
झारखंड	राज्य	130.00	1260.00	0.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	1394.05
	निजी	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.08	360.08
	केन्द्रीय	8.00	254.92	0.00	0.00	254.92	0.00	0.00	262.92
	उप-जोड़	138.00	1874.92	0.00	0.00	1874.92	0.00	0.08	2017.05
पश्चिम बंगाल	राज्य	161.70	3305.00	100.00	12.06	3417.06	0.00	0.00	3638.46
	निजी	0.00	1081.38	0.00	0.14	1081.52	0.00	6.95	1088.47
	केन्द्रीय	17.00	667.06	0.00	0.00	667.06	0.00	0.00	684.06
	उप-जोड़	178.70	5053.44	100.00	12.20	5165.84	0.00	6.95	5410.99
डीवीसी	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	150.00	2772.50	90.00	0.00	2862.50	0.00	0.00	3012.50
	उप-जोड़	150.00	2772.50	90.00	0.00	2862.50	0.00	0.00	3012.50
उड़ीसा	राज्य	1923.93	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	2345.23
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.07
	केन्द्रीय	0.00	1130.93	0.00	0.00	1130.93	0.00	0.00	1130.93
	उप-जोड़	1923.93	1550.93	0.00	0.00	1550.93	0.00	0.07	3476.23
सिक्किम	राज्य	32.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	46.10
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	केन्द्रीय	8.00	60.08	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00	68.08
	उप-जोड़	40.00	60.08	0.00	5.00	65.08	0.00	0.00	114.18
केन्द्रीय	अनावंटित	0.00	818.22	0.00	0.00	818.22	0.00	0.00	818.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल पूर्वी क्षेत्र	राज्य	2292.53	5538.50	100.00	17.06	5655.56	0.00	0.00	8052.64
	निजी	0.00	1441.38	0.00	0.14	1441.52	0.00	7.12	1448.64
	केन्द्रीय	204.00	6682.50	90.00	0.00	6772.50	0.00	0.00	6976.50
	सकल जोड़	2496.53	13662.38	190.00	17.20	13869.58	0.00	7.12	16477.78

30.6.06 के अनुसार संयुक्त एवं केन्द्रीय क्षेत्र यूटीलिटीयों में आवंटित शेयरों को मिलाकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटीलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

राज्य	ओनरशीप क्षेत्र	हाइड्रो	विधिवत विवरण				न्यूक्लीयर	आर ई एस बीजी	सकल योग
			थर्मल			कुल			
			कोल	गैस	डीजल	थर्मल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	राज्य	2.00	330.00	244.50	20.69	595.19	0.00	0.00	597.30
	निजी	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	0.12	24.62
	केन्द्रीय	331.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	509.00
	उप-जोड़	333.00	330.00	447.00	20.69	797.69	0.00	0.12	1130.92
अरुणाचल प्रदेश	राज्य	18.50	0.00	0.00	15.88	15.88	0.00	0.00	60.18
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
	केन्द्रीय	98.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	119.00
	उप-जोड़	116.50	0.00	21.00	15.88	36.88	0.00	0.18	179.36
मेघालय	राज्य	185.52	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	189.08
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	73.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	99.00
	उप-जोड़	258.52	0.00	26.00	2.05	28.05	0.00	0.00	288.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिपुरा	राज्य	16.00	0.00	127.50	4.85	132.35	0.00	0.00	148.36
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10
	केन्द्रीय	62.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	95.00
	उप-जोड़	78.00	0.00	160.50	4.85	165.35	0.00	1.10	244.46
मणिपुर	राज्य	1.50	0.00	0.00	45.41	45.41	0.00	0.00	50.86
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	81.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	107.00
	उप-जोड़	82.50	0.00	26.00	45.41	71.41	0.00	0.00	157.86
नागालैंड	राज्य	25.50	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	30.67
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	53.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	72.00
	उप-जोड़	78.50	0.00	19.00	2.00	21.00	0.00	0.00	102.67
मिजोरम	राज्य	4.05	0.00	0.00	51.86	51.86	0.00	0.00	66.62
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
	केन्द्रीय	34.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	50.00
	उप-जोड़	38.05	0.00	16.00	51.86	67.86	0.00	0.20	116.82
केन्द्रीय	अनावंटित	128.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	184.00
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	राज्य	253.07	330.00	372.00	142.74	844.74	0.00	0.00	1143.07
	निजी	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	1.60	26.10
	केन्द्रीय	860.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	1235.00
	सकल जोड़	1113.07	330.00	771.50	142.74	1244.24	0.00	1.60	2404.17

30.6.06 के अनुसार द्वीपों में पावर यूटिलिटिज की अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)

राज्य	ओनरशीप क्षेत्र	हाइड्रो	विधिवत विवरण थर्मल कोल	गैस	डीजल	कुल थर्मल	न्यूक्लीयर	आर ई एस बीजी	सकल योग
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य	5.25	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	50.55
	निजी	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.17	20.17
	केन्द्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़	5.25	0.00	0.00	60.05	60.05	0.00	0.17	70.72
लक्षद्वीप	राज्य	0.00	0.00	0.00	9.97	9.97	0.00	0.00	9.97
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़	0.00	0.00	0.00	9.97	9.97	0.00	0.00	9.97
कुल द्वीप	राज्य	5.25	0.00	0.00	50.02	50.02	0.00	0.00	60.52
	निजी	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.17	20.17
	केन्द्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	5.25	0.00	0.00	70.02	70.02	0.00	0.17	80.69

विवरण-III

विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा (मि.यू.) जून, 2006 आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अतिरिक्त/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	अप्रैल, 2006 - जून, 2006 आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अतिरिक्त/कमी(-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	129	128	-1	-0.8	359	356	-3	-0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	2,147	2,123	-24	-1.1	6,208	6,091	-117	-1.9
हरियाणा	2,390	2,204	-186	-7.8	6,473	5,898	-575	-8.9
हिमाचल प्रदेश	393	393	0	0.0	1,142	1,139	-3	-0.3
जम्मू-कश्मीर	728	627	-101	-13.9	2,568	1,909	-659	-25.7
पंजाब	3,813	3,656	-157	-4.1	9,454	8,806	-648	-6.9
राजस्थान	2,645	2,468	-177	-6.7	7,909	7,535	-374	-4.7
उत्तर प्रदेश	4,846	3,876	-970	-20.0	14,200	11,183	-3,017	-21.2
उत्तरांचल	466	459	-7	-1.5	1,373	1,318	-55	-4.0
उत्तरी क्षेत्र	17,557	15,934	-1,623	-9.2	49,686	44,235	-5,451	-11.0
छत्तीसगढ़	1,084	1,038	-46	-4.2	3,522	3,274	-248	-7.0
गुजरात	4,651	4,362	-289	-6.2	15,128	13,835	-1,293	-8.5
मध्य प्रदेश	2,609	2,212	-397	-15.2	8,621	6,972	-1,649	-19.1
महाराष्ट्र	7,982	7,044	-938	-11.8	27,520	22,395	-5,125	-18.6
दमन व दीव	129	111	-18	-14.0	376	330	-46	-12.2
दादरा व नगर हवेली	234	234	0	0.0	700	671	-29	-4.1
गोवा	193	193	0	0.0	619	619	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	16,882	15,194	-1,688	-10.0	56,486	48,096	-8,390	-14.9
आंध्र प्रदेश	4,385	4,323	-62	-1.4	14,254	13,748	-506	-3.5
कर्नाटक	2,655	2,620	-35	-1.3	9,582	9,379	-203	-2.1
केरल	1,148	1,132	-16	-1.4	3,685	3,604	-81	-2.2
तमिलनाडु	5,261	5,208	-53	-1.0	15,339	15,029	-310	·2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पांडिचेरी	146	146	0	0.0	458	458	0	0.0
लक्षद्वीप#	2	2	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	13,595	13,429	-166	-1.2	43,318	42,218	-1,100	-2.5
बिहार	642	591	-51	-7.9	1,952	1,786	-166	-8.5
डीवीसी	882	878	-4	-0.5	2,708	2,655	-53	-2.0
झारखंड	321	312	-9	-2.8	1,011	948	-63	-6.2
उड़ीसा	1,339	1,325	-14	-1.0	4,098	4,028	-70	-1.7
पश्चिम बंगाल	2,293	2,269	-24	-1.0	6,974	6,841	-133	-1.9
सिक्किम	17	17	0	0.0	52	51	-1	-1.9
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20	15	-5	-25	60	45	-15	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	5,494	5,392	-102	-1.9	16,795	16,309	-486	-2.9
अरुणाचल प्रदेश	19	18	-1	-5.3	56	54	-2	-3.6
असम	379	356	-23	-6.1	1,037	941	-96	-9.3
मणिपुर	43	42	-1	-2.3	108	102	-6	-5.6
मेघालय	127	106	-21	-16.5	333	255	-78	-23.4
मिजोरम	19	18	-1	-5.3	57	53	-4	-7.0
नागालैंड	33	31	-2	-6.1	86	81	-5	-5.8
त्रिपुरा	65	59	-6	-9.2	190	170	-20	-10.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	685	630	-55	-8.0	1,867	1,656	-211	-11.3
अखिल भारत	54,213	50,579	-3,634	-6.7	168,152	152,514	-15,638	-9.3

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की प्रणालियां पृथक् हैं और इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति, क्षेत्रीय जरूरत और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

व्यस्ततम मांग/व्यस्ततम मांग की स्थिति (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	जून, 2006				अप्रैल, 2006 - जून, 2006			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अतिरिक्त/कमी(-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अतिरिक्त/कमी(-)	
			(मि.यू.)	(%)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	244	234	-10	-4.1	264	234	-30	-11.4
दिल्ली	3,663	3,645	-18	-0.5	3,843	3,736	-107	-2.8
हरियाणा	4,550	4,235	-315	-6.9	4,550	4,235	-315	-6.9
हिमाचल प्रदेश	715	715	0	0.0	715	715	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	1,400	1,100	-300	-21.4	1,400	1,175	-225	-16.1
पंजाब	7,700	6,080	-1,620	-21.0	7,700	6,080	-1,620	-21.0
राजस्थान	4,640	4,291	-349	-7.5	4,763	4,291	-472	-9.9
उत्तर प्रदेश	8,114	6,365	-1749	-21.6	8,114	6,399	-1,715	-21.1
उत्तरांचल	909	889	-20	-2.2	939	897	-42	-4.5
उत्तरी क्षेत्र	29,648	26,283	-3,365	11.3	29,648	26,283	-3,365	-11.3
छत्तीसगढ़	1,892	1,638	-254	-13.4	2,157	1,817	-340	-15.8
गुजरात	8,220	7,611	-609	-7.4	8,993	7,611	-1,382	-15.4
मध्य प्रदेश	4,878	4,025	-853	-17.5	5,581	4,077	-1,504	-26.9
महाराष्ट्र	14,501	11,638	-2,863	-19.7	15,854	11,956	-3,898	-24.6
दमन व दीव	203	178	-25	-12.3	203	182	-21	-10.3
दादरा व नगर हवेली	399	359	-40	-10.0	399	359	-40	-10.0
गोवा	326	326	0	0.0	367	367	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	28,233	23,663	-4,570	-16.2	31,049	24,535	-6,514	-21.0
आंध्र प्रदेश	7,551	7,372	-179	-2.4	8,599	8,140	-459	-5.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	5,071	4,952	-119	-2.3	6,130	5,611	-519	-8.5
केरल	2,566	2,536	-30	-1.2	2,672	2,602	-70	-2.6
तमिलनाडु	8,535	8,386	-149	-1.7	8,609	8,449	-160	-1.9
पांडिचेरी	227	227	0	0.0	256	256	0	0.0
लक्षद्वीप#	5	5	0	0	5	5	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	22,734	22,346	-388	-1.7	25,165	23,520	1,645	-6.5
बिहार	1,279	959	-320	-25.0	1,399	1,068	-331	-23.7
डीवीसी	1,586	1,548	-38	-2.4	1,650	1,594	-56	-3.4
झारखंड	631	616	-15	-2.4	631	616	-15	-2.4
उड़ीसा	2,404	2,362	-42	-1.7	2,547	2,487	-60	-2.4
पश्चिम बंगाल	4,323	4,308	-15	-0.3	4,703	4,606	-97	2.1
सिक्किम	40	40	0	0.0	40	40	0	0.0
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	5	0	0	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	9,774	9,364	-410	-4.2	10,491	9,980	-511	-4.9
अरुणाचल प्रदेश	72	71	-1	-1.4	72	71	-1	-1.4
असम	752	677	-75	-10.0	752	677	-75	-10.0
मणिपुर	98	97	-1	-1.0	98	97	-1	-1.0
मेघालय	282	164	-118	-41.8	291	181	-110	-37.8
मिजोरम	67	61	-6	-9.0	69	64	-5	-7.2
नागालैंड	77	74	-3	-3.9	77	74	-3	-3.9
त्रिपुरा	169	136	-33	-19.5	169	136	-33	-19.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1.369	1,152	-217	-15.9	1,369	1,152	-217	-15.9
अखिल भारत	91,758	82,808	-8,950	-9.8	95,583	83,309	-12,274	-12.8

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की प्रणालियां पृथक् हैं और इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति, क्षेत्रीय जरूरत और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

[अनुवाद]

डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी. की विफलता

718. श्री रघुनाथ झा :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये दो योजनाएं अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या 2195 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद सूखा प्रवण क्षेत्र 1973-74 के 55.3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर अप्रैल 1995 में 74.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की विफलता के क्या कारण हैं;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार कार्यक्रमों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) एवं मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनः उपयोग योग्य बनाकर क्रमशः सूखा प्रभावित क्षेत्र को सूखे से मुक्त कराना तथा मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना हैं। कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के संबंध में इसमें विद्यमान खामियों का पता लगाने तथा कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक पैरामीटरों के आधार पर अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के संबंध में विचार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 1994 में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की थी। तकनीकी समिति ने वर्ष 1973 से 1994 तक की अवधि के दौरान अनुसरण की गई कार्यक्षेत्र (सेक्टोरल) पद्धति के विपरीत कार्यक्रम को सामुदायिक भागीदारी और अधिकार सम्पन्नता के साथ वाटरशेड पद्धति के आधार पर कार्यान्वित करने तथा डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों की वैज्ञानिक आधार पर पुनः पहचान करने की सिफारिश की थी। समिति ने वैज्ञानिक मानदंडों नामतः नमी अभिसूचक, दृष्टिपात, सिंचाई की मात्रा आदि के आधार पर डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत 74.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की थी। संशोधित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) का कार्यान्वयन वाटरशेड पद्धति के आधार पर समेकित रूप में तथा लोगों की भागीदारी और सामुदायिक अधिकार सम्पन्नता के साथ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिक हस्तक्षेपों को मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करते हुए वर्ष 1995-96 में आरंभ किया गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम वाले राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों के जरिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आरंभ किये थे। वर्ष 2002 में पूरे हुए इन अध्ययनों से यह पता चला है कि वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन से भूमि की समग्र उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथा जल का स्तर बढ़ा है और परियोजना क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास पर इनका सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि वाटरशेड क्षेत्रों में हरित वानस्पतिक आच्छादन में भी सुधार हुआ है जिसका जल तथा वायु द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ईंधन लकड़ी तथा चारे की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में इनकी शक्यता का पता चलता है।

मंत्रालय की एक परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1998 में देश में सभी बंजरभूमि का मानचित्र तैयार करने का कार्य पूरा किया था और देश में 63.85 मिलियन हेक्टेयर बंजरभूमि होने का अनुमान लगाया था। मंत्रालय ने पूरे देश की बंजरभूमि का मानचित्र तैयार करने के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) को एक अन्य परियोजना प्रायोजित की थी जिसे वर्ष 2003-05 तक के दो वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया गया था। इस प्रयास के जरिए प्राप्त हुए अनुमानों के अनुसार देश में बंजरभूमि के कुल क्षेत्रफल में इस अवधि के दौरान 8.58 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है।

(ङ) वर्ष 1995-96 से लेकर 2005-06 तक की अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्रमशः 12.18 मिलियन हेक्टेयर तथा 6.74 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 24363 परियोजनाएं तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 13476 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या और विकसित करने के लिए शामिल क्षेत्र के संबंध में राज्य-वार स्थिति विवरण-I और II में दी गई है।

(च) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.)/जिला परिषदों (जेड.पी.) द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें (क्यू.पी.आर.) तथा मध्यावधिक मूल्यांकन रिपोर्टें (एम.टी.ई.आर.) समय-समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) की निगरानी तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली के जरिए की जाती है : केन्द्र स्तर पर (क) क्षेत्र अधिकारी योजना के जरिए (ख) कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति के जरिए तथा (ग) राष्ट्र स्तरीय स्वतंत्र निगरानीकर्त्ताओं (एन.एल.एम.) एवं जिला स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं (डी.एल.एम.) के जरिए की जाती है। राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करती है तथा कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करती है। जिला स्तर पर जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यक्रमों की निगरानी करती है। स्थानीय पणधारियों द्वारा ग्राम स्तर पर की जाने वाली सामाजिक लेखा-परीक्षा भी निगरानी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

विवरण-I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की की कुल संख्या	विकसित किए जाने हेतु स्वीकृत किया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3882	19.410
2.	बिहार	453	2.265
3.	छत्तीसगढ़	1020	5.100
4.	गुजरात	2149	10.745
5.	हिमाचल प्रदेश	365	1.825
6.	जम्मू-कश्मीर	483	2.415
7.	झारखंड	1453	7.265
8.	कर्नाटक	2105	10.525
9.	मध्य प्रदेश	2934	14.670
10.	महाराष्ट्र	3180	15.900
11.	उड़ीसा	1146	5.730
12.	राजस्थान	987	4.935
13.	तमिलनाडु	1414	7.070
14.	उत्तर प्रदेश	1576	7.880
15.	उत्तरांचल	737	3.685
16.	पश्चिम बंगाल	479	2.395
	योग	24363	121.815

विवरण-II

मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	विकसित किए जाने हेतु स्वीकृत किया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	906	4.530
2.	गुजरात	2642	13.210
3.	हरियाणा	1030	5.150
4.	हिमाचल प्रदेश	504	2.520
5.	जम्मू-कश्मीर	667	3.335

1	2	3	4
6.	कर्नाटक	1362	6.810
7.	राजस्थान	6365	31.825
	योग	13476	67.380

निजी क्षेत्र द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विकास

719. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिस्पर्धी शुल्क आधारित बोली के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा 100 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए दिशा-निर्देशों के नए समूह को अंतिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र द्वारा विकास के लिए नदी के प्रवाह के साथ रन-ऑफ-दि-रिवर परियोजनाओं की एक श्रृंखला की पेशकश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इससे देश में विद्युत परियोजनाओं के विकास में और सुधार करने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने जुलाई, 2002 में राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए थे कि 100 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जाए। दिशा-निर्देशों के किसी नये समूह की घोषणा नहीं की गई है। फिर भी, हाल ही में जुलाई, 2006 में विद्युत मंत्रालय ने दोहराया है कि 100 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जाएं। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रतिस्पर्धी बोलियां विद्युत अधिनियम (2003), विद्युत नीति (2005) एवं विद्युत टैरिफ नीति (2006) के प्रावधानों के अनुरूप टैरिफ के आधार पर होनी चाहिए।

(ग) और (घ) देश में जल विद्युत संभाव्यता के द्रुतगामी विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, नदी के सतत प्रवाह की (रन-ऑफ-द रिवर) परियोजनाओं सहित जल विद्युत परियोजनाएं निजी विकासकर्त्ताओं को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

दिल्ली में स्थित गांवों के लिए सुविधाएं

720. **श्री सज्जन कुमार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मास्टर योजना, 2001 के अंतर्गत दिल्ली के शहरीकृत गांवों के विकास के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे गांवों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) जोकि गांवों का आयोजना और विकास का कार्य देखता है, ने यह सूचित किया है कि उसने शहरीकृत गांवों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरी विभाग ने परामर्शदाता के माध्यम से शहरी गांवों के लिए विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।

रोहिणी, नरेला और द्वारका जैसे क्षेत्र, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित उप-शहर परियोजना का भाग हैं, में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास योजनायें तैयार करके चुनिन्दा गांवों के संबंध में समेकित विकास शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

चुनाव सुधार

721. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सरकार के प्रभावी लोकतंत्रात्मक कार्यकरण के लिए चुनाव सुधार हेतु प्रस्ताव किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल द्वारा क्या अनुशंसाएं की गई हैं; और

(ग) इन अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली के लिए विनियामक निकाय

722. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए केंद्रीय विनियामक निकाय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम 1973 के अन्तर्गत 1974 में गठित दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) का दिल्ली में शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की सौन्दर्यपरक गुणता के सुरक्षित रखने, विकसित करने और बनाए रखने के मामले में केन्द्र सरकार को सलाह देने का दायित्व है।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड के साथ बीमा योजना

723. **श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर बीमा योजनाओं सहित अनेक योजनाएं आरंभ की है जैसा कि दिनांक 14 जुलाई, 2006 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये बैंक किसी आपदा घटित होने की स्थिति में गुप्त रूप से ये योजनाएं वापस ले लेते हैं और इस प्रकार क्रेडिट कार्ड धारकों को धोखा देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस तरीके से अपने ग्राहकों को धोखा देने के लिए इन बैंकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का आधुनिकीकरण

724. **श्री के.सी. पलनिसामी : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) आधुनिकीकरण योजना को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी प्रेक्षण प्रणालियों, पूर्वानुमान प्रणालियों, एयरपोर्ट मौसम-विज्ञान सेवाओं और भूकंप-वैज्ञानिक नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर ली है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3667 करोड़ रुपए है। परंतु विशेषज्ञ समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जा रही है। योजना को कुछ महीनों के भीतर अंतिम रूप देकर निधियों के आबंटन के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) आधुनिकीकरण दो चरणों में प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण दो वर्षों में पूरा किया जाएगा तथा द्वितीय चरण 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

विद्यालय परिसरों में अनाधिकृत निर्माण

725. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित कुछ विद्यालयों ने दिल्ली नगर निगम के भवन उप-नियमों का उल्लंघन करके परिसरों में अनाधिकृत निर्माण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन विद्यालयों से अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि कुछ स्कूलों ने अपने परिसरों के भीतर अनधिकृत निर्माण किए हुए हैं। भवन उप-नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिन स्कूलों को दर्ज किया गया है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने आगे यह भी सूचित किया है कि जब भी भवन उप-नियमों के किसी उल्लंघन का पता लगता है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

विवरण

1. विद्यानिकेतन स्कूल, डी ब्लाक साकेत
2. ज्ञान भारती स्कूल, साकेत
3. एमईटी इंटरनेशनल स्कूल, साकेत
4. टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, ईस्ट आफ कैलाश
5. फादर एंजल स्कूल, गौतम नगर
6. स्टैप बाई स्टैप, एन-I और एन-II, पंचशील पार्क
7. सालवान पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर
8. बापू आदर्श विद्यालय, राजेन्द्र नगर
9. बाल भारती स्कूल, रिंग रोड
10. स्प्रिंग डेल स्कूल, रिज रोड
11. मानवस्थली स्कूल, रिज रोड
12. सालवान एजूकेशनल ट्रस्ट, राजेन्द्र नगर
13. ज्ञान मंदिर पब्लिक सकूल, नारायणा
14. रामजस स्कूल, पूसा रोड
15. सतब्रावन स्कूल, आर्य समाज रोड
16. खालसा कालेज, देव नगर
17. पीजी डीएवी सकूल, ईस्ट पटेल नगर
18. दयानन्द मॉडल स्कूल, वेस्ट पटेल नगर ब्लाक न. 10
19. डीएवी पब्लिक स्कूल, वेस्ट पटेल नगर
20. सीनियर सैकण्डरी स्कूल, प्रसाद नगर
21. रूकमणि देवी पब्लिक स्कूल, पीतम पुरा
22. महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, पीतम पुरा
23. सचदेवा पब्लिक स्कूल, सै.-3 रोहिणी
24. हंस राज मॉडल स्कूल, फेज-I अशोक विहार
25. आर्यसमाज मन्दिर, डीएवी स्कूल रानी बाग
26. डीएवी पब्लिक स्कूल रानी बाग
27. रोक फील्ड पब्लिक स्कूल, सै.-3 रोहिणी
28. रेमल पब्लिक स्कूल, सै-3 रोहिणी
29. युवा शक्ति मॉडल स्कूल बुध विहार
30. बालभारती पब्लिक स्कूल सै-4 रोहिणी
31. शिमरोक पैराडाईज स्कूल सी-3 वसंत कुंज
32. रेयान इंटरनेशनल स्कूल सी-8 वसंत कुंज
33. वंसत वेली स्कूल, से. सी वसंत कुंज

34. टेंडरफीट नर्सरी सी-8 वसंत कुंज
35. बुक पब्लिक स्कूल सी-8 वसंत कुंज
36. जीडी गोयनका, सीनियर सेकंडरी स्कूल बी ब्लॉक,
37. डीएवी स्कूल पाकेट बी-1 वसंत कुंज
38. डिम्पल एजुकेशन सोसायटी, सी-8
39. कंगारू किड्स, सी-8 और 7 वसंत कुंज
40. जीडी गोयनका, जूनियर पब्लिक स्कूल बी ब्लॉक
41. बाल भवन पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर
42. डीएवी पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार
43. लवली पब्लिक स्कूल, साउथ अनारकली
44. आरएस पब्लिक स्कूल, कोटला विलेज, मयूर विहार फेज-।
45. डीएवी पब्लिक स्कूल, दयानंद विहार
46. विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल
47. संध्या सीनियर सेकंडरी स्कूल, चौहान बांगर दिल्ली
48. नवजीवन पब्लिक स्कूल, गौतमपुरी
49. इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर लोनी रोड
50. नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल
51. वीटी पब्लिक स्कूल, कबीर नगर
52. लवली पब्लिक स्कूल, यमुना विहार
53. लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल
54. रामफल मेमोरियल पब्लिक स्कूल
55. श्रीमती शिशु मंदिर स्कूल, टैगोर गार्डन
56. गुरू नानक इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, वेस्ट पंजाबी बाग
57. ग्यान भारतीय पब्लिक स्कूल, मोहन गार्डन
58. संत हरिदास पब्लिक स्कूल, नजफगढ़ रोड, बापड़ोला
59. गगन भारती पब्लिक स्कूल, मोहन गार्डन
60. गंगा इंटरनेशनल स्कूल हीरनकूदना
61. साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कालोनी
62. लेडी इरविन स्कूल, डी ब्लॉक, डिफेंस कालोनी
63. डा. राधाकृष्णनन, इंटरनेशनल स्कूल
64. जॉर्ज स्टोकर सतोशिक सरोधा कन्या विद्यालय, डिफेंस कालोनी
65. मॉर्डन पब्लिक स्कूल ए-279 डिफेंस कालोनी
66. सेंटर जार्ज स्कूल ई ब्लॉक, डिफेंस कालोनी
67. बलवंतराय नेता विद्या भवन, सीनियर सेकंडरी स्कूल लाजपत नगर
68. एस एस खालसा, सीनियर सेकंडरी स्कूल, ए-ब्लाक, अमर कालोनी, लाजपत नगर
69. सनातन धर्म सकूल, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर
70. हैप्पी इंटरनेशनल, मेन मथुरा रोड, भोगल
71. सेंट पाल डियोकेशन स्कूल, हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा
72. आदर्श विद्यानिकेतन, सिद्धार्थ बस्ती, हरीनगर, आश्रम
73. हिल क्वीन कंवेंट स्कूल, किलोकरी गांव
74. शिवनंदा पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थ बस्ती, हरीनगर, आश्रम
75. कैंब्रिज स्कूल
76. कालका पब्लिक स्कूल
77. रायसीना बंगाली स्कूल
78. न्यूग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल
79. एस के कंवेंट स्कूल, कालकाजी

80. गुरू हरिकिशन स्कूल, कालकाजी

81. के एस के पब्लिक स्कूल, संगम विहार

82. संत गिरी पब्लिक स्कूल, सरिता विहार

83. ग्लोरी पब्लिक स्कूल, सरिता विहार

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न संघटक में कमी

726. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रोजगार सृजन योजनाओं यथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में खाद्यान्न संघटक में कटौती करने/कमी करने के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) इस बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारतीय कंपनियों द्वारा इक्विटी और बांडों का निर्गम

727. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इक्विटी और परिवर्तनीय बांडों के निर्गम के लिए मानदंडों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मानदंडों से घरेलू शेयरधारकों के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 31 अगस्त, 2005 के प्रेस नोट द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अमरीकी निक्षेपागार प्राप्तियों/वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी) के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देश को घरेलू निर्गमों हेतु सेबी दिशानिर्देशों के समकक्ष बनाया। असूचीबद्ध कंपनियों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूंजी जुटाने के लिए अभी तक जीडीआर/एफसीसीबी मार्ग नहीं अपनाया है, से अब ऐसे निर्गमों के लिए घरेलू बाजार में पूर्व अथवा तात्कालिन सूचीयन करना अपेक्षित है। यह भी निर्धारित किया गया कि असूचीबद्ध कंपनियों, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीडीआर/एफसीसीबी जारी किए थे, से वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ करते हुए अथवा जीडीआर/एफसीसीबी के ऐसे निर्गम के तीन वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो, लाभ अर्जित करने पर घरेलू बाजार में सूचीबद्ध होना अपेक्षित होगा।

सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2006 के प्रेस नोट द्वारा उन असूचीबद्ध कंपनियों को जिन्होंने 22 मई, 1998 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर का रास्ता अपनाया है और जो लाभार्जन नहीं कर रही हैं, लाभार्जन करने के तीन वर्षों के भीतर घरेलू स्टाक एक्सचेंजों पर सूचीयन शर्तों का अनुपालन करने की अनुमति दे दी। तथापि, ऐसी कंपनियों द्वारा घरेलू एक्सचेंजों में पहले सूचीयन किए बिना एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर का कोई भी नया निर्गम जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हाल ही में, सरकार ने दिनांक 28 जून, 2006 के प्रेस नोट द्वारा असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को इस शर्त के अध्यधीन एडीआर/जीडीआर के निर्गम को प्रवर्तित करने की अनुमति दी कि असूचीबद्ध कंपनियों जिन्होंने 31 अगस्त, 2005 से पूर्व एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर जारी किए किए हैं, से एफसीसीबी, एडीआर/जीडीआर जारी करने के लिए अथवा योजना के अंतर्गत विद्यमान शेयरों के प्रति ऐसे निर्गमों को प्रवर्तित करने के लिए घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों में पूर्व अथवा तात्कालिक सूचीयन अपेक्षित है।

(ग) इन संशोधनों से घरेलू निवेशक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे क्योंकि वे एडीआर/जीडीआर जारी करने वाली घरेलू सूचीयन कर चुकी कंपनियों में निवेश करने में सक्षम होंगे और एडीआर/जीडीआर प्रक्रिया के प्रवर्तन में भी भाग ले सकेंगे।

पैन कार्ड का दुरुपयोग

728. श्री कीर्ति वर्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की योजना पैन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने की है जैसा कि दिनांक 5 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पैन कार्डधारकों की बढ़ती संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग पैन की सुरक्षा एवं व्यक्ति के संबंध में इसके अनूठेपन को सुनिश्चित करने के लिए पैन प्रणाली में बायोमेट्रिक फीचरों के उपयोग की सम्भावनाओं की जांच कर रहा है।

(ग) से (ङ) सरकार ने पैन कार्ड धारकों की बढ़ती संख्या के संबंध में कोई भी सर्वेक्षण नहीं करवाया है। पैन कार्ड धारकों की बढ़ती संख्या के विभिन्न कारक हैं जिनमें सभी आयकर विवरणी दायर करने वालों के द्वारा दायर किए जाने वाले विवरणों एवं विवरणियों में, प्रत्यक्ष कर की अदायगी के लिए सभी चालानों में, विनिर्दिष्ट उच्च मूल्य लेनदेनों में पैन संख्या का उल्लेख करने की बाध्यता एवं अन्य सरकारी विभागों जैसे कि सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, सेवा कर, विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा समान कारोबार संख्या (सी बी एन) के रूप में इसका प्रयोग शामिल है। हाल ही में सेबी ने भी डीमैट खातों के लिए पैन के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है।

जैव-प्रौद्योगिकी पार्क

729. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) श्रीमान्, कई राज्य सरकारें जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) के सक्रिय परामर्श से जैवप्रौद्योगिकी पार्कों/जैवप्रौद्योगिकी उष्मायन केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कार्रवाई कर रही हैं। अभी तक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने अपने-अपने राज्यों में जैवप्रौद्योगिकी पार्कों/उष्मायन केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजे हैं। डी बी टी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों से जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) डी बी टी ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक जैवप्रौद्योगिकी पार्क के लिए वित्तपोषण किया है और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश; बंगलौर, कर्नाटक; त्रिवेन्द्रम, केरल; चण्डीगढ़, पंजाब; और सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक में एक कुल पांच जैवप्रौद्योगिकी उष्मायन केन्द्रों के लिए निधि प्रदान की है। इस समय, डी बी टी के पास जैवप्रौद्योगिकी पार्कों/उष्मायन केन्द्रों के संबंध में किसी भी राज्य से कोई वास्तविक प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए विचारार्थ नहीं है।

बैंकों में खाते खोलने में कठिनाइयां

730. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा बैंकवार कितने नए बचत/चालू और डीमेट खाते खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंककर्मी नए खाते खोलने में हिचकिचाते हैं और जनता को भारतीय रिजर्व बैंक की के वाई सी (नो योर कस्टमर) के लागू होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्राहकों को अपने खाते विशेषकर बचत बैंक

खाते खोलने में हो रही वास्तविक कठिनाई को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 31 मार्च, 2003, 2004 और 2005 की स्थिति के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के बकाया चालू खातों और बचत खातों की संख्या से संबंधित बैंक-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। डीमेट खातों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) काले धन को वैध बनाने (मनी लांडरिंग की गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा बैंकों के इस्तेमाल को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। तथापि, इन मार्गनिर्देशों को 23 अगस्त, 2005 के परिपत्र के तहत शिथिल किया गया और बैंकों को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के खाते खोलने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते वर्ष में उनके सभी खातों में मिलाकर जमाराशि पचास हजार रुपए (50,000/- रुपए) से अधिक नहीं होनी चाहिए और इन सभी खातों में कुल मिलाकर ऋण एक लाख रुपए (1,00,000/- रुपए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अधिकाधिक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य की पूर्ति के विचारार्थ भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 नवम्बर, 2005 के अपने परिपत्र के तहत सभी बैंकों से कहा कि वे 'एक आधारभूत बैंकिंग अतिरिक्त सुविधारहित खाते' को 'शून्य' राशि अथवा अत्यंत न्यूनतम राशि एवं प्रभार वाला खाता उपलब्ध कराएं जो जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए उपलब्ध हो। ऐसे खातों की प्रकृति एवं इसमें होने वाले लेन-देन सीमित हो सकते हैं किन्तु इस बारे में ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से पहले ही बता दिया जाए।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग सुविधाएं जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुंचे, इसके लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 के परिपत्र के तहत यह कहा गया है कि वे खाते खोलने के लिए फार्म, जमा पर्ची पुस्तिका, पासबुक इत्यादि सहित खुदरा ग्राहकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी मुद्रित सामग्री को त्रिभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी एवं संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराएं।

विवरण

चालू एवं बचत खातों की बैंकवार संख्या : मार्च, 2003, मार्च 2004, मार्च 2005

क्र.सं.	बैंक का नाम	2003		2004		2005	
		चालू खातों की संख्या	बचत खातों की संख्या	चालू खातों की संख्या	बचत खातों की संख्या	चालू खातों की संख्या	बचत खातों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	203335	3664154	210997	3813950	189225	4009255
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	197595	3108202	208162	3428409	212618	3693538
3.	भारतीय स्टेट बैंक	1429085	47106397	1252992	45622023	1346845	49288246
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	104176	1429131	104356	1496164	112369	1681554
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	97326	1804862	95799	1849452	101426	1901321
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	167917	2931978	169880	3166291	173097	3316093

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	97578	1567832	111650	1689634	108840	1885613
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	78431	3435088	107836	4749985	133595	5778237
9.	इलाहाबाद बैंक	259360	8915938	252992	9167998	289397	9669759
10.	आंध्रा बैंक	321533	6111221	424420	6894727	418676	7531316
11.	बैंक आफ बड़ौदा	695973	15098923	698145	15718180	662269	15948642
12.	बैंक आफ इंडिया	366486	11630599	367875	13951650	359735	14402510
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	278432	5569696	288059	5942981	297993	6280516
14.	केनरा बैंक	1017121	15190137	960710	15457916	922974	15849566
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	475712	13504554	448432	13252219	438937	13480368
16.	कार्पोरेशन बैंक	418768	3023539	373778	3458521	417167	4067309
17.	देना बैंक	287395	4273022	288427	4406707	295410	4605906
18.	इंडियन बैंक	458513	8681160	475317	8888717	492014	9012325
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	332835	6709188	337880	6940707	341439	7142545
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	419916	3909837	430495	4159788	452236	4712469
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	216406	3317237	227654	3349230	218112	3454064
22.	पंजाब नेशनल बैंक	2217721	20833510	2713082	20847956	3150080	20688709
23.	सिंडिकेट बैंक	518669	8839947	518151	9311277	563210	9828027
24.	यूको बैंक	468562	6894230	464045	7032303	456177	7234589
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	573922	9251621	577881	9609595	594463	9657415
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	190545	6195256	195099	6109760	205409	6128895
27.	विजया बैंक	354925	3276629	372905	3514827	399365	3741523

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा को बढ़ावा देना

731. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के बारे में जनता को कम जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण जनता के बीच पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रभावी विकास और उसे बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई और खर्च की गई तथा इसमें राज्यवार क्या उपलब्धि हासिल हुई?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) ग्रामीण क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार-पत्रों, पुस्तिकाओं, लीफलेट, ब्रोशरों, न्यूजलैटर, विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शनियों और मेलों के माध्यम से जनजागरूकता का सृजन कर रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय व्यापक प्रचार और जनजागरूकता के लिए जिलों, शहरों और राज्य की राजधानियों में वर्ष 2004 से 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस का आयोजन कर रहा है। जिला स्तर पर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/कार्यक्रमों के समन्वय और जागरूकता सृजन के लिए 540 जिलों में अक्षय ऊर्जा पर जिला सलाहकार समितियां भी गठित की गई हैं। इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में अक्षय ऊर्जा क्लब स्थापित किए गए हैं।

(ग) अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के डिजाइन और विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता की गई है। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय परियोजना आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान अक्षय ऊर्जा पर विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 603.62 करोड़ रु. का कुल व्यय हुआ। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों पर किया गया राज्यवार व्यय

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12.67	0.00	12.19	24.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.77	11.91	5.43	25.10
3.	असम	3.38	0.44	2.02	5.84
4.	बिहार	0.16	0.06	0.41	0.63
5.	छत्तीसगढ़	6.29	1.39	5.50	13.18
6.	गोवा	0.76	0.08	0.21	1.05
7.	गुजरात	4.55	2.22	3.47	10.23
8.	हरियाणा	6.75	1.58	1.48	9.80
9.	हिमाचल प्रदेश	4.33	12.82	2.57	19.71
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10.13	5.74	10.13	26.00
11.	झारखण्ड	11.11	0.05	12.65	23.81
12.	कर्नाटक	20.06	5.38	4.05	29.49
13.	केरल	2.73	5.33	1.37	9.44
14.	मध्य प्रदेश	2.70	4.99	5.78	13.47
15.	महाराष्ट्र	6.89	6.61	10.14	23.64
16.	मणिपुर	2.62	1.06	3.99	7.68

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	2.40	5.30	3.17	10.87
18.	मिजोरम	4.02	3.46	14.35	21.82
19.	नागालैंड	2.46	1.63	1.57	5.66
20.	उड़ीसा	4.76	2.16	3.31	10.24
21.	पंजाब	14.32	1.45	1.65	17.43
22.	राजस्थान	5.99	3.02	5.23	14.24
23.	सिक्किम	8.87	0.88	3.07	12.82
24.	तमिलनाडु	9.45	6.11	3.37	18.93
25.	त्रिपुरा	10.47	10.75	0.24	21.46
26.	उत्तर प्रदेश	20.75	10.10	4.27	35.11
27.	उत्तरांचल	13.52	1.52	10.58	25.61
28.	पश्चिम बंगाल	35.49	5.61	16.89	57.99
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.50	0.00	0.00	1.50
30.	चंडीगढ़	0.17	0.00	0.45	0.62
31.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	3.41	0.65	0.02	4.08
34.	लक्षद्वीप	1.52	0.00	0.00	1.52
35.	पाण्डिचेरी	0.36	0.08	0.63	1.07
36.	अन्य	27.24	36.19	35.30	98.73
	कुल	269.58	148.55	185.49	603.62

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस (संख्या)	लघु पनबिजली (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	बायोमास विद्युत (मेगावाट)	बायोमास गैसीफायर (किलोवाट)	सौर रोशनी (संख्या)	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (संख्या)	ग्राम विद्युतीकरण (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	43312	23.2	28.50	119.2	0.32	170	13	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	407	11.9	0.00	0.0	1.40	653	5	221
3.	असम	248	0.1	0.00	0.0	0.00	0	0	33
4.	बिहार	283	5.5	0.00	0.0	0.00	1190	0	0
5.	छत्तीसगढ़	10525	10.0	0.00	16.5	10.00	3394	16	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	254	0.0	0.00	0.0	0.00	221	0	0
7.	गुजरात	18889	0.0	165.06	0.0	2800.95	2640	0	36
8.	हरियाणा	3758	14.4	0.00	2.0	300.13	3840	19	45
9.	हिमाचल प्रदेश	635	38.8	0.00	0.0	0.00	1300	12	21
10.	जम्मू व कश्मीर	0	7.5	0.00	0.0	400.00	0	0	50
11.	झारखण्ड	159	0.0	0.00	0.0	80.10	248	7	337
12.	कर्नाटक	21138	140.8	460.18	115.1	108.62	2996	27	20
13.	केरल	7045	12.6	0.00	0.0	0.00	0	14	0
14.	मध्य प्रदेश	28207	2.2	17.65	1.0	200.00	897	31	98
15.	महाराष्ट्र	23108	0.0	588.50	11.5	0.85	207	0	177
16.	मणिपुर	102	0.0	0.00	0.0	0.00	1000	9	70
17.	मेघालय	655	0.0	0.00	0.0	0.25	1000	7	36
18.	मिजोरम	455	0.0	0.00	0.0	0.00	600	6	20
19.	नागालैंड	700	0.2	0.00	0.0	0.28	0	6	0
20.	उड़ीसा	25681	0.0	0.00	0.0	0.00	1511	0	0
21.	पंजाब	5359	15.2	0.00	6.0	0.00	681	17	0
22.	राजस्थान	195	0.0	278.84	15.3	0.85	10566	0	254
23.	सिक्किम	549	3.0	0.00	0.0	0.00	9770	0	13
24.	तमिलनाडु	4656	1.3	1904.28	67.0	2376.22	0	0	152
25.	त्रिपुरा	200	0.0	0.00	0.0	100.00	0	0	523
26.	उत्तर प्रदेश	20551	3.6	0.00	75.0	2140.46	400	50	250
27.	उत्तरांचल	1284	10.9	0.00	0.0	0.00	4776	13	400
28.	पश्चिम बंगाल	38418	6.0	0.00	0.0	3986.10	150	0	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	0	0.0	0.00	0.0	600.00	0	1	0
36.	अन्य	53106	0.0	0.00	0.0	0.00	2374	0	0
	कुल	309879	307.2	3443.00	428.6	13106.52	50584	253	3391

बायोमास ऊर्जा संभाव्यता का दोहन करना

732. श्री रघुनाथ झा : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपलब्ध अपार बायोमास संभाव्यता का दोहन करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती मूल्य पर ऊर्जा की मांग को पूरा करने हेतु बायोमास को मुख्य धारा में लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, नहीं। कुशल बायोमास ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बायोमास से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जैसे बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम, बायोमास विद्युत/सहउत्पादन कार्यक्रम, बायोगैस आधारित वितरित/ग्रिड विद्युत उत्पादन कार्यक्रम, ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाएं, आदि का कार्यान्वयन कर रही है। अब तक देश में 1024 मेगावाट की कुल बायोमास विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने और व्यावसायिक/पारस्परिक बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित मूल्य ह्रास; मशीनरी तथा संघटकों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क; उत्पाद शुल्क से छूट; भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसी परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग और खरीद-वापसी के लिए नीतियों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त देश में बायोमास संसाधन संभाव्यता का एक वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है।

मेट्रो फीडर बस सेवा

733. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो फीडर बस की सेवा अनियमित, घटिया और असुविधाजनक है जिसके फलस्वरूप कुछ भागों में कम लोग दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा फीडर सेवा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की सिफारिश पर उन्होंने (i) 65 समर्पित मेट्रो फीडर रूट बनाए हैं तथा (ii) इन रूटों पर ग्रामीण परिवहन वाहन (आरटीवी) के प्रचालन के लिए 356 परमिट जारी किए हैं। इनके अतिरिक्त बस रूटों पर चलने वाली तथा तीन मेट्रो लाइनों के विभिन्न स्टेशनों से होकर या उनके पास से गुजरने वाली दिल्ली परिवहन कम्पनी (डीटीसी) तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बसे भी फीडर उद्देश्य को पूरा करती हैं।

निधि कंपनियों का दर्जा दिया जाना

734. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय विशेष प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निधि कंपनियों के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधि कंपनियां घोषित करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान कौन-कौन सी कंपनियां निधि कंपनी घोषित की गई हैं;

(घ) वर्ष के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार कितने आवेदन निपटाने हेतु लंबित हैं; और

(च) इन लंबित मामलों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत कतिपय विशेष प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निधि कंपनी का दर्जा प्रदान कर रही है। आज की स्थिति के अनुसार, 257 कंपनियों को निधि कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो इस मंत्रालय के अधिसूचना सं. सा.का.नि. 241, दिनांक 28.4.1995, 555(अ) दिनांक 26.7.2001, 308(अ; एवं 309(अ) दिनांक 30.4.2002, 202(अ) और 203(अ) दिनांक 31.3.2006 में दिए गए मानदंडों को पूरा करती हैं उन्हें निधि कंपनी का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार किया जा रहा है। लागू मानदंड विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) यह सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) आज की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय के पास 150 आवेदन लंबित हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में आवेदन अधूरे हैं। आवेदक कंपनियों को उन कमियों को दूर करने की सलाह दी गई है। आवेदक कंपनियों को भी इन कमियों को दूर करने में समय लगता है और तब तक आवेदन को लंबित समझा जाता है। जब पूर्ण आवेदन आ जाता है, तो नागरिक चार्टर में दिए गए समय के अन्दर उनका निपटान कर दिया जाता है।

विवरण-I

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निधि कंपनियों के रूप में घोषित करने के मानदंड

(क) शुद्ध स्वामित्व कोष 10 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए;

(ख) कंपनियों द्वारा सभी प्रारंभिक व्ययों को चुकाने तथा अग्रेनीत हानियों के पश्चात् उपयुक्त लाभ अर्जित किया जाना चाहिए;

(ग) सदस्यों का संख्या 500 से कम नहीं होनी चाहिए;

(घ) उधार लेने तथा उधार देने का कार्य सदस्यों तक ही सीमित होना चाहिए;

(ङ) कंपनियां अपने-अपने शुद्ध स्वामित्व कोष का बीस गुणा तक जमा राशि स्वीकार कर सकती हैं;

(च) कंपनियां कुल स्वीकृत ऋण तथा प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित

अचल सम्पत्ति के मूल्य का 50% तक सम्पत्ति ऋण प्रदान कर सकती है;

(छ) कंपनियों द्वारा अपने जमा का 10% किसी अनुसूचित बैंक में फिक्सड डिपॉजिट के रूप में निवेश किया जाना चाहिए;

(ज) कंपनियों को नियमित रूप से रिटर्न आदि भरना चाहिए तथा कंपनी एवं उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए; और

(झ) कंपनियों को अपने लेखा परीक्षा अधिकारियों से कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुपालन से संबंधित अनुपालना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान निधि कंपनियों के रूप में घोषित कंपनियों के नाम [देखिए, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ) दिनांक 01.07.2005]

1. मैसर्स कासी विश्वनाथर (चेन्नई) बैनिफिट फंड लिमिटेड, चेन्नई।

2. मैसर्स राज बैनिफिट फंड लिमिटेड, तमिलनाडु।

3. मैसर्स ट्राईसी बैनिफिट फंड लिमिळेड, तमिलनाडु।

4. मैसर्स विलावनकोड सैल्फरिलायंस क्रैडिट, सर्विसेज लिमिटेड, तमिलनाडु।

5. मैसर्स मुथूत एम. जार्ज परमानेंट फंड लिमिटेड, केरल।

6. मैसर्स नार्थ वैस्ट मद्रास बैनिफिट सोसायटी लिमिटेड, चेन्नई।

7. मैसर्स पुरासई बैनिफिट फंड लिमिटेड, चेन्नई।

8. मैसर्स धन चक्र परमानेंट फंड (इंडिया) लिमिटेड, आंध्र प्रदेश।

9. मैसर्स विजया कृष्णा परमानेंट फंड लिमिटेड, आंध्र प्रदेश।

10. मैसर्स रानी मंगाम्माल बैनिफिट फंड लिमिटेड, तमिलनाडु।

11. मैसर्स श्री वर्धराजा बैनिफिट फंड लिमिटेड, चेन्नई।

12. मैसर्स श्री कालीहंबल बैनिफिट फंड लिमिटेड, चेन्नई।

13. मैसर्स कोस्टल परमानेंट फंड लिमिटेड, आंध्र प्रदेश।

डी डी ए फ्लैटों की बिक्री

735. श्री कीर्तिवर्धन सिंह :
श्रीमती अर्चना नायक :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा एच.आई.जी., एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों के आवंटन हेतु "लाटरी निकालने" की पुरानी प्रणाली को पुनः अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थान-वार कितने एच.आई.वी., एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों के आवंटन हेतु खाली पड़े हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक फ्लैट हेतु निर्धारित अनुमानित लागत और बिक्री मूल्य कितना है; और

(ङ) इन फ्लैटों की बिक्री कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सूचित किया है कि लाटरी निकालकर एच.आई.जी. एम.आई.जी. और एल.आई.जी. फ्लैटों के आवंटन की पुरानी प्रणाली जारी रहेगी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि मुख्य रूप से रोहिणी, नरेला, द्वारका, शालीमार बाग, कल्याण विहार आदि में लगभग 1400 एच.आई.जी., 1700 एम.आई.जी. और 632 एल.आई.जी. श्रेणी के फ्लैट आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।

(घ) फ्लैटों का मूल्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाता है तथा कुरसी क्षेत्र, इलाके और श्रेणी आदि के आधार पर

इसमें अन्तर रहता है तथा मांग एवं आबंटन पत्र जारी किए जाने की तारीख को लागू मूल्य के अनुसार यह लिया जाता है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि एल.आई.जी. फ्लैटों के लिए अगली लाटरी सितम्बर, 2006 में निकाले जाने की संभावना है तथा एच आई जी और एम आई जी फ्लैट जनवरी, 2007 के अन्त तक आबंटित किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति

736. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति में विशेषकर विद्युत क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से भारी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संशोधन करने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) राष्ट्रीय विद्युत नीति में इस प्रकार से किसी भी परिवर्तन का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

मध्या 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

दिनांक 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 848 (ङ) में प्रकाशित आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2006 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 847(अ) जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ग की उपधारा (2) के खंड (बारह) के प्रयोजनार्थ भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन अक्षय III प्लान को वार्षिकी प्लान के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2006 जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.अ. 848(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 963(अ) जो 29 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए की राशि के बंधपत्रों (तीन वर्ष पश्चात् विमोचनीय) को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 964(अ) जो 29 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए जाने वाले चार हजार पांच सौ करोड़ रुपए की राशि के बंधपत्रों (तीन वर्ष पश्चात् विमोचनीय) को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2006 जो 12 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4510/2006]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद)

नियम, 2006 जो 25 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4511/2006]

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत लागत लेखांकन अभिलेख (विद्युत उद्योग) संशोधन नियम, 2006 जो 29 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4512/2006]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (1) मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) सा.का.नि. 313(अ) जो 25 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 344(अ) जो 6 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 375(अ) जो 21 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 292(अ) जो 17 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 318(अ) जो 29 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 369(अ) जो 19 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि 1.3.2006 से 3.5.2006 की अवधि के दौरान उनमें उल्लिखित टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों तथा जल पर कोई उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 415(अ) जो 11 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 2/2006-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2006 जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4513/2006]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 721(अ) जो 16 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 817(अ) जो 26 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात

के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 818(अ) जो 26 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 830(अ) जो 31 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ 912(अ) जो 15 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 952(अ) जो 27 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपिय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 953(अ) जो 27 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 982(अ) जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 257(अ) जो 28 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 310(अ) जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 330(अ) जो 31 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 343(अ) जो 6 जून 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 364(अ) जो 14 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 367(अ) जो 15 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 380(अ) जो 26 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 393(अ) जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित माल को उसमें उल्लिखित देशों से भारत गणराज्य में आयात किए जाने पर उस पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 394(अ) जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित माल को उसमें उल्लिखित देशों से भारत गणराज्य में आयात किए जाने पर उस पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 395(अ) जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 407(अ) जो 6 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 291(अ) जो 17 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) यात्री सामान (संशोधन) नियम, 2006 जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 392(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 315(अ) जो 26 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट ऊनी वस्त्रों पर सीमा शुल्क की अनुप्रयुक्त दरें विहित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 316(अ) जो 26 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 353(अ) जो 8 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 370(अ) जो 20 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 379(अ) जो 23 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 386(अ) जो 28 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) कुरियर आयात एवं निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2006 जो 23 जून, 2006 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 378(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4514/2006]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 308(अ) जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और उक्रेन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट विस्कोज फिलामेंट यार्न पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 309(अ) जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 320(अ) जो 29 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त अरब अमीरात तथा ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित व्हाइट सीमेंट के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की अवधि बढ़ाकर 13 जून, 2007 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 321(अ) जो 29 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जिंक ऑक्साइड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख 8 अप्रैल, 2007 सहित इस तारीख तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 329(अ) जो 31 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट रेशमी वस्त्रों पर छह मास की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 342(अ) जो 6 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 351(अ) जो 7 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-नेपाल व्यापार संधि में प्रोटोकाल में यथाविनिर्दिष्ट प्राथमिक उत्पादों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 359(अ) जो 9 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एनीलाईन पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 368(अ) जो 15 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनीडाजोल पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 384(अ) जो 27 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरब और रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित हेक्सामिन पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख 27 जून, 2007 सहित इस तारीख तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 409(अ) जो 10 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

14 नवंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 168/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 426(अ) जो 17 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 2-एमएनआई पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख 17 जुलाई, 2007 संहित इस तारीख तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4515/2006]

(4) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अधीन स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नशे के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि) नियम, 2006 जो 24 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4516/2006]

(5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ''महात्मा बसवेश्वर'' के सम्मान में सौ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2006 जो 19 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ''भारतीय स्टेट बैंक द्विशती वर्ष'' की स्मृति में सौ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2006 जो 10 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4517/2006]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 300(अ) जो 23 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 328(अ) जो 31 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन सभी कर योग्य सेवाओं को, जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक सेवा कर का भुगतान करने का दायी है, सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 339(अ) जो 2 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) मूल्य सेवा कर निर्धारण (संशोधन) नियम, 2006 जो 27 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 418(अ) जो 13 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के अंतर्गत आने वाली कर योग्य सेवाओं को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4518/2006]

(7) वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 66 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 319(अ) जो 29 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 जून, 2006 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करना है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 66 के खंड (ख) के प्रावधान प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति

तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4519/2006]

(8) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 794(अ), जो 24 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कावेरी ग्रामीण बैंक और कल्पतरू ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(दो) का.आ. 842(अ), जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, जमुना ग्रामीण बैंक और एटा ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 843(अ), जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो होशंगाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र छिंदवाड़ा-सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(चार) का.आ. 844(अ), जो 1 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री अनंत ग्रामीण बैंक, रायलसीमा ग्रामीण बैंक और पिनाकिनी ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 877(अ), जो 12 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मारवाड़ ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(छह) का.आ. 877(अ), जो 12 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(सात) का.आ. 986(अ), जो 1 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 977(अ), जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 978(अ), जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(दस) का.आ. 979(अ), जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और संथाल परगना ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 980(अ), जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 981(अ), जो 30 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक और कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक के समामेलन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4520/2006]

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 3 मार्च, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 130(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियम, 2006 जो 19 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 जो 19 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4521/2006]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक

महा-सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :-

"कि राज्य सभा ने 27 जुलाई, 2006 को हुई अपनी बैठक में संसद की सभाओं द्वारा यथापारित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के परंतुक के अधीन यथावापस किए गए संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 पर विचार किया और इसे पुन: पारित कर दिया है।"

महोदय, मैं 27 जुलाई, 2006 को राज्य सभा द्वारा यथापारित संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, मैं संविधान संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 पर संसद की सभाओं द्वारा पुनर्विचार किए जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 111 के परंतुक के अंतर्गत माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निम्नलिखित संदेश भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

राष्ट्रपति से संदेश

"मुझे 25 मई, 2006 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत मेरी अनुमति हेतु संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत रूप से पारित संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 प्राप्त हुआ।

अपने सहयोगी संसदविदों की बुद्धिमत्ता और उनके परिपक्व ज्ञान का सम्मान करते हुए तथा संसद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं चाहूंगा कि संसद प्रस्तावित विधेयक पर:

(क) संविधान के अनुच्छेद 102 में 'लाभ के पद' की अभिव्यक्ति के सम्यक निर्वचन; और

(ख) उसमें अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में पुनर्विचार करे।

अन्य बातों के साथ-साथ, पुनर्विचार करते समय, निम्नलिखित का विशिष्ट रूप से निपटान किया जाए :

(एक) मूल और व्यापक मानदंड विकसित करना जो उचित, न्यायसंगत और उपयुक्त हों और सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में स्पष्ट और पारदर्शी तौर पर लागू किए जा सकें;

(दो) उन पदों को छूट वाले पदों में शामिल किए जाने का प्रभाव कथित रूप से जिसे धारण करने से सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है और जिनके संबंध में निरर्हता हेतु याचिकाएं पहले से ही सक्षम प्राधिकारी के प्रक्रियाधीन हैं; और

(तीन) इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की विधि की उपयुक्तता और समीचीनता।

अतएव, मैं एतद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 111 में किए गए उपबंध के अनुसार इस संदेश के साथ विधेयक पर पुनर्विचार हेतु दोनों सभाओं को विधेयक वापस करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठकें रद्द किए जाने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे अनेक सदस्यों से सत्र में तीन दिन की कमी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

आज पार्टियों के नेताओं के साथ हुई मेरी बैठक में सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति बनी है कि सोमवार, 28, मंगलवार, 29 तथा बुधवार, 30 अगस्त, 2006 को निर्धारित बैठकें रद्द कर दी जाएं।

उपयुक्त बैठकों के रद्द किए जाने के कारण हुई समय हानि की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव किया है, जिसे सभी माननीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया है, कि सभा 1 अगस्त से 18 अगस्त, 2006 तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक बैठेगी।

आशा है सभा इससे सहमत है।

अपराह्न 12.04 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रेल नेटवर्क- विस्तार और निवेश' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति 2005-06 (14वीं लोक सभा) के 12वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिश के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04¼ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) अठारहवां प्रतिवेदन

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, मैं भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषज विधेयक, 2005 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

डा रामचन्द्र डोम : महोदय, मैं भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषज विधेयक, 2005 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (2005-2006) के अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन भाग-II दिनांक सितम्बर, 2004 के माध्यम से अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की 9वीं रिपोर्ट (ग्रामीण विकास विभाग) (2005-06) (14वीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की 9वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) दिनांक 20.4.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2005-06 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को 31.10.2005 को भेजी गयी थी।

उस रिपोर्ट में समिति ने 51 सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है। ये सिफारिशें मुख्यत: स्व-रोजगार एवं मजदूरी रोजगार के सृजन हेतु योजनाओं, ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास हेतु प्रावधान, ग्रामीण सड़कों संबंधी मुद्दों और कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन,

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4522/2006

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु सहायता, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन आदि जैसी विशिष्ट जानकारी से संबद्ध हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपरा 12.05 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सोमवार, 31 जुलाई, 2006 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :-

1. आज के आदेश पत्र से अलग सूची में सम्मिलित सरकारी कार्य की किसी ऐसी मद, जिसका निपटान उस दिन न हुआ हो, पर विचार करना।

2. संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाना और इसे पारित किया जाना।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना और इसे पारित किया जाना :-

   (क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005;

   (ख) उपज उपकर विधि (उत्पादन) विधेयक, 2006;

   (ग) सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004; और

   (घ) औषधि (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2006।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाना और इसे पारित किया जाना।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित, असम राइफल्स विधेयक, 2006 पर विचार किया जाना और इसे पारित किया जाना।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना और इन्हें पारित किया जाना :-

   (क) छावनी विधेयक, 2003;

   (ख) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेकय, 2005; और

   (ग) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :-

1. भारत सरकार की कृषि नीति के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य और विदेशों से आयातित खाद्यान्न की मात्रा का भुगतान भारतीय मुद्रा में और खाद्यान्न भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरण की स्थिति।

2. भारत का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और भारत की परमाणु शक्ति में देश की प्रभुसत्ता सम्पन्नता।

[अनुवाद]

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :-

1. रेनुका बांध का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करना, जो कि दिल्ली के निवासियों को अत्यधिक वांछित शुद्ध जल उपलब्ध कराने

के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के लोगों के लिए समृद्धि के युग का सूत्रपात करेगा।

इस अनुपम और विविधताओं से ओत-प्रोत भूमि की ओर घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत देश को स्वच्छ, हराभरा और सुव्यवस्थित रखने संबंधी मुद्दों पर संसद में चर्चा और विचार-विमर्श करना।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :-

1. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने हेतु एक फसल मूल्य प्राधिकरण स्थापित करने का कार्य जिससे किसानों को कृषि कार्य के प्रति उत्साह बना रहे।

2. गुजरात के सौराष्ट्र को बिजली मांग के अनुरूप नहीं मिल पा रही है एवं नहरों से पानी नहीं मिल पा रहा है, अतः सौराष्ट्र के किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :-

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर, उत्तरांचल के लिए स्वीकृत विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता।

2. प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय, देघाट जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इसी शिक्षण सत्र से विद्यालय संचालन की सवीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :-

1. कर्मचारी पेंशन योजना (1995) का मूल्यांकन करने की आवश्यकता।

2. पेट्रोल पम्प कामगारों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना।

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :-

1. अलवर जिले, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है, के लिए रेल तथा सड़क सम्पर्क बढ़ाने की आवश्यकता। अलवर में सरसों की फसल के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान खोले जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :-

1. राजस्थान में विगत अकाल राहत कार्यों पर लगे लाखों मजदूर मजदूरी के भुगतान के बदले गेहूं के स्थान पर मक्का अथवा बाजरा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि केन्द्र सरकार गेहूं की कमी के चलते प्रदेश सरकार की मांग पर गेहूं का आबंटन नहीं कर पा रही है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु अनाज के बदले नगद राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता।

2. आम आदमी को सुचारु रूप से जिंदगी जीने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता एवं खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर अविलंब नियंत्रण किए जाने और मूल्य कम किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

1. पश्चिम बंगाल विशेष रूप से मुर्शिदाबाद जिले, जहां कई भागों में बाढ़ की आशंका है, में बाढ़ की स्थिति।

2. पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना।

अपराह्न 12.10 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खाते खोलने, ड्राफ्ट जारी करने तथा समाशोधन कार्यों सहित कतिपय महत्वपूर्ण बैंककारी कार्यकलापों के आउटसोर्सिंग की अनुमति देने के भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें:-

"खाते खोलने, ड्राफ्ट जारी करने तथा समाशोधन कार्यों सहित कतिपय महत्वपूर्ण बैंककारी कार्यकलापों के आउटसोर्सिंग की अनुमति देने के भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ गौण (नॉन-कोर) कियाकलापों की आउटसोर्सिंग को विनियमित करने के लिए मार्गनिर्देशों का मसौदा प्रस्तावित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उन्हीं क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग हो जिनमें बैंकों को अपेक्षित निपुणता प्राप्त न हो और जिससे वे लागत संबंधी लाभ उठा सकें।

उक्त मार्गनिर्देशों के मसौदे के अनुसार, बैंक कार्पोरेट संबंधी योजना बनाने, संगठन, प्रबंधन एवं नियंत्रण तथा खाता खोलने के लिए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंडों के अनुपालन निर्धारित करने, ऋण के लिए मंजूरी देने एवं पोर्टफोलियो के प्रबंधन आदि जैसे निर्णय लेने संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों की आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते।

बैंकों द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए जिन वित्तीय सेवाओं पर विचार किया जा सकता है, उनमें आवेदनों पर कार्रवाई (ऋण का प्रवर्तन, क्रेडिट कार्ड आदि), विपणन और अनुसंधान, डाटा प्रोसेसिंग और बैंक आफिस से संबंधित गतिविधियां आदि शामिल होंगी। इन गौण वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से ग्राहकों को भी लाभ होने की आशा है क्योंकि इससे बैंक अपेक्षाकृत शीघ्र एवं कुशल सेवा दे सकेंगे।

बैंकों के लिए केवल उस स्थिति को छोड़कर जब सेवा प्रदान करने वाला भारत से बाहर रह रहा हो या आउटसोर्सिंग घर तक (डोरस्टेप) बैंकिंग से संबंधित है, आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक नहीं होगा। इन मार्गनिर्देशों के पीछे यह सिद्धांत निहित है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं न तो ग्राहकों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति बैंक के दायित्वों को कम करने वाली होनी चाहिए और न ही इनसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में बाधा पड़नी चाहिए।

जहां तक समाशोधन परिचालनों का संबंध है, इस समय चेकों का समाशोधन समाशोधन गृहों में किया जाता है, जो सहभागी संस्थाओं के स्वैच्छिक संगठन हैं। इस समय, देश में 1030 समाशोधन गृह हैं। इनमें से 16 केन्द्रों में समाशोधन गृह का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है और शेष केन्द्रों में उनका प्रबंधन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। इनमें से 55 केन्द्रों पर परिचालनों को मशीनीकृत किया जाता है और इसे माइकर चेकों के माध्यम से किया जाता है।

किसी एक समावेशक संगठक (अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन) के अंतर्गत सभी समाशोधन गृहों (क्लियरिंग हाउसों) को समेकित किए जाने का प्रस्ताव है जिसकी जांच की जा रही है और जो सेक्शन 25 कंपनी (संगठन जो लाभ के लिए नहीं होते हैं) होगी। इस कंपनी का स्वामित्व भागीदार कंपनियों, अर्थात् बैंकों, के पास होगा और विविध स्वामित्व वाली होंगी। भारतीय बैंक संघ द्वारा इस कंपनी के गठन की पहल की जा रही है। इस प्रस्ताव में समाशोधन गृहों द्वारा फिलहाल किए जा रहे समाशोधन संबंधी किसी कार्य की आउटसोर्सिंग शामिल नहीं है। आशा की जाती है कि प्रस्तावित कंपनी से सेवा के स्तर में अपेक्षाकृत अधिक दक्षता और मानकीकरण आएगा और साथ ही देश में नई प्रौद्योगिक रूप से उन्नत भुगतान प्रणालियां आएंगी जिससे बैंक के ग्राहकों का लाभ होगा।

इस बात पर जोर दिया जाता है कि बैंकों और अन्य एजेंसियों से प्रति सूचना प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारूप मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि कतिपय गौण (नॉन कोर) क्रियाकलापों को आउटसोर्स किए जाने की बैंकों को अनुमति देने का प्रस्ताव करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक ये सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है कि आउटसोर्सिंग के आसन्न जोखिम पर उचित ध्यान दिया

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4524/2006

जाए। मूल बैंक आउटसोर्स किए गए अपने एजेंट के व्यवहार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और बैंक के संबंधित बोर्ड की पूर्ण परिभाषित नीति के अधीन ही आउटसोर्सिंग करेगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं आपका ध्यान वक्तव्य के प्रथम अनुच्छेद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह केवल दिशानिर्देश का मसौदा है।

दूसरी बात, वह कहते हैं कि गौण क्रियाकलापों को आउटसोर्स किया जाएगा। मेरे पास भरतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के अध्यक्षों के जारी 25 जनवरी, 2006 के परिपत्र की एक प्रति है। यह डीबीओडी द्वारा एक विशेष नंबर के साथ जारी किया गया है। यदि आप परिपत्र को पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मसौदा कहा गया हो। यह परिपत्र एक निर्णय या एक सुझाव है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखें। माइक काम कर रहा है। आप पर्याप्त रोशनी डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, हमें गुमराह किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कई बार ऐसा हो जाता है। हमें इसे बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम हमेशा अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार काम नहीं करते। क्या हम ऐसा करते हैं?

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : प्रश्न यह है कि यह मसौदा नहीं है यह पूर्ण परिपत्र है।

महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं और इसे सभा पटल पर रख सकता हूं...*(व्यवधान)* अत: प्रश्न यह है कि यह एक मसौदा नहीं है। दूसरी बात, वह कहते हैं यह गौण क्रियाकलापों के लिए है और तीसरी बात वह यह कहते हैं कि नई प्रौद्योगिकी, अधिक कुशलता तथा मानकीकरण लाने के लिए मंजूरी दी जा रही है।

महोदय, मैं अपना प्रश्न इस प्रकार शुरू करता हूं। अधिक कुशलता जो आप बैंकिंग प्रणाली में लाना चाहते हैं उस प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? इसके लिए एक निजी कंपनी क्यों सृजित की गई है तथा बैंक ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

मेरा तीसरा प्रश्न है : क्या प्रमुख है और क्या गैर प्रमुख? महोदय, कृपया मुझे आउटसोर्स किए जा रहे क्रियाकलाप की छानबीन की अनुमति दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार वे ऋण लेने वालों की पहचान, ऋण आवेदनों का एकत्रण, ऋण आवेदनों की प्रोसेसिंग, प्राथमिक सूचना की जांच, मंजूरी पश्चात् निगरानी, अनुवर्ती वसूली ऋण कम राशि के ऋणों का वितरण और मूल ब्याज की वसूली को आउटसोर्स कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यह बैंकिंग व्यवसाय का 60 प्रतिशत है।

क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि सरकार इस प्रणाली की विशेषताओं की जड़ें खोदकर देश की बैंकिंग कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रही है, निजी एजेंसियों, बिचौलियों को कमीशन के भुगतान पर बैंकिंग का 60 प्रतिशत व्यवसाय सौंप रही है। यह बैंकिंग प्रणाली में आंशिक निजीकरण को पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने से कम नहीं है। अत: 60 प्रतिशत आउटसोर्स कराया जा रहा है।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं जानता हूं कि श्री पी. चिदम्बरम के कुछ मित्र इस ओर भी हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या वे आपके दुश्मन हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त : नहीं, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। मैं उनका आलोचक हूं।...*(व्यवधान)*

मेरा प्रश्न यह है कि 1996 में श्री पी. चिदम्बरम ने स्थानीय क्षेत्र निजी बैंकों की स्थापना के नाम पर बैंकिंग प्रणाली में ऐसा ही निजीकरण शुरू करना चाहा था। उस समय राजनैतिक समीकरण भिन्न थे। और उस पहल को त्यागना पड़ा था क्योंकि कुछ होहल्ला हुआ था। वही त्यागा गया सिद्धांत आज शुरू करने की इच्छा है।

बिचौलिए कौन हैं? माननीय मंत्री जी के विचार से, रिजर्व बैंक के विचार से वे कौन लोग हैं जो बिचौलिए बनेंगे, जो एजेंट के तौर पर कार्य करेंगे और बैंक जिन्हें अपने कार्य आउटसोर्स करेगा? वे कारपोरेट कंपनियां हैं। इसका मतलब है कि बड़े कारपोरेट घराने रिटेल बैंकिंग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बाजार खोलेंगे, बीमा एजेंट और गैर बैंकिंग वित्तीय निगम वहां होंगे। अतएव, बैंकों द्वारा किए

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

जा सकने वाले और बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्य बैंकिंग संगठनों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर, शायद वित्त मंत्री की सलाह पर आउटसोर्स किए जा रहे हैं।

नारा क्या है? जारी किया गया परिपत्र दो नारे देता है, दो उद्देश्य, एक अधिक वित्तीय अंतर्वेशन और दूसरा अपना विस्तार करना। माननीय वित्त मंत्री निजी कारपोरेटों की सहायता से पूरे देश में बैंकिंग प्रणाली का विस्तार करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि निजी ऋणदाता देश में 70 प्रतिशत किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या इसकी जरूरत है? बैंकिंग क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने के लिए हमें कारपोरेट कंपनियां नियुक्त करनी पड़ेंगी। क्या यह जरूरी है? मेरी सूचना के अनुसार, देश में बैंकों की 70,000 शाखाएं हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। यदि आप बैंकिंग क्रियाकलापों का विस्तार करना चाहते हैं तो सरकार बैंकों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाती? मेरा मुद्दा बिलकुल आसान है। यह संभव है। क्यों? आपको यह जानना चाहिए और निश्चित तौर पर इसका श्रेय माननीय मंत्री को जाता है कि देश में बैंकिंग प्रणाली का लाभ इस प्रकार का है। गत वर्ष, बैंकिंग प्रणाली ने 40,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। इस वर्ष बैंकिंग प्रणाली ने 41,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। यदि लाभ इतना अधिक है तो निजी कारपोरेटों को बैंकिंग का 60 प्रतिशत व्यवसाय सौंपने के बजाय नई ग्रामीण शाखाएं खोलने में क्या समस्या है? यही पहला प्रश्न है।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि इसका परिणाम क्या है?

[हिन्दी]

आउटसोर्सिंग बैंकिंग के बारे में सोच रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा, यह पूरे हिन्दुस्तान को सोचना चाहिए। पहला नतीजा यह होगा कि

[अनुवाद]

बैंकिंग व्यवसाय बैंक परिसर के बाहर किया जाएगा और उसे सामान्य बैंकिंग व्यवसाय का एक भाग माना जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, कृपया मुझे कुछ मिनट और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट और ले सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : दूसरा, कमीशन एजेंट होंगे। इसका मतलब यह है कि करोड़ों रुपए कमीशन का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब बैंकिंग महंगी होगी जिसका अर्थ यह है कि बैंकों का लाभ कम होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : तीसरा, बैंक निजी एजेंटों के लिए उत्तरदायी होंगे। महोदय, जरा कल्पना कीजिए। निजी एजेंट गलत काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी बैंकों पर है। क्या यह देश में न्याय का सामान्य नियम है? यह कहां ले जाएगा? यह आम आदमी पर लागू होने वाली सभी नियमित और सामान्य बैंकिंग सेवाओं की आउटसोर्सिंग की ओर ले जाएगा। आम आदमी बैंकों की सेवाओं को खो देगा। आम आदमी को निजी एजेंट सेवाएं देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सामान्य बैंकिंग का त्याग हो जाएगा।

यहां मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम नहीं लूंगा। उस नाम को भुला देना चाहिए। बैंकों को केवल समााजिक बैंकिंग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकृत किया गया था। यदि बैंकों का 60 प्रतिशत आउटसोर्स किया जाएगा, तो सामाजिक बैंकिंग निजी व्यापारियों की दया पर रह जाएगी। बैंक क्या करेंगे? बैंक बड़े ग्राहकों और अमीरों के लिए बैंकिंग करेंगे। वे इसी को प्रमुख बैंकिंग कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार की पिछले दरवाजे से प्रवेश की नीति द्वारा बैंकों के राष्ट्रीय चरित्र को समाप्त किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। अपना प्रश्न रखिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : कुछ विदेशी बैंकों ने आउटसोर्सिंग की है।

देश में अनुभव क्या रहा इसकी बात करते हैं। एचएसबीसी ने आउटसोर्सिंग की है। परिणाम क्या रहा? परिणाम यह रहा कि धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। आउटसोर्सिंग करने वाले बहुत से विदेशी बैंकों में धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित कौन होंगे? पीड़ित होंगे बेरोजगार युवा, जो इन एजेंटों द्वारा कम भुगतान पर काम करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। वे ही पीड़ित होंगे। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं किंतु मैं कहूंगा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं का दुरुपयोग किया जाएगा।

अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है तथा यह 'क्लियरिंग' से संबंधित है। 'क्लियरिंग' का कार्य निजी एजेंसियों को क्यों सौंपा जाए? क्या उनका विश्वास भारतीय रिजर्व बैंक से उठ गया है? क्या वे यह विश्वास करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक पर बहुत ज्यादा बोझ पहले से ही है? ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? इसके अलावा, यह कार्य निजी लिमिटेड कंपनी को सौंपा जा रहा है तथा इसका नाम राष्ट्रीय अदायगी निगम है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर सरकार से पूछ सकता हूं जिसे हम समर्थन दे रहे हैं? यह प्रश्न पूछना मेरे लिए कष्टदायक है क्योंकि ऐसा करने से इस सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठेंगे। मुझे इस सरकार से यह प्रश्न पूछना कष्टदायक होगा क्योंकि यह हमारे समर्थन पर टिकी है।

मेरा प्रश्न है कि यदि 60 प्रतिशत बैंकिंग क्रियाकलाप 'आउटसोर्स' किए जाते हैं, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत जमा राशि निजी एजेंटों को सौंप दी जाती हैं, यदि ऋण देने का 50 प्रतिशत कार्य निगमित एजेंसियों को सौंप दिया जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के पास क्या बचेगा? यह वर्तमान बैंकिंग प्रणाली को कमजोर बनाएगा इसकी भूमिका कम करेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे आम आदमी नियुक्त की जाने वाली निजी कंपनियों के आश्रित हो जाएंगे। लगभग 16 लाख करोड़ रु. बैंकों में हैं तथा 9 लाख करोड़ रु. अग्रिम हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्त, यह उचित वाद-विवाद नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ तथा अनुभवी सदस्य हैं। आप नियम को समझते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, इसका अर्थ यह हुआ कि जाने या अनजाने में माननीय मंत्री बैंकिंग प्रणाली को कमजोर बना रहे हैं। यह खुली पिछले दरवाजे की नीति है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम इस नीति का विरोध करेंगे। आज देश में बैंकों की हड़ताल है। यदि सरकार नहीं बदलती है तो देश में और हड़ताल होगी, संसद में हंगामा होगा तथा हमें दोष न दें क्योंकि जिस तरह की नीति का आप अनुसरण कर रहे हैं उसके चलते राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता को खतरा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात प्रश्न के रूप में रख सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है श्री चन्द्रप्पन। आपेन अपना अधिकार दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी अचानक कुछ सदस्य अपना संतुलन खो देते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों होता है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री फ्रांसिस जार्ज द्वारा एक प्रश्न उठाने की ही अनुमति दूंगा। तब मैं माननीय मंत्री को तुरंत उत्तर देने के लिए बुलाऊंगा। आपको ध्यानाकर्षण के नियम पता होने चाहिए। यदि इसका प्रतिदिन उल्लंघन किया जाता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : अध्यक्ष महोदय, छह लाख से ऊपर बैंक कर्मचारी आज भारतीय रिजर्व बैंक के इस परिपत्र के कारण हड़ताल पर हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में विशेष 'क्लियरिंग' कार्यों के लिए 'आउटसोर्सिंग' का प्रावधान करता है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र के उन कार्यों जिसके लिए इसके पास विशेषज्ञता नहीं है को 'आउटसोर्स' करने का निर्णय लिया है। मुझे दुख है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है। वस्तुत: यह काफी अफसोसजनक बात है तथा यह देश के बैंक कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

मैं खुद एक बैंक कर्मचारी रहा हूं। हम 'क्लियरिंग' तथा अन्य

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

सभी कार्य करते रहे हैं जिनका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने किया। इन सभी परिचालनों तथा कार्यों का निष्पादन कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे बैंकिंग क्षेत्र से इस महत्वपूर्ण कार्य को वापस लेने संबंधी ज्ञान प्रस्ताव विशेष पर पुनर्विचार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य का 'आउटसोर्सिंग' हाल के वर्षों में काफी व्यापक हो चुका है। 'एजेंसी कमीशनों' में भारी वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे वाद-विवाद में नहीं बदल सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्रीय बैंक की भूमिका परिभाषित करने के लिए इस महत्वपूर्ण संस्था की शक्तियां घटाने के उद्देश्य से बैंक बाहरी एजेंसियों को कार्य सौंपने के लिए तत्पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बैंक के पास उपयुक्त विशेषज्ञता नहीं है जिसके चलते वे लागत प्रभावी लाभ प्राप्त कर सकें। एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है तथा हम एक पृथक संगठन बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने का विरोध करते हैं।

महोदय, जहां तक चेक, इत्यादि का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'क्लियरिंग' का प्रश्न है, वह कुशलतापूर्वक किया जा रहा था। ग्राहक संतुष्टि 97 प्रतिशत है। हाल में, इसकी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए निवेश भी किया गया है। 'आउटसोर्स' करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया परिपत्र, जैसा कि उन्होंने बताया है, केवल गैर-महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में ही नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि खाता परिचालन, जमा संग्रहण, ऋण संवितरण तथा ये सभी कार्य गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

महोदय, आज लाखों बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह हम जान चुके हैं, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कुछ कार्य 'आउटसोर्स' करने के निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। सहकारी क्षेत्र के बैंकों के महत्वपूर्ण कार्यों को 'आउटसोर्स' करके वे और कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। अब उन्हें उत्तर देने दें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सरकारी हिस्सेदारी को 79 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक कम करने जैसे हैं, जैसा कि सरकार का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निर्णय की समीक्षा करेगी तथा इसे वापस लेगी। अन्यथा, यह हमारे देश के लोगों के हितों को क्षति पहुंचाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्न पूछने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : जो हमसे परमीशन मांगते हैं, हम उन्हें बोलने का टाइम देते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब यह परिकल्पना की गई थी कि इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से आपने 60 प्रतिशत कार्य निजी क्षेत्र को देने की बात कही है। मैं समझता हूं कि इससे निजी क्षेत्र के लोगों की मोनोपोली होगी और आम लोगों को असुविधा होगी। इसमें खासकर बड़े लोगों को फायदा मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिस परिकल्पना को लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कि इससे आम लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी, हम

उस परिकल्पना से दूर जा रहे हैं। इससे निजी क्षेत्र में जाने से उनकी मोनोपोली हो जाएगी ओर व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, बल्कि अनियमित होगी। इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और इस बारे में माननीय मंत्री जी सदन में वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बी. महताब; केवल एक स्पष्टीकरण पूछें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं सीधे प्रश्न पर आता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इससे अवगत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक की कटक 'क्लियरिंग हाउस'—जिसका वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा द्वारा प्रबंधन किया जाता है—का भुवनेश्वर 'क्लियरिंग हाउस' में विलय के निर्णय से आम जनता में रोष व्याप्त है तथा कई दिन तक बहुमूल्य बैंकिंग घंटों के कार्य की हानि हुई जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक के विलय को टालना पड़ा। जब भारतीय रिजर्व बैंक ने भुवनेश्वर में एमआईसीआर मशीन के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लगाया गया था, तब कटक के 'क्लियरिंग हाउस' जिसका प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाता है, को बंद करने की मुहिम क्यों चलाई जा रही है? केवल कटक नगर में ही 36 बैंकों की कम से कम 120 शाखाएं हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कटक स्थित समाशोधन गृह को बंद नहीं करेगी तथा कटक में एमआईसीआर प्रौद्योगिकी वाला एक नया चैक प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देगी।

श्री पी. चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा कि मेरा बयान पूर्णतया स्पष्ट था तथा बयान में यह स्पष्टतः बताया गया था कि बैंक के मुख्य क्रियाकलाप वाला है तथा गौण क्रियाकलाप क्या हैं। मैं पुनः जोर देकर कहता हूं कि मुख्य बैंकिंग क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग नहीं की जा रही है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मसौदा दिशा-निर्देशों में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बैंक के मुख्य क्रियाकलापों को आउटसोर्स करने की या तो अनुमति दी गई है या बैंक को आउटसोर्स करने की आवश्यकता है।

ऐसे कई क्रियाकलाप हैं जो स्पष्टतया गैर-बैंकिंग क्रियाकलाप हैं। इसका मैंने मेरे बयान में उल्लेख किया है। मैं आपको विपणन तथा अनुसंधान का एक उदाहरण देता हूं। विपणन तथा अनुसंधान सबसे अच्छा कौन कर सकते हैं? विपणन तथा अनुसंधान सबसे अच्छा वे संगठन कर सकते हैं जिनके पास विपणन तथा अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसलिए अगर किसी बैंक का बोर्ड किसी सपष्ट नीति के तहत इन क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग करना चाहता है तो मेरे विचार से सही दिशा में कदम है। इससे दक्षता बढ़ेगी और लाभ बढ़ेगा तथा बैंकों के खर्चों में भी कमी आएगी। इसलिए गलत सूचनाओं या अधूरी सूचनाओं के आधार पर जो कहा गया है उसे नहीं मानना चाहिए...*(व्यवधान)* यदि आप भी बोलते ही रहेंगे, तो मैं उत्तर कैसे दूंगा?

बयान में बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये दिशा-निर्देश प्रारूप दिशा-निर्देश हैं। ये वस्तुतः प्रारूप दिशा-निर्देश हैं... *(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : वे मसौदे को सही कैसे ठहरा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। मंत्री उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद, यदि आवश्यक हुआ तो अनुमति ले लें।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : ये प्रारूप दिशा-निर्देश हैं। माननीय सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कोरेसपोंडेंट तथा बैंकिंग फैसिलिटेटर के संबंध में जारी परिपत्र पढ़े। माननीय सदस्य को याद आएगा कि वर्ष 2005-06 के बजट भाषण के पैरा 48 में मैंने यह कहा था और इसमें; यह उल्लेख है :

> "48. सरकार का विचार वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) तथा सहकारी बैंकों का ध्यान ऋण प्रदान करने, विशेषकर उत्पादन ऋण, ग्रामीण गृहस्थी तथा कृषि गृहस्थी की ओर मोड़ना जारी रखने का है। विशेषकर कृषि ऋण में नई-नई बातें संभव हैं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव करता हूं कि नागरिक समिति संगठनों की बुनियादी-संरचना, ग्रामीण कियोस्क तथा ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों का उपयोग कर, ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र को ऋण समर्थन प्रदान करवाकर इन बैंकों को एजेंसी-मॉडल अपनाने के मुद्दे की जांच करें।"

इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को ऋण मिले। केवल एक घंटे पहले ही सदस्यगण यह कह रहे थे कि ऋण

[श्री पी. चिदम्बरम]

अधिक लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। हमने नागरिक समिति संगठनों, ग्रामीण कियोस्क जो स्थापित किए जा रहे हैं तथा दूरसंचार विभाग एवं एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्राम ज्ञान केन्द्रों की पहचान की है।

इस सुझाव पर कार्य करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र जारी किया है कि बैंकिंग करेस्पोंडेंड तथा बैंकिंग फेसिलिटेटर मॉडल के जरिए बैंकिंग सेवाओं तक कैसे पहुंचा जाए तथा उनमें से एक मॉडल जिस पर विचार किया जा रहा है वह डाकघर है जो कि भारत सरकार का है। इसलिए 25 जनवरी, 2006 में परिपत्र का मार्गनिर्देशों से कोई वास्ता नहीं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वे दोनों पूर्णतया अलग-अलग चीजें हैं। आज, वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए हमें डा. रंगराजन से वित्तीय समावेश संबंधी समिति की अध्यक्षता करने को कहा है तथा यह समिति हमें बताएगी कि संस्थागत ऋण तंत्र में किस प्रकार से अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए। इसलिए 25 जनवरी, 2006 के परिपत्र का, प्रारूप दिशानिर्देशों जिन पर अब हम बहस कर रहे हैं, से कोई वास्ता नहीं है। ये दिशानिर्देश प्रारूप दिशानिर्देश हैं और बैंकों तथा अन्य स्वामित्व धारकों से इस संबंध में फीडबैक लिया जा रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक यह निश्चित करेगा कि कौन सी सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जा सकती है और कौन सीं सेवाएं कोर बैंकिंग कार्यकलापों की श्रेणी में नहीं आती हैं। मैंने एक गौण क्रियाकलाप की व्याख्या की है जिसका बैंक के हित में आउटसोर्स किया जा सकता है। इसलिए ऐसा अर्थ लगाना जल्दबाजी होगी, ''यह निजीकरण का दरवाजा है, वित्तीय समावेश बुरा है या सीमा से आगे जाना बुरा है अथवा नई शाखाएं खोलने का यह एक विकल्प है।'' इसलिए यह अर्थ लगाना पूर्णतया जल्दबाजी होगी।

जहां तक बैंक शाखाओं का संबंध है, हम नई शाखाएं खोल रहे हैं। बैंक शाखाएं केवल बैंकों के लाभ पर निर्भर नहीं करती हैं। बैंकों के लाभ का अर्थ है वित्त संबंधी स्थायी समिति के सभापति अपनी सहमति दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : एक ही व्यक्ति...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा 'एक ही व्यक्ति' मैं बहुत सावधान रहता हूं विशेषकर जब आप बैठे हों।

बैंकों का लाभ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह स्थायी समिति की प्रभाविता को दर्शाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वे कड़ाई से पालन कराने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने न केवल मुझे बुलाया बल्कि अन्य सभी को भी बुलाया और मुझे उन्हें वहां पाकर खुशी हुई।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : मैं तो केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कार्य कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी स्थायी समितियों के सभापतियों का अभिवादन किया था।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, उस पक्ष के नेता तथा इस पक्ष के नेता परस्पर हंसी-मजाक कर रहे हैं। इससे हमें और अधिक खुशी होती है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे खुशी होती यदि आपको सभापति बनाया जाता। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है। मैंने उन्हें सभापति नहीं बनाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें मंत्री बना दीजिए। तब, उन्हें अहसास होगा।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, प्रति वर्ष बैंकों की कई शाखाएं खोली जा रही हैं। बैंक शाखा द्वारा उस क्षेत्र से जमा राशि जुटाने के संबंध में यह उस बैंक की क्षमता पर निर्भर करता है। एक ऐसा ऋण जमा अनुपात होना चाहिए जो कि व्यवहार्य हो। बैंक शाखाएं कई जगहों पर खोली जाती हैं। प्रतिवर्ष बैंकों की कई शाखाएं खोली जाती हैं। ये संख्याएं उपलब्ध हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसलिए बैंक शाखाएं खोलना बैंकिंग का एक भाग है।

जिन लोगों को संस्थागत ऋण नहीं मिलता ऐसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, बैंकों का एक अन्य क्रियाकलाप है। ऐसा करते समय हमें कोर बैंकिंग कार्यों जिनकी पहचान की गई है और गैर-कोर बैंकिंग कार्यों के बीच विभेद करना चाहिए। गैर-कोर बैंकिंग कार्यों

को आउटसोर्स किया जा सकता है यदि बैंक के बोर्ड द्वारा तैयार की गई नीति और निर्धारित प्रक्रिया से अंतिम रूप दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के भीतर ऐसा करने से बैंक को लागत लाभ होता हो।

महोदय, मैंने भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का विनियामक नहीं बनाया था। संसद ने भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का विनियामक बनाया था। संसद ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम और बैंकों के राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया था। कुछ अन्य देशों में मौद्रिक प्राधिकरण के अतिरिक्त भी विनियामक हैं। हमारे देश में शुरू से ही—और औचित्यपूर्वक—सभी बैंकों, चाहे वे सरकारी हों या निजी या अन्य बैंक, के लिए भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण विनियामक भी है।

इसलिए, हर किसी को विनियामक के प्रति विश्वास रखना चाहिए। वास्तव में विनियामक को पता होता है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए। सरकार वित्तीय सम्मिलन, वित्तीय पहुंच और नवोन्मेषी मॉडलों के प्रति प्रतिबद्ध है और हम लोगों तक पहुंचने के लिए एक जिले में डाकघर को एक आउटरीच मैकेनिज्म के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रह सकतीं।

जैसे-जैसे नए उपकरण उपलब्ध होंगे और नया ज्ञान उपलब्ध होगा वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था की प्रगति होगी। हमें नवोन्मेषी होना, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना होगा और हमें प्रगतिशील बनना होगा।

इसलिए, मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई निजीकरण नहीं हो रहा है, चोरी-छिपे और खुलेआम कोई निजीकरण नहीं हो रहा है एवं बैंकों के कोट बैंकिंग क्रियाकलापों को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

महोदय, समाशोधन के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि प्रस्तावित 'समाशोधन निगम' कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक कंपनी है। मैं माननीय सदस्यों से कंपनी अधिनियम की धारा 25 का अवलोकन करने का अनुरोध करता हूं। यह एक गैर-लाभप्रद संगठन है। 1,030 समाशोधन गृहों में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल 16 ही चलाए जा रहे हैं। बाकी समाशोधन गृहों को विभिन्न बैंकों द्वारा चलाया जा रहा है। अब बैंक संगठित होकर कह रहे हैं कि ''किसी एक बैंक द्वारा 50 समाशोधन गृह लाए जा रहे हैं जबकि अन्य बैंक द्वारा 30 समाशोधन गृह चलाए जा रहे हैं तथा किसी अन्य बैंक द्वारा 100 समाशोधन गृह चलाए जा रहे हैं इन सब चीजों के स्थान पर हमें एक निगम बनाना चाहिए और क्योंकि हम इसके स्वामी हैं।'' बैंक उस निगम के स्वामी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गैर-सरकारी नागरिक इसका स्वामी बनने जा रहा है। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि बैंक, समाशोधन निगम के स्वामी होंगे और यह समाशोधन निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत की जाएगी तथा यह एक गैर-लाभप्रद कंपनी हागी तथा यह कंपनी समाशोधन के कार्य करेगी। समाशोधन कार्य के किसी भी भाग की आउटसोर्सिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि कोई इस बात की उपधारणा करता है कि बैंकों के स्वामित्व वाली सैक्शन 25 के अंतर्गत किसी कंपनी की स्थापना करना आउटसोर्सिंग करने के समान है तो मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस आलोचना को अस्वीकार करता हूं।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने मुसे कटक और भुवनेश्वर शाखाओं के विलय के बारे में पूछा था। वर्ष 2004-05 के दौरान ही 1,026 नई शाखाएं खोली गई थीं। मैं वर्ष 2005-06 के आंकड़े प्राप्त करूंगा। हमने एक ही वर्ष में 1,026 शाखाएं खोली हैं। अतः आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी संख्या में नई शाखाएं खोली हैं। कटक और भुवनेश्वर के संबंध में समस्या है। आपको पता है कि भुवनेश्वर राजधानी है; कटक में उच्च न्यायालय की पीठ है भुवनेश्वर का निर्माण किया जाना है। कटक एक पुराना शहर है जहां पर व्यापार ने उन्नति की है। यहां दो समाशोधन गृह हैं।

कटक के लोगों ने मुझे बताया और कहा कि ''आपको इसे भुवनेश्वर नहीं ले जाना चाहिए।'' भुवनेश्वर के लोगों ने कहा, ''नहीं, नहीं आप इसे भुवनेश्वर से जोड़िए''...*(व्यवधान)* एक मिनट।

इसलिए, जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है। यह मामला अब भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि आप नियामक को बदल सकते हैं। संसद को नियामक को बदलने दो। एक बार आपने नियामक को चुन लिया है और उस नियामक ने इस देश में अच्छा कार्य किया है। मैं यह बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आज भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विश्व की एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था है। जैसा कि मैंने बार-बार कहा है कि कुल 14,05,146 करोड़ रुपए बकाया है। कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में तेजी से कमी आई है। निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में तेजी से कमी आई है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

जब मैं अध्यक्ष से मिला था तो मैंने उन्हें इन आंकड़ों से अवगत कराया था। भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन का अच्छा कार्य कर रहा है। हमें भारतीय रिजर्व बैंक पर विश्वास करना चाहिए। यदि वहां पर कुछ असाधारण घटित होता है तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक इसके सभी गुणावगुण को ध्यान में रखेगा। चिंता के सभी बिंदुओं पर ध्यान देने के पश्चात् प्रारूप परिपत्र को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वह पहले ही विस्तृत उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन्होंने हमारी एक भी मांग का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। अब कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या वह सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे?...*(व्यवधान)* यदि वह इस निर्णय को वापस नहीं लेते तो हम बहिर्गमन करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं एक महत्वपूर्ण मामला ले रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामजीलाल सुमन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाईं कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप उद्वेलित क्यों हैं?

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : हमारे संदेह वास्तविक हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपरा 12.49 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल शाम को जब प्रधानमंत्री जी के निवास 7, रेसकोर्स रोड पर मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी तो उस समय वहां एक कार आई, जिसमें एक लड़का और दो लड़कियां थीं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कोई मिनिस्टर नहीं बैठा है, इसका जवाब कौन देगा?...*(व्यवधान)* गृह मंत्री को स्वयं ही वक्तव्य देना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता। प्रो. मल्होत्रा, मैं आपको भी इस मामले पर बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यहां एक केन्द्रीय मंत्री मौजूद हैं तथा अन्य मंत्रीगण भी यहां उपस्थि हैं। आप सरकार की कार्य पद्धति से परिचित हैं। यह शासन की एक मंत्रीमंडलीय प्रणाली है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है। इनका प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय निश्चित था या नहीं था, प्रधानमंत्री जी से मिलने जोन वालों के नाम क्या हैं, कार का नंबर क्या है, बगैर इसे देखे उन्हें अंदर जाने दिया।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का नहीं है कि वे कहां से आए थे और उस गाड़ी का नंबर क्या था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस सदन में और सदन के बाहर देश की आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर चिंता व्यक्त की जा रही है ओर पूरा देश इससे चिंतित है और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री निवास पर कैबीनेट सुरक्षा समिति की बैठक हो रही हो, तब प्रधानमंत्री आवास पर कोई आतंकवादी घटना हो जाए, तो क्या होता? ऐसी स्थिति में प्रधनमंत्री आवास भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास में यह कहकर चला जाए कि हमारा प्रधनमंत्री से मिलने का समय और सुरक्षाकर्मी उसे जाने दें और गाड़ी जब वहां से वापस चली गई, तब वे चेते और प्रधानमंत्री आवास से 3-4 किलोमीअर दूर आई.एन.ए. मार्केट के पास जाकर उस गाड़ी को पकड़ा गया, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जस्टीफाई कर दिया गया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने यह मुद्दा उठाया है। आपने इसे बहुत ही प्रासंगिक रूप से उठाया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। मैं इस दृष्टि से पूछना चाहूंगा कि जब पूरा देश सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंतित है, तो उस कार में कौन आया था और किस प्रकार वह कार दो सुरक्षा चक्रों को भेदकर अंदर चली गई? यदि इसी प्रकार से कहीं आतंकवादी अंदर चले जाते तो प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति होती, इस पर विचार करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तथ्यों की जांच किए बिना प्रधानमंत्री कार्यालय से वक्तव्य जारी कर दिया गया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री अथवा गृह मंत्री वक्तव्य दें और पूरे देश को बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर केबीनेट सुरक्षा समिति की बैठक हो रही थी इसलिए वहां मीडिया मौजूद था। अत: मीडिया के माध्यम से यह खबर तत्काल पूरे देश में फैल गई। यदि मीडिया नहीं होता, तो शायद इस खबर को दबाने के भी प्रयास होते। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री इस सवाल पर वकतव्य दें और देश को बताएं कि वस्तुस्थिति क्या थी?

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, श्री रामजी लाल सुमन ने काफी विस्तार से बता दिया है। मुझे यह कहना है कि देश में मुंबई और दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं घट चुकी हैं और ऐसी ही घटनाएं देश के अन्य भागों में घटित हो रही हैं जिनसे पूरा देश चिंतित है। प्रधानमंत्री आवास पर तीन घेरों का सुरक्षाचक्र है। तीन बैरीकेड में से वह गाड़ी दो बैरीकेड को पार करके प्रधानमंत्री आवास पर चली गई। उस समय प्रधानमंत्री आवास पर कैबीनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक चल रही थी और लगभग 12 मंत्री वहां मौजूद थे। ऐसे में उस कार में तीन लोग वहां पहुंच गए। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन थे, उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने क्यों अंदर जाने दिया और प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसा क्यों कह दिया गया कि कोई घटना नहीं हुई?

मान्यवर, यह बहुत गंभीर बात है। मेरा निवेदन है कि आप चेयर से निर्देश देने की कृपा करें कि इस बारे में सरकार सदन में पूरी स्थिति स्पष्ट करे। मैं मीडियाकर्मियों का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत इस खबर को टी.वी. के अनेक चैनलों के माध्यम से प्रसारित कर दिया। यह बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है कि जैसे ही यह समाचार देश भर में टी.वी चैनलों के माध्यम से गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से कह दिया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। यह बड़ी चिंताजनक बात है। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी इस बारे में सदन में वक्तव्य दें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा कि सुरक्षा में कोई खामी नहीं थी और कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो फिर उन्हें क्यों पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया? यह खबर मीडिया द्वारा दिए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई, अन्यथा संभवत: कोई कार्रवाई नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दो प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा में इस प्रकार की खामी

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

होना बहुत गंभीर बात है। मुझे तो यह अंदाजा था कि गृह मंत्री जी स्वयं यहां आएंगे और इस घटना के बारे में सदन में सुओमोटो स्टेटमेंट देंगे और सारे देश को कॉन्फीडेंस में लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि कम से कम देश को बताया तो जाए कि आखिर क्या हुआ, यह घटना कैसे घटी, प्रधानमंत्री आवास पर उस कार में आने वाले कौन थे?

अध्यक्ष महोदय, चिदम्बरम जी यहां बैठे हुए हैं। कैबीनेट मिनिस्टर हैं। वे बताएं कि क्या प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा में कोई खामी थी, यदि खामी नहीं थी, तो उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, एप्रीहेंड किया गया और बंद किया गया? तथ्यों को बिना वैरीफाई किए, कैसे पी.एम.ओ. से कह दिया गया कि सुरक्षा में कोई खामी नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा का जब यह हाल है, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य स्थानों की स्थिति कैसी होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शेष मामलों पर सायंकाल 6.00 बजे चर्चा की जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि हाउस आ गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। मैंने श्री संतोष मोहन देव को बुलाया है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप 6 बजे बोलेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.54 बजे

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 2006*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.55 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय वित्त मंत्री महंगाई पर चर्चा का जवाब देंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं कल हुए इस उपयोगी और सृजनात्मक वाद-विवाद के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। यह वाद-विवाद डा. चिंता मोहन द्वारा शुरू किया गया था और फिर विपक्ष की ओर से प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा इसकी कमान संभाली गई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.56 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, हमने पिछले सत्र में महंगाई पर चर्चा की। ऐसा नहीं है कि संसद में पहली बार महंगाई पर चर्चा हुई है। महंगाई के संबंध में समय-समय पर चर्चा होती रही है। वास्तव में, अनेक वर्षों से संसद के वस्तुत: प्रत्येक सत्र में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उदाहरणस्वरूप, इस पर लोक सभा में 9 जुलाई, 1998, 3 दिसम्बर और 8 दिसम्बर 1998 के बीच, 27 अप्रैल, 2000 की चर्चा हुई और मैं आशा करता हूं कि प्रो. मल्होत्रा और उनके मित्र उन बातों का स्मरण करेंगे जो इन चर्चाओं के दौरान भी कही गई थीं...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : और आज भी वही बात दोहराई जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया परेशान न करें।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, हम मुद्रास्फीति उपायों, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अन्य सूचकांकों तथा बाजार में आवश्यक वस्तुओं की वास्तविक कीमतों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली प्रक्रिया हमें वस्तुत: प्रत्येक विकासशील देश में नजर आती है और आज हम उसे विकसित देशों में भी पाते हैं। दूसरी वह प्रक्रिया है, जो हमें समय-समय पर नजर आती है और मैं यह स्पष्ट करूंगा कि ऐसा क्यों होता है।

प्रो. रामदास यहां नहीं हैं। मेरे विचार से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। शायद, प्रो. मल्होत्रा और अन्य उस समय उपस्थित नहीं थे। मेरे विचार से इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करके उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैं अपने तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।

पहले थोक मूल्य सूचकांक को देखें। उदाहरण के लिए, विभाग रिपोर्ट देगा—मेरा विभाग नहीं, बल्कि इस आंकड़े को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार विभाग—कि थोक मूल्य सूचकांक गत सप्ताह के 4.68 से पुन: गिरकर लगभग 4.52 या ऐसा ही कुछ हो गया है। यदि आप थोक मूल्य सूचकांक को देखें, 1998-99 के 1 जुलाई से 22 जुलाई तक के इस सप्ताह में 7 प्रतिशत और अधिक था ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : एसेंसियल कमोडिटीज के लिए डब्ल्यू.पी.आई. को लागू करना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह मात्र 15 प्रतिशत था...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसकी बात करूंगा। मैंने भेद करने का प्रयास किया है...*(व्यवधान)* यदि आप मेरी तरफ से उत्तर देना चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने भेद किया है। मल्होत्रा जी, थोक मूल्य सूचकांक और बाजार मूल्य में मैंने भेद किया है और मैंने कहा है कि मैं दोनों की बात करूंगा। मैंने ऐसा कहा है। कृपया मेरी बात सुनिए। आपको 'इयरफोन' की आवश्यकता नहीं है। मैं अंग्रेजी में ही बोल रहा हूं। आपको इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है अनुवाद कुछ और कह रहा है...*(व्यवधान)* थोक मूल्य सूचकांक को देखें। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या प्रभाव है।

पुन: 21 अक्तूबर से 2 दिसम्बर, 1998 तक थोक मूल्य सूचकांक 7 प्रतिशत से ऊपर था। यह 7.3 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंच गया।

अपरा 1.00 बजे

वर्ष 2000-01 के अधिकांश समय में थोक मूल्य सूचकांक छह प्रतिशत से अधिक था। दि. 13.1.01 को यह 8.8 प्रतित के उच्च आंकड़े तक पहुंच गया। वस्तुत: जब राजग सरकार से संप्रग सरकार ने सत्ता संभाली तब थोक मूल्य सूचकांक बढ़ रहा था। यह 24.03.04 को 1.6 प्रतिशत से बढ़कर जब नयी सरकार आई तो 5.6 प्रतिशत हो गया। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि थोक मूल्य सूचकांक कई कारणों से ऊपर-नीचे होता है। लागत-वृद्धि मुद्रास्फीति और मांग-वृद्धि मुद्रास्फीति इसके दो मुख्य कारण हैं। पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं और धातुओं की कीमतें बढ़ी हैं। ईंधन की कीमतों को उदाहरण के लिए लें। यदि मैं कह सकूं कि राजग सरकार ईंधन की कीमतों के मामले में बहुत भाग्यशाली रही। वर्ष 2003-04 में ईंधन की कीमतें 23 डालर प्रति बैरल था। आज जैसा कि आप जानते हैं, यह 70 डालर प्रति बैरल है। यह तीन गुना है। पूरी दुनिया में धातुओं की कीमतें बढ़ी हैं। जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं—ये ईंधन की तरह आगम है—तो लागतवृद्धि मुद्रास्फीति होती है और यह लागत वृद्धि मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक में झलकता है।

थोक मूल्य सूचकांक के बढ़ने का दूसरा कारण मांग वृद्धि मुद्रास्फीति है। मांग इतनी बढ़ जाती है और आपूर्ति उस हिसाब से नहीं हो पाती

[श्री पी. चिदम्बरम]

है। उदाहरणार्थ, सीमेंट और इस्पात को लें। अब, हम सीमेंट और इस्पात की कीमतें बहुत अधिक होने की शिकायत करते हैं। क्यों? आज सीमेंट और इस्पात की मांग इतनी अधिक है किंतु इन कीमतों पर भी लोग अपना घर बनाने या अपना घर खरीदने के लिए पैसा उधार लेने को इच्छुक हैं। गृह ऋण 44 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। उधार लेकर अपना घर बनाने या खरीदने के लिए लोग अपनी वर्तमान और भविष्य की आय का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। जब सीमेंट क्षमता और इस्पात क्षमता इनकी मांग के बराबर नहीं हो पाती तो निश्चय ही मूल्य वृद्धि होती है। यह मांग वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है। ऐसा हम हर विकासशील देश में पाते हैं। वर्ष 2003-04 में हुए विकास के लिए आप श्रेय लेते हैं और वर्ष 2004-05 और 2005-06 में हुए उच्च विकास के लिए हम श्रेय लेते हैं। यदि अर्थव्यवस्था आठ प्रतिशत या उससे अधिक की दर से बढ़ रही है तो अपरिहार्यत: मांग वृद्धि मुद्रास्फीति होगी। इन वस्तुओं की मांग के बराबर क्षमता होनी चाहिए।

जब थोक मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो थोड़े समय बाद उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक भी बढ़ेगा क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक का असर खुदरा कीमतों में दिखेगा और यही मार्च-अप्रैल के बाद से हुआ है। हम लागत वृद्धि मुद्रास्फीति और मांग वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। लागत वृद्धि मुद्रास्फीति के लिए हम वित्तीय दिशा में कदम उठा रहे हैं। हमने सीमा-शुल्क घटाया है और हमने उत्पाद शुल्क में कटौती की है। यदि जरूरी हुआ तो हम आगे और कदम उठाएंगे। मांग वृद्धि मुद्रास्फीति की दिशा में मौद्रिक कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कठोर मौद्रिक रुख अपनाया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मौद्रिक कदम उठाए जाएंगे उससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी।

किंतु इससे आम आदमी को संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि ये आंकड़े मात्र हैं। ये आंकड़े प्रासंगिक हैं। ये आंकड़े ऐसे हैं जिनके बारे में संसद सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। इन आंकड़ों का आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। यह चर्चा आवश्यक वस्तुओं के बारे में है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? एक कारण लागत वृद्धि कारक और मांग वृद्धि कारक के कारण आम मुद्रास्फीति का बढ़ना है।

एक अन्य और अधिक महत्वपूर्ण कारण जिससे आज हम सीधे रूप से जुड़े हैं वह है आपूर्ति की कमी। हुआ यह है कि आवश्यक तीन वस्तुओं के कारण मूल्य वृद्धि हुई है। ये वस्तुएं हैं—गेहूं, दलहन और चीनी। अब हम इनमें से प्रत्येक की चर्चा करेंगे। उदाहरणार्थ गेहूं को लें।

वर्ष 2004-05 में गेहूं के उत्पादन हेतु अग्रिम अनुमान—यहां जो कहा गया उसके विपरीत—74 मिलियन टन है। अंतत: अंतिम गेहूं उत्पादन मात्र 68 मिलियन टन रहा। वर्ष 2005-06 में अग्रिम अनुमान ने 73 मिलियन टन बताया किंतु अंतिम गेहूं उत्पादन मात्रा 69.48 मिलियन टन था।

गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, और यह अनुमान या संभावनाओं से कम था। इसके परिणामत: सार्वजनिक भंडार में कमी आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गेहूं की उठायी पीडीएस, खुले बाजार में बिक्री इत्यादि के माध्यम से होती है। इस वर्ष के अनुमान अच्छे हैं किंतु हमें प्रतीक्षा करके देखना होगा कि मानसून कैसा रहता है और अंत में फसल कैसी रहती है। मुझे वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 के लिए खरीद के आंकड़े प्रस्तुत करने दीजिए। वर्ष 2004-05 में जैसा कि मैंने कहा उत्पादन लगभग 68.6 मिलियन टन था। लगभग 15.9 मिलियन टन बाजार में आया जिनमें से 14.77 मिलियन टन वास्तव में खरीद किया गया था जिसका अर्थ है लगभग 147 लाख टन गेहूं खरीदा गया। यह बाजार में आए माल का 92.84 प्रतिशत है। वर्ष 2005-06 में केवल 13.64 मिलियन टन बाजार में आया जो पिछले साल से थोड़ा कम था किंतु मात्र 9.22 मिलियन टन की खरीद की गई जो 92 लाख टन था। इसका अर्थ है कि बाजार में आए गेहूं का 67.6 प्रतिशत खरीदा गया।

मैं दोषारोपण का प्रयास नहीं कर रहा हूं किंतु वस्तुत: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों के लक्ष्य दिए गए थे वे खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे। चूंकि खरीद की मात्रा घट गई और कुल उत्पादन अनुमान के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए अभाव होने का मनोभाव बन गया। परिणामत: गेहूं की कीमतें बढ़ने लगीं। यह आवश्यक रूप से आपूर्ति पक्ष द्वारा प्रदत्त आघात तथा आपूर्ति पक्ष का घाटा है। आपूर्ति संबंधी इस आघात से उबरने हेतु सरकार ने गेहूं आयात करने का निर्णय लिया। अब यह निर्णय लिया जा चुका है, भारतीय पत्तनों पर गेहूं का पहुंचना शुरू हो गया है तथा वायदा बाजार अथवा फारवार्ड बाजार और वर्तमान बाजार में मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखने लगी है। कुछ समय के बाद यह प्रवृत्ति खुदरा बाजार में परिलक्षित होने लगेगी। यदि देश में गेहूं की कुल उपलब्धता—सरकारी भंडार और निजी भंडार—जरूरत से कम हो जाए तो मात्र आयात के माध्यम से ही आप कुल भंडार को बढ़ा सकते हैं। यदि पर्याप्त निजी

भंडार उपलब्ध हों तो उसे सरकारी भंडार में बदलने हेतु आप तरीके ढूंढ़ सकते हैं, परंतु यदि सरकारी भंडार और निजी भंडार दोनों मिलाकर जरूरत से कम उपलब्धता हो तो कम समय में इसे बढ़ाने का एकमात्र तरीका आयात है। दीर्घावधि में हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं परंतु अल्पावधि में भंडार बढ़ाने का एकमात्र उपाय आयात है। सरकार यही कर रही है और इसका असर खुदरा मूल्यों पर समय बीतने के साथ प्रदर्शित होने लगेगा।

मैं अगला मुद्दा जिस पर बात करना चाहूंगा वे दालें हैं। इस देश में दालों की कमी पुरानी है। यह कमी इस वर्ष या पिछले वर्ष की नहीं है बल्कि कमी पिछले अनेक वर्षों से चली आ रही है। हमने हमेशा दालें आयात की हैं। इसी वजह से दालें ओ.जी.एल. हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान दालों का कुल उत्पादन 149 लाख टन था और हमने 17 लाख टन दालों का आयात किया था; वर्ष 2004-05 में दालों का कुल उत्पादन 131 लाख टन था और हमने 13 लाख टन आयात किया; वर्ष 2005-06 के दौरान दालों का कुल उत्पादन 139 लाख टन था और हमने 16 लाख टन दाल का आयात किया। इस वर्ष समस्या गंभीर हो गई है क्योंकि हमारे उपभोग वाली दालें अधिकांशत: मात्र म्यांमार में उपलब्ध होती हैं।

म्यांमार में भी उत्पादन में कमी आई है। म्यांमार में दालों की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है। परंतु हमने दालों के आयात की अनुमति दे दी है। दालें जितनी मात्रा में वहां इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध होंगी उनका आयात होगा, परंतु जहां तक हमारे यहां इनकी मांग और आपूर्ति में अंतर का प्रश्न है, मुझे भय है कि दालों के मूल्य शीघ्र कम होने वाले नहीं हैं। जब नई आपूर्ति संभव होगी, जब नई फसलें आएंगी सिर्फ तब जाकर कीमतें कम होंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : अगले वर्ष।

श्री पी. चिदम्बरम : चालू वर्ष में, जब नई फसल आएगी।. ..*(व्यवधान)* मैं समझता हूं माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपनी स्पीच खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया सर्वप्रथम मेरी बात सुनिए; उसके बाद प्रश्न पूछते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी को बाधित न करें। यह सही तरीका नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मई में वाद-विवाद के दौरान कृषि मंत्री ने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। मैं सरकार की ओर से प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हूं परंतु हम उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जिनका उत्तर मई में दिया जा चुका है। यदि आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता महसूस होती है तो मैं आश्वस्त हूं कि कृषि मंत्री आकर उत्तर देंगे। तथापि, मैं सरकार की ओर से इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं कि दालों की कमी क्यों है और दालों की मांग और आपूर्ति का अंतर क्यों बढ़ा है।

तीसरा, वर्ष 2002-03 में चीनी का कुल उत्पादन 201 लाख टन था। वर्ष 2003-04 में उत्पादन घटकर 139 लाख टन हो गया और वर्ष 2004-05 में यह और घटकर 130 लाख टन हो गया। मैं इसका कारण बताऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, किसान को तो वही प्राइस मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : वर्ष 2003-04 में आपकी सरकार थी और वर्ष 2004-05 में हमारी सरकार। यदि हमारे द्वारा अपनाई गई नीति गलत है तो आप लोगों द्वारा अपनाई गई नीति भी गलत थी।

मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। यदि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आपको कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें सदस्य विशेष को नहीं। कृपया बीच-बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : पहला कारण बारिश का कम होना है और दूसरा कारण यह है कि किसान ईख छोड़कर अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी अन्य फसलों की खेती में लग गए। चीनी की कीमतें घटकर 15 से 16 रुपए हो गई थी। इससे उपभोक्ता तो खुश हुए परंतु किसान खुश नहीं हो पाए। इसलिए वे ईख की खेती छोड़कर अन्य फसल उगाने लगे। यह दुधारी तलवार है। यदि उपभोक्ताओं हेतु कीमतों को उचित बनाए रखना है तो व्यक्ति को किसानों के संदर्भ में भी इन कीमतों पर ध्यान देना होगा।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) **:** यह खतरनाक तर्क है।

श्री पी. चिदम्बरम : खतरनाक क्या है?

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगुसराय) **:** यह वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कह लेना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आपको किसानों हेतु ईख के मूल्यों में बढ़ोतरी करनी है तो अपरिहार्य रूप से, हमें सुगरकेन कंट्रोल आर्डर के अंतर्गत नियम किया जाने वाला मूल्य बढ़ाना होगा और परिणामत: चीनी के मूल्य बढ़ेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उन्हें राजसहायता दें।

श्री पी. चिदम्बरम : हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि आप ईख का मूल्य बढ़ाते हैं तो चीनी का मूल्य भी बढ़ेगा। पिछले दो वर्षों में चीनी का मूल्य तेजी से गिरा है तथा ईख उत्पादक किसानों ने ईख के बजाय अन्य फसल उगाना शुरू कर दिया। यह मुद्दा उठाया गया था और मई में इसका उत्तर दिया जा चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसानों हेतु मूल्य और उपभोक्ताओं हेतु मूल्य के बीच संतुलन बनाना होगा।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह भ्रामक तर्क है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह तर्क आपके लिए भ्रामक हो सकता है, परंतु यह तर्क मेरे विचार से न्यायसंगत है। वर्ष 2005-06 में उत्पादन 191 लाख टन था। वर्ष 2006-07 के दौरान ईख की फसल जो 1 अक्टूबर से आनी शुरू होगी अच्छी होने की उम्मीद है। एक बार जब यह फसल आ जाए और इसकी पिराई शुरू हो जाए और चीनी का उत्पादन होने लगे तो कीमतें कम हो जाएंगी।

महोदय, अब हम मूल्य स्थिति पर नजर डालें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मंत्री जी जो कुछ बोल रहे हैं, वह ठीक नहीं है। महंगाई से देश के करोड़ों लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। अगर इसी तरह का जवाब देना है तो इसे सुनने से क्या फायदा है।?...*(व्यवधान)* कम होंगी या नहीं, यह नहीं बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मंत्री जी का जवाब तो सुन लें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप कह रहे हैं कि इनकी बात सुन लें, अगर मंत्री जी ऐसे ही तर्क देते रहे तो, सुनने का कोई फायदा नहीं है इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जो भी हो, आपने ऐसा करने का निर्णय लिया है, आखिर मुद्दा क्या है?

अपराह्न 1.15 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास न तो कोई कार्यक्रम है और न कोई तर्क है। यह जवाब आम लोगों के खिलाफ है इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जो भी हो, यह शुक्रवार का अपराह्न है। आपको पहले जाना होगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.15½ बजे

(इस समय श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भावन से बाहर चले गए।)

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आप बैठ जाएं और सुनें तो आपको उत्तर मिल पाएगा। यदि आप बाहर जाते हैं फिर भी मैं उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)* महोदय, इन महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने का एक ही तरीका है...*(व्यवधान)* महोदय, वह बाहर जा रहे हैं। उन्हें शांतिपूर्वक बाहर जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा को बाधित न करें।

श्री पी. चिदम्बरम : गृहणियों और आम आदमी के लिए केवल एक तरीके से खुदरा बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नीचे आएंगी और वह है इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना। जब तक आपूर्ति पक्ष में कमी है, आपूर्ति कमी...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : आपको कालाबाजारी से निपटना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उससे निपटूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** आपके उस आश्वासन का क्या हुआ जो आपने दो महीने पहले दिया था कि सभी अनिवार्य वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

श्री जी. चिदम्बरम : आपने प्रश्न पूछा है। अब उत्तर की प्रतीक्षा करें। मैं जिम्मेदारीपूर्वक उत्तर दे रहा हूं। मुझ पर चिल्लाने से क्या लाभ मिलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, यह तरीका नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह कहना गलत बात है कि ये कीमतें कभी नहीं घटेंगी—ये गलत धारणाएं हैं। तूर दाल का उदाहरण लीजिए। वर्ष 1999 में इसकी कीमत 34 रु. प्रति किलोग्राम थी; जब आपूर्ति बढ़ाई गई तो कीमतें घटकर 26 रु. प्रति किलोग्राम हो गई। प्याज को लीजिए। वर्ष 1999 में इसकी कीमत 11 रु. प्रति किलोग्राम थी; वर्ष 2000 में यह घटकर 8 रु. हो गई। आज इसकी कीमत 4 रु. है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : किसानों द्वारा आत्महत्या के क्या कारण हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मेरी बात सुनिए। मैं उत्तर दे रहा हूं। ऐसा केवल आपूर्ति बढ़ाकर किया जा सकता है...*(व्यवधान)* आप सुन नहीं रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको माननीय मंत्री को बाधित करने की अनुमति कैसे दे सकता हूं?

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) **:** जब किसान के पास होता है, तो सस्ता होता है, जब नहीं होता है तो महंगा हो जाता है, यह कोई तर्क नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले जवाब देने दें, फिर पूछ लेना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : क्या यह संबंधित आंकड़े नहीं हैं? मैं केवल संबंधित आंकड़े दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : जब किसान के पास होता है, तब सस्ता होता है, जब नहीं होता है, तो महंगा होता है। जो होर्डिंग करने वाले हैं, वे दाम बढ़ा देते हैं। मंत्री जी आंकड़ों के जाल में उलझाकर सही बात नहीं बताना चाहते हैं इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

[अनुवाद]

अपरा 1.16 बजे

(इस समय प्रो. राम गोपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे विचार से वे उत्तर नहीं चाहते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : वह कीमत गलत कीमत थी।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं यही कह रहा हूं, वह कीमत गलत है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : किंतु आप संतुष्ट हो रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वह कीमत गलत है। अतएव जब खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें घटेंगी जब आप आपूर्ति बढ़ाएंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को इस प्रकार बाधित किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम : आपने प्रश्न पूछा है और आप उत्तर की प्रतीक्षा करें...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : आपने पचास मिनट बोला था। कृपया उत्तर की प्रतीक्षा करें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी स्पीच खत्म होने के बाद आपको समय दिया जाएगा, लेकिन बीच में जो इंटरप्ट करेगा, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : बीच-बीच में जो बोला जाता है, वह भी रिकार्ड में जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर तो यह अपना जवाब खत्म ही नहीं कर पाएंगे। आपने खाना भी खाना है, इसका भी मुझे खयाल है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या खाना खाएंगे, गरीबों को तो खाने को नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि व्यवधान संसदीय कार्यवाही का भाग हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आपको बाधा पहुंचा रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी स्पीच खत्म होने के बाद मैं आपको समय दूंगा, लेकिन बीच में इंटरप्ट न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। मुझे खेद है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सुन तो लें। आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखिए, श्री चिदम्बरम।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : अतएव, मूल्यों को नीचे लाने का एक मात्र तरीका...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं मिनिस्टर साहब को बैठने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सरकार कुछ पोजिटिव स्टेप्स ले।...*(व्यवधान)* व्यापारी लोग वस्तुओं के कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री चिदम्बरम का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

*(व्यवधान)**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : माननीय मंत्री कल छह घंटे तक माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहे थे। उन्हें आधा घंटा बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने आपको 6 घंटे सुना है आप आधा घंटा तो सुन लें।

अपराह्न 1.23 बजे

(इस समय श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा भवन से बाहर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 1.24 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री पी. चिदम्बरम : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जमाखोरी से भाव बढ़ रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। मैं आपसे सहमत हूं। इनकी स्पीच के बाद आप क्लैरिफिकेशन मांग लेना। मैं आपको अनुमति दूंगा, इसके पहले उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है। आर्टिफिशियल स्केयरसिटी बड़े-बड़े जमाखोरों द्वारा पैदा की जा रही है। इस बेसिक सवाल पर मंत्री जी का कोई उत्तर नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम लोग मंत्री जी की बात से बिलकुल असंतुष्ट हैं, इसलिए सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 1.25 बजे

[अनुवाद]

(इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : जनता ने हमें वोट दिया है। हम जनता को क्या जवाब देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा मैंने कहा—मैं दुहराता हूं... इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें...गेहूं, दालों और चीनी की कीमतों में कमी आएगी जब आपूर्ति में वृद्धि होगी...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। वह खड़े हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए। उसके बाद अगर आपने स्पष्टीकरण मांगना है, तो आपको समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : गेहूं, चीनी और दालों की कीमतें प्राथमिक वस्तु समूह के प्रधान वाहक हैं और इनकी आपूर्ति में वृद्धि होने पर इनकी कीमतें कम होंगी।

मैं गेहूं के बारे में, चीनी के बारे में और दालों के बारे में किए गए उपायों को पढूंगा। जब इनकी आपूर्ति में वृद्धि होगी, इनकी कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन मैं 1999 के आंकड़ों का संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि यह मानना गलत है कि केवल मौसमी रूप से अथवा आपूर्ति में कमी के कारण कीमतें इस स्तर पर आ गई हैं और कि ये कभी कम नहीं होंगी; यह गलत मान्यता है।

उदाहरणार्थ, 1999 में तूर दाल 34 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से बेची जाती थी। यह कम होकर 26 रुपए हो गई; वास्तव में 2004 में यह 33 रुपए थी और आज इसका भाव 33 रुपए अथवा 34 रुपए प्रति किलोग्राम है और इसमें कमी होगी। इसी प्रकार, एक उच्च बिंदु था जबकि कीमतें अधिक थीं, लेकिन जब इनकी आपूर्ति में वृद्धि होगी तो इनकी कीमतें कम हो जाएंगी। जहां तक चीनी का मामला है, वास्तव में 2002 और 2003 में चीनी की कीमतें कम होकर 15 रुपए और 14.50 रुपए पर आ गईं और उपभोक्ता खुश थे, लेकिन किसानों ने क्या किया? उन्होंने गन्ने के स्थान पर किसी अन्य फसल की खेती शुरू कर दी। तब कीमतें बढ़कर 17 रुपए हो गईं और इसके बाद उन्होंने पुन: गन्ने उपजाना शुरू कर दिया। आज चीनी की कीमतें 19.50 रुपए तथा कुछ स्थानों पर 21 रुपए के बीच हैं। जब नई फसल आएगी तो इनकी कीमतें कम हो जाएंगी।

जादू की कोई छड़ी नहीं है; कीमतों को कम करने का एकमात्र उपाय इन वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि करना है। कृषि मंत्री किसी बहस का उत्तर देने के लिए मई में यहां थे। उन्होंने उन उपायों का विवरण दिया कि हम आपूर्ति में वृद्धि के लिए उठा रहे हैं। आज उन्होंने राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया जो कि उनके मंत्रालय द्वारा आपूर्ति में वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में था। मैं आवश्यकतानुसार उनको पढूंगा। जो कदम वे गेहूं, चीनी और दालों के लिए उठा रहे हैं। इन कदमों से समय के साथ आपूर्ति में वृद्धि होगी और कीमतों में कमी होगी।

कुछ अन्य मुद्दे हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि यही मुद्दे लोगों से संबंधित हैं। एक मुद्दा यह है कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग किस हद तक कर सकते हैं और कीमतों में कमी लाने के लिए यह किस प्रकार साधन बन सकता है। यह तथ्य है कि 15 फरवरी, 2002 को एन.डी.ए. सरकार ने सभी नियंत्रण आदेशों को निरस्त कर दिया। ऐसा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के अनुसरण में किया गया था; निरस्तगी आदेश में यह प्रावधान भी किया गया था कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे नियंत्रण आदेश जारी कर सकती हैं।

हमने मुख्यमंत्रियों को यह सुझाव दिया है कि अगर वे नियंत्रण आदेश पारित करना चाहते हैं तो वे केंद्र सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं नियंत्रण आदेश जारी कर सकते हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय यह जांच कर रहा है कि क्या 15 फरवरी, 2002 को किए गए नियंत्रण आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और क्या राज्य सरकारों को पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना ऐसे नियंत्रण आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए। स्पष्टतया मैं खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से उत्तर नहीं दे सकता हूं। संबंधित मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए, लेकिन मामले की जांच चल रही है। आज के कानून की स्थिति के अनुसार मैंने राज्य सभा में यह कहा था कि मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से नियंत्रण आदेश पारित करने का अधिकार है। मैं इस सभा को यह आश्वास्त करना चाहूंगा कि अगर कोई राज्य सरकार नियंत्रण आदेश पारित करना चाहती है तो केंद्र सरकार तत्काल अनुमति प्रदान करेगी और वे नियंत्रण आदेश पारित कर सकते हैं। ये नियंत्रण आदेश स्टॉक सीमा निर्धारित करने, जमाखोरी समाप्त करने के लिए समर्थ बनाने, मूल्य हेराफेरी को रोकने तथा काला-बाजारी रोकने के लिए पारित किए जा सकते हैं। ये नियंत्रण आदेश पारित किए जा सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम में शक्तियां दी गई हैं और मैं राज्य सरकारों से यह अपील करना चाहूंगा कि स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर वे नियंत्रण आदेश पारित करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है। वे नियंत्रण आदेश पारित कर सकते हैं।

दूसरा मुद्दा वायदा कारोबार के बारे में है। मेरी इच्छा है कि श्री यादव यहां होते। वे स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। विधेयक उनकी समिति के समक्ष है। मैंने और मेरे सहकर्मियों ने विधेयक पर समिति की रिपोर्ट सभा के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करने का उनसे अनुरोध किया है। कल मैंने उनसे बात की थी कि विधेयक सभा में वापस आना चाहिए। आज अग्रिम बाजार के विनियामक के पास काफी कम शक्तियां हैं। उन्हें अधिक शक्तियों से लैस करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है और यह विधेयक संसद में लंबित है। मैं स्थायी समिति के अध्यक्ष से यह अनुरोध करना चाहूंगा, और मैं केवल अनुरोध ही कर सकता हूं, कि वे विधेयक से संबंधित रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि दोनों सभाओं में इस विधेयक को इस सत्र में पारित कर सकें और हम विनियामक को अधिक शक्तियों से लैस कर सकें।

बड़ा प्रश्न यह है कि क्या महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं में वायदा कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इस प्रश्न की जांच कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा की जा रही है। और मुझे यह विश्वास है कि मंत्री जी इस संबंध में उपयुक्त समय पर बयान देंगे। लेकिन सुदृढ़ एवं कुशल उपायों के लिए मेरे अनुसार यह आवश्यक है कि विनियामक को और शक्तियों से लैस किया जाए। मेरा मानना है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि विधेयक को संशोधनों सहित अथवा बगैर संशोधन के पारित किया जाए जैसी भी सभा सहमति दे। मैं स्थायी समिति से विधेयक से संबंधित रिपोर्ट को शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं ताकि विनियामक को और शक्तियां दी जा सकें।

इसके लंबित रहने तक कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने के लिए मैं इन्हें पढ़ूंगा ताकि माननीय सदस्य यह जान सकें कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

गेहूं के संबंध में 5 लाख टन गेहूं का आयात करने का निर्णय 2 फरवरी, 2006 को लिया गया था।

30 लाख टन गेहूं का आयात करने का एक अन्य निर्णय 22 अप्रैल, 2006 को लिया गया था।

गेहूं को 5 प्रतिशत के रियायती सीमाशुल्क पर ओ.जी.एल. के अंतर्गत लाया गया है।

अग्रिम बाजार आयोग द्वारा किए गए उपाय हैं : 24 जून से गेहूं की सभी वायादा संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन राशि 5 से बढ़ाकर 5.3 से 10 प्रतिशता कर दी गई है। 28 जून को सभी 'निवल' लांग पोजीशन पर 10 प्रतिशत का विशेष मार्जिन लगाया गया। ओपन पोजीशन की सीमा 27 जून को 50 प्रतिशत कम कर दी गई। सभी जारी संविदाओं पर समग्र सीमाओं को सदस्यों के लिए 80,000 टन से घटाकर 40,000 टन तथा ग्राहकों के लिए 20,000 टन से घटाकर 10,000 टन कर दिया गया। निकट माह संविदा के लिए सीमाओं को सदस्यों के लिए सीमित कर 8000 टन तथा ग्राहकों के लिए 2000 टन कर दिया गया है।

एफ.एम.सी. ने कूलिंग ऑफ अवधि को बढ़ाकर 15 मिनट से 30 मिनट कर दिया है।

इस संबंध में कदम उठाए जा चुके हैं और जब कानून पारित हो जाएगा तो विनियापक को अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी तथा वह और कदम उठाएगा।

दालों के प्रश्न पर मैं कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों को यहां पढ़कर सुना रहा हूं।

8 जून, 2006 को शून्य आयात शुल्क पर दालों के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। दालों के निर्यात पर प्रतिबंध को अधिसूचित कर दिया गया। नैफेड ने उड़द और मूंग के ऑर्डर दे दिए हैं और इनके अगस्त, 2006 में आ जाने की संभावना है।

दिल्ली सरकार ने 38 रु. प्रति किलोग्राम की दर से उड़द और मूंग की दाल प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं तथा उनकी खरीद लागत 31 रु. प्रति किलोग्राम है। इस बात पर सहमति है कि दालों की इन किस्मों को 37 रु. प्रति किलोग्राम की दर से दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को आपूर्ति की जाएगी। केन्द्रीय भंडार उड़द और मूंग की दालों को 38 रु. प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। हमने राज्यों के मुख्य सचिवों से अपने-अपने राज्यों में इसी प्रकार की पहल करने को कहा है।

राज्य सरकारें मूल्यों को कम करने के लिए वस्तुओं को खरीदने तथा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उन्हें वितरित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। जहां तक चीनी का संबंध है, किसानों को गन्ने के लिए हमारे द्वारा दिए गए मूल्य के बारे में मेरे मस्तिष्क में कोई शंका नहीं है कि चीनी के लिए उचित मूल्य का भुगतान किया जाना चाहिए, अन्यथा किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। आजकल मूल्य

[श्री पी. चिदम्बरम]

19.50 रु. प्रति किलो से 21 रु. प्रति किलो के बीच हैं। परंतु जब चीनी का नया मौसम शुरू होगा तो शायद यह एक रुपए अथवा डेढ़ रुपए और कम हो जाए तथा चीनी का मूल्य भी कम हो जाएगा।

हम आपूर्ति पक्ष की ओर ध्यान दे रहे हैं। यह मामला ही वस्तुतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है। परंतु आपूर्ति पक्ष की ओर से किए गए उपायों की जानकारी देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं वित्तीय पहलू पर मेरे मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों तथा मौद्रिक पहलु पर मेरे मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के बारे में पहले ही बता चुका हूं। जैसे ही थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे जाएगा और आपूर्ति पक्ष मजबूत होगा तो मूल्य कम हो जाएंगे। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मूल्यों में निर्बाध वृद्धि होगी अथवा मूल्य एक बार बढ़ जाएंगे तो कभी कम नहीं होंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक प्रश्न था। मुझे फिर लगता है कि कुछ भ्रान्तियां हैं। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन को कम नहीं किया है। मैं इस बारे में आंकड़े बताता हूं। वर्ष 2003-04 में चावल और गेहूं को मिलाकर आवंटन 71.59 मिलियन टन था, वर्ष 2004-05 में आवंटन 72.05 मिलियन टन था, वर्ष 2005-06 में आवंटन 72 मिलियन टन था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है। वस्तुतः वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में समान मात्रा में चावल तथा गेहूं का आवंटन किया गया। वर्ष 2005-06 में गेहूं की कमी के कारण हमने गेहूं का आवंटन छह मिलियन टन घटा दिया था परंतु चावल का आवंटन छह मिलियन टन बढ़ा दिया गया था।

सदस्य यहां नहीं हैं। कुल उठान की क्या स्थिति है? हमने लगभग 72 मिलियन टन का आवंटन किया है। वर्ष 2003-04 में कुल उठान केवल 50 मिलियन टन रहा। वर्ष 2004-05 में कुल उठान 41.47 मिलियन टन था। वर्ष 2005-06 में कुल उठान केवल 42 मिलियन टन है। इसका उत्तर राज्य सरकारों को देना चाहिए। आवंटन तो किया जा रहा है परंतु कुल उठान कुछ भी नहीं है। वस्तुओं को उठान के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करना चाहिए। जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी है वहां वस्तुएं वितरित होती हैं परंतु जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य नहीं कर रही हैं, जैसा कि कुछ राज्यों में हो रहा है—मैं राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता—वहां कोई उठान नहीं हो रहा है और लोग आरोप लगाते हैं कि आप आवंटन घटा रहे हैं। हम आवंटन को नहीं घटा रहे हैं। इसलिए सदस्यों को राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि उन्हें कितना आवंटन मिला, कितना लिया गया तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वास्तव में कितना वितरण किया गया। यदि वे इसका उत्तर सुनने के लिए रुकेंगे तो हो सकता है कुछ सदस्यों को ये उत्तर असहज लगें। परंतु मुझे सच्चाई बतानी होगी। हम उठान को घटा नहीं रहे हैं। हम आवंटन नहीं घटा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटन घटाने का कोई विचार नहीं है। यदि और जानकारी चाहिए तो मैं आपसे खाद्य मंत्रालय को संबोधित करने का अनुरोध करूंगा और मुझे विश्वास है कि उन्हें लिखित में जानकारी देने में बहुत खुशी होगी।

महोदय, इस वर्ष जब खरीद का मौसम शुरू होगा तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। पिछले वर्ष, गेहूं की खरीद के लिए 162 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परंतु हमने केवल 92 लाख टन की खरीद की। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करेंगी तथा गेहूं के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। चावल की खरीद बहुत अच्छी रही। वस्तुतः यह लक्ष्य से कुछ अधिक ही रही। चावल के पर्याप्त भंडार हैं तथा चावल के मूल्य स्थिर हैं। इस वर्ष एक बार गेहूं की खरीद प्रभावी तरीके से हो जाए तो आप देखेंगे कि इससे अभाव की मनोवृत्ति दूर करने तथा मूल्यों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

महोदय, गेहूं के निर्गम मूल्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों को कहां से ऐसा लगा कि इस सरकार ने निर्गम मूल्य को बढ़ाया है। पिछली बार जुलाई, 2002 में गेहूं अथवा चावल का निर्गम मूल्य बढ़ाया गया था। सरकार ने अंतिम बार तभी मूल्यों में वृद्धि की थी। हमने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अथवा गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए न तो गेहूं अथवा न चावल के निर्गम मूल्य में वृद्धि की है, जिसका अर्थ हुआ कि राजसहायता का भार अब भी सरकार द्वारा ही उठाया जा रहा है। राजसहायता में कोई कटौती नहीं की गई है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए गेहूं का निर्गम मूल्य 450 रु. प्रति क्विंटल तथा चावल का मूल्य 565 रु. प्रति क्विंटल था। गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए गेहूं 610 रु. प्रति क्विंटल तथा चावल का मूल्य 830 रु. प्रति क्विंटल है। जुलाई 2002 के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

महोदय, ऐसे प्रश्न थे कि हम गेहूं का आयात क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कृषि मंत्री मई के महीने में इसका उत्तर दे चुके हैं। जब उन्होंने उत्तर दिया था तो मैं यहीं था, समाचार-पत्रों में भी यह आ चुका है। हम देश में गेहूं के कुल भंडार—सरकारी भंडार तथा निजी भंडार में वृद्धि करने के लिए गेहूं का आयात कर रहे हैं। गेहूं के कुल भंडार को बढ़ाने के लिए हम गेहूं का आयात कर रहे हैं। गेहूं की आयातित लागत पहली निविदा तथा तीसरी निविदा के बीच 8000 रु. से 9000 रु. प्रति टन के बीच है। खरीद लागत, भंडारण लागत, होल्डिंग तथा वितरण लागत सहित गेहूं की खरीद की आर्थिक लागत 10,300 रु. से 10,700 रु. प्रति टन के बीच है। हमें अपने किसानों से गेहूं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ जब देश के भंडारों—सरकारी भंडार तथा निजी भंडार, दोनों में ही पूरी कमी हो तो हमें गेहूं का आयात करना चाहिए और भंडार में वृद्धि करने के लिए हम उपलब्ध स्रोतों से उचित लागत पर गेहूं का आयात कर रहे हैं। किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं खरीदने तथा सस्ती कीमत पर गेहूं का आयात करने में कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों ही कम हो सकते हैं, पहले भी ऐसा किया जाता रहा है तथा भविष्य में भी दोनों का सह-अस्तित्व रह सकता है।

महोदय, एक अंतिम प्रश्न पेट्रोलियम के बारे में था। यहां यह भी गलत अवधारणा है कि पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि होने से सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है और इससे सरकार को लाभ मिलता है। मैंने पहले ही पेट्रोलियम मूल्यों की जानकारी दे दी है। वर्ष 2003-04 में औसत पेट्रोलियम मूल्य 28 डालर था। आज पिछले तीन महीनों से औसत मूल्य 68 डालर है। वास्तव में, यह मूल्य 74 डालर तक पहुंच गया था। इसका अधिकांश बोझ सरकार और तेल कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है। अब पेट्रोलियम क्षेत्र से अर्जित राजस्व को देखिए। हमारे पास बजटीय धनराशि से 1864 करोड़ रुपये कम है। राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में, 2005-06 में हमने 64,738 करोड़ रुपए का बजट रखा था और हमें वास्तव में केवल 62,874 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मैं आपको बताता हूं क्यों? सीमा शुल्क के शीर्ष में फालतू था किंतु उत्पाद-शुल्क के शीर्ष में कम था। उच्च कीमतों की वजह से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में गिरावट हुई और इससे सीमा शुल्क संग्रहण प्रभावित हुआ और डीजल की कुल वृद्धि में अनुमानित चार प्रतिशत की तुलना में केवल 1.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। राजकोष में कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में, इस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती की है। उदाहरण के लिए, कच्चे तेल पर से सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। पेट्रोलियम उत्पादों पर से सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। हमने डा. रंगराजन की रिपोर्ट का अनुपालन किया है और उत्पाद के लिए विशिष्ट शुल्क दरं और यथामूल्य अनुसार शुल्क के कुछ अंश को अपना लिया गया। इस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती की है। क्या हम इसे और कम कर सकते हैं? अगर यह और कम करने की शक्ति का प्रश्न है तो स्वाभाविक तौर पर इसका उत्तर 'हां' में है, हमारे पास इसे और कम करने की शक्ति है। किंतु यदि मैं सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को और कम करता हूं तो मुझे राजस्व आघात झेलना होगा। मैं राजस्व पर यह आघात झेलने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि हम कुछ खर्चों को नियंत्रित कर सकें और कुछ नये कर लगा सकें। अब यदि पेट्रोलियम पर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती करने का सुझाव सही है किंतु कोई भी नया कर न लगाया जाए तथा किसी खर्च में भी कटौती न की जाए तो ऐसे में हम बजट में संतुलन कैसे स्थापित कर पाएंगे? यह बजट संतुलित नहीं है। बजट में 3.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटा है। इसलिए, राजस्व पर ब्याज और खर्च के पक्ष को संतुलित करना होगा। यदि मुझे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से वृद्धि प्राप्त होती है तो अवश्य ही, मैं इसमें कटौती करूंगा। किंतु जैसा कि मैंने कहा है कि, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वास्तव में, पिछले वर्ष हमें 1864 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों के आंकड़ों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था और इस वर्ष भी मई तक हुए अर्जन से यह नहीं दिखता कि कोई वृद्धि होने वाली है क्योंकि कच्चे तेल के मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने के साथ, आपको सीमा शुल्क में मामूली सी वृद्धि देखने को मिल सकती है किंतु उत्पाद शुल्क पर इसका प्रभाव तत्काल पड़ेगा।

फिर भी, ये मामले विचाराधीन हैं। जब भी और जैसे भी वित्तीय कदम आवश्यक होंगे, हम वित्तीय कदम उठाएंगे। आरबीआई मौद्रिक उपाय कर रहा है और कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय आपूर्ति की दिशा में कदम उठा रहा है। वित्तीय, मौद्रिक और आपूर्ति उपाय नामक तीनों उपाय मूल्यों को नियंत्रित रखेंगे। हमें इन उपायों को विनियामक उपायों से जोड़ना होगा। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विनियामक उपायों के संबंध में, जैसा कि मैंने कहा है, राज्य सरकारें उन्हें अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा वायदा बाजार अधिनियम के अंतर्गत विनियामक उपायों के बारे में हम स्थायी समिति की रिपोर्ट और संसद के इस सत्र में इस बिल को पारित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे कि कुछ और उपाय किए जा सकें।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार मूल्यों को कम करने

[श्री पी. चिदम्बरम]

की जिम्मेवारी के प्रति काफी गंभीर है। वर्ष 2004 में थोक मूल्य सूचकांक 8.5 था। जब मैं इस सभा में आया था तो मैंने कहा था कि हम मूल्यों को नियंत्रित कर देंगे और मूल्य नियंत्रित कर दिए हैं। एक बार फिर, मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे हम उन्हें अवश्य उठाएंगे। हमें कमी अथवा संकट की स्थिति की होने का प्रसार नहीं करना चाहिए। भविष्य में मूल्य कम हो जाएंगे।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। उन्होंने कुछ वस्तुओं के मूल्य को कम करने के लिए विस्तृत उपाय बताए हैं। इन उपायों के बावजूद भी यदि मूल्य कम नहीं होते हैं तो तब क्या किया जाएगा? आप कुछेक अनिवार्य वस्तुओं पर राजसहायता देने जा रहे हैं और कुछ राज्यों में पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली मौजूद है। पीडीएस के माध्यम से आप दालों जैसी दो या तीन अनिवार्य वस्तुओं पर राजसहायता देने जा रहे हैं जिससे कि प्रत्येक आम आदमी पीडीएस के माध्यम से इन्हें खरीद सके। आप इस प्रक्रिया को कब तक आरंभ करेंगे? आपको राज्य सरकारों को अनुदेश देना होगा कि यही चैनल है जिसे उन्हें अपनाना है और पीडीएस के माध्यम से पंचायतों, सहकारी समितियों और उचित मूल्य दर दुकानों पर राजसहायता प्रदान करके अनिवार्य वस्तु उपलब्ध करवानी होंगी जिससे कि लोगों को तत्काल राहत मिल सके।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पीडीएस वस्तुओं का उठान राज्यों को किए गए आवंटन के अनुरूप नहीं है। जहां तक केरल का संबंध है यह सही नहीं है। केरल के मामले में, जून, 2006 में पीडीएस द्वारा गेहूं का आवंटन 46,190 मीट्रिक टन से घटाकर मार्च, 2007 में 19,113 मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष 2005-06 में, हमारा गेहूं का औसतन उठान 30,841. 80 मीट्रिक टन रहा। यह अब घटकर 19,113 मीट्रिक टन हो गया है। यहां दिए गए मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार, मैं सरकार से केरल को गेहूं के आवंटन को पुन: उतना ही करने का अनुरोध करता हूं चूंकि पीडीएस में विशेषत: गेहूं के मामले में इसका उठान संबंधी रिकार्ड बहुत ही सही रहा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि जहां तक केरल का संबंध है उसके कोटे को बहाल कर दिया जाए।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : कांग्रेसी पक्ष के माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न पूछा है। बाजार में अनिवार्य वस्तुओं की समुचित आपूर्ति होनी चाहिए क्योंकि इनकी आवश्यकता आम आदमी, निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग और निर्धनों में निर्धनतम को होती है। अब हमारे पास पीडीएस है। इस स्थिति में, क्या सरकार पीडीएस को सुदृढ़ करने पर विचार करेगी जिससे कि 14 मदों की अबाध आपूर्ति की गारंटी दी जा सके और जमाखोरी न हो सके?

ऐसा इसलिए जिससे लोग यह जान सकें कि उन्हें संपूर्ण देश में चीजें सस्ते और स्थायी मूल्यों पर मिलेंगी। इससे इस वृद्धि पर रोक लगेगी। इससे अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकेगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, चुनी हुई सरकार का यह कर्त्तव्य है कि सभी अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति आम आदमी को सस्ते मूल्यों पर की जाए। वर्तमान में, हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। भारत सरकार को तत्काल ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। यह एक पार्टी का मुद्दा न होकर राष्ट्रीय मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री और सुश्री सोनिया गांधी ने भी केवल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया न कि सभी राज्यों का। इसीलिए कोई भी नियंत्रण आदेश नहीं था। जब एनडीए सत्ता में थी, उन्होंने इन सभी चीजों को हटा दिया था। किंतु इसमें अभी भी एक अनुबंध है और इसमें संभावना भी है। यदि राज्य सरकारें चाहती हैं कि तो हम अनुमति देने के लिए तैयार हैं। जमाखोरी हर जगह पर होती है। इन सब चीजों पर अंकुश लगाने के लिए, वित्त मंत्री को बढ़ते मूल्यों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। हम पीडीएस और अन्य चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। यह केवल मेरा वक्तव्य नहीं है। सुश्री सोनिया गांधी ने भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को भी इस स्थिति पर ध्यान देने के लिए कहा था। इस परिदृश्य में, क्या वित्त मंत्री इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करेंगे अथवा नहीं?

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अभी जैसे मंत्री जी ने बताया कि आज की तारीख में करीब 70 डालर प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट है और इस रेट पर हम खरीद रहे हैं। मैं कंसलटेटिव कमेटी का मेंबर भी हूं, उस मीटिंग में मैंने अपनी बात रखी थी। मुझे पूरा ठीक से पता नहीं है, मगर मुझे यह पता लगा

है कि क्रूड ऑयल पर-बैरल रिफायनरी चार्जेस, रिफायनरी में उसे रिफाइंड करने की जो कास्ट आती है, उसके बाद रिफायनरी से ट्रांसपोर्टेशन में जो कास्ट आती है, डिपो में जो तेल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल वहां पहुंचता है, उसके सर्विस टैक्सेस हैं, ये सब मिलाकर 23-24 रुपए के करीब होता है। आज जो रेट हैं, उनमें पेट्रोल करीब 50 रुपए से 52 रुपए पर-लीटर, डीजल 45 रुपए से 48 रुपए, कैरोसिन 25 रुपए से 26 रुपए कंट्रोल रेट पर हम देते हैं और बीपीएल होल्डर्स को नौ रुपए देते हैं, हालांकि कास्ट 25 रुपए से 26 रुपए तक आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइस ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट व अन्य टैक्सेस हैं और जो लगभग 40-45 परसैंट के करीब हैं, उन्हें कम करने के लिए हमारे अन्य दलों के लोगों ने भी इस पर अपनी सिफारिशें दी हैं, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि आने वाले समय में इन्हें कम करके कस्टमर्स को ये सस्ते दामों में उपलब्ध करा सकेंगे? आज एक गैस के सिलेंडर का भी रेट 310 रुपए से 315 रुपए है। माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आने वाले तीन-चार महीने या छः महीने में उन चीजों के रेट्स को भी कम करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसका भी सरकार जवाब दे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मेरे राज्य केरल में वैधानिक राशनिंग थी, जो पिछली आधी सदी तक चली थी। यह वितरण की अत्यधिक सफल प्रणाली थी। इस अवधि के दौरान कीमतें नियंत्रित की जा सकीं। अब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे राज्य में बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन की कमी है। हमारे यहां चावल के उत्पादन की कमी है, हमारे यहां गेहूं और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की कमी है। पहले अन्य राज्यों से निर्बाध आपूर्ति हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों ने हमारे राज्य को खाद्यान्न की आपूर्ति की है। इस आपूर्ति ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोके रखा। अब यह आपूर्ति समाप्त हो गई है। केन्द्र सरकार इस प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने में बचाव के लिए आगे नहीं आ रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकमात्र उपाय है।

अब, उदाहरण के लिए खाद्य आपूर्ति को लीजिए। चाहे गेहूं मानवीय उपभोग के लिए उपयोगी न भी हो, हम उस गेहूं की डिलीवरी लेते हैं। हम अप्रयुक्त गेहूं की आपूर्ति लेते हैं। क्योंकि भारी कमी और कीमतों में वृद्धि है। अतः मैं केन्द्र सरकार से आपूर्ति को सुगम बनाने का अनुरोध करूंगा ताकि एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणालीह को बनाए रखा जा सके।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में मै. रिलायंस ने बहुत सारे पेट्रोल पंप स्थापित किए हैं। वे पेट्रोल और डीजल पर अधिक दाम ले रहे हैं, सरकारी दरों से भी अधिक। उन्हें पेट्रोल और डीजल में अधिक कीमतें वसूल करने का अधिकार कैसे मिला, यह हमें स्पष्ट नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, मैं सरकार से सर्वव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का अनुरोध करना चाहता हूं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिल सके।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, केवल तीन बड़े मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और मैंने सोचा था कि मैंने उनको स्पष्ट कर दिया है। किंतु मुझे एक बार पुनः उन्हें स्पष्ट करने में खुशी होगी। चावल, गेहूं, चीनी और किरोसीन की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है। आज उनमें से सभी पर राजसहायता दी जाती है। वहां पर राजसहायता कम करने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हमने चावल और गेहूं निर्गम मूल्य नहीं बढ़ाया है। अतएव, राजसहायता का स्तर बढ़ गया है क्योंकि खरीद कीमतें बढ़ गई हैं। हम राजसहायता नहीं घटा रहे हैं और प्रभावी रूप से राजसहायता बढ़ी है। निर्गम मूल्य की कीमतें स्थिर रही हैं और खरीद कीमतें ऊंची हैं और राजसहायता बढ़ गई है। हम खाद्य राजसहायता नहीं घटा रहे हैं।

दूसरा, क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और वस्तुएं जोड़ी जानी चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर वित्त मंत्री द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के संबंध में इस वाद-विवाद के दौरान नहीं दिया जा सकता। हमें इसे नीतिगत मुद्दे के तौर पर उठाना चाहिए। इसे संबंधित मंत्री को संबोधित किया जाना चाहिए। अतः मैं आपसे यह प्रश्न उठाने का आग्रह करूंगा। यह संसद है और आप सभी नीतिगत मुद्दों पर वाद-विवाद करने के अधिकारी हैं।

दोबारा, करों पर मैं सोचता हूं कि मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया था, किंतु माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं पुनः इन्हें स्पष्ट कर देता हूं। इस सरकार ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क

[श्री पी. चिदम्बरम]

और उत्पाद शुल्क नियंत्रित रखे हैं। मैं एक बार फिर आंकड़े दे रहा हूं। मई 2004 में, जब हम सत्ता में आए थे तो कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत था, आज यह पांच प्रतिशत है, पेट्रोल पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत था, आज यह 7.5 प्रतिशत है, डीजल पर यह 20 प्रतिशत था, आज यह 7.5 प्रतिशत है, एलपीजी पर यह दस प्रतिशत था, आज यह शून्य प्रतिशत है, किरोसीन पर यह 10 प्रतिशत था, आज यह शून्य प्रतिशत है। मैं सीमा-शुल्क की बात कर रहा हूं। क्या मैंने सीमा-शुल्क घटाया है या बढ़ाया है? हमने सीमा-शुल्क घटाया है। उत्पाद शुल्क देखिए। एलपीजी पर उनकी सरकार में यह 16 प्रतिशत था, आज यह शून्य प्रतिशत है; पीडीएस किरोसीन पर यह 16 प्रतिशत था, आज यह शून्य प्रतिशत है। मैंने एलपीजी और किरोसीन पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया है। मैं शून्य से नीचे नहीं जा सकता। कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल के मामले में तो हमने डा. रंगराजन समिति रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए खास शुल्क प्रणाली अपना ली है तथा थोड़ा सा हमने इसे यथामूल्य के मामले में भी अपनाया है।

अपराह्न 2.00 बजे

मई 2004 में यह 30 प्रतिशत जमा 7.5 रु. प्रति लीटर था। आज यह आठ प्रतिशत यथामूल्य जमा 13 रु. प्रति लीटर है। डीजल पर यह 14 प्रतिशत यथामूल्य जमा 1.5 रु. प्रति लीटर था। आज यह आठ प्रतिशत यथामूल्य जमा 3.2 रु. प्रति लीटर है।

हम डा. रंगराजन समिति के अनुसार चले हैं। हमने पेट्रोलियम उत्पादों पर करों की दरें नहीं बढ़ाई हैं, इसके विपरीत हमने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को कम किया है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप यह चाहते हैं कि मैं और कम करूं, यह एक विचारणीय प्रश्न है, किंतु व्यय कम करना पड़ेगा या राजस्व बढ़ाने के लिए मुझे नए कर लगाने पड़ेंगे। ये ऐसे प्रश्न नहीं हैं जिनके उत्तर यह कहते हुए दिए जा सकते हैं कि क्या आप शुल्क कम करेंगे? यदि आप कहते हैं 'नहीं' आप बुरे आदमी हैं और यदि आप कहते हैं 'हां' तो आप अच्छे आदमी हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। बजट बनाते समय इन प्रश्नों का समाधान बड़े प्रश्नों के साथ तालमेल रखकर किया जाएगा। अतएव, हमने संभव सीमा तक सीमा शुल्क में कटौती की है और जैसा मैंने कहा, हम इस बारे में उदार हैं, यदि आवश्यक हुआ तो हम और वित्तीय उपाय करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपरा 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न तीन बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य जारी

(दो) दिनांक 27 जुलाई, 2006 को 'दि पायनियर' में 'ढाका ग्रैब्स 2 स्कवायर कि.मी. ऑफ इंडियाज लैंड शीर्षक' से प्रकाशित समाचार

संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी, माननीय सदस्य प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा उठाए गए एक मुद्दे पर अब वक्तव्य देने के लिए तैयार है। कृपया उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय रक्षा मंत्री।

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे सहयोगी तथा मानीय सदस्य, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने भारत की भूमि का बांग्लादेश के कब्जे में होने की बात उठाई थी तथा मैंने उनसे कहा था कि मैं सूचना एकत्र करके सभा को इससे अवगत कराऊंगा।

महोदय, मैंने जानकारी इकट्ठी कर ली तथा अब मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

महोदय, मैं दि. 27 जुलाई, 2006 को 'दि पायोनियर' में 'ढाका ग्रैब्स टू स्क्वायर कि.मी. ऑफ इंडियाज लैंड' शीर्षक से प्रकाशिता समाचार पर वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4523/2006।

असम के धुबरी तथा करीमगंज जिलों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा सेना की सहायता से सीमा पर लगे खंभों को उखाड़ने तथा भारतीय क्षेत्र की 500 एकड़ (202 वर्ग कि. मी.) जमीन पर कब्जा करने संबंधी समाचार गलत है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनता सीमा सुरक्षा बल काफी सतर्क है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भाग पर भारतीय भूमि के प्रतिकूल या अवैध कब्जे की घटना प्रकाश में नहीं आई है।

किमी भारतीय नागरिक या सीमा चौकी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हटाया नहीं गया है।

असम में बांग्लादेश के प्रतिकूल कब्जे में तीन क्षेत्र हैं। ये हैं—(एक) बोरायबार, धुबरी जिला—189.06 एकड़ (बीपी सं. 1066/4 एस से बीपी सं. 1067/5 एस); (दो) पल्लाताल चाप बगान, करीमगंज जिला—299.04 एकड़ (बीपी सं. 10369/3 एस से बीपी सं. 10373/3एल); (तीन) पमोदनगर चाय बगान, करीमगंज जिला—11.73 एकड़ (बीपी सं. 1375/2 एस से बीपी सं. 1375/3 एस, 5 एस, 6 एस)। अतएव बांग्लादेश के प्रतिकूल कब्जे में 499.83 एकड़ कुल क्षेत्र हैं।

बांग्लादेश राइफल्स या बांग्लोदश के नागरिकों द्वारा असम के धुवरी जिले में मंकाचार क्षेत्र में घुसपैठ की कोई घटना हाल में प्रकाश में नहीं आई है। बीपी. सं. 1066/3 एस से बीपी सं. 1067/5-एस तक मंकाचार राजस्व सर्किल के बोरापवारी क्षेत्रा में 189.06 एकड़ भारतीय भूमि बांग्लादेश के प्रतिकूल कब्जे में 1971 से पूर्व से है। आज तथा बांग्लादेश के सर्वेक्षण इन ब्यौरों से परिचित हैं।

मामले पर बांग्लादेश के साथ चर्चा विचाराधीन है। हाल में 16 तथा 17 जुलाई, 2006 को भारत तथा बांग्लादेश के बीच ढाका में संयुक्त सीमा कार्य समूह की बैठक हुई। बैठक में प्रतिकूल कब्जे पर भी चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि उनके तदनुरूपी स्थानों पर बिना किसी भेदभाव के प्रतिकूल कब्जों के अंतर्गत क्षेत्रों का दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त दौरा किया जाएगा।

दोनों देशों के कुछ पॉकेटों में प्रतिकूल कब्जे हैं, लेकिन इन प्रतिकूल कब्जों के सही-सही ब्यौरों पर भारत तथा बांग्लादेश के बीच सहमति होना बाकी है। इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में मद सं. 19 पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, मुझे बस एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा।

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, असम सरकार के मंत्रियों में से एक ने बताया है कि भारतीय भूमि का 2 वर्ग कि.मी. बांग्लादेश ने हथिया ली है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उनकी स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण दे रहा हूं। यह असम विधान सभा की कार्यवाहियों तथा आंकड़ों के अनुसार है। लेकिन असम सरकार के मंत्री ने कभी नहीं कहा कि ऐसा हाल में हुआ है। ये क्षेत्र बांग्लादेश के कब्जे में तब से हैं जब बांग्लादेश बना भी नहीं था। इसलिए मैंने वर्ष 1971 का उल्लेख किया।

माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं।...*(व्यवधान)*

कृपया मेरी बातों पर ध्यान दें। माननीय सदस्य इस तथ्य गे अवगत हैं कि दोनों पक्षों के पास भूमि का प्रतिकूल कब्जा है। ये 'इन्क्लेव' कहलाते हैं। स्वतंत्राता के समय से इन्हें निबटाया नहीं गया है। हमारे कब्जे में लगभग 2,000 एकड़ भूमि है जिस पर बांग्लादेश का दावा है कि यह उनकी है; तथा बांग्लादेश के पास इतनी ही भूमि है जो हम दावा करते हैं कि हमारी है। इसीलिए संयुक्त सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसलिए इसका पता लगाने तथा मामलों को सुलझाने के लिए 16 तथा 17 जुलाई को ढाका में बैठक हुई।

अपराह्न 3.11 बजे

[अनुवाद]

बीमांकक विधेयक, 2005

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद सं. 14—बीमांकक विधेयक, 2005 पर चर्चा करेगी : श्री बंसल।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीमांककों के व्यवसाय का विनियमन और विकास तथा उससे संशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह नया विधेयक है जिसका कार्य देश में बीमांककों के व्यवसाय को विनियमित करना है। यह ऐसा व्यवसाय जो हाल के वर्षों में आर्थिक कियाकलापों के विस्तार के साथ सामान्यतः तथा बीमा व्यापार में विस्तार के साथ विशेषरूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सीधे-सादे शब्दों में, जैसा कि आप मानेंगे, बीमांकक ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में संभावी घटना के वर्तमान प्रभाव का पता लगाने में दक्ष हों। यदि ऐसा सुनने में कठिन लगता है तो ऐसा नया विषय होने को लेकर है।

जीवन में तथा सामान्य बीमा व्यापार में बीमांककों के परंपरागत दायित्वों में मूल्य संबंधी नीतियों का डिजायन करना, वादा किए गए लाभों को प्रदान करने के लिए धनराशियों की पर्याप्तता की निगरानी, जहां भी लागू हो वहां बोनस की उचित व्यापार दर की सिफारिश करना, बीमा व्यापार का मुल्यांकन, विलयन लाभ सुनिश्चित करना तथा अन्य बीमा जोखिमों यथा, कानूनी देनदारी लाभ की हानि इत्यादि है।

महोदय, वे लाभ कारकों को भी परिभाषित करते हैं, लगाई जाने वाली प्रीमियम पर तथा खरीदे जाने वाले पुनर्बीमा पर सलाह भी देते हैं। वे बकाया दावों पर भंडार की गणना भी करते हैं तथा वित्तीय मॉडल भी बनाते हैं।

महोदय, एक बीमांकक परामर्शदाता के रूप में अन्य बीमांककों के साथ मिलकर साझेदारी या व्यक्तिरूप से भी कार्य करता है। अन्य कार्यों के अलावा, उसका कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हों। अतएव, वह बीमाकारक तथा बीमाधारक जो बीमा कराने जाते हैं, दोनों के लिए कार्य करता है।

महोदय, जहां तक भारतीय बीमांकक सोसयटी का संबंध है जिसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 और बम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, हमारे देश में बीमांकक व्यवसाय के कार्यों का प्रबंधन कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि बीमा क्षेत्र के विस्तार के साथ ही निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आगामी वर्षों में योग्य बीमांककों की मांग से व्यापक वृद्धि होगी। इसलिए हमें सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड अकाउंटटेंट्स) कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी जैसे पेशेवर निकायों की तरह एक वैधानिक व्यावसायिक निकाय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, भारतीय बीमांकक सोसायटी के अनुसार इस समय इसके सहयोगी सदस्यों की संख्या, जो कि प्रैक्टिस के पात्र हैं, 203 हैं। इनमें से 137 सदस्य भारत में रहते हैं जबकि 66 सदस्य विदेशों में रहते हैं। भविष्य की मांग को देखते हुए लगभग 4000 अर्थात् यथार्थ रूप में 3958 छात्रों ने बीमांकक विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत कराया है। उन सहित तथा संबद्ध जैसे कुछ अन्यों को जोड़ लेने के पश्चात् आज की तिथि के अनुसार इनकी कुल सदस्य संख्या 4,326 है।

यह महसूस किया गया है कि वर्ष 2010 तक इस तीव्र गति से बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में इन सदस्यों की संख्या कम से कम 10,000 और वर्ष 2015 तक 15,000 हो जाएगी।

वास्तव में भावी स्थिति से निपटने तथा इस महत्वपूर्ण व्यवसाय के विनियमन के लिए जैसा कि मैंने कहा है, यह बीमा व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, इस विधेयक को इस सभा के समक्ष रखा गया है। इसमें बीमांकक को परिभाषित किया गया है इसके अतिरिक्त इस विधेयक में भारतीय बीमांकिक संस्था जैसे सर्वाधिक व्यावसायिक मिकाय की स्थापना की जाएगी जो सनदी लेखकारों इत्यादि की तर्ज पर बीमांकक व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने, उसके विनियमन और विकास का कार्य करेगा।

मैं एक महत्वपूर्ण परिभाषा देने के लिए स्थाई समिति को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बीमांकक की परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इसे इसमें सम्मिलित किया गया है। इस सभा में इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात् इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस पर काफी विचार-विमर्श किया और इसके पश्चात् कतिपय बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर सरकार ने विचार किया था। मुझे यहां यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर मैं इस विधेयक पर की जा रही चर्चा के अंत में कुद संशोधन प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मैं एक बार पुनः स्थायी समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनहोंने चर्चा में भाग लिया।

जैसा मैं कह रहा था कि बीमांकक को परिभाषित करने के अतिरिक्त इस विधेयक में परिषद के कार्यकरण को भी निर्धारित किया गया है। यह परिषद 9 से 12 निर्वाचित सदस्यों और चार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के साथ कार्य करेगी। इस परिषद के एक-तिहाई सदस्य चक्रानुक्रम द्वारा प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे लेकिन वे पुनःनिर्वाचन के पात्र होंगे परंतु ऐसा निर्वाचन लगातार दो वर्षों से अधिक नहीं हो सकता। सरकार द्वारा स्थापित एक न्यायाधिकरण के माध्यम से विवादों के निपटान के लिए एक तंत्र का भी उपबंध किया गया है। इसमें अपील का भी उपबंध किया गया है। कुछ संशोधनों के साथ सनदी लेखाकारों के मामलों में जो अपीलीय प्राधिकरण है के प्रयोजनार्थ यहीं अपीलीय प्राधिकरण होगा। शुल्क, डोनेशन, अनुदान इत्यादि के माध्यम से इसके क्रियाकलापों के वित्त पोषण की भी व्यवस्था की गई है।

सभी व्यवसायों में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सदस्यों के आचरण को विनियमित किया जाए चाहे वह विधि व्यवसाय हो और चाहे वह सनदी लेखाकार अथवा कंपनी सचिव का व्यवसाय हो। इसी प्रकार इसके सदस्यों के अवचार के प्रश्न से निपटने के लिए ऐसी ही व्यवस्था की गई है। इसकी जांच अलग से एक अनुशासन समिति द्वारा की जानी चाहिए। सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच एक अभियोजन निदेशक द्वारा की जाएगी।

इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों को बीमांकक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है। जब इस सम्माननीय सभा द्वारा इस विधान को पारित कर दिया जाएगा और इसे एक सांविधि के रूप में अधिनियमित कर लिया जाएगा तत्पश्चात् के सरकार मानदंडों की स्थापना और सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए एक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड को अधिसूचित कर सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है क्योंकि ऐसा बहुत कुछ बीमांककों पर निर्भर है। यह मुख्यतः इस प्रयोजनार्थ किया गया है कि वर्ष 2000 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियमन, 2000 को प्रख्यापित किया गया है जिससे अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का भी उपबंध किया गया है:-

"कि एक पंजीकृत बीमाकर्ता, भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए एक बीमांकक नियुक्त करेगा जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियुक्त बीमांकक के रूप में जाना जाएगा।"

ये वे उपबंध हैं जिनका निर्माण निम्नलिखित उप-विनियमन के अतिरिक्त किया गया है।

(2) सरकार को परिषद भंग करने तथा नियमों को बनाने और विनियमों का निर्माण अथवा उनमें संशोधन हेतु निदेश जारी करने की शक्ति है। सभी अधिनियमितियों में उपबंधों की तरह इन विनियमों को भी दोनों सभाओं के सभा पटल पर भी रखा जाएगा।

जैसा कि मैंने कहा है कि कई वर्षों से विद्यमान इस व्यवसाय से संबंधित यह एक नया अधिनियम है लेकिन अब इसे और महत्व दिए जाने की जरूरत है और इसे एक सांविधि के माध्यम से शासित किए जाने की आवश्यकता है इसलिए हमने इसे इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरा इस सभा से अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार करें और तत्पश्चात् इसे पारित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बीमांकक व्यवसाय के विनियमन और विकास और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक, बीमांकक विधेयक, 2005 लोक सभा के समक्ष लाया गया था और इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अब माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुनः इस विधेयक को लाया गया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 को अधिनियमित करने और 19 अप्रैल, 2000 को स्थापित किए गए आईआरडीए के पश्चात् बीमा क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गया है। बीमा क्षेत्र में कारोबार करने वाली छः राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के अतिरिक्त इस समय देश में इक्कीस निजी कंपनियां बीमा खेत्र में कारोबार कर रही हैं।

बीमांकक विज्ञान; बीमा क्षेत्र विशेषकर जीवन बीमा क्षेत्र की रीढ की हड्डी है। तथापि समय के साथ बीमांकक व्यवसाय का विस्तार अन्य क्षेत्रों, विशेषकर, जहां दीर्घावधि ठेके/दायित्व शामिल हैं, में भी हो जाएगा। इस मिश्रित परिदृश्य में, जहां निजी और सरकारी बीमा कंपनियां कार्य कर रही हैं; योग्य बीमांककों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

बीमांककों को जीवन बीमा और सामान्य जीवन बीमा व्यवसायों में नीतियां, मूल्य निर्धारण, वादाकृत लाभ प्रदान करने, पर्याप्त धन उपलब्धता

[श्री पी.एस. गढ़वी]

की निगरानी, जहां लागू हो वहां उचित दर पर बोनस देने की सिफारिश, बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन, शोधन क्षमता मार्जिन सुनिश्चित करने और विधिक दायित्व, लाभ का नुकसान इत्यादि जैसे अन्य बीमा जोखिम से संबंधित मुख्य उत्तरदायित्व दिए गए हैं।

बीमांककों के कार्य क्या. हैं? वे लिए जाने वाले प्रीमियम और क्रय किए जाने वाले पुन: बीमा बकाया दावों के लिए भंडार की गणना और वित्तीय प्रबंधन करने संबंधी सलाह देंगे।

[अनुवाद]

एक बीमांकक एक सलाहकार के रूप में या तो व्यक्तिगत रूप से या साझेदारी में अन्य बीमांककों के साथ बहु-विधाओं जैसे—बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, कराधान, कर्मचारियों के लाभ, जोखिम प्रबंधन, निवेश आदि में कार्य करता है। स्पष्टत: बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत एक बीमांकन के कार्यकलापों तथा कर्तव्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 के अनुसार प्रत्येक बीमा कंपनी के पास एक 'नियुक्त बीमांकक' होगा।

भारतीय बीमांकक सोसायटी (ए.एस.आई.) जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी तथा जिसे समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1982 में पंजीकृत किया गया था, वर्तमान में भारत में बीमांकक व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रबंधन करती है। ए.एस.आई. अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन करती है। समिति बीमांकक संस्थान, लंदन तथा अंतर्राष्ट्रीय बीमांकन संगठन के साथ मिलकर कार्य करती है।

सनदी लेखाकारों, लागत तथा कार्य लेखाकारों तथा कंपनी सचिवों का व्यवसाय क्रमश: सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949; लागत तथा कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 द्वारा संचालित होता है। इसी प्रकार से बीमांकक से संबंधित कानून बनाया जाना समय की मांग है।

दूसरे अन्य व्यवसायों की तरह ही भारत में बीमांकन व्यवसाय के संबंध में विधान की कमी रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, अब तक इसकी आवश्यकता संगठनात्मक ढांचे के कारण महसूस नहीं की गई जिसके अंतर्गत बीमा क्षेत्र कार्य कर रहा था तथा तदुपरांत संगठनों में योग्य बीमांककों का सीमित कार्यक्षेत्र होना है। विधान के अभाव में जैसा कि सनदी लेखाकारों, लागत तथा कार्य लेखाकारों तथा कंपनी सचिवों के व्यवसायों पर लागू होता है निजी या व्यक्तिगत आधार पर बीमांकन .परामर्श निरंतर प्रतिबंधित रहा है।

बीमांकक के व्यवसाय को सुव्यवस्थित, विनियमित करने तथा बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए सरकार का विचार एक व्यावसायिक निकाय की स्थापना करने का है जिसमें सनदी लेखाकारों, लागत तथा कार्य लेखाकारों तथा कंपनी सचिवों के व्यवसायों से संबंधी कानूनों के जैसा ही सांविधिक चरित्र वाला हो। इसलिए यह विधेयक राजग सरकार के समय लाया गया था। यह अच्छी बात है कि इस विधेयक को पुन: लाया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

बीमांकक विधेयक, 2005 में भारतीय बीमांकन समिति को भंग करने तथा एक व्यावसायिक निकाय अर्थात् भारतीय बीमांकक संस्थान (आई.ए.आई.) की स्थापना करना है तथा उक्त समिति की परिसंपत्ति एवं देयताओं को प्रस्तावित आई.ए.आई. को हस्तांतरित करना है। प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत गठित किए जाने वाले संस्थान का दायित्व बीमांकक व्यवसाय के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, व्यावसायिक दुर्व्यहार संबंधी पहलुओं सहित व्यवसाय का विनियमन करना, तथा संस्थान के सदस्यों में विकास तथा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं का सृजन करना है। इसके सरकार से बजटीय सहयोग के बिना स्वत: वित्तपोषण एवं स्वत: सहयोग निकाय के रूप में कार्य करने की आशा है।

महोदय, इस विधेयक के प्रावधानों की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विधेयक में यह उल्लेख है कि परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अवैतनिक सचिव का चुनाव करेगा। परिषद के एक-तिहाई सदस्य बारी-बारी से प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होंगे तथा पुन: निर्वाचित होने के पात्र होंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड 12(5) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह उल्लेख है कि उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत सेवा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त ही अपने पद पर रह सकेगा। यद्यपि उक्त खंड में भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित

किया गया है तथापि इसे परिषद के अध्यक्ष को संदर्भित किया जा सकता है। ऐसा मुख्यत: इसलिए है कि शब्द 'प्रेसिडेंट' विधेयक के कई प्रावधानों में परिषद के अध्यक्ष को संदर्भित करता प्रतीत होता है। अत: माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि खंड 12(5) के प्रावधानों में संशोधन कर राष्ट्रपति के संदर्भ को हटाकर इन शब्दों को निहित किया जाए कि परिषद का नामनिर्देशित सदस्य नामनिर्देशन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अपने पद पर रहेगा, बशर्ते। कि केन्द्र सरकार उसे पहले न हटा ले। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इसका गलत अर्थ न निकले। माननीय मंत्री मेरे सुझाव को नोट कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपराह्न के 3.30 बज चुके हैं। मैं अब गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य शुरू करने जा रहा हूं। हम मद सं. 15 पर चर्चा करेंगे।

अपराह्न 3.29 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री मधुसूदन रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 26 जुलाई, 2006 को इस सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 26 जुलाई, 2006 को इस सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2005*

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.30½ बजे

[अनुवाद]

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005* (धारा 2, आदि का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

(तीन) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2005*

(धारा '5ख' का संशोधन)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31½ बजे

[अनुवाद]

(चार) भारतीय चिकित्सा विकास निगम विधेयक, 2005*

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास का संप्रवर्तन करने हेतु एक भारतीय चिकित्सा विकास निगम की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास का संप्रवर्तन करने हेतु एक भारतीय चिकित्सा विकास निगम की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*

(नए अनुच्छेद 335क का अंतःस्थापना)

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.32½ बजे

[अनुवाद]

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*

(अनुच्छेद 341 और 342 का संशोधन)

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(सात) सिलाई कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2006*

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिलाई कर्मकारों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिलाई कर्मकारों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. करुणाकरन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनंदराव विठोबा अडसूल—अनुपस्थित।

श्री बची सिंह रावत।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(आठ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006*

(नई धारा 382 'क' का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.34½ बजे

[अनुवाद]

(नौ) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006*

(धारा 9 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन्य जीव (संरक्षण) विधेयक अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि वन्य जीव (संरक्षण) विधेयक अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

[अनुवाद]

(दस) कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2006*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कन्या शिशु-हत्या निवारण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि कन्या शिशु-हत्या का निवारण करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.36 बजे

[हिन्दी]

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.36½ बजे

[हिन्दी]

(बारह) राष्ट्रीय बागवानी विकास आयोग विधेयक, 2006*

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय बागवानी विकास आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय बागवानी विकास आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(तेरह) पर्यावरणीय निर्बाचन (स्वतः प्रमाणन) विधेयक, 2006*

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वतः प्रमाणन के आधार पर महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय निर्बाचन का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वतः प्रमाणन के आधार पर महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय निर्बाचन का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.एस. राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37½ बजे

(चौदह) अवसंरचना विकास बोर्ड विधेयक, 2006*

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक जनसंरचना विकास बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक जनसंरचना विकास बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.एस. राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.38 बजे

(पंद्रह) मूल्य विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2006*

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को विनियमित करने हेतु एक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को विनियमित करने हेतु एक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.एस. राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चंद्रकांत खैरे–उपस्थित नहीं।

अगले हैं, एडवोकेट तुकाराम रेंगे पाटील।

अपराह्न 3.39 बजे

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हंसराज गंगारामजी अहीर–उपस्थित नहीं।

श्री मोहन सिंह।

अपराह्न 3.40 बजे

(सत्रह) लोकसभा (प्रशासन) विधेयक, 2006*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा के सचिवीय कर्मचारिवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के सचिवीय कर्मचारिवृन्द के प्रशासन का निरीक्षण करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.41 बजे

[अनुवाद]

फसल बीमा विधेयक, 2005

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर आगे विचार करने हेतु मद सं. 40 को लेगी। श्री सुधाकर रेड्डी।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोण्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा प्रस्तावित फसल बीमा और इससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि हमारे देश में कृषि अभी भी सबसे बड़ा पेशा है जिसे सर्वाधिक लोगों द्वारा अपनाया जाता है। हमारी सत्तर प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तकरीबन 11 करोड़ परिवार कृषि पेशे से प्रत्यक्षतः जुड़े हैं। करीब 22 करोड़ कृषि श्रमिक भी कृषि के माध्यम से आजीविका कमाते हैं। दुर्भाग्यवश, हमारी कृषि अत्यंत संकटापन्न है। जनगणना के अनुसार गत एक दशक में 71 लाख किसान इस पेशे को छोड़ चुके हैं। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। कृषि के कारण ऋण लेने की वजह से उन्हें यह पेशा छोड़ना पड़ा। वे निर्धन हो चुके हैं। हम प्रत्येक वर्ष हजारों हजार किसानों द्वारा आत्महत्या के समाचार सुन रहे हैं। निश्चय ही इस बारे में आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं और राज्य सरकारें सहमत नहीं हैं कि ये सारी आत्महत्याएं कृषि ऋण जाल के कारण ही हैं किंतु यह सच है कि बड़ी संख्या में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में संकट कितना गहरा है।

भारतीय किसान के बारे में कहा जाता है कि वह ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है। यह स्थिति ब्रिटिश काल और उससे पहले थी। गत पचास वर्षों में हमारे देश में कई नए विकास हुए हैं यथा सिंचाई परियोजनाएं, भूमि सुधार, हरित क्रांति। इन सबके बावजूद, स्थिति दुर्भाग्यवश पूर्ववत् होती जा रही है।

कृषि क्षेत्र में विशेषतः किसानों के लिए ऋण जाल सबसे गंभीर जाल है। किसानों के लिए चाहे वह वर्षा, सूखा, बाढ़, उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक या कीमतें कोई भी चीज समस्या बन सकती है। वह इन समस्याओं में से किसी का भी शिकार बन सकता है।

गत 25 वर्ष में किसानों को इन समस्याओं से बचाने के लिए कृषि बीमा शुरू किया गया था। मेरे विचार से देश में पांच-छह योजनाएं शुरू की गई थीं। मुझे यकीन है कि चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान इस लोक सभा ने भी किसानों की समस्याओं के बारे में और बीमा के बारे में छः बार से अधिक चर्चा की। किंतु गत ढाई दशकों में सभी योजनाएं विफल रहीं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि वे सब बुरी तरह विफल रहीं।

इसका कारण है कि बीमे को बीमा कंपनियों द्वारा व्यवसाय माना जाता है। कृषि में स्वाभाविक यप से उन्हें प्रीमियम से अधिक देना पड़ता है। कभी-कभी राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी को संग्रह किए गए प्रीमियम से दो या तीन गुना देना पड़ता है। किंतु भारत में, उचित और बढ़िया बीमा योजनाएं लाया जाना आवश्यक है।

गत कुछ वर्षों में नयी योजनाएं शुरू की गई थीं और बड़ी संख्या में लोगों को कृषि बीमा नेटवर्क के दायरे में लाया गया। किंतु कई स्थानों पर किसानों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने आज समाचारपत्र में पढ़ा कि बड़ी संख्या में किसानों ने इस वर्ष फसल बीमा के लिए अपना नाम दर्ज नहीं कराया। इस वर्ष की फसल हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कई समस्याएं हैं। सर्वप्रथम, कई स्थानों पर बीमा योजना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। दूसरे, जिन्हें इसके बारे में कुछ पता है वे इससे खुश और संतुष्ट नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में किसानवर्ग बीमा योजना के बारे में निराशावादी हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कारण है कि बीमा दावों के भुगतान की शर्तें बहुत कठोर हैं। यह पुरानी हो चुकी हैं। अधिकांश स्थानों पर कृषि बीमे का तरीका ऐसा है जो किसानों की सहायता करने के लिए नहीं बल्कि जिन्होंने किसानों को ऋण दिया है उन सोसाइटियों की सहायता करना है। यह उचित तरीका नहीं है। दावा निपटान के लिए मूल्यांकन का तरीका भी पुराना है।

भारत में यदि एक गांव में वर्षा होती है तो पड़ोस के गांव में वर्षा नहीं होती। किंतु मंडल या तहसील को एक इकाई माना जाता है। यदि एक गांव में बारिश होती है तो शेष गांवों की हालत तो खराब हो ही जाएगी। वहां कोई बारिश नहीं होगी। किंतु बीमा कंपनियां सहमत नहीं होंगी क्योंकि मंडल या तहसील को एक इकाई माना जाता है, वे किसी दावे के लिए सहमत नहीं होंगे। यदि पूरे क्षेत्र में अल्पवृष्टि होती है केवल तभी वे सहमत होंगे। इस संबंध में हुए नुकसान को जोड़ने का तरीका भी अत्यंत अवैज्ञानिक है। वे कहते हैं कि गत वर्ष जितनी फसल हुई हो—गत वर्ष की फसल के 60 प्रतिशत या 50

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

प्रतिशत से यदि कम फसल हुई हो केवल तभी बीमा कंपनियां दावे का निपटान करेंगी। यदि लागतार फसल बर्बाद हो रही है तो इस प्रकार की शर्तें लगाने के क्या अर्थ हैं। यदि इस वर्ष नुकसान होता है, अगले वर्ष नुकसान उससे कम या बदतर होना चाहिए केवल तभी उनके दावे निपटाए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय जिलों के दक्षिणी भाग अनवरत सूखाप्रवण हैं। अनंतपुर में प्रत्येक चार वर्षों में तीन वर्ष सूखा रहता है। ऐसे जिले में इस प्रकार के बीमे का कोई लाभ नहीं है। अधिकांश किसान महसूस करते हैं कि जो राशि वे प्रीमियम के तौर पर दे रहे हैं वह भी नुकसान ही है। मुझे बताया गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक बीमा कंपनी के दबाव के कारण कृषि मंत्री ने पिछले वर्ष एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी और समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को विभिन्न राज्यों को भेजा गया है ताकि वे इनके बारे में अपनी राय दे सकें।

कई राज्य पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। केवल इतना ही नहीं; प्रेस में यह छपा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ सिफारिशें की हैं कि गांव को एक इकाई माना जाना चाहिए। कई अन्य सिफारिशें भी की हैं। दुर्भाग्यवश, अब तक इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। इन सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि वर्तमान योजना भी ज्यादा लाभप्रद नहीं है। अतएव विभिन्न देशों में फसल बीमा का अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वहां इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है ताकि एक बेहतर कृषि बीमा योजना शुरू की जा सके।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को अधिकांश प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए। उदाहरण के लिए कपास की काफी फसल खराब हो जाने से वर्ष 2006-07 में इस फसल का वर्तमान प्रीमियम 7.5 प्रतिशत है। यह काफी ज्यादा राशि है। एक किसान के लिए, जिसे अच्छे बीज और खाद खरीदने के लिए भी ऋण की जरूरत है, इसे 7.5 प्रतिशत की दर पर खरीदना काफी मुश्किल होगा। एक मध्यवर्गीय किसान इसे वहन नहीं कर सकता है। मैं यह नहीं जानता कि क्या एक अमीर किसान इसे वहन कर सकता है किंतु निश्चित रूप से एक गरीब किसान इसे वहन नहीं कर सकता चाहे सीमांत किसानों के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार इसके 50 प्रतिशत का भुगतान करें।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंडल की बजाय गांव को एक इकाई माना जाए; मूंगफली और कपास सहित सभी प्रकार की फसलों के लिए 80 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति स्तर को बहाल किया जाए; एक सामान्य वर्ष की फसल पैदावार को आरंभिक पैदावार माना जाए; जिला स्तर पर फसल पैदावार का अनुमान लगाने हेतु जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पृथक् इकाइयों की व्यवस्था की जाए; फसल बीमा के अंतर्गत सभी फसलों को कवर किया जाए; हर वर्ष कुछ विशेष फसलों को ही कवर किया जा रहा है; फसल बीमा में उन किसानों को भी कवर किया जाए जो बैंकों के भी ऋणी नहीं हैं। यह सही है कि इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में इसे शुरू किया गया है किंतु कई अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं किया गया है। अधिकाधिक संख्या में किसानों को कवर किया जाना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा राजसहायता को प्रीमियम के रूप में दिया जाना चाहिए; जीवन बीमा निगम और अन्य बीमा कंपनियों को इसका एक अंग बनाया जाए। वे काफी धन कमा रही हैं; उन्हें साधारण बीमा से भी आय हो रही है और इसलिए उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है; यह काम राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनियों पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

इसलिए, मैं संबंधित मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश में एक बेहतर, चूकरहित, किसानसमर्थक कृषि बीमा योजना शुरू करें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : धन्यवाद। अपनी पार्टी की ओर से मैं यह देखने आंध्र प्रदेश गया था कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? मैंने यह पाया कि मूलतः नकदी फसल उगाने वाले किसान ही आत्महत्या करते हैं। धान जैसी अनाज की फसल उगाने वाले किसान ऐसा नहीं करते। इसलिए, मूलतः नकदी फसल उगाने वाले किसान जो निजी साहूकारों से काफी अधिक धन उधार लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। जब नकदी फसल बर्बाद हो जाती है और वे इसका बोझ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते मैंने यह पाया है कि प्राथमिक ऋण क्षेत्र में बैंक कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत ऋण अनिवार्य रूप से देते हैं। पहले बमुश्किल कोई बैंक 18 प्रतिशत ऋण देता था। केवल पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तीन वर्षों के भीतर ग्रामीण क्रेडिट को दुगुना करने के लिए दबाव डालने पर 32 में से 17 बैंक अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत बैंक अब 18 प्रतिशत

ग्रामीण क्रेडिट की शर्त पूरी कर पाए हैं; 18 प्रतिशत की व्यवस्था अनिवार्य है और उन्हें इसका पालन करना है।

एक अच्छा संकेत यह है कि बैंक कृषि क्रेडिट को बाध्यता नही मान रहे हैं। वे अब यह नहीं मानते हैं कि भारत सरकार ने उन पर यह थोप दिया है। अचानक कृषि क्रेडिट बैंकों के लिए एक लाभकारी बात बन गई है क्योंकि हमने यह पाया है कि कृषि क्रेडिट की वसूली 70 प्रतिशत से ज्यादा है। यह कारपोरेट क्षेत्र की वसूली से कहीं ज्यादा है। इसलिए सच्चाई यह है कि बैंक अधिकाधिक किसानों को ज्यादा ऋण देने के लिए आगे आ रहे हैं।

जहां तक फसल बीमा का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि यह एक गलत नाम है। बीमा जैसी कोई चीज नहीं है। यह केवल सरकारी राजसहायता है जो बैंकों द्वारा किसानों में बांट दी जाती है। बैंक अथवा बीमा कंपनियां अपने कोष से एक भी पैसा नहीं देती हैं। यह केवल सरकारी राजसहायता है। सरकार बजट के माध्यम से जो भी प्रावधान करती है उसे वास्तव में वितरित किया जा रहा है। जैसा कि श्री रेड्डी ने भी कहा है पूरे ब्लॉक को एक इकाई माना जाता है। यदि सारे ब्लॉक में फसल बर्बाद हो जाती है तभी उन्हें बीमे का लाभ मिलेगा। क्या यह संभव है कि सारे ब्लॉक, जो 50 कि.मी. में फैला हुआ है, की फसल बर्बाद हो जाए? मैं श्री रेड्डी जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यदि सरकार वास्तव में बीमे के लाभ देना चाहती है तो ग्राम पंचायत अथवा पूरे गांव को ही एक इकाई माना जाए। यदि किसी ग्राम पंचायत या किसी गांव में फसल बर्बाद हो जाती है तो वे बीमा पाने के पात्र होंगे।

माननीय मंत्री, श्री रघुवंश प्रसाद जी यहां बैठे हुए हैं और बड़ी एकाग्रता से चर्चा सुन रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे और अधिक बीमा कवर प्रदान करें। मैं आर्थिक सुधारों का प्रबल प्रतिपादक हूं। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि राजसहायता बढ़ा दी जाए। मैं इसके विरुद्ध हूं। मैं यह कहूंगा कि आरंभ में यदि सरकार किसानों को और अधिक धन देना चाहती है और किसान इसमें लाभ देखते हैं तो कुछ समय बाद वे कुछ प्रीमियम देने के लिए सहमत हो जाएंगे। जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना नामक एक स्कीम है। इस योजना की कायिक निधि 100 करोड़ रुपए है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य बीमा अथवा जीवन बीमा के लिए आवेदन करता है और 100 रुपए जमा कराता है तो बीमा कंपनी उस 100 करोड़ रुपए की कायिक निधि से 100 रुपए और डाल देती है। अत: एक व्यक्ति के लिए प्रीमियम 200 रुपए हो जाता है। यदि व्यक्ति मर जाता है तो उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। यदि व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 50,000 रुपए मिलते हैं। यदि व्यक्ति किसी गंभीर चोट से पीड़ित है तो उसे 25,000 रुपए मिलते हैं। इस जनश्री बीमा योजना के माध्यम से, जीवन बीमा निगम काफी लाभ दे रहा है। अत: मैं सरकार से भी यह अपील करता हूं कि वह उनके लिए 1000 करोड़ रुपए की कायिक निधि सृजित करे। कर वसूली में वृद्धि हुई है। हर साल कर वसूली में 20 प्रतिश्ता की वृद्धि हो रही है। हमारी जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत वार्षिक है। सरकार के पास धन है। इसलिए फसल बीमा हेतु कायिक निधि में वृद्धि की जाए। मैं मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि वे कम से कम 2-3 साल तक इसका अनुसरण करें। किसान निश्चित रूप से प्रीमियम का भुगतान करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

अंतिम बात यह है कि माननीय मंत्री जी अपनी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से काफी खुश हैं। आखिरकार यह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्या है? आप गरीब लोगों को केवल कुछ पैसा दे रहे हैं। आप सृजित की जा रही परिसंपत्तियों के बारे में चिंतित नहीं हैं। इसलिए यदि आप इस प्रकार से पैसा बांट सकते हैं तो आप वास्तव में कठोर काम करने वाले किसानों को पैसा क्यों नहीं दे सकते? किसान देश के सारे लोगों का पेट भर रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि आरंभ में इस बीमा के लिए कायिक निधि को बढ़ाया जाए। आप इसे 1000 करोड़ रुपए या ऐसी ही राशि तक बढ़ा सकते हैं ताकि धीरे-धीरे जब किसानों को इससे लाभ होता दिखाई दे तो वह स्वयं प्रीमियम देने के लिए तैयार हो जाए।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई** (शिवकाशी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कवि भारती ने कहा है, ''इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है,'' 108 करोड़ लोगों को भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उपलब्धता और संवितरण के संकलन को बनाए रखने हेतु हमें लगभग 35 लाख टन गेहूं का आयात करने की आवश्यकता है।

हमारे ऊपर उत्पादन में वृद्धि करने और वर्ष 2050 तक उत्पादन स्तर को दोगुना करने का बहुत बड़ा काम है। विश्व के कई देश खेती के लिए अपनी कुल भूमि का केवल 11 प्रतिश्ता उपयोग करते हैं, हमारे देश में 51% भूमि कृषि योग्य है जिस पर फसल उगाई जाती है। सिंचाई क्षमता में 24% से 135% की वृद्धि होने से हमारी फसल क्षमता में वृद्धि हुई है। गत 5 से 6 वर्ष में हमने खाद्य उत्पादन

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई]

में ज्यादा प्रगति नहीं की है। परंतु किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हमें इस प्रवृत्ति का अध्ययन करना होगा। हमने यह पाया कि आत्महत्या के मामले वे लोग ज्यादा करते हैं जो नकदी फसल उगाते हैं और जो कपास उत्पादक हैं।

खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किसानों की आवश्यकता को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। किसानों को सामाजिक सुरक्षा और फसल बीमा कवर अवश्य दिया जाना चाहिए। किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा कृषकों को इतनी सहायता दी जानी अपेक्षित है। किसानों को मात्र ऋण देकर और ब्याज दरों को घटाकर अथवा समाप्त कर या बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विशेष पैकेज देकर संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कृषि ऋण आवंटन में 35% की वृद्धि किए जाने से ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। किसानों को सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है। हमारे नेता श्री वाइको ने नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया है। किसानों को संपूर्ण फसल बीमा कवर दिया जाना चाहिए। गत 6 वर्षों से, हमारे यहां राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू है। लगभग 25 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र गत 6 वर्षों से उक्त का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी तक पंजाब ने फसल बीमा योजना को स्वीकार नहीं किया है। किसानों को उनके द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि से तीन गुणा अधिक प्राप्त होता है।

पूरे देश में लगभग 15 करोड़ किसान परिवार हैं। परंतु केवल लगभग 1.8 करोड़ परिवारों को फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। यह कृषक समुदाय का केवल 14% से 15% हिस्सा है।

बीमा कवरेज और दावों के प्रयोजनार्थ, क्षेत्राधिकार का क्षेत्र पंचायत यूनियन क्षेत्र है। इसे ग्राम स्तर पर लाया जाना चाहिए। निम्नतम इकाई ग्राम क्षेत्र होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम को एकल इकाई माना जाए।

कृषि-पूर्व स्तर पर, यदि तैयार भूमि अथवा पौध मानसून की असफलता से बर्बाद हो जाती है, तो 20% से 25% तक की सुनिश्चित धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। फसल बीमा कवर फसल काटने के दस दिनों के बाद किसानों को दिया जाना चाहिए। यह अनिवार्य है क्योंकि बाढ़ थ्रेशिंग चरण में भी किसानों को प्रभावित करती है।

मैं, सरकार से बागवानी, सब्जियों और फलों के लिए भी बीमा कवर उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। किसानों को 60% की मात्रा में फसल नुकसान होने पर उपलब्ध कराई जाने वाली क्षतिपूर्ति के वर्तमान मापदंड को बढ़ाकर 80% किया जाए। न केवल कृषि उत्पाद बल्कि कृषि उपकरणों और किसानों सहित पशुधन को भी एकल खिड़की व्यापक बीमा कवर मिलना चाहिए।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनिवार्य तरीकों से लुभाने के बजाय किसानों को समुचित ढंग से सूचित करने और उन्हें मनाने के बाद उन्हें स्वयं बीमा कवर के लिए तैयार किया जाए। कृषि ऋण देने वाली कुछ वित्तीय संस्थाएं किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जोर दे रही हैं और अपने तरीके से प्रीमियम राशि की कटौती करती हैं और इस प्रकार उसे अनिवार्य बना देती हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवर दिया जाना चाहिए। केवल तभी देश में आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कृषि उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन को स्थिर किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का उद्देश्य और अधिक कृषक अनुकूल बीमा योजना का प्रावधान करने का है। वस्तुत: यह समय की मांग है। ऐसा इसलिए, क्योंकि, हमारे देश में, जैसा कि हम जानते हैं कृषि अर्थव्यवस्था संकट में है और अपने किसानों की आत्महत्या के लिए भी बाध्य कर रही है। इस पृष्ठभूमि में, गहरी निराशा से जूझ रहे किसानों के लिए किसान हितैषी बीमा जैसे प्रावधान आशा की एक किरण लाएंगे।

महोदय, पूर्व के वक्ताओं द्वारा फसल बीमा और इससे संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया गया है और मैं उनके द्वारा अभिव्यक्त विचारों से सहमत हूं। फसल बीमा योजना के क्षेत्राधिकार में और फसलों को लाया जाना चाहिए। इसे क्षेत्र-आधारित भी बनाया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन किसानों, जिन्हें कृषि योग्य भूमि का नुकसान हुआ है, को भी इस योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। वर्तमान में यह ग्राम अथवा तालुका आधारित है। इसे ग्राम अथवा ग्राम पंचायत द्वारा खोई गई फसल पर आधारित होना चाहिए। क्षति की धनराशि का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अपरा 4.07 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं आपका ध्यान कृषक समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के कतिपय अन्य पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस देश ने सूनामी जैसी नई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। सूनामी ने पूरी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कतिपय भागों को भी प्रभावित किया था। अब सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र इस प्रकार बर्बाद हो गया है कि द्वीपसमूह का एक छोर समुद्र में डूब गया है और द्वीपसमूह के अन्य भाग समाप्त हो गए हैं। किसानों को कृषि योग्य भूमि के बड़े भूभाग का नुकसान हुआ है। उनहें अपनी खोई हुई भूमि वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वस्तुत: उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उनकी कृषि योग्य भूमि समुद्र तल में समा गई है।

इसी प्रकार की एक और समस्या जिसका सामना किसान कर रहे हैं। वह कतिपय नदियों द्वारा अपना प्रवाह मार्ग बदलने के कारण है। नदियां अपना मार्ग बदलने के दौरान कृषि योग्य भूमि के बड़े भूभाग को डुबा देती हैं। भूकंप आने पर ऐसा ही होता है।

महोदय, जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, यही स्थिति अन्य तटीय क्षेत्रों के साथ भी है, हम समुद्री कटाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। समुद्री कटाव की स्थिति में, किसानों को अपनी कृषि योग्य भूमि का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे मामलों में उन किसानों के लिए कुछ न कुछ बीमा कवर मिलना चाहिए जिनको ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी भूमि का नुकसान उठाना पड़ा है।

इसलिए, जब कभी सूनामी आती है, जब भी नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं, भूकंप आता है, समुद्र कटाव होता है, भू-स्खलन होता है, बादल फटता है, आंधी-तूफान आते हैं तब फसलें एवं भूमि बर्बाद हो जाती हैं। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे फसलों एवं खेतों का नुकसान होता है। इसलिए, बीमा योजना में भूमि और किसान को संरक्षण देने का प्रावधान होना चाहिए जिसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी भूमि का नुकसान हो रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें कुछ करना चाहिए ताकि किसानों को इससे और अधिक राहत मिले।

बीमा स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए। कई लोग बीमा योजना में शामिल नहीं होते हैं। इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा। मेरे विचार से, इस संबंध में, सरकार द्वारा भी एक अभिगम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छोटे, सीमांत और निर्धन किसानों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। धनी किसान अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इसलिए अनिवार्य बीमा होना चाहिए और निर्धन किसानों के प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बीमा एक साधारण बात है। यदि आप विद्यमान योजनाओं की जांच करेंगे, तो आप पाएंगे कि किसानों को मेरे द्वारा उल्लिखित आपदाओं के अलावा अन्य प्राकृतिक आपदा से लाभ मिलेगा। परंतु यदि कीटों का हमला होता है अथवा फसल कतिपय बीमारी के कारण बढ़ नहीं रही है तो अधिकतर बीमा योजनाएं कृषक समुदाय को संरक्षण नहीं देंगी।

अब, नारियल का उदाहरण लें। महोदय, मेरे विचार से आपके राज्य में भी नारियल के काफी वृक्ष हैं। वे रूट विल्ट रोग से बुरी तरह प्रभावित हैं जिसे सर्वाधिक खतरनाक रोगों में से एक माना जाता है जिससे पूरा वृक्ष बेकार हो जाता है और ऐसे पेड़ों से कोई फल नहीं मिलता है। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी यही स्थिति है। केरल के आधे से अधिक हिस्से में, फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह स्वस्थ्य पेड़ दिखता है किंतु एक बार इस प्रकार की बीमारी इसे लग जाए तो ऐसा लगेगा जैसे किसी को कुष्ठ रोग हुआ हो। और इससे कोई पैदावार नहीं होगी और किसानों को इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। नारियल बोर्ड की इन वृक्षों को काटने और उनके स्थान पर नया पेड़ लगाने की योजना है। किसान ऐसे पेड़ों से छुटकारा पाना चाहेंगे और फिर से पेड़ लगाना चाहेंगे। किंतु पौधों की समस्या है। हो सकता है कि रोग रोधी पौधे आपको न मिलें। ऐसी स्थिति में सरकार की योजना क्या है जिससे किसानों की सहायता हो सकती है? अत: मेरा सुझाव है कि रोगग्रस्त और कीटग्रस्त पेड़ों के कारण फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को भी बीमे का लाभ मिलना चाहिए। यदि ये सारी बातें की जाती हैं तो संभवत: जो किसान आज हताश हो रहे हैं उन्हें आशा की किरण दिखेगी।

कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक उभरता क्षेत्र कुक्कुट पालन, डेयरी फार्म इत्यादि की तरह हमारे देश की मवेशी संपदा है। इस क्षेत्र में भी बीमा सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि मवेशी संपदा विशेषत: लघु और सीमांत किसानों की आजीविका चला सके और उन्हें इस संपदा से अतिरिक्त आय भी हो। उनके लिए एक उचित बीमा योजना होनी चाहिए।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक और चीज की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, केरल में, एक योजना है जिससे राज्य में सभी मवेशी बीमाशुदा हैं।

यदि कोई नुकसान होता है, मान लीजिए गाय मर जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति मिलती है। केवल इतना ही नहीं, उस योजना के अंतर्गत पशुपालन को भी बीमा सुरक्षा मिलती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी योजना अपनाई जाए ताकि पूरे देश में पशु संपदा सुरक्षित रहे। मेरा विचार है कि आपको कृषि को एक नए संदर्भ में देखना होगा। यह केवल कुछ नकदी फसलों या चावल और गेहूं के उत्पादन का प्रश्न नहीं है। आज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बहुत व्यापक है। इसमें कई प्रकार की फसलें, मवेशी संपदा, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन इत्यादि शामिल हैं। मैं इन सबके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। एक बहुत व्यापक कृषि बीमा नीति तैयार की जानी चाहिए ताकि जो भी कृषि क्षेत्र में है, जो किसी भी प्रकार कृषि कार्य करके देश की संपदा में योगदान कर रहे हैं, उन्हें बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह मुश्किल होगा। किंतु केवल जब ऐसी योजना शुरू की जाती है तब किसानों को कुछ आशा नजर आएगी और वह मुश्किल की घड़ी में बीमा को उपयोगी पाएगा। यदि ऐसी बीमा योजना का प्रयास किया जाता है तो मेरे विचार से हम किसानों की सेवा में काफी कुछ कर पाएंगे।

मैं नकद फसल के बारे में एक बात कहना चाहूंगा और यह मेरी अंतिम बात होगी। उदाहरण के लिए तम्बाकू को लें। आंध्र प्रदेश के मेरे मित्र तम्बाकू के महत्व को जानते हैं क्योंकि यह आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण चीजों में से एक है।

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा का समय समाप्त हो गया है। मेरे पास इस विधेयक पर बोलने वाले नौ और सदस्यों की सूची है। यदि सभा सहमत है तो इस विधेयक पर बोलने के समय को एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : सरकार द्वारा नकदी फसलों यथा तम्बाकू और कपास तथा नारियल पर भी कई उपकर और कर यथा उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं। उसका एक भाग किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

मैं यह नहीं कहता कि पूरी राशि इसमें लगा दी जाए। इसका एक हिस्सा किसानों को बेहतर बीमा सुरक्षा देकर उन्हें संरक्षण देने हेतु निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सभी नकदी फसलों से विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसका एक हिस्सा बीमा के लिए निर्धारित किया जाता है तो नकदी फसल के किसानों की रक्षा की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सभी बातों पर विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, फसल बीमा संबंधी यह महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए मैं श्री सरङगी को बधाई देता हूं। वास्तव में यह विधेयक सरकार द्वारा ही लाया जाना चाहिए था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य सहमत होगा कि यह विधेयक बिना किसी विलंब के बहुत ही जल्द विधान बनाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

लेकिन एक ही बात है कि जब वे विपक्ष में होते हैं तो वे लड़ते हैं, सत्ता पक्ष में भी हममें से प्रत्येक इसे चाहता है, सत्ता में जो भी दल हो वह इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संभवतया, जब हम इस मामले पर चर्चा करते हैं, यहां तक कि सत्तारूढ़ सरकार इस बात से सहमत होती है कि विधान लाया जाए। एक ही अच्छी बात है, किसानों का भाग्य, जब हम उनको, प्रत्येक भाषण में या हमारे आम भाषणों में, देश का आधार कहते हैं। किसान वे लोग हैं जो बिना कोई अपराध किए हमेशा ही पीड़ा सहन कर रहे हैं।

यहां तक कि फसल बीमा प्रदान करने का यह विचार राजीव गांधी के समय में 1986 या 1987 में आया था। लेकिन यह मंडल आधार पर था। उन्होंने सोचा, अनुभव देखकर कुछ समय बाद, वे इसे ग्राम आधार पर लागू करेंगे तथा उसके बाद व्यक्ति आधार पर। लेकिन कई दशक बीत चुके हैं तथा उसमें सुधार नहीं आया है।

मैं आपके तथा इस सभा के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। किसान अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। यह अलाभकारी है। कृषि उत्पादन की लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मजदूरी बढ़ रही है। यहां तक कि उसकी पत्नी, बच्चे सभी मिलकर भी कार्य करते हैं फिर भी उसे उचित कीमत नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बहुत अच्छी होती है तथा जब वह बहुत

गौरवान्वित महसूस करता है कि इस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी है एवं उसे बहुत अच्छी आय होगी लेकिन अचानक तूफान आ जाता है अथवा कोई दुर्घटना हो जाती है, जिससे पूरी फसल नष्ट हो जाती है उस हालत में किसानों को क्षतिपूर्ति देने का कोई तरीका नहीं है।

और भी दुखद बात यह है कि विद्यमान प्रसंग जो कि फसल बीमा ऋण हैं, जिस समय वह सहकारी बैंक से ऋण लेता है, वे स्वत: ही प्रीमियम घटा देते हैं। जब एक बार वे प्रीमियम घटा देते हैं, तो जब फसल नष्ट हो जाती है तो उन्हें मुआवजा देना, नैतिक, क़ानूनी रूप से सही नहीं है? लेकिन कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है तथा वे कहते हैं कि यह तो केवल उनकी फसल की बीमा करने के लिए था तथा किसान के लिए नहीं था। इसलिए यह फसल बीमा बिल्कुल नहीं है।

महोदय, यदि किसी उद्योगपति या व्यापारी का प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाता है तथा चाहे वह सैकड़ों-करोड़ों रुपए हों, उसका भुगतान हो रहा है। जब सैकड़ों तथा हजारों-करोड़ों रुपयों का भुगतान एक व्यापारी, एक विनिर्माता, एक उद्योगपति को किया जा रहा है, उसके पास पर्याप्त धन है यहां तक कि यदि उसे नुकसान हो भी जाता है तो भी वह अपना काम चला सकता है, तो किसान को यह क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए, क्या यह विधाननिर्माताओं के लिए उचित नहीं होगा कि वे इस विधान को लाएं तथा किसानों के बचाव के लिए आगे आएं।

महोदय, जब हम व्यक्तिगत रूप से जाकर चर्चा करते हैं, तो सरकार या मंत्री कहते हैं कि वे किसानों को भुगतान की जाने वाली धनराशि के बारे में चिंतित हैं कि संभावित दावा-धनराशि कितने हजार करोड़ रुपए होगी। लेकिन दावे की भारी-भरकम धनराशि का अनुमान लगाकर क्या हमें शांत बैठे रहना चाहिए? यदि ऐसा है, तो हमें उद्योगपतियों, व्यापारियों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए।

महोदय, मैं यह माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह इतनी चिंता की बात नहीं है। एक ही बात है कि है मारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास विचार होना चाहिए, हमारे पास एक अवधारणा होनी चाहिए।

महोदय, इस समय बीमा क्षेत्र खुला है। इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र भी शामिल हैं। आई.आर.डी.ए. बीमा के लिए एक विनियामक प्राधिकरण है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी, जब हम आई.आर.डी.ए. पर चर्चा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि उन कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रीमियम का 30 प्रतिशत फसल बीमा से प्राप्त हो।

अब, जीवन बीमा कंपनियां भारी मात्रा में धन कमा रही हैं। व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा 50 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई है। इसलिए वह लंबे समय तक जीवित रहता है तथा इन कंपनियों का लाभ असाधारण रहता है। इसलिए इस लाभ को फसल बीमा के लिए क्यों न काम में लिया जाए? यदि हम सभी सोचें तो हम रास्ता निकाल सकते हैं।

हमें सार्वभौमिक बीमे के बारे में सोचना चाहिए। प्रत्येक किसान को फसल के लिए अपनी भूमि का बीमा करवाना चाहिए। हमें जिस बात की चिंता है कि जिस व्यक्ति को उसकी गलती के बिना नुकसान हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए।

बीमा प्रीमियम भी बहुत अधिक नहीं होगा। संभाव्यता के नियम के अंतर्गत सभी भूमि पर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हैं। जिस व्यक्ति की फसल की पैदावार अच्छी होती है निश्चित रूप से वह अपनी आय का एक या दो प्रतिशत दे सकता है। इस प्रकार के वितरण से जो व्यक्ति अपनी बिना गलती के पीड़ा उठा रहा है उसे बचाया जा सकता है। सरकार तथा संस्थानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें किसानों को दावे के रूप में कई हजार करोड़ों रुपये का भुगतान करना होगा। बात केवल यह है कि हमारे पास उन्हें बचाने का संकल्प होना चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनैतिक इच्छा एवं राजैतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। यदि किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है, तथा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। सांसदों, विधायकों, नौकरशाहों तथा पत्रकारों को करोड़ों की लागत के आवास आवंटित किए जाते हैं लेकिन किसानों को नहीं।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : कंपनियों के बड़े-बड़े मालिकों को कम लागत पर भूमि बेची जाएगी।

श्री के.एस. राव : वे किसानों से बहुत कम कीमत पर भूमि का अधिग्रहण करते हैं तथा बड़ी-बड़ी कंपनियों को ऊंची दरों पर बेच देते हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हमें यहां बैठने का क्या अधिकार है जब हम किसानों, जिनके बारे में हम इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, का संरक्षण नहीं कर सकते हैं?

अन्य बिंदु यह है कि एक किसान की बेटी जिसके पास सुनिश्चित खेती करने योग्य 15 एकड़ भूमि है वह एक ऐसे लड़के से विवाह

[श्री के.एस. राव]

करना चाहती है जो बैंक में परिचर के रूप में कार्यरत हो न कि एक किसान से जिसके पास 15 एकड़ भूमि हो। वह दयनीय स्थिति है? लाईनमैन उसकी परवाह नहीं करता है। सचिव उसकी परवाह नहीं करता है; उसके मन में किसान के प्रति कोई सम्मान नहीं है। न केवल धन बल्कि सम्मान भी उसे नहीं मिलता है। यह किसान की दयनीय स्थिति है। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए—चाहे सरकार किसी भी दल की हो—कि प्रथमत: हमें किसान को बचाने का तरीका निकालना चाहिए तथा विपत्ति में फंसे किसानों को बचाना चाहिए। हर बार तथा हर वर्ष किसान की दयनीय दशा पर चर्चा की जा रही है, किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं के बारे में चर्चा की जा रही है, विधायिकाओं में दिन एवं घंटे खर्च किए जा रहे हैं। हम कारणों में नहीं जाना चाहते कि ऐसा क्यों है। हम उपाय ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। हम चर्चा करते हैं तथा इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमें समाधान नहीं मिलता है। यदि सरकार को लाखों या करोड़ों रुपए धनराशि की आवश्यकता होती तो मेरी समझ में आता। इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल इच्छा की आवश्यकता है। हम सरकार पर अधिक बोझ डाले बिना एक तरीका निकाल सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय कृषि मंत्री ने काफी जोर देकर एक-दो महीने पहले पिछले सत्र में कहा था कि इस वर्ष से सरकार किसानों को फसल बीमा प्रदान करेगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। हम सभी ने हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर कहा कि हमारे माननीय कृषि मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि इस फसल वर्ष से ग्राम स्तर पर फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। लेकन मुझे नहीं मालूम कि कोई आदेश जारी किए गए हैं या कोई विधान बनाया जाना है। लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि श्री शरद पवार तक यह बात पहुंचाएं कि उन्होंने यह वादा किया था कि वे इस फसल वर्ष से ही किसानों द्वारा फसल की बुआई करने से पहले ही विधान लाएंगे या आदेश जारी करेंगे। मेरा यह पूर्णतया मानना है कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कई हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं सभी दलों के सदस्यों, विशेषकर सभी दलों के नेताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए तथा निर्णय लेना चाहिए। हमें यह निर्णय लेना होगा तथा किसानों का संरक्षण करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभी सदस्यों जो यहां पर उपस्थित हैं, से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं तथा मैं मंत्री जी तथा विपक्ष में नेता, जो अभी-अभी यहां से गए हैं, से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना का क्रियान्वयन इसी वर्ष से एवं इसी फसल वर्ष से सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाएं।

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : सभापति महोदय, हमारे 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। संभवत: इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था "जय जवान जय किसान"। हमारे किसान सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से किसानों को अच्छा बीज नहीं मिल रहा है। यहां तक कि उर्वरक और कीटनाशक भी मिलावटी है। किसान क्या कर सकते हैं? उन्हें पूरे दिन बिजली नहीं मिल रही है। उनहें बिजली के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों के ऋण माफ कर दिए हैं। वे किसानों को मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। दूसरे अन्य राज्य यह उदार दृष्टिकोण क्यों नहीं अपना सकते?

अनेक फसल बीमारियों के कारण बर्बाद हो गई हैं। नारियल के पेड़ पर कर्नाटक, केरल और देश के अन्य राज्यों में एन.यू.एस.आई. नामक बीमारी का हमला होता है। एक नारियल पेड़ को काटने तथा एक नारियल का नया पेड़ लगाने हेतु केन्द्रीय नारियल बोर्ड ने 250 रुपए की धनराशि की घोषणा की है। महोदय, क्या यह धनराशि पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। यह बहुत ही कम धनराशि है। नारियल बोर्ड को प्रत्येक पेड़ को काटने (प्रभावित) और नए पौधे के रोपण के लिए कम से कम 500 रुपए की धनराशि देनी चाहिए। किसानों के पास शीतागार सुविधा, खाद्य प्रसंस्करण सुविधा और गोदाम की सुविधा नहीं है। इसके अलावा वे वित्तीय संकट का सामना करते हैं। किसानों से कृषि ऋण पर लगभग 6 प्रतिशत ब्याज की वसूली की जाती है। कार ऋण भी 6 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध है। आवास ऋण भी इसी दर पर उपलब्ध है। क्या विडंबना है। किसान जो हमारे लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं उनहें कोई रियायत नहीं दी जा रही है। चीन में कृषि ऋण ब्याज दर शून्य प्रतिशत है। हम उनका प्रतिमान क्यों नहीं अपनाते ताकि हमारे किसान भी उनकी तरह समृद्ध बन सकें।

मैं मेरा ही स्वयं का एक उदाहरण देना चाहूंगा। गत वर्ष धान की बुआई करने के लिए मैंने 50,000 रुपए का ऋण लिया था। लेकिन मुझे धन से केवल 15,000 रुपए की ही आय हुई। मैंने एक एकड़ में उत्पादन किया था। इसलिए मुझे प्रति एकड़ 35,000 रुपए का घाटा हुआ। अगर यही रुख जारी रहा तो किसान, बुनकर तथा अन्य ग्रामीण लोग आत्महत्या करने को बाध्य होंगे।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

एक फुटबाल खिलाड़ी का अंगूठा या उसके शरीर का कोई अंग को यदि बहुत अधिक चोट लगती है तो उसे लाखों रुपए मिलते हैं। आवासों की बीमा की जाती है, वाहनों की बीमा की जाती है। किसानों की फसलों को छोड़कर सभी प्रकार की चीजों का बीमा किया जाता है। हमारे समाज में यह दोहरा मापदंड क्यों है? किसों को सूखे, बाढ़ तथा अन्य आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसानों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उनकी फसल की बीमा की जाए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को किसानों की सभी फसलों का बीमा कराकर उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। वास्तव में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मझौले तथा छोटे किसानों के लिए प्रीमियम धनराशि का भुगतान करना चाहिए। जमींदार तथा अमीर किसान सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त किए बिना अपना प्रीमियम दे सकते हैं।

मैं अपने विद्वान साथी श्री इकबाल अहमद सरडगी को हमारे किसानों के कल्याण हेतु यह महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए तहेदिल से बधाई तथा धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे भाग लेते हुए वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। यह दूसरा शुक्रवार है जब हम फसल बीमा विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

हमारे साथी श्री इकबाल अहमद सरडगी ने यह विधेयक लाकर सही किया। शुरू में मैं यही कहूंगा कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है उस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए क्योंकि किसानों की फसलों का नुकसान एक ऐसी समस्या है, जिससे केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मानव जाति प्रभावित होती है। वास्तव में इससे परिवार की कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान से परिवार की कई पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं तथा फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में प्रस्तुत आपदा की प्रकृति संपूर्ण नहीं है। यदि इसमें सभी प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख होता तो मुझे लगता है कि सब कुछ कवर करने के लिए यह पर्याप्त होता। परंतु, मेरा कहना है कि बाढ़, तूफान अथवा फसलों पर कीटों के हमले का फसलों पर मौसमी प्रभाव अथवा किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

परंतु एक क्षेत्र विशेष में लगातार सूखे से न केवल वह परिवार परंतु उस राज्य अथवा जिले का वह क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हमारे देश के एक बड़े भू-भाग में ऐसा अनुभव किया गया जहां लोग पलायन करते हैं और यह धीमे जहर के समान कार्य करता है तथा समाज को काफी सीमा तक कमजोर करता है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले किसानों की सहायता के लिए कानून बनाने के पीछे इस विधेयक में जो विचार है वह है फसल बीमा।

यहां केन्द्र सरकार पर पूरी जिम्मेदारी है। विभिन्न खंडों में, इस विधेयक में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि फसलों का बीमा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार एक योजना बनाएगी। केन्द्र सरकार को बीमा के संबंध में प्रीमियम तथा राज्य सरकारों का अंश प्रदान करना चाहिए जैसा भी निर्धारित किया गया हो। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार को किसी प्राकृतिक आपदा अथवा जहां मूल्य कम हो वहां अधिक फसल होने पर उनको हुए फसल के नुकसान के लिए किसानों को बीमा की राशि का भुगतान करना चाहिए।

यदि आप केन्द्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी देंगे तो इस विधेयक पर केन्द्र सरकार के पक्ष को देखना रुचिकर होगा। इस सरकार का समर्थन करने वाले कई सदस्यों ने खुले दिल से दावा किया है कि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। परंतु हमारे देश में फसल बीमा नीति से संबंधित कतिपय एक पुरानी समस्या है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा तथा मंत्री महोदय का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछले ढाई दशकों से फसल बीमा योजना हमारे देश में लागू है। मुझे लगता है कि विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में आठ से अधिक फसल बीमा योजनाएं लागू हैं।

पिछले वर्ष मार्च में कृषि मंत्री ने इस सभा में एक नई कृषि बीमा योजना बनाने की घोषणा की थी। मुझे विश्वास है कि यह अपनी तरह की अंतिम योजना नहीं होगी। बहुत सी और योजनाएं आएंगी। पिछले ढाई दशकों में आधा दर्जन से अधिक कृषि बीमा योजनाएं चलाई गईं परंतु कोई भी सफल नहीं हुई। बीमा के एक के बाद एक मॉडल अस्थायी सिद्ध हुए क्योंकि न तो यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य थे

[श्री भर्तृहरि महताब]

और न ही फसल कृषि को घेरे विभिन्न जोखिमों को कवर करने में सक्षम थे।

जब हम फसल बीमा की बात करते हैं तो केवल किसानों के हितों की ही चर्चा नहीं होनी चाहिए बल्कि बीमाकर्ताओं, बीमा करने वाली कंपनियों के हितों की भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बीमा एक व्यवसाय है। जिस तरीके से यह विधेयक लाया गया है, सदस्य शायद सरकार अथवा सभा को यह जताना चाहते हैं कि यह व्यवसाय नहीं है। यदि सरकार सहमत होती है कि यह व्यवसाय नहीं है तो सरकार इस योजना की सहायता के लिए धनराशि दे सकती है जैसा कि बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिया है।

यदि आप इसे व्यवसाय मानेंगे तो आपको दोनों ही पक्षों तथा उनके हितों का ध्यान रखना होगा। मेरे विचार में बीमा एक व्यवसाय है। तदनुसार केवल एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी ही आज फसल बीमा नहीं कर रही है, बल्कि कई निजी कंपनियां भी इसमें प्रवेश कर चुकी हैं। यदि आप इसे व्यवसाय मानते हैं तो इसे लाभकारी होना चाहिए।

यही कारण है कि वर्तमान कृषि बीमा योजना को दावों से निपटना पड़ता है—यह आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, यह है 5,730 करोड़ रुपए। यह दावा 1,700 करोड़ रु. की प्रीमियम आय से तीन गुना अधिक है। इस योजना द्वारा 1,700 करोड़ रु. का प्रीमियम लिया गया तथा दावे 5,370 करोड़ रु. के हैं। इस प्रकार की स्थिति में बीमा कंपनी किस प्रकार कार्य कर सकती है? क्या आप यह आशा करेंगे कि सरकार धनराशि प्रदान करे? क्या यह व्यवहार्य है? क्या यह संभव है?

हम सभी किसानों को इस योजना में शामिल करना चाहते हैं तथा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। परंतु सरकार इससे किस प्रकार निपटेगी? क्या यह धनराशि उपलब्ध कराएगी? आपको यह समझना चाहिए कि कृषि बीमा एक अंतर्विष्ट उलझा हुआ व्यवसाय है क्योंकि कृषि में कई जोखिम होते हैं। सरकार द्वारा एक नए संयुक्त समूह की नियुक्ति की गई थी, जिसने अपने कार्यकरण के लिए पंचायतों को यूनिट क्षेत्र मानने तथा दिए जाने वाले मुआवजे के परिकलन के लिए पिछले सात वर्षों में बेहतर पांच वर्षों की वास्तविक पैदावार पर आधारित गारंटीशुदा पैदावार स्तर का सुझाव दिया था। यह निर्धारित करने के यही दो प्रमुख कारण हैं कि कितने प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए, बीमा के संबंध में आपदा की स्थिति में कितने मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

बीस वर्ष पहले ब्लॉक अथवा पंचायत समिति की यूनिट क्षेत्र होती थी। अब एक सुझाव आया है तथा विभिन्न राज्य सरकारों को एक नोट भेजा गया है कि वे इस बारे में अपनी राय दें कि ग्राम पंचायत को यूनिट होना चाहिए। परंतु समस्या यही है। मैं चाहूंगा कि यदि संभव हो तो माननीय मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें अथवा इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले को भी इस पर विचार करना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष की पैदावार के परिकलन हेतु कृषि विभाग के पास तालुकाओं अथवा मंडलों अथवा पंचायत समितियों अथवा ब्लॉकों की इससे संबंधित कतिपय रिपोर्टें होती हैं। ग्राम पंचायत के लिए क्या वे आपको प्राप्त होंगी? इसी आधार पर बीमा किया जाता है। यदि ग्राम पंचायत के लिए आपके पास यह रिपोर्टें नहीं होंगी तो यह बीमा व्यवहार्य किस प्रकार बनेगा? जब आप सात वर्षों और उनमें से पांच वर्षों की बेहतर पैदावार देखेंगे तो उससे और भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में इससे समस्याएं ही पैदा होंगी।

[अनुवाद]

मैं इस शब्द 'विश्वसनीय' का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार विभिन्न राज्य सरकार भी पंचायत स्तरीय यूनिट आंकड़े बना सकती हैं। अतः, पिछले कई वर्षों पर भरोसा करने के लिए स्वयं ईमानदार होना होगा।

अब, मैं वर्ष 1999-2000 से आरंभ हुई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रमुख मुद्दे पर आता हूं। एक संयुक्त समूह ने यूनिट एरिया का अध्ययन किया है जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि सरकार अभी भी दिनांक 20 दिसंबर, 2004 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार कर रही है और अभी तक ठोस प्रस्ताव नहीं लाई है। वह इसमें कितना समय लेगी?

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व्यापक आपदाओं के लिए क्षेत्रीय आधार अर्थात् प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु सुनिश्चित क्षेत्र और ओलावृष्टि, भू-स्खलन, चक्रवात और बाढ़ जैसी स्थानीयकृत आपदाओं हेतु व्यक्तिगत आधार पर चल रही है। स्थानीयकृत आपदा के मामले का यह व्यक्ति आधारित आकलन प्रयोगात्मक आधार पर सीमित क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। पूरे देश को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है भले ही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कहना है कि सभी किसानों—ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों—को सम्मिलित किया गया है।

एक ही साथ हमें पता चलता है कि यह सीमित क्षेत्र में है, यह स्थानीयकृत आपदाओं के संबंध में है और यह प्रयोगात्मक आधार पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ तदर्थ आधार पर है। श्री सरडगी आप यह आशा कैसे करते हैं कि यह योजना फलीभूत होगी और किसानों को परिणाम देगी? यह आशा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक भागीदार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि में बीमा की यूनिट के रूप में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। वर्तमान में यह घोषणा केवल 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इससे बड़ी संख्या में राज्य छूट जाते हैं, एनएआईएस के अंतर्गत पिछली 11 फसल ऋतुओं के दौरान—वर्ष 1999 से खरीफ 2004 तक—10.12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर 6.24 लाख किसानों को सम्मिलित किया गया है। यह एक बड़ा देश है जहां भारी संख्या में किसान हैं और यह वह संख्या है, जिसमें किसानों को सम्मिलित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम कहां पहुंचे हैं और हमें और कितना दूर जाना है। मेरा सुझाव है कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी धीरे-धीरे फसल बीमा हेतु वर्तमान समान दर प्रणाली से प्रीमियम के बीमांकक मूल्यांकन की ओर जाने की तैयारी कर रही है। आज ही, वित्त मंत्री जी द्वारा बीमांकक विधेयक लाया गया है और केवल एक माननीय सदस्य ने भाग लिया है। यह विधेयक भी बीमा के बारे में है। इस विधेयक का प्रमुख संघटक बीमा के संबंध में है। यह वास्तव में उत्साहजनक बात है कि हम गैर-सरकारी सदस्य कार्य के दौरान भी बीमे के संबंध में चर्चा कर रहे हैं।

यहां मैं, बीमा फसल हेतु प्रीमियम के बीमांकक आकलन का उल्लेख कर रहा हूं। वर्तमान में हमारे पास जो भी योजनाएं हैं, उनमें बीमा की समान दर प्रणाली है। मेरे विचार से जब तक हम बीमा की बीमांकक प्रणाली को नहीं अपनाएंगे तब तक किसानों को लाभ नहीं होगा। एक बार हमने यह किया तो इसका अर्थ होगा कि लाभकारी फसल का किसान कम प्रीमियम का भुगतान करेगा जब जोखिम वाली और असुरक्षित फसल की खेती में लगे किसान अधिक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। बीमाकर्ता के दृष्टिकोण से इसका अर्थ होगा कि जबकि प्रीमियम पर राजसहायता दी जाएगी, दावा भुगतान पर सरकार द्वारा राजसहायता नहीं दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बीमांकक प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से चल रही है।

अमरीका, कनाडा और स्पेन जैसे प्रमुख फसल बीमा बाजारों में प्रीमियम में प्रत्यक्ष राजसहायता के संबंध में सरकार सहायता देती है जबकि दावों को बीमाकर्ताओं पर छोड़ दिया जाता है। बीमा कंपनी को पुनः बीमा और प्रशासनिक खर्चों के भुगतान पर सरकार अतिरिक्त सहायता देती है। एआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुदारस भंडारी की राय है कि समान दर प्रणाली भारत में वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है, परंतु किसान के सामर्थ्य को ध्यान में रखकर प्रीमियम में प्रत्यक्ष राजसहायता के पर्याप्त स्तर द्वारा बीमांकन प्रीमियम दरों को सहायता दी जानी होगी।

निम्नलिखित आंकड़ों से कोई भी यह समझ सकता है कि कैसे बेमन से फसल बीमा व्यवसाय किया जा रहा है। वर्ष 2004 के लिए फसल बीमा बाजार ने प्रशासित दरों पर लगभग 550 करोड़ रुपए का प्रीमियम जुटाया, जो बीमांकन दरों पर लगभग 2200 करोड़ रुपए हो सकता था। इसलिए, और अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। हमारे देश में कृषि यदि घाटे का व्यवसाय नहीं है तो यह लाभकारी व्यवसाय भी नहीं है। इस बात से लोग भली-भांति परिचित हैं तथा इसे दोहराने की आश्यकता नहीं है। लगभग, तीन-चौथाई भारतीय किसान की प्रतिमाह आय 3000 रुपए से कम है जो कि एक सरकारी परिचर के आरंभिक वेतन का मोटे तौर पर 60 प्रतिशत हिस्सा होता है। सरकार द्वारा और हम सभी द्वारा समन्वित तरीके से और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। हमें समान दर बीमा से बीमांकन आधार की ओर रुख करना चाहिए। किसानों की सहायता करने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा पुरःस्थापित किए गए फसल बीमा विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से यह बिल्कुल उचित समय है जब सरकार फसल बीमा के संबंध में व्यापक विधेयक लाने पर विचार करे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या से संबंधित है जिनकी आजीविका कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या और कृषि श्रमिक—जो कृषि संबंधी कार्यकलापों से जुड़े हैं—कृषि पर निर्भर हैं।

आज, भारतीय किसान देश में सबसे अधिक असुरक्षित व्यक्ति है। उसे बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं, औने-पौने दामों पर बिक्री और प्रकृति की अनियमितताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जब कभी हम संशोधन लाकर उसे प्रकृति के इस प्रकार के मिजाज से राहत प्रदान करते हैं तो एक नई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न हो जाती है। किसानों को प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन और नई पर्यावरणीय स्थितियां उत्पन्न होने

[श्री बिक्रम केशरी देव]

के कारण इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सर्वत्र जलवायु में भारी परिवर्तन हुआ है। इसलिए, किसान को अनियमित वर्षा, औने-पौने दाम पर बिक्री आदि सहित इन सभी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। इस विधेयक से उसे इस संबंधी कुछ संरक्षण मिलेगा।

मैं कुछ वर्ष पहले सृजित बीजा विनियामक प्राधिकरण के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। उस विधेयक के रखते हुए सरकार द्वारा—चाहे सत्ता में को भी हो—उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि बीमा क्षेत्र में आ रही निजी और विदेशी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगी। चार महीने पूर्व मैं सनदी लेखाकार रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था और उसमें यह उल्लेख था कि लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या बीमा के दायरे में नहीं है। केवल शहरी क्षेत्रों को बीमा क्षेत्र के दायरे में लाया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह इस देश में फसल बीमा लागू करने में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

[अनुवाद]

हमने डब्ल्यूटीओ में प्रवेश कर लिया है जहां हम वैश्विक प्रतिस्पर्धी बन गए हैं, जहां हमें अन्य विकसित देशों के साथ मुकाबला करना है जो अपने कृषकों को अपनी मर्जी के अनुसार राजसहायता प्रदान कर रहे हैं और जो उनके संरक्षण के लिए बीमा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए, सरकार का यह कर्तव्य है कि देश के सबसे बड़े व्यवसाय अर्थात् कृषि को सुरक्षित क्षेत्र बनाए। उन्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। उदाहरण के लिए, सरकार ने एनआरजीपी को शुरू किया है किंतु इसमें कोई भी बीमा सुरक्षा नहीं है। इसमें केवल निशक्तता अथवा कुछ इसी प्रकार के भत्तों का प्रावधान है। उस समय हमने यह विचार-विमर्श किया था कि ग्रामीण व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इन तथ्यों पर विचार करते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले अन्य माननीय सदस्यों को सुन रहा था और हर कोई यह मांग कर रहा था कि बीमा हेतु इकाई मंडल स्तर के बजाय ग्राम स्तर पर होनी चाहिए। आज जलवायु में इतना अधिक बदलाव आ चुका है कि किसी जिले के एक हिस्से में वर्षा होती है जबकि उसी जिले के दूसरे हिस्से में कोई वर्षा अथवा ओला वृष्टि नहीं होती है।

अपराह्न 5.00 बजे

जब तक आप एक गांव को एक इकाई नहीं बनाते हो तब तक आप कृषक को प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति का सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसका आकलन करना कठिन होगा और कृषक को कभी भी कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए किसी राज्य में, किसी जिले में अथवा उड़ीसा केबीके क्षेत्र में सूख पड़ता है। आप देखेंगे कि वर्षा इतनी ज्यादा अनियमित है कि यदि एक जिले के किसी खास हिस्से में सूखा पड़ता है तो यह पूरे जिले को प्रभावित करता है और जो पंचायतें वास्तव में प्रभावित होती हैं वे सभी प्रकार की हानियों को सहती हैं। इसीलिए, बीमा विधेयक एक अच्छा विधेयक है और सरकार को इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। आगामी सत्र में, उन्हें एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिससे कि कृषकों को उनका लाभ मिल सके।

जब बीमा क्षेत्र में 20 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी गई है तो आपको बीमा क्षेत्र के विदेशी निवेशकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कहना चाहिए क्योंकि अधिकतर भारतीय जनता गांवों में निवास करती है। वे अभी तक शहरी क्षेत्रों में ही कार्य कर रहे हैं। यदि ये लोग गांवों की ओर अग्रसर होते हैं तो इससे रोजगार सृजन होगा। हम समाचारपत्रों और विभिन्न रिपोर्टों में पढ़ रहे हैं और टेलीविजन के माध्यम से जान रहे हैं कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई के आने से देश में लगभग दो लाख अतिरिक्त नौकरियों का सृजन होगा। तथापि, हम आज तक भी इसे नहीं देख पाए हैं।

यहां एक समान फसल बीमा योजना होनी चाहिए। संप्रग सरकार के शासनकाल में कृषकों द्वारा आत्महत्याएं आम बात होती जा रही है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में यह सामान्य बात हो गई है। इस प्रकार की स्थिति स्थानीय ऋण दाताओं द्वारा खराब ढंग से संचालित ऋण-व्यवस्था के कारण उत्पन्न हो रही है। यह गन्ने जैसी नकदी फसल से संबंधित है जिसमें आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कृषक बहुत उन्नत हैं क्योंकि वे कृषि भूमि से अधिकतम पैदावार चाहते हैं। वे अपना सारा धन इसमें लगा देते हैं और जब फसल बरबाद हो जाती है तो वे वित्तीय और आर्थिक रूप से टूट जाते हैं जो आत्महत्या का कारण बनता है। यह मुख्य कारणों में से एक है। उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है जिससे कि उन्हें कुछ सहारा मिल सके, अन्यथा उन्हें औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है।

आज, कृषकों को सही कीमत नहीं मिल पा रही है। चावल उत्पादक

क्षेत्रों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां कृषकों को अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ी जबकि पिछले वर्ष एफसीआई पर्याप्त मात्रा में खरीदारी नहीं कर पाया। कुछ घंटों पूर्व, मैं महंगाई के मुद्दे पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री को सुन रहा था। उन्होंने सही कहा कि कृषकों के लिए मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य के बीच संतुलन होना चाहिए। जब तक कृषकों के लिए बीमा योजनाएं नहीं होंगी तब तक आपको भूमि से होने वाली आय का भरोसा नहीं हो सकता। इसीलिए, बीमा कवच के माध्यम से कृषकों को सुरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

एनडीए सरकार ने अभिनव बीमा योजना आरंभ की थी और इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। किंतु इसका संचालन और क्रियान्वयन पूर्ण निष्ठा से होना चाहिए। तभी यह कृषकों के लिए लाभकारी हो सकती है।

मैं कृषि संबंधी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली एलआईसी की योजना का अध्ययन कर रहा था। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एफसीआई और राज्य भांडागार के गोदामों में भंडारित फसलों का भी बीमा होना चाहिए और इसकी एवज में कृषक को कुछ लाभप्रदता मिलनी चाहिए जिससे कि वे अपनी आगामी फसल की योजना बना सकें।

बीमा सुरक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें सभी फसलें शामिल होनी चाहिए चाहे वे बागवानी फसल हो, अनाज हो अथवा दालें हो। विशिष्ट रूप से कीट संक्रमण को तत्काल ही फसल बीमा के दायरे में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बागवानी फसलों के मामले में परिपक्वता अवधि अधिक होती है। यदि आप आज नारियल अथवा आम का पौधा लगाते हैं तो इससे फल पाने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी। फसल उगने के बाद फलों में बीमारियां फैलनी आरंभ हो जाती हैं। केरल के माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन ने अभी यह उल्लेख किया है कि किस प्रकार केरल में नारियल के पेड़ों में कैसे बीमारियां हो गईं और राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्णतः बिगड़ गई। ऐसी स्थितियों में कृषक कहां जाए?

यह बहुत ही अच्छा विधेयक है किंतु विशेषज्ञों द्वारा इस पर गहनता से गौर किया जाना चाहिए। बीमांकक विधेयक जिस पर यहां चर्चा की जानी है, में सनदी लेखाकारों जैसे लोगों के एक निकाय के गठन का प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि यह फसल बीमा की भावी संभावनाओं का और भी आकलन करेगा। इसलिए, मैं श्री सरडगी को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देता हूं।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस पर बड़ी देर से चर्चा हो रही है और बहुत से लोग इस पर अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा जो व्यवसाय या कारोबार है, वह खेती है, लेकिन किसी देश के दो पहिए होते हैं—एक कृषि और दूसरा उद्योग। किसी देश का विकास करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए दो क्षेत्र होते हैं—कृषि और उद्योग क्षेत्र।

सभापति महोदय, हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र को जो सुविधाएं दी गईं, वह कृषि क्षेत्रा को नहीं दी गईं। इसलिए कई बार इस तरह की मांग उठी है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सुविधाएं उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को दी गई हैं, वह कृषि को भी दी जानी चाहिए, जिससे वह लाभकारी उद्योग बन सके। कृषि क्षेत्र में पूरे देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न तरह की फसलें हैं। यहां कहीं फल एवं सब्जियों की फसलें होती हैं, कहीं अमरूद एवं केले के बाग हैं और कहीं पपीता एवं फूल होते हैं। बहुत से लोग कृषि क्षेत्र में फसलों पर आधारित हैं। हमारे देश में जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे फसलों को बहुत नुकसान होता है। यहां कई बार ओले पड़ते हैं, अतिवृष्टि होती है, सूखा होता है एवं तूफान आते हैं। बहुत सी ऐसी दैवी आपदाएं होती हैं, जिससे किसान की पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और वह तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। अगर कहीं वह किसी का कर्जदार है तो उसके लिए मरने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। हमारे देश में कृषि के अलावा अन्य दूसरे कारोबार में लगे हुए लोगों के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। ऐसे कृषि पर आधारित देश में, जहां किसानों की तादाद ज्यादा हो, खेती करने वालों की संख्या ज्यादा हो, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता हो, पार्लियामेंट में भी कृषि क्षेत्र से आने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, उसके बावजूद भी कृषि के लिए इतना रोना रोया जाए, किसानों की इतनी दुर्दशा हो और उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जब भी कोई विधेयक आता है—चाहे वह फसलों के बारे में आए, तबाही या पानी के बारे में आए, खेती एवं बिजली के लिए आए, इनमें सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, इसके बाद भी ज्यों-ज्यों इलाज करते गए, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया।

सभापति जी, आज किसान इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि वे कर्ज के बोझ और फसल की तबाही के कारण आत्महत्याएं कर रहे

[श्री मित्रसेन यादव]

हैं। मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। अब तो ज्यों-ज्यों कृषि क्षेत्र की तरक्की हो रही है त्यों-त्यों किसान तबाही की ओर जा रहा है। क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इस चीज को देख सकें? क्या दुनिया में कहीं और खेती नहीं होती है, क्या दुनिया में कहीं और किसान नहीं हैं? हमारी सरकार के भी कृषि फॉर्म हैं, हमारी सरकार भी खेती करती है और हमारी सरकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। क्या हमारी सरकार जानती नहीं है कि किसान के उत्पादन का लाभकारी मूल्य क्या है और हम अपने किसानों को किस प्रकार लाभकारी मूल्य दे सकते हैं?

महोदय, हमारे देश में किसानों के उत्पाद का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया गया है। उस आयोग में ऐसे-ऐसे लोग बैठे हैं जो हाथ से पानी भी नहीं छूते, जिन्हें गर्मी-सर्दी का पता नहीं है, जिन्हें अनाज का पता नहीं है कि वह क्या होता है। ऐसे लोग हमारे देश में कृषि मूल्यों के समर्थन और लाभकारी मूल्यों का निर्धारण करते हैं। यह अजीब देश है, अजीब लोग हैं और अजीब पार्लियामेंट है, जो ऐसे लोगों से किसानों की पैदावार का मूल्य निर्धारित कराते हैं, जो उनके बारे में जानते ही नहीं हैं।

महोदय हमारे देश में क्रॉप इंश्योरेंस की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। देश में किसानों की फसलों का इंश्योरेंस किया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए और उसका प्रीमियम सरकार को चुकाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके। छोटी और अलाभकारी जोतों की प्रीमियम सरकार को देनी चाहिए। हमारे देश के कई नेताओं ने बहुत पहले अलाभकारी जोतों की लगान माफ करने के लिए आंदोलन किए थे। पं. जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले आंदोलन किया था। सवा तीन एकड़ की जो जोत होगी, वह अलाभकारी जोत मानी जाएगी। इसलिए आज भी सवा तीन एकड़ की जोत का लगान माफ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के निर्माता थे, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और आज के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए किसानों को राहत देनी चाहिए। हमारा देश तो किसानों का ही देश है। अगर हमारी सरकार किसानों को राहत नहीं दे सकती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है।

महोदय, देश में अनिवार्य कृषि बीमा योजना को लागू किया जाना चाहिए और लाभकारी मूल्यों के आधार पर हमें उसका प्रीमियम तय करना चाहिए। कभी-कभी पूरे जिले या पूरी तहसील में फसल बर्बाद नहीं होती है, बल्कि केवल एक ही गांव या एक ही पंचायत में फसल बर्बाद होती है। इसलिए किसान को फसल बीमा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मेरा निवेदन है कि फसल बीमा का लाभ किसानों को देने के लिए छोटी से छोटी यूनिट तय की जानी चाहिए ताकि किसान की फसल बर्बाद होने पर उसे बीमा का लाभ मिल सके। अभी क्या होता है कि यदि पूरे जिले, पूरी तहसील अथवा पूरी ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में फसल बर्बाद नहीं हुई, तो किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटी यूनिट तय की जाए ताकि आधे जिले, तहसील या ग्राम पंचायत में अथवा उसके कुछ गांवों में फसल बर्बाद हो, तो उस क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके।

महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने आंकड़े दिए हैं, लेकिन मैं आंकड़ों में न जाकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ने गांवों में रोजगार देने, ग्रामीणों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इनमें भैंस-पालन, सुअर-पालन, बकरी-पालन और मुर्गी-पालन आदि अनेक योजनाएं हैं। इनके माध्यम से भी कृषकों को सहयोग करने और उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर दिए गए हैं। इनका भी कभी-कभी नुकसान हो जाता है। कभी कोई बीमारी आ गई, तो उससे सारी मुर्गियां मर गईं या अन्य पशु मर गए, तो उन्हें भी सहायता का प्रावधान है। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि एक ही प्रकार का उद्यम करते हैं। कुछ लोग एक ही प्रकार की खेती करते हैं। मुझे मालूम है कहीं-कहीं तो किसान सिर्फ गन्ने की ही खेती करते हैं। कहीं-कहीं सिर्फ धान की खेती होती है और कहीं केवल गेहूं की ही खेती होती है। इसी प्रकार यदि हम दक्षिण भारत में देखें, तो वहां नारियल की खेती प्रमुखता से होती है। हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की खेती होती है और वहां के किसान अपने जीवन-स्तर को ऊपर करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें बोते हैं। उसको बचाने के लिए एक सुनियोजित और कम्प्रिहेंसिव बिल सरकार को लाना चाहिए। हिन्दुस्तान के किसान को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। केवल यहां रोने से और चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम किसानों के लिए सही कार्यक्रम और योजनाएं नहीं बनाएंगे, उनको लाभान्वित करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। इस कृषि प्रधान देश के किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े, उन्हें भूखों न मरना पड़े। उन्हें बचाने के लिए हमें दूरगामी योजनाएं बनानी होंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : धन्यवाद। सबसे पहले, मैं श्री इकबाल अहमद सरडगी को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देता हूं यद्यपि यह गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है। मैं श्री के.एस. राव से भी सहमत हूं जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि यह विधेयक सरकार को लाना चाहिए था।

सभापति महोदय : प्रतीक्षा करें। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए बढ़ाया गया समय समाप्त हो गया है। यदि सभा सहमत हो तो हम इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए एक घंटे का समय और बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री आचार्य अब अपनी बात जारी करें।

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि वास्तव में यह विधेयक सरकार को लाया जाना चाहिए था। सरकार इस प्रकार का विधेयक लाने में असफल रही और यह कृषकों की समस्या और दुर्दशा की तरफ सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। श्री सरडगी ने अपने विधेयक में खंड 3 शामिल किया है, जिसके अनुसार:

> "केन्द्रीय सरकार संपूर्ण देश में फसलों और अतिरिक्त फसलों के बीमे का उपबंध करने वाली एक स्कीम तैयार करेगी।"

मैं संपूर्ण देश में अतिरिक्त फसलों के मुद्दे की ओर संकेत करना चाहता हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। हम जानते हैं कि कभी-कभी बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलों की हानि होती है। जब भी फसल की हानि होती है, कृषक को परेशानी होती है। किन्तु कई बार, कृषक जो भी फसल उगाता है, वह इसे पूरी तरह बेच नहीं पाता है, कम से कम सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम समर्थन मूल्य पर तो नहीं। विशेषकर यह समस्या निर्धन छोटे कृषकों के साथ है जो अपनी फसल रोक नहीं सकते हैं जो कि धान या गेहूं या तिलहन हो सकती है। इस प्रकार, निर्धन छोटे कृषक अपनी फसलों को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते हैं। जब उसे बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं प्राप्त होता, तो उसे इसको व्यापारी अथवा व्यवसायी को बेचना पड़ता है और इसके कारण हानि उठानी पड़ती है। इसलिए, एक गरीब किसान इसकी वजह से काफी परेशानी का सामना कर रहा है।

पूरे देश में अथवा कम से कम देश के ज्यादातर भागों में औने-पौने दामों में बिक्री की समस्या बनी हुई है। भारतीय खाद्य निगम इसे रोकने में असफल रहा है, सरकार इसे थामने में बुरी तरह असफल रही है। अतः, किसान के उत्पाद की औने-पौने दामों में बिक्री किसानों के लिए इस देश में एक प्रमुख समस्या है।

यह एक पहलू है, जिसका इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले सदस्य ने उचित उल्लेख किया है। मैं इस खंड का समर्थन करता हूं। फसल बीमा पर चर्चा करते वक्त इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि सरकार उचित समय पर किसान के उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद पाती, तो इसकी वजह से किसानों को होने वाले नुकसान की फसल बीमा द्वारा भरपाई की जानी चाहिए। यह एक प्रमुख मुद्दा है, जिसे श्री इकबाल द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक में उचित रूप से जगह मिली है।

जहां तक मैं जानता हूं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत यह प्रणाली है कि किसानों की आने वाली औने-पौने दामों की भरपाई में 50 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी है और 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है। लेकिन खराब वित्तीय स्थिति की वजह से अनेक राज्य अपने हिस्से की धनराशि उचित समय पर जमा नहीं करा पाते और इसलिए, किसानों को मुआवजा दिए जाने में विलंब हो रहा है। फलस्वरूप किसान परेशानी झेल रहे हैं। मेरा मत है कि इसकी समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। विधेयक में भी, यह प्रस्तावित किया गया है कि नुकसान के आकलन के दो महीने के भीतर किसानों को बीमा की धनराशि दी जानी चाहिए। मेरा यह प्रस्ताव है कि यदि सामान्य बीमा कंपनी अथवा इसी प्रकार या तो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसानों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली धनराशि नहीं जमा करा पातीं तो विलंब के लिए किसानों को ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि कोई किसान किसी बैंक अथवा सहकारी समिति से ऋण लेता है और यदि वह समय पर ऋण वापस नहीं कर पाता, तो उसे ब्याज देना होगा। इसी प्रकार, मुआवजे का भुगतान करने में हुए विलंब के

[श्री प्रसन्न आचार्य]

लिए किसानों को ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। यह प्रावधान योजना में ही किया जाना चाहिए। यदि सरकार का विचार विधेयक लाने का है, तो इस प्रावधान को भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि समस्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए। इसका श्री महताब ने उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार इससे सहमत होगी अथवा नहीं। ज्यादातर राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अत:, संपूर्ण मुआवजा धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

लगभग सभी सदस्य फसल बीमा के लिए एक इकाई के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी तक, खंड को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। इस सभा में, अनेक अवसरों पर सभी ओर के सदस्य यह मांग करते रहे हैं कि ग्राम को एक इकाई माना जाना चाहिए और यदि यह संभव न हो तो कम से कम ग्राम पंचायत को एक इकाई माना जाना चाहिए। मुझे स्मरण है कि कृषि मंत्रालय की मांगों का उत्तर देते समय माननीय कृषि मंत्री ने इस सभा के माध्यम से राष्ट्र को, राष्ट्र के किसानों के प्रति यह वचनबद्धता जताई थी कि अगले खरीफ मौसम में, मुआवजा भुगतान के उद्देश्य हेतु ग्राम पंचायत को एक इकाई माना जाएगा। मुझे आशा है कि सरकार सभा के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करेगी और ग्राम पंचायत को यथाशीघ्र एक इकाई बनाएगी।

एक अन्य मुद्दा, जो मैं उठाना चाहता हूं, उसका अनेक सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है। अभी तक, मुआवजा धनराशि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। मैं इस संबंध में बीमा कंपनियों की भूमिका के बारे में जानना चाहता हूं। कालाहांडी से मेरे मित्र श्री देव इसके बारे में बोल रहे थे। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश के बीमा क्षेत्र में दाखिल हो चुकी हैं। क्या उनकी कोई भूमिका नहीं है? हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि उन्हें ग्रामीण इलाकों में सेवाएं शुरू करनी चाहिए लेकिन अभी तक ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी कंपनियों, बड़े शहरों और महानगरों तक ही सीमित हैं। उन्हें अभी ग्रामीण इलाकों में सेवाएं शुरू करनी हैं। तो, इन बीमा कंपनियों को फसल बीमा क्षेत्र में आने की अनुमति क्यों न दी जाए? यदि मैं सही हूं, तो कुछेक महीने पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया जैसी एक या दो कंपनियां फसल बीमा क्षेत्र में अपने उत्पादों को बेचने के लिए तैयार हो रही थीं। लेकिन मुझे ज्ञात नहीं है कि उन्होंने कहां तक प्रगति की है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जो हमारे देश में पहले ही से बीमा क्षेत्र में सेवारत हैं, की ओर से कम से कम फसल बीमा में सेवा शुरू करना अनिवार्य क्यों नहीं कर देती ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे। फलस्वरूप, जहां तक फसल बीमा का संबंध है, किसानों के लिए बेहतर नियम और शर्तें उपलब्ध होंगी। इसलिए, सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं, फसल बीमा वर्ष 1985 में राजीव गांधी के समय में शुरू की गई थी। लेकिन एनडीए सरकार के शासन में एक व्यापक योजना शुरू की गई थी और बेहतर प्रावधान किए गए थे। किंतु यह अभी भी अपूर्ण और अपर्याप्त है तथा यह शत-प्रतिशत किसानोनुकूल नहीं है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक देश के 15 प्रतिशत किसानों को भी शामिल नहीं किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभार किसान अपना प्रीमियम जमा कराने और इस योजना का हिस्सा होने में हिचकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वर्ष दर वर्ष वे अपना प्रीमियम जमा कराते हैं लेकिन उन्हें फसल की हानि की बेतुकी आकलन प्रणाली की वजह से बीमा राशि से वंचित होना पड़ता है। जैसा कि अनेक सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है, फसल की हानि की वर्तमान आकलन प्रणाली इतनी बेतुकी है, इतनी अवैज्ञानिक है, और इतनी किसान-विरोधी है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में किसानों को प्राकृतिक आपदा और फसल की हानि की स्थिति में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए, इस बेतुकी आकलन प्रणाली को अत्यंत प्रभावी तौर पर बदला जाना चाहिए।

महोदय, यह आदत का प्रश्न है। जब तक कि हम किसानों में फसल बीमा करवाने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए किसानों में यह आदत और जागरूकता पैदा करने के लिए, इस योजना को और अधिक किसानोनुकूल, अधिक सुगम और अधिक सरल बनाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा इस संबंध में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और निस्संदेह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को इसमें भागीदार होना चाहिए। फसल बीमा क्षेत्र को अन्य कंपनियों के लिए भी खोला जाए। इसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा होगी और जब प्रतिस्पर्धा होगी, तो बीमा के नियम और शर्तें अधिक किसानोनुकूल होंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं पुन: सरकार से आग्रह करता हूं कि वह व्यापक बीमा नीति के लिए यथाशीघ्र एक विधेयक लेकर आए। इसे संसद के अधिनियम द्वारा लाया जाए।

*श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इस विषय पर मुझे तमिल में बोलने दिया जाए। शुरू में मैं अपने साथी श्री इकबाल अहमद सरडगी को कृषक समुदाय को बीमा सुविधा देने हेतु इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह पूरे देश के किसानों की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। कृषि किसी अर्थव्यवस्था का आधार है और यह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा पेरियाकुलम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश के पास एक घाटी क्षेत्र है। यह एक उपजाऊ क्षेत्रा है और यहां कृषि कार्य पर्याप्त होता है। यहां पर इलायची और चाय के बागान हैं। यहां नारियल तथा आम उत्पादक व कपास उत्पादक किसान हैं। यहां छोटे किसान लहसुन और आलू की खेती कर रहे हैं। इन किसानों को फसल बीमा सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती। कई माननीय सदस्यों ने महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में किसानों के आत्महत्या के चलन की ओर इशारा किया है। जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है किसानों को कुछ राहत है और वहां भूख से मौतें नहीं होती हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री डा. कलैनर करुणानिधि किसानों का काफी ध्यान रखते हैं। उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो वहां डीएमके सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कृषि से जुड़े व्यक्तियों तथा किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिए 6500 करोड़ रुपये का लाभ दिया है। यह कार्य ऋण को चुकाने तथा ब्याज के भारी बोझ को समाप्त करने के लिए किया गया है। वहां सरकार ने लगभग 6500 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन करके किसानों के ऋण को माफ कर दिया है। दो सप्ताह पहले मैंने स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक समारोह में किसानों को उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज तथा बट्टे पर रखे गए दस्तावेज वापस दिए थे। अत: यदि आपने किसानों की दशा में सुधार लाना है तो हर सरकार को तमिलनाडु सरकार की नीति अपनानी होगी और केन्द्र सरकार को किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय करने तथा उनके समग्र कृषि कार्यकलाप को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की तैयारी करनी होगी।

आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा इजराईल कृषि को ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे देश में हर आधी एकड़ तथा एक एकड़ भूमि पर अलग-अलग खेती की जाती है। भू-धृति तथा खेती प्रारूप में सुधार होना चाहिए। भूमि के एक बड़े हिस्से को खेती के अधीन लाना चाहिए ताकि कृषि के आधुनिक तरीकों से वैज्ञानिक ढंग से एक फसल की देख-रेख की जा सके। अत: खेती के लिए न्यूनतम इकाई 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। उन देशों में अपनाई गई ड्रिप सिंचाई तथा स्प्रे सिंचाई प्रणालियों से किसानों को पानी की बचत करने में मदद मिल सकती है। कम पानी का उपयोग करके प्रभावी जल प्रबंधन से फसलों की अधिक खेती आज एक सच्चाई बन सकती है।

जल संरक्षण सहित फसल प्रबंधन से हम खेती के अधीन भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करके उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। हमारी प्रगति और समृद्धि कृषि पर निर्भर है क्योंकि हमारी 80 से 85 प्रतिशत जनता ने कृषि को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पीएल 480 नामक एक कार्यक्रम लागू था। उस कार्यक्रम के अंतर्गत चावल और गेहूं का आयात शुरू किया गया था। केन्द्र में श्री राजीव गांधी के शासन में आने के बाद हमने पूरे देश में हरित क्रांति के तरीके अपनाकर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। हमारे देश में चावल, मक्का, गेहूं, अन्य अनाज और दालें उगाई गई थीं। गन्ने का उत्पादन भी बढ़ाया गया था। अब डा. मनमोहन सिंह तथा संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हाल ही में 30 लाख टन गेहूं का आयात किया है। यह कदम अपने पास पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हमारे पास संतोषजनक स्तर तक पर्याप्त स्टॉक है।

हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलते। इसीलिए हमें एकीकृत विपणन प्रणाली अपनानी होगी। उझावर सन्थाई (किसान बाजार) जैसी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। किसान सीधे ही अपनी कृषि उपज बाजार ले आकर लाभकारी मूल्य पर बेच सकते हैं। इससे किसान ऋण बोझ से उबर सकते हैं। इससे किसानों के सामने आ रही उन समस्याओं को दूर करने में हमें मदद मिल सकती है जिनके कारण, जैसा कि कुछ मामलों में देश के कुछ हिस्सों में हो रहा है, वे आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं। तमिलनाडु में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डा. के. करुणानिधि द्वारा उझावर सन्थाई योजना पुन: शुरू की गई है। मैं केन्द्र सरकार और कृषि मंत्री श्री शरद पवार से अनुरोध करता हूं कि वे किसानों को उनके उत्पादों के बदले में लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू करें। मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

जहां तक इलायची का प्रश्न है पूरे भारत में थेनी जिले में इसकी कृषि सर्वाधिक होती है। यह जिला मेरे पेरियाकुलम निर्वाचन क्षेत्र में है। इलायची की कीमत पहले 650 रुपए प्रति किलो थी, जो अब

*मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री जे.एम. आरुन रशीद]

मात्र 150 से 200 रुपये रह गई है। भारत में इलायची का एकमात्र निलामी केंद्र बोदि है। बोदि में भी पिछले दस दिनों से इलायची की निलामी रुक गई है। यह कीमतों में गिरावट के कारण हुआ है। भारत में इलायची पड़ोसी देश श्रीलंका तथा दूरस्थ देश ग्वाटेमाला से नेपाल के माध्यम से आ रही है। यह वर्जित उत्पाद भारत में उपजाई गई इलायची की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। गुप्त ढंग से भारतीय बाजार में लाई जा रही इलायची भारतीय किसानों द्वारा उपजाई गई इलायची की कीमतों को प्रभावित करती हैं। कई किसान इसकी कृषि जारी रखने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। वे एक तरफ तो कीमतों के घटने तथा दूसरी तरफ कीटनाशकों और उर्वरकों जैसी निविष्टियों के मूल्य में वृद्धि से प्रभावित होते हैं।

कृषि निविष्टियों के मूल्यों में वृद्धि के कारण बढ़ी उत्पादन लागत तथा इलायची की तस्करी के कारण उत्पाद की कीमतों में हुई गिरावट से बड़ी समस्या खड़ी होती है। केन्द्र सरकार को इलायची तथा अन्य मसालों के अवैध आयात को रोकने के लिए अवश्य ही प्रभावी कदम उठाने चाहिए। श्रीलंका से इलायची की तस्करी कैसे हो सकती है। केवल सरकार ही कठोर उपाय द्वारा इस खतरे को रोक सकती है और किसानों को विशेषत: इलायची उत्पादकों को बचा सकती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर चाय बागान लगाए गए हैं। इन दिनों चाय बागान भी निविष्टी लागतों तथा उपरि खर्चों को पूरा करने में लागत वृद्धि के कारण अपने कार्य प्रबंधन में गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। कीटनाशक और उर्वरकों की लागत अधिक है। इससे बागान प्रभावित होते हैं और बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। रखरखाव में भारी व्यय वृद्धि के कारण कई बागान मालिकों द्वारा चाय पत्तियां तोड़ने का कार्य बंद कर दिया गया है। चाय बागान तथा ऐसी फसलों को अवश्य ही बीमा दायरे में लाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

नारियल की खेती करने वाले किसान इन दिनों नए प्रकार के कीटों के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। नारियल का आकार अब छोटा हो गया है। कीटों तथा अज्ञात बीमारियों के चलते नारियल का आकार अब छोटा हो गया है। नारियल के किसान जो प्रति नारियल 8 से 9 रु. प्राप्त करते थे अब वे 2 रु. से 3 रु. तक ही प्राप्त कर सकते हैं। नारियल बोर्ड को कीटनाशकों तथा उर्वरकों को उपलब्ध कराने तथा नारियल के पेड़ों को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

नारियल, इलायची तथा चाय के लिए बोर्ड हैं। लेकिन आम जो बहुतायत में उपजाए जाते हैं, इनको उगाने वालों की हितों की रक्षा करने के लिए कोई बोर्ड नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम बहुतायत में आम की उपज होती हैं। लेकिन वहां पर्याप्त भंडारण सुविधाएं तथा विपणन समर्थन नहीं हैं। थोड़ी सी भी बारिश आम की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कार्बन हाइड्राइड, एक रासायनिक पदार्थ का आम पकाने के लिए उपयोग होता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के अलावा आम के स्वाद को भी खराब करता है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आम की फसल उगाने वाले किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करने हेतु बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

लहसुन तथा आलू के किसान छोटे किसान ही रह जाते हैं तथा उन्हें कोई बीमा कवर या संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके किसान अक्सर भूस्खलन के चलते भारी हानि उठाते हैं। छोटी नदियों पर वहां हरेक दूसरे कि.मी. पर 'चैक डैम' होना चाहिए। यह पहाड़ी क्षेत्रों में साल भर खेती के लिए आवश्यक जलस्रोत प्रदान करने में सहायक होगा। इससे अचानक आई बाढ़ में बह जाने की बजाय जल का संरक्षण किया जा सकेगा।

सिंचाई के लिए जल वर्ष के 3 माह तक उपलब्ध रहता है। 'चेक डैम' बन जाने से जल की उपलब्धता लंबे समय तक यहां तक कि साल भर सुनिश्चित की जा सकेगी। अन्य संभावित हस्तक्षेप की बजाय सिंचाई की सुविधा किसानों को और ज्यादा लाभ पहुंचाएगी तथा उनकी समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। ऋण भार को इससे कम किया जा सकेगा।

फसल संरक्षण के मामले में, बीमा कवर केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों की ही सहायता से किसानों की मदद के लिए बीमा कवर प्रदान किया जा सकता है। हमें उन्हें प्रीमियम की राजसहायता प्राप्त दर प्रदान करना है। सभी किसान तभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब राज्य तथा केन्द्र सरकार से सहायता लेकर प्रीमियम की दर कम रखी जाए। किसान ऊंची प्रीमियम नहीं दे सकते हैं तथा इसे कम करने की आवश्यकता है।

किसानों को राजसहायता प्राप्त परिवहन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि दुर्गम क्षेत्रों से उत्पाद लाया जा सके तथा विपणन केन्द्रों तक पहुंचाया जा सके। उदाहरणस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आम के उत्पादक परेशानी का सामना करते हैं। यद्यपि आम का निर्यात सिंगापुर, मलेशिया तथा अन्य देशों को होता है। भारतीय आम अमेरिका

तक जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम स्थानों के बगीचे से पत्तनों तक पहुंचाने के लिए निर्यातकों को राजसहायता मिलनी चाहिए। परिवहन राजसहायता जैसे प्रोत्साहन देकर आपको इलायची, नारियल तथा आम के निर्यात को आकर्षक तथा लाभकारी बनाना होगा।

जब फसल को संरक्षण कवर देने की बात आती है तब इसे बीमा कवर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए वरन् इसे कीटनाशक, उर्वरक, मशीनों, खेती के मशीन जैसे ट्रैक्टर तथा खेती के आधुनिक तकनीक तक प्रदान करने के रूप में होना चाहिए।

अतएव, मैं सरकार से देश की अर्थव्यवस्था में किसानों द्वारा योगदान देने के लिए उचित परिस्थिति बनाने की आवश्यकता पर बल देने का अनुरोध करूंगा। एक व्यापक फसल बीमा योजना किसानों को लाभ पहुंचाएंगी तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। यह किसानों के बीच आत्महत्या की रुझान को भी कम करेगी।

किसान सुरक्षा योजना तथा किसान विपणन योजना तमिलनाडु में दो महत्वपूर्ण तथा लाभदायक योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं का देश के अन्य भागों में विस्तार किया जाना चाहिए।

फसल बीमा योजना एक आवश्यक योजना है तथा इसका लाभ बेहतर ढंग से होगा यदि गांवों को न कि जिलों को इकाई मानकर सहायता प्रदान की जाए। फसल ऋण का व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। खेत में काम करने वाले सभी लोगों को समाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाना चाहिए तथा केवल यही बीमा योजना को सार्थक बनाएगा।

किसानों तथा फसलों पर ध्यान देते हुए हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं जो देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देगा। बीमा योजना के माध्यम से आपकी गारंटी, समर्थन तथा सहायता तभी खेती करने वाले सम्प्रदाय तक पहुंच सकती है जब इसे व्यापक रूप से कार्यान्वित किया जाए तथा इसका लाभ आदि काल से चले आ रहे इस महान व्यवसाय में लोगों तथा प्रक्रियाओं दोनों को लाभ पहुंचे। इसके साथ ही, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, सबसे पहले मैं श्री इकबाल अहमद सरडगी को इस महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह सभा के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसे सभा के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है तथा प्रोत्साहन मिलता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभा के सभी वर्गों की रुचि है। हम चर्चा के अंत में आ पहुंचे हैं। मेरे माननीय सहयोगी जिन्होंने मेरे पहले भाषण दिया, उन्होंने कृषि क्षेत्र में वर्तमान संकट के विषय में कई बातें कहीं। सभी इस पर एकमत थे कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को हमारे पास जो भी उपलब्ध तरीके हैं उनसे हमें समर्थन देना है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमें किसानों को नई वैज्ञानिक तरीके बताने हैं, हमें उन्हें अत्यंत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, तथा हमें उन्हें गुणवत्ता वाले आगम प्रदान करने हैं।

इस देश में काफी ज्यादा बेरोजगारी है। यह विशेष रूप से केरल में सत्य है जहां राज्य में 45 लाख बेरोजगार युवक हैं। कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां और रोजगार हम खोज सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि योजना आयोग इससे असहमत है। कुछ समय पूर्व, एक सलाहकार समिति की बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने कहा कि देश को कृषि क्षेत्र से लोगों को निकालने का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बहुत छद्म रोजगार है। अतएव, उन्होंने कहा कि कृषि में लगे लोगों को कम करने का उद्देश्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और हो सकता है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा सही हो। लेकिन हम लोग दक्षिण से आते हैं, तथा विशेष रूप से हम जो केरल से आते हैं उनका विश्वास है कि केवल कृषि में ही और रोजगार खोजे जा सकते हैं। यदि कृषि हमारे युवकों को पर्याप्त आय प्रदान करती है जो कि देश के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध है, तो अधिक से अधिक संख्या में युवक कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे। इस क्षेत्र में आने वाले युवक इस क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं।

[अनुवाद]

यह इस वजह से है क्योंकि वे नई धारणाएं अपनाने के प्रति अभ्यस्त हैं तथा वे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने हेतु नए वैज्ञानिक तरीके अपना सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, उत्पादन की उच्च लागत हमारी कृषि के लिए अभिशाप है। हमारे देश में कृषि उत्पादन उपज की मात्रा भी अन्य देशों की तुलना में कम है।

वर्तमान में हमारे किसानों को मात्र स्थानीय बाजारों और स्थानीय मंडियों में ही प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ रहा है बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है तो उन्हें हर संभव तरीके से सुरक्षा व समर्थन दिया जाना चाहिए। इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि किसान हमेशा बाढ़, चक्रवात, सूखा और वर्षा की मार झेलते हैं। यह सही

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

बात है। परंतु वर्तमान में किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों की मार भी झेलनी पड़ रही है। इसलिए उन्हें इस संदर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

वर्तमान में, प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त विदेशों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा, भारी आयात के कारण किसानों को लगभग सभी कृषि उत्पादों की काफी कम कीमतें मिल पा रही हैं।

हमने अनेक व्यापार समझौते किए हैं। हमने श्रीलंका के साथ भारत-श्रीलंका चाय व्यापार समझौता किया है। हमने सार्क देशों के साथ बहुपक्षीय साफ्टा समझौता किया है। अब हम भारत-एशियाई व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। आंकड़े यह बता सकते हैं कि इन देशों के साथ हमारा निर्यात आयात की तुलना में अधिक है। परंतु सच्चाई यह है कि इन सभी आयातों का संचित प्रभाव देश के साधारण, लघु और सीमांत किसानों के लिए काफी नुकसानदेह है। इसलिए, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है।

अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता अत्यंत कम है। यहां तक कि यह साधारण किसान द्वारा इस सहायता को प्राप्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के समतुल्य भी नहीं है।

कुछ समय पहले, नकदी फसलों की सुरक्षा हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष नामक एक योजना चल रही थी। परंतु तब इस योजना का लाभ उठाने वाले लोग नहीं थे क्योंकि यह योजना सुदृढ़ आधार पर और सुविचारित रूप से नहीं बनी थी तथा इस योजना में अंशदान करने वाले शायद ही कोई किसान थे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कृषि में निहित जोखिम को कम करने हेतु फसल बीमा एक संकटकालीन राहत उपाय है। हमारे पास पहले से ही एक कृषि बीमा कंपनी तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना विद्यमान है। परंतु इसके अंतर्गत सभी फसलें शामिल नहीं हैं। स्वयं विधेयक में कुछ फसलों का ही उल्लेख किया गया है। हमें सभी नकदी फसलों, सभी मसालों, सभी बागवानी फसलों और देश में सभी फसलों को शामिल करने की जरूरत है। हमें सभी फसलों को शामिल करने की जरूरत है क्योंकि हम इस चरण में पहुंच गए हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी फसलों, सभी खाद्य फसलों, नकदी फसलों, मसालों और बागवानी फसलों को इसमें शामिल करें।

मैं, केरल के मामले में एक उदाहरण देना चाहूंगा, वहां राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मात्र धान, टैपियोका, केला, अनानास, हल्दी और अदरख शामिल हैं। हमारे पास अनेक अन्य फसलें जैसे नकदी फसलें, मसाले इत्यादि हैं। इनमें से अनेक फसलें ऐसी हैं जिन्हें सर्वाधिक संकटों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये राज्य के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इन्हें वर्षा, बाढ़ जैसी स्थिति अथवा सूखे अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये फसलें इन सभी कारकों से प्रभावित होती हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी राष्ट्रीय बीमा योजना और अधिक व्यापक होनी चाहिए और सभी महत्वपूर्ण फसलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए तथा किसानों को दी जाने वाली सहायता उत्पन्न संकट से निपटने हेतु पर्याप्त होनी चाहिए।

इस विधेयक के उद्देश्य काफी प्रशंसनीय हैं और मैं इस प्रकार के विधेयक लाने हेतु अपने मित्र, श्री सरडगी को बधाई देता हूं। वस्तुतः सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और समुचित संशोधन करने चाहिए तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को और अधिक प्रभावी, किसान हितैषी बनाना चाहिए ताकि किसानों के लिए और अधिक मददगार साबित हो सके।

अपराह्न 5.49 बजे

[अनुवाद]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—*जारी*

(अठारह) उपभोक्ता वस्तुएं (उत्पादन की लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य का अनिवार्य मुद्रण) विधेयक, 2006*

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाजार में बेची जा रही उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्या का अनिवार्य मुद्रण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाजार में बेची जा रही उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और अधिकतम खुदरा मूल्या का अनिवार्य मुद्रण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 5.50 बजे

(उन्नीस) वन उपज प्रबंध बोर्ड विधेयक, 2006*

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनजातीय व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों, जो वन उपज पर आश्रित हैं, को जीविका उपार्जित करने का अधिकार और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनजातीय व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों, जो वन उपज पर आश्रित हैं, को जीविका उपार्जित करने का अधिकार और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.7.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 5.52 बजे

[अनुवाद]

फसल बीमा विधेयक, 2005—जारी

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 40 नामत:, फसल बीमा विधेयक पर चर्चा करेंगे। अन्य दो सदस्यों को और बोलना है। फिर हम अगली मद पर चर्चा करेंगे।

श्री शंखलाल माझी जी, श्री माझी, चूंकि समय का अभाव है, कृपया केवल पांच मिनट बोलिए।

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : महोदय, आपने श्री इकबाल अहमद सरडगी, द्वारा फसलों का बीमा और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारत किसान प्रधान देश है और देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। आज भी किसान सिंचाई के लिए मानूसन पर निर्भर करता है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी ओला और कभी दैवी आपदा के कारण किसान की फसल बरबाद हो जाती है। मेहनत करके किसान खाद, बीज, डीजल आदि खेती के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करके फसल तैयार करता है, लेकिन जब दैवी आपदाओं का शिकार हो जाता है, तब उसकी कमर टूट जाती है। किसान को इस दैवी आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा योजना का विधेयक लाया गया है, यह हिन्दुस्तान के किसान की तकदीर बदलने वाला विधेयक है।

महोदय, अनिश्चितता की हालत यह होती है जब किसान अपनी पूंजी लगाकर, कड़ी मेहनत करके फसल पैदा करता है और जब फसल तैयार होने की स्थिति में आती है या बीच में ही इस प्रकार की आपदा

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री शंखलाल माझी]

का शिकार हो जाता है तो उसकी पूंजी डूब जाती है और किसान अगली फसल के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने की या आवश्यकता की कोई भी वस्तु क्रय करने की उसकी हैसियत नहीं रहती है। इस कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। आज देश में चारों तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वह इसी स्थिति का परिणाम है। श्री एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले आयोग ने इसीलिए किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई सुझाव दिए गए थे कि किसानों के लिए बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर किसान अपने द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की बिक्री कर सके और सही दाम मिल सके। इसके साथ किसानों के लिए सस्ती दर पर आवश्यकता के अनुसार कर्ज की व्यवस्था होनी चाहिए। तकनीकी सुविधा और खेती संबंधी सलाह मुहैया कराया जाना चाहिए और राष्ट्रीय कृषि नीति उद्योग की तर्ज पर बननी चाहिए। यह जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिशें की थीं। आज तक इन सुझावों पर भारत सरकार द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है। यह बहुत दुखद स्थिति है। किसान की जो समस्या है, जिससे लगातार किसान ग्रसित हो रहा है, वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसान जो मेहनत करता है, अपनी लागत लगाता है, तब उसकी जो फसल तैयार होती है, उसमें जो लागत और मेहनत लगती है, उसके अनुसार उसे उत्पादित फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है। एक कारण यह भी है कि किसान की जब फसल तैयार होती है, तो उसके पास उसके भंडारण की क्षमता नहीं होती है। वह भंडारण नहीं कर पाता है और उसके पास विपणन की व्यवस्था नहीं होती है। किसान उत्पादन लेकर मार्किट जाता है तो आढ़तियों और कालाबाजारी करने वाले लोग उसका शोषण करते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे किसान को अपने उत्पादन को मार्किट में रखने के बाद, निश्चित मूल्य सीमा के आधार पर, उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उचित मूल्य एडवांस मिल सके। इससे वह कालाबाजारी करने वालों से बच सकता है। किसानों के लिए कोई प्रसंस्करण की व्यवस्था नहीं है। वह कच्चे माल के रूप में अपने उत्पादित माल की बिक्री करता है। हम बार-बार कहते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और वह केवल स्लोगन की बदौलत नहीं दिया जा सकता है। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलने पर किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य भी मिलेगा। स्वामीनाथन जी ने चीन की तर्ज पर सुझाव दिया था कि शहर और गांव के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित होना चाहिए। इससे कृषि को व्यावसायिक दर्जा मिलेगा और फूड पार्क की व्यवस्था होगी। इससे वह कच्चे माल को प्रसंस्करण करने की हैसियत में होगा और उसका व्यापारिक दाम मिलेगा। तब किसान की स्थिति में भी सुधार होगा। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। भारत सरकार द्वारा इन बातों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं लेकिन आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी डिटेल्स आंकड़ों सहित रखी हैं। मैं बहुत ज्यादा उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की माली हालत का विस्तृत जिक्र किया है। उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, जो सुझाव दिए हैं अगर उसका सही समय पर और सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाए तो किसानों की माली हालत में सुधार हो सकता है।

फसल बीमा योजना की जहां तक बात है जिसे लेकर यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि 2004 तक देश के केवल दो करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना में कवर किया गया था। वर्ष 2011-2012 में 6 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या देश के किसानों की संख्या केवल 6 करोड़ है? इससे संबंधित फाइल आयोग से मंत्रालय जाती है और मंत्रालय से आयोग में जाती है। वह फाइल पिछले जून से पैंडिंग में पड़ी है। उसकी यही गति रही तो मैं समझता हूं कि फसल बीमा योजना एक दिवा स्वप्न होगा। 2011-12 तक 6 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने की योजना है। जिस तरह से भारत सरकार की तमाम योजनाएं बनती हैं, उन्हें बनाने और कार्यान्वयन करने के लिए जितना समय दिया जाता है, वह समय जब समाप्त होता है तब पता चलता है कि उनका क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है। इससे योजनाएं खटाई में पड़ जाती हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मेरी मांग है कि फसल बीमा विधेयक जो इकबाल जी ने प्रस्तुत किया है, उसे पास किया जाए और स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें तथा सुझाव दिए हैं उन्हें गंभीरता से लेते हुए, किसानों की माली हालत को सुधारने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री लक्ष्मण सिंह बोलेंगे। लगभग छह बजने वाले हैं। आप अब अपना भाषण शुरू कर सकते हैं और केवल एक मिनट बोलिए और आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि वह इतना महत्वपूर्ण बिल सदन में लाए हैं। देश में पहले से ही कृषि बीमा योजना, कांप्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस के नाम से चल रही थी। अब इसका नाम बदलकर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कर दिया गया है। यह अच्छी बात है। शासन ने निर्णय लिया है कि एक ज्वाइंट ग्रुप का गठन किया जाए और जो ज्वाइंट ग्रुप बने, वह अपनी रिपोर्ट पेश करे कि इस देश में इस योजना को कैसे लागू किया जाए। लेकिन संभवतः जो ज्वाइंट ग्रुप बना है, उसमें उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है जो कृषि से संबंध रखते हैं और बीमा की योजनाओं की जानकारी रखते हैं। उसमें केवल आई.ए.एस. अधिकारी हैं। उसमें सांसद और विधायक नहीं हैं, जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी फसलें खराब होती हैं और जिन्हें क्रॉप इंश्योरेंस की आवश्यकता है। जो ज्वाइंट ग्रुप का गठन हुआ है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। लेकिन रिपोर्ट पेश होने के बाद धूल क्यों खा रही है। शासन उस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहा है। यह एक गंभीर विषय है और इस ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : ठीक है, महोदय।

सभापति महोदय : अब, यदि सभा सहमत है, तो हम शून्य काल शुरू कर सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे स्पेशल मैन्शन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग लगभग 7500 मेगावाट है और वहां हमेशा 2000 से लेकर 2500 मेगावाट की कमी बनी रहती है। उत्तर भारत के किसी भी राज्य में बिजली की इतनी कमी नहीं है, जितनी उत्तर प्रदेश में है। केन्द्र सरकार अन्य राज्यों को बिजली दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ सौतेलेपन का व्यवहार अपना रही है और इसमें अपनी तरफ से कोई मदद नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश को 3250 मेगावाट की जगह केवल 2200 मेगावाट बिजली ही प्राप्त हो रही है, जबकि कटौती के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 15 घंटे की कटौती हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र से रोजाना 25 से 30 करोड़ रुपये की बिजली खरीदकर अपने प्रदेश में सप्लाई कर रही है। यही नहीं केन्द्र के सौतेलेपन के व्यवहार की यह हालत है कि केन्द्र ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल कराकर उत्तर प्रदेश पर एक लाख रुपए का जुर्माना कराया है। जो बहुत अशोभनीय, निंदनीय है। इससे साफ जाहिर होता है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जबकि पंजाब को पांच सौ मेगावाट, हरियाणा को तीन सौ मेगावाट और दिल्ली को डेढ़ हजार मेगावाट विद्युत की सप्लाई केन्द्र सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा हृदय प्रदेश है और वहां केवल सौ मेगावाट बिजली की सप्लाई दी जा रही है। यह अपने आपमें बहुत निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस ओर विशेष ध्यान दे।

महोदय, यही नहीं उत्तर प्रदेश को जो सौ मेगावाट बिजली दी जा रही है, उसके रेट सात से साढ़े सात रुपए प्रति यूनिट केन्द्र सरकार ले रही है, जबकि अन्य प्रदेशों को चार रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। हमारी मांग है कि जिन दरों पर अन्य राज्यों को बिजली दी जा रही है, उसी दर पर उत्तर पदेश को भी बिजली दी जाए। इस बात से साफ झलकता है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ विशेष ध्यान दे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा हृदय प्रदेश है। यदि उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं हो सकता। चूंकि विद्युत सप्लाई ऐसा विषय है, जो देश और प्रदेश की इकोनोमी और उनके विकास से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : सभापति महोदय, मैं श्री शैलेन्द्र कुमार जी के विचारों के साथ अपने आपको एशोसिएट करता हूं।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं भी श्री शैलेन्द्र कुमार जी के विचारों के साथ अपने आपको एशोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट) : धन्यवाद, सभापति महोदय।

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के अशुभ एवं क्रूर खूनी खेल से शुरुआत कर निर्दयी नक्सलवादियों ने 25 जुलाई को 18 जनजातीय महिलाओं का अपहरण किया है। ये महिलाएं सलवा जुडुम कैम्प की निवासी थीं। फिर भी पुलिस ने सुरक्षा खामियों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया से कहा कि महिलाएं कैम्प में नहीं थीं।

गत छह माह में सलवा जुडुम आंदोलन से जुड़े सैकड़ों जनजातीय लोगों की नृशंस हत्या की गई है। कई हजार लोगों ने अपना घर-बार छोड़ दिया है। स्थानीय सरकार ने प्रभावित हजारों लोगों की जनगणना नहीं की है। सरकारी कार्यवाही को दर्शाने के लिए नक्सलियों के साथ पुलिस ने कई फर्जी मुठभेड़ की हैं। नक्सलवादी सलवा जुडुम कार्यकर्ताओं और सलवा जुडुम कैम्पों के विरुद्ध सोची-समझी और सटीक प्रतिकार का सहारा ले रहे हैं।

राज्य सरकार जनजातीय लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और नृशंस हत्याओं को रोकने में विफल रही है। जनजातीय महिलाओं की हत्या, बलात्कार और दासी बनाए जाने हेतु अपहरण किए जाने की घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है क्योंकि उन्हें सलवा जुडुम कार्यकर्ता माना जाता है। जनजातीय लोगों का सबसे शांत और प्राकृतिक आवास माना जाने वाला बस्तर अब भारत में खूनी हत्याओं का क्षेत्र बन गया है।

आज सलवा जुडुम नक्सलियों को उकसाने का मुख्य कारण है जो कि अत्यधिक सशस्त्र, सुसंगठित और बेरहम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि वे बस्तर में सलवा जुडुम आंदोलन को रोकने के साथ ही अपहृत महिलाओं का पता लगाने के लिए कदम उठाएं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं? सलवा जुडुम का उद्देश्य आदिवासियों को संगठित करना था। यह अच्छे कार्य के लिए था। अतः, सलवा जुडुम की आलोचना नहीं करें ...*(व्यवधान)*

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : राज्य सरकार असफल हुई है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई की बारी है।

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य था...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं चूक को स्वीकार करता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रविचन्द्रन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी) : गत रबी मौसम के दौरान तमिलनाडु में अच्छी वर्षा हुई थी और अधिकांश जलाशय पहले से ही संतोषजनक स्तर पर थे। इस वर्ष सर्वाधिक समृद्ध कृषि मौसम की प्रत्याशा है और किसानों द्वारा पूर्वानुमानित एकमात्र नकारात्मक पहलू उर्वरकों विशेष रूप से डी.ए.पी., यूरिया और सल्फर फास्फेट की कमी है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फॉस्फोरिक एसिड की कमी के परिणामस्वरूप भारत में फॉस्फेटिक उर्वरकों, विशेषकर डी.ए.पी. के घटे हुए उत्पादन का एकमात्र अर्थक्षम विकल्प भारी मात्रा में डी.ए.पी. का आयात करना है। वर्तमान में तमिलनाडु में डी.ए.वी. की आधार स्टॉक उपलब्धता शून्य है।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि. से यूरिया के लिए अधिक ई.सी. आवंटन प्राप्त करने हेतु अविलंब कदम उठाए जाने चाहिएं। सुपर फास्फेट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल जैसे अन्य दक्षिणी राज्यों में लागू विक्रय मूल्य दर को तमिलनाडु में भी लागू किया जाना चाहिए।

इसके दृष्टिगत मैं सरकार से मामले की तत्काल जांच करने और तमिलनाडु के किसानों को पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति तत्काल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज यूनियन, बैंक इम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एशोसिएशन के लगभग छ: लाख कर्मचारियों ने आज हड़ताल की है।

अन्य संघों के कर्मचारियों और रिजर्व बैंक कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया और देश के बैंकिंग क्षेत्र को पंगु बना दिया। इस प्रकार कर्मचारी बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाओं की आउटसोर्सिंग के द्वारा ठेकेदारी प्रणाली आरंभ करने के सरकार के कदम के विरुद्ध हड़ताल पर हैं जिसके बारे में हमने आज प्रात: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा की।

कर्मचारी आउटसोर्सिंग संबंधी आर.बी.आई. परिपत्र के साथ ही समाशोधन कार्य की आउटसोर्सिंग को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि विदेशी निवेशकों के मतदान अधिकार पर 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए। वे बैंकिंग क्षेत्र में विद्यमान लगभग एक लाख रिक्तियों को भरने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना चाहते हैं। उनकी मांगें कर्मचारियों को पी.एफ. योजना से पेंशन योजना में जाने के नए विकल्प के संबंध में भी है।

देश के शिक्षित युवाओं के लिए अधिक रोजगार पाने की अपनी नीति के साथ यू.पी.ए. सरकार को बैंकिंग क्षेत्र में ठेकेदारी प्रणाली की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह लाखों युवाओं की बेहतर भविष्य संबंधी उन आशाओं को झुठला देगी जो बैंकिंग क्षेत्र पूरा कर सकता है। कर्मचारियों को पेंशन योजना का चयन करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि काफी कर्मचारी ऐसा उस समय नहीं कर सके जब यह योजना आई थी। मैं भी उनमें से एक हूं। हम पेंशन योजना का चयन नहीं कर सके क्योंकि उस समय काफी भ्रांति थी और इसके बारे में समुचित परामर्श नहीं किया गया था। सरकार को अर्थव्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए विदेशी निवेशकों को अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। सरकार को यूनियनों के साथ वार्ता शुरू करने के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को तत्काल निदेश देना चाहिए तथा इस मामले को सद्भावपूर्ण तरीके से सुलझाकर हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र की सहायता करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राधवराघन बुधौलिया : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जो सभी माननीय सदस्यों की गरिमा और मान-सम्मान से जुड़ा है। आज देश में अनेक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अपने सदस्यों को निजी गाड़ियों पर पहचान के तौर पर हरी या अन्य प्रकार की बत्तियां लगाने की छूट दी हुई है। वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष तक को राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी गई है। माननीय सांसदगण जो अनेक तहसीलों और बहुत अधिक जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की बत्ती और नाम पट्टिका या साइरन लगाने की सुविधा नहीं दी गई है जिसके कारण अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आवागमन में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि माननीय सदस्यों की उक्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपने निजी वाहनों को पहचान के लिए किसी भी रंग की बत्ती अथवा नाम पट्टिका तथा साइरन आदि लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कभी-कभी हम लोगों को अपनी कांस्टीट्यूएंसी में बैठकों में जाना पड़ता है। एक थानाध्यक्ष अपनी गाड़ी पर बत्ती लगाता है लेकिन एक सांसद नहीं लगा सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार के नाम को संबद्ध कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से देश में जो धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं और जो स्वतंत्रा आंदोलन से जुड़े हुए महापुरुष हैं, उनके बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां लिखकर पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ा जाता है जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसी तरह की एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एम.ए. के पाठ्यक्रम की एक पुस्तक में हिंदुओं की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गणेश सिंह]

आस्था के प्रतीक भगवान शंकर एवं जगद्जननी मां दुर्गा के बारे में आपत्तिजनक उद्धरण दिए हैं जो घोर अपमानजनक हैं। हिन्दू धर्म के आराध्यों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना पूरे हिन्दुओं का अपमान है जो कि बर्दाश्त के बाहर है। मेरी मांग है कि इस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। साथ ही ऐसे लेखक एवं कुलपति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कायम करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, लोक महत्व के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की मुझे अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। भारत में हो रहे आतंकवादी हमलों को अब लगातार बंगलादेश से जोड़ा जा रहा है, उड़ीसा जो कि घुसपैठ की समस्याओं से जूझ रहा है, उसे अतिवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बनने से रोकना कठिन कार्य है। पिछले वर्षों में भारत में बंगलादेशियों की घुसपैठ का समाधान नहीं मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20 मिलियन से ज्यादा बंगलादेशी भारत में अवैध रूप से रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूएनसीटीएडी की बंगलादेश के बारे में रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है क्योंकि इसने खतरे की घंटी बजा दी है। बंगलादेश के साथ भारत की 4,300 किलोमीटर लंबी सीमाओं की उचित किलेबंदी की आवश्यकता है।

साथ ही साथ बंगलादेश से सटे सभी राज्यों तथा पूर्वी तट से सटे राज्यों की निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। तटरक्षकों की तैनाती के बावजूद लंबी तटरेखा का प्रबंधन बड़ा सिरदर्द बना हुआ है।

उड़ीसा में विशेषकर संवेदनशील छह तटवर्ती जिलों में निगरानी तथा पुलिस नेटवर्क को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रपाड़ा में केवल छह पुलिस थाने हैं जबकि जगतसिंहपुर में केवल आठ थाने हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ घुसपैठ पर रोक लगाना बहुत कठिन है। ढांचागत तरीके से समुद्री पुलिस प्रणाली की आवश्यकता है जिससे कि घुसपैठ को रोका जा सके। उनका कार्य बोटों का इस्तेमाल करते हुए तथा प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा समुद्री मार्गों तथा तटवर्ती क्षेत्रों की निगरानी करने का होगा।

पिछले वर्ष उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित 18 समुद्री पुलिस थानों में से केवल पांच को ही स्वीकृति दी गई है, जो हैं—बालासोर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा तथा गंजम। जैजपुर को छोड़ दिया गया है। पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिकों सहित समुद्री पुलिस थाने की स्थापना में समय लगेगा। चूंकि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और साथ ही बंगलादेशियों की घुसपैठ भी बढ़ रही है, यह समय की मांग है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार से तत्काल कदम उठाने तथा उड़ीसा में शीघ्र ही और समुद्री पुलिस थानों की स्थापना का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लगभग 20 वर्ष पहले एन.एच.पी.सी. द्वारा उत्तरांचल के सीमावर्ती जिला पिथौरागढ़ में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं—गोरीगंगा नदी पर, मदकोट और धौलीगंगा नदी पर सौबला फेज-II। इन दोनों परियोजनाएं के कार्यान्वयन में 1980 के वन संरक्षण अधिनियम और इस पूरे क्षेत्र को कस्तूरी मृगविहार बन जाने के कारण रुकावट आई, लेकिन अब बोटनीकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद और सुप्रीम कोर्ट की टारक फोर्स से क्लियरेंस मिल जाने के बाद, इसमें सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। यह देश के भीतर ऊर्जा के उत्पादन के लिए और स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ये सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और लगभग हर तरफ से अनापति मिल गई है तो मेरा केन्द्र सरकार से विशेष आग्रह है कि राष्ट्रहित से जुड़े हुए इस विषय में, जिसमें कि भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन भी होगा और रोजगार भी मिलेगा, इसलिए तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए और एन.एच.पी.सी. को निर्देश दिए जाएं कि वह इन योजनाओं के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करे।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति जी, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में स्थित एम.ई.एल., जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, सेल से संबंधित कंपनी है, यहां पर करीब 25 वर्षों से अधिक समय से जो ठेका मजदूर काम करते हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यहां के ठेका मजदूरों के साथ 1978 से 1996 तक का वेतन समझौता हुआ था। 1996 के बाद वहां का प्रबंधन इन मजदूरों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और बार-बार मांग करने के बाद भी टाला जा रहा है। वे समझौते के पक्ष में नहीं है। इस वजह से यहां जो 605 मजदूर ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, वे वेतन वृद्धि से वंचित हैं। उनके परिवार के सदस्य स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। उनके बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई में प्रबंधन उन्हें

सहयोग नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं आपके माध्यम से स्टील मंत्रालय में मांग करता हूं कि तुरंत इन मजदूर भाइयों के लिए उसके प्रबंधन को वेतन समझौता और अन्य समझौते हेतु आदेश दे ताकि वहां जो हमारे 605 मजदूर भाई काम कर रहे हैं, उन्हें न्याय मिले। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट के अविभाजित जिले, जिन्हें अब आठ जिलों में बांटा गया है, देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए जिले हैं।

इन जिलों में उड़ीसा की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या रहती है और इस क्षेत्र की 55 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित है। यह भारत का सबसे निर्धन क्षेत्र है जहां पर 87.14 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। 1999-2000 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार यहां पर साक्षरता की दर भी बहुत कम है। यह केवल 43 प्रतिशत है। यहां पर अधिक कुपोषण के कारण मृत्युदर भी बहुत अधिक है।

जब श्री बीजू पटनायक मुख्यमंत्री थे उस समय उड़ीसा सरकार द्वारा गठित एक समिति ने उड़ीसा में एक पृथक विकास बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी। इसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र के 95 प्रतिशत सी डी ब्लॉक या तो बहुत पिछड़े हुए हैं अथवा पिछड़े हुए हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि इस क्षेत्र में 49 ब्लॉक बहुत ही पिछड़े हैं और 28 जिलों को पिछड़ा हुआ माना गया था। पदमपुर उप-मंडल भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए इसे भी केबीके योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि की कार्य योजना भी तैयार की गई थी जिसे अगस्त 1995 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यह दीर्घावधि कार्य योजना बनाई गई थी, यह कार्य-योजना उन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही है। क्योंकि उक्तावधि के दौरान अभीष्ट धनराशि मुहैया नहीं कराई गई थी। तत्पश्चात् भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार के साथ परामर्श करके 9 वर्ष की अवधि की एक संशोधित दीर्घावधि कार्य-योजना तैयार की थी। यह 1998-1999 में शुरू की गई थी और यह 2006-2007 तक जारी रहेगी। लेकिन अखबारों में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि भारत सरकार ने 2007 के पश्चात् इस दीर्घावधि कार्य योजना को बंद करने का निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम का विस्तार नहीं किया जाएगा।

समाचारपत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि भारत सरकार ने इस मामले को योजना आयोग के पास भेजा है और इस मामले पर उसका मत मांगा है। मेरा तर्क यह है कि वे केबीके क्षेत्र अभी भी देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। वहां पर अभी निरक्षरता है, उचित संचार माध्यमों का अभाव है और इस क्षेत्र से भूख से हुई मौतों की रिपोर्ट भी आई है। इस क्षेत्र में नक्सलवाद के साथ-साथ पलायन की समस्या भी विद्यमान है। यहां के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए पड़ोसी राज्यों और उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ता है। इन स्थितियों के मद्देनजर जब लोग अभी भी निर्धनता और इतनी खराब स्थितियों में रह रहे हैं तब इस योजना को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि वह इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है तो उन्हें आगामी नौ वर्षों तक इस योजना का विस्तार नहीं करना चाहिए। यह योजना आगामी पंचवर्षीय योजना तक जारी रहनी चाहिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने इस मुद्दे पर भारत सरकार से अनुरोध करते हुए एक पत्र भी लिखा है। वह इस योजना को जारी रखने संबंधी अनुरोध के साथ प्रधानमंत्री, योजना मंत्री और संबंधित मंत्रियों से मिलने दिल्ली आए थे।

मैं इस सभा का और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं के माध्यम से योजना मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और केबीके योजना को जारी रखने का निर्णय करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति जी, धन्यवाद।

मैं आपके द्वारा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय है। वह पूरे देश की सभी भाषाओं के समाचारपत्र व पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन जारी करने का कार्य करता है। ये विज्ञापन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं पी.एस.यू.ज. के दिए जाते हैं। डी.ए.वी.पी. विज्ञापन जारी करने के बारे में समय-समय पर दिशा-निर्देश तय करता है और सारे देश के समाचारपत्र एवं पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन दर भी तय करता है। डी.ए.वी.पी. द्वारा समय-समय पर प्रकाशित होने वाले सभी पत्र एवं पत्रिकाओं को सूचीबद्ध भी किया जाता है। पूर्व के नियमों

[श्री संतोष गंगवार]

के अनुसार कोई भी नया समाचारपत्र या पत्रिका जो एक वर्ष से लगातार प्रकाशिता हो रही है, उसे विज्ञापनों के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाता है, परंतु अब 1 जून, 2006 से डी.ए.वी.पी. द्वारा नए नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत समय-सीमा को एक वर्ष की बजाय तीन वर्ष कर दिया गया है। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि यदि कोई नया समाचार पत्र-पत्रिका चलाना चाहे तो उसको कठिनाई होगी। उसके लिए तीन वर्ष की अवधि बहुत लंबी होगी और उसके लिए तीन वर्ष तक बिना विज्ञापन के चलाना असंभव होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नियम के तहत पुराने अखबारों पर नया संस्करण चालू करने की बाइंडिंग नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भेदभाव की नीति बनाई गई है, इसे बदला जाना चाहिए, ताकि नये समाचार पत्र और पत्रिकाओं को मौका मिले। इस नीति के तहत सरकार ने सोचा कि नये समाचार-पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित न होने पाएं।

मैं आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वे एक जून को प्रकाशित की गई नीति पर पुनर्विचार करें और नये पत्र-पत्रिकाओं को जिस तरह से पूर्व में सहयोग मिलता आया है, उसी तरह मिलता रहे। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत गरीबी के रेखा से नीचे रहने वालों को रोजगार दिए जा रहे हैं। रोजगार करने पर मजदूरी के रूप में उन्हें 58 रुपए दिए जा रहे हैं। यह 1996 के मानक के रूप में तय किया गया था।

महोदय, आज महंगाई आसमान छू रही है इसलिए मात्र 58 रुपए से गरीब परिवार का गुजारा होना असंभव है। उनसे 58 रुपए की मजदूरी में 2.38 घन मीटर तक मिट्टी की खुदाई करवाई जाती है। एक मजदूर दिनभर में इतनी मिट्टी नहीं खेद पाता है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि गरीब की मजदूरी को 58 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए किया जाए ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, महिलाओं के दूरबीन पद्धति अथवा हाथों से परिवार नियोजन के ऑपरेशन के कारण से करोड़ों महिलाओं की बच्चेदानी खराब हो रही है। बच्चेदानी में कैंसर की बीमारी हो रही है। इसके कारण महिलाओं में मोटापा आ जाता है, पेट फूल जाता है और वे गर्भवती सी प्रतीत होती हैं। इससे अलावा उनकी बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ती है। इसके अलावा उन्हें बच्चेदानी का कैंसर भी हो जाता हैं, जिससे वे मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। गरीब परिवारों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं और इस इलाज के लिए 15 से 20 हजार रुपए का खर्च आता है। इस सबके कारण अस्पतालों में महिलाओं का बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने के लिए तांता लगा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वे इस संबंध में पूरे देश में एक अभियान चलाए, जो कि निशुल्क होना चाहिए। महिलाओं की बच्चेदानी खराब होने के इलाज की सरकार व्यवस्था करे। ऑपरेशन करने की दशा में उन्हें इसके लिए धनराशि उपलब्ध करावाई जाए। कैंसर की बीमारी से उन्हें बचाने के उपाय किए जाएं। जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा डॉक्टरों के एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाए, जो इस प्रकार की बीमारियों से बचाने के उपाय करे। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि केन्द्र सरकार पूरे देश में राज्य सरकारों को आदेशित करे कि एक अभियान चलाकर बच्चेदानी में खराबी वाली महिलाओं का आपरेशन निःशुल्क किया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर जरूर ध्यान दे।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान हमारे देश की बड़ी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे सरकार की दयादृष्टि की आवश्यकता है। वर्ष 2003 से पूर्व सभी राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों के प्रसारण का उपबंध था। ऐसा दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर किया जाता था। पिछले 40 वर्षों से यही नियम था। पूरे देश के लोग हमारे देश में बोले जाने वाली सभी भाषाओं की फिल्में देखते थे। इसमें अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा में उप-शीर्षक भी दिए जाते थे।

इस प्रक्रिया के कारण देश में 'अनेकता में एकता' को बहुत बढ़ावा मिला था। पूरा राष्ट्र, प्रत्येक राज्य की संस्कृति के बारे में जान सकता था। पूरे देश के पास सभी भाषाओं की फिल्मों को देखने का अवसर मौजूद था। लेकिन अब दुर्भाग्यवश "प्रसार भारती ने वर्ष 2003 में केवल राष्ट्रीय पुरस्कार" का सम्मान प्राप्त फिल्मों को प्रसारित करने

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

का निर्णय लिया है। इस निर्णय ने अधिकतर राज्यों को उनकी पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फिल्मों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित करने के अवसर से वंचित कर दिया है क्योंकि कुछ राज्यों की फिल्मों को कभी भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्रीय फिल्मों को 50 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपने कीमती समय में से कुछ समय खर्च करके इस सांस्कृतिक संकट के संबंध में सोचने का अनुरोध करता हूं। यदि प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2003 से पूर्व के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इसे आसानी से हल किया जा सकता है।

मुझे आशा और विश्वास है कि केन्द्र इस संबंध में तत्काल कदम उठाएगा और प्रसार भारती को वर्ष 2003 से पूर्व लागू उस नियम को बनाए रखने हेतु आदेश जारी करेगा। इससे समस्त राष्ट्र की जनता को अपने विशाल और समृद्ध देश की संस्कृति भाषा और राज्य की भाषाओं की अन्य मुख्य विशेषताओं को समझने में मदद मिलेगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, मैं बहुत ही गंभीर मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो आम आदमी, गरीब आदमी के हित से जुड़ा है। अभी गरीबी रेखा सूची का सर्वे सारे देश में हुआ है। सभी सांसदों को जनता के बीच में जाना पड़ता है। जनता उनसे सवाल पूछती है कि जिनके नाम पिछली सूची में थे, नई सूची में क्यों नहीं जुड़ पाए। बी.पी.एल. सर्वे में जो अंकों का आधार बनाया गया है, 14 अंक से नीचे अंक प्राप्त करने वाला गरीबी रेखा सूची में आ गया और 14 अंक से ऊपर वाला बाहर हो गया। सरकार कहती है कि गरीबी का प्रतिशत 34 प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत रह गया है। क्या इस तरह से रातों-रात गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंच जाएगा, गरीबी कम हो जाएगी?

अब किसी व्यक्ति के पास साइकिल, पंखा, रेडियो है तो उसका नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति 800 रुपए प्रतिमाह कमाता है, वह 400 रुपए खर्च करता है, 400 रुपए बचाता है और उसमें से साइकिल, पंखा या ब्लैक एंड व्हाइट टी.वी. ले लेता है तो वह सूची से वंचित हो जाता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर 800 रुपए कमाता है और वह 600 रुपए की शराब पी जाता है और 200 रुपए बचने के कारण वह फटेहाल रह रहा है तो वह गरीबी रेखा सूची में आ जाता है।

सरकार को चाहिए कि आय से अधिक सम्पत्ति हो, तो जांच कराए तथा गहन जांच कराकर आय के मापदंड में संशोधन करके गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूची में शामिल किया जाए तथा जिन लोगों ने फर्जी नाम जुड़वाए हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान करें, ताकि गरीबों का हक न छीना जा सके साथ ही साथ सर्वे अवधि को बढ़ाया जाए, ताकि वास्तविक गरीब जो इससे वंचित रह गए हैं, उनके नाम इसमें जुड़ सकें तथा इसके माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनको मिल सके।

श्री सुभाष महरिया (सीकर) : महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारतीय मूल के करीब पांच सौ से ज्यादा नौकरी पर गए हुए लोग, जो सऊदी अरब के यांबू स्थान से चालीस किलोमीटर दूरी पर है, इस समय मानवीय अत्याचार और मानवीय उत्पीड़न से ग्रस्त हैं। ये लोग फरवरी 2006 में वहां गए थे और हमारे देश की मेन गल्फ पावर कंपनी ने इन्हें ड्राइवर और को-ड्राइवर की सर्विस के लिए भेजा था। सऊदी पाल किंग कंपनी के नाम से इनसे एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वहां पर जो इन्हें काम दिया गया, वह सपाक नाम की कंपनी में मिला। वहां जो काम उन्हें दिया गया, वह लेबर का काम था, जो सीमेंट, कंक्रीट और पाइपलाइन की खुदाई का काम उनसे करा रहे हैं। एक हजार रियाल उन्हें देने की बात कही गई थी और यह एग्रीमेंट हुआ था। खाने फ्री देने की बात कहीं गई थी, लेकिन वहां जो कंपनी उनसे काम ले रही है, वह 700 रियाल पे कर रही है और खाने के 150 रियाल काट रही है और ओवर टाइम के नाम पर सौ घंटे काम कराती है और 20 घंटे की हां भर रही है। पांच दिन पहले पंजाब के एक युवक की वहां कंपनी में काम करते हुए मौत हो गई। उसकी डेड बाडी देश में नहीं भेजी गई, तो वहां के लोगों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया और करीब सौ लोगों का ज्ञापन भारत सरकार को भेजा है, वित्त मंत्रालय को भेजा है और रियाल और जद्दा में जो भारतीय दूतावास के दफ्तर हैं, वहां उन्होंने इसकी सूचना भेजी है। एमजल रोड पर जिस तरह से वहां की लोकल पुलिस ने वहां हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों को ले जाकर और उठा-उठाकर काम करवा रही है, उसे वे लोग बुरी तरह से ग्रस्त हैं। बहुत से ऐसे लोग येन-केन-प्रकारेण टेलीफोन के द्वारा इस बारे में सूचित कर रहे हैं। राजस्थान के तीन सौ से अधिक लोग इन पांच सौ लोगों में फंसे हुए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र

[श्री सुभाष महरिया]

सीकर के 80 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विदेश मंत्रालय को आप इस बात के लिए पाबंद करें कि तुरंत इन लोगों को भारत देश में लाने की व्यवस्था हो। उनकी जो पेमेंट बकाया है, उन्हें दिलाई जाए। उन्होंने इस बात की अपनी ओर से मांग की है कि हमें देश तुरंत वापस मंगाया जाए। इसलिए उन लोगों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इनको भेजने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और लोकल पुलिस को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि जो लोग वहां जा रहे हैं, वे उनकी एग्रीमेंट की कापी रखें और जहां वे जाते हैं, वहां उनके साथ क्या बरताव हो रहा है, इसका ध्यान रखा जाए। मेरा अनुरोध है कि भारतीय मूल के लोगों को वापस बुलाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री रासा सिंह रावत और श्री लक्ष्मण सिंह अपने आपको इससे संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : मैं भी अपने आपको इस मुद्दे से संबद्ध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं, मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर में टेलीफोन सेवाओं में निरंतर आ रही गिरावट की ओर माननीय दूरसंचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत एक-डेढ़ सालों से चल रहे जिले के टेलीफोन विभाग के शिथिल पड़े प्रशासन से पहले से ही दूरसंचार सेवाओं में काफी खराबियां थीं। लेकिन हाल की बारिस ने उसे और खराब कर दिया है। जगह-जगह टेलीफोन के खंबे टूट गए हैं। नतीजा यह है कि लोग दूरसंचार की सेवाओं से महरूम हैं।

इस क्षेत्र की मोबाइल सेवाओं की निरंतर शिकायत रही है, जिले के पहाड़ी क्षेत्र थानागाजी तहसील के नागरिक तो आज पचास सालों के बाद भी आज दूरसंचार सेवाओं से महरूम हैं। थानागाजी क्षेत्र के आगर ग्राम के लगभग 150 लोगों के द्वारा फाइलें जमा कराने के बाद यहां टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लग पाया है। डब्ल्यूएलएल सेवाओं का प्रावधान किया गया, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट घरों में खराब पड़े हैं। लोग इस बात की शिकायतें लेकर टेलीफोन विभाग के पास जाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थान गाजी क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ग्राम आगर, ब्राह्मणवास चौगान, किशोरी, गोलाकावास, प्रतापगढ़, अजबगढ़, भावगढ़, थाना गाजी, इन क्षेत्रों में नए मोबाइल टावर प्रस्तावित हैं लेकिन प्रशासनिक शिथिलता की वजह से यह कार्य चालू नहीं हो पा रहा है। अतः दूरसंचार मंत्री जी से निवेदन है कि अलवर जिले के बीएसएनलएल ढांचे का परीक्षण करवाएं और देखें कि उस समूचे क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार हो, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र थाना गाजी और राजगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं को शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं अलवर का रहने वाला हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। आपकी बोलने की बारी आएगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जी, हां। मैं अलवर का रहने वाला हूं, इसलिए कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपका नाम भी उनके साथ एसोसिएट किया जाता है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञापन देकर प्रचार-प्रसार करके किसानों को कम पानी की फसलें उत्पादन करने हेतु हमेशा आह्वान किया जाता रहा है। सरकारों के आह्वान को राजस्थान के किसानों ने मानकर कम पानी की फसल, सरसों की पैदावार पिछले 3 साल में खूब बढ़ाई। वर्तमान रबी की फसल में राजस्थान में सरसों का उत्पादन 40 लाख मैट्रिक टन के आस-पास हुआ। केन्द्र सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 1715 रुपए घोषित किया और केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन नेफैड द्वारा राजस्थान की एजेंसी राजफैड से खरीद करवाई। राजस्थान में इस वर्ष बम्पर फसल होने के फलस्वरूप राज्य सरकार की एजेंसी राजफेड ने 14.18 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद की और केन्द्र सरकार की एजेंसी ने नेफैड को 13.45 लाख

मैट्रिक टन का ही भुगतान करने की स्वीकृति दी। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने पहले कहा था कि 14 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद पर सहमति व्यक्त की थी। खरीदी हुई सरसों का भुगतान भी 3-4 महीने में होता है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश में इस वर्ष की गई सरसों की खरीद 14.18 लाख मैट्रिक टन के पेटे 137.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि, जिसकी सहमति सरकार ने दी है, उसका भुगतान शीघ्र किया जाए ताकि किसानों को उनका पूरा भुगतान किया जा सके। राज्य सरकार ने केन्द्र के पूरे आश्वासन पर अपनी ओर से किसानों का भुगतान किया था।...*(व्यवधान)* राजस्थान के सारे जिलों में यह समस्या है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुभाष महरिया को भी उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाए।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : मीडिया उद्योग में श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य गैर-श्रमजीवी कर्मचारियों से संबंधित चिंता के महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद, महोदय।

मीडिया को हमारे सर्वोच्च लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और यह भारत के लोकतंत्र के अनुरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करता है। प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया के पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारी इस स्तंभ की आधारशिला है। परंतु दुर्भाग्यवश इन कर्मचारियों को पेशेवर क्षेत्र में नई चुनौतियों तथा जीवन-यापन के खर्च में चौतरफा वृद्धि के अनुरूप वेतन और सेवा-शर्तें प्रदान नहीं की जा रही हैं। समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों में पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के वेतन और सेवा-शर्तों का संचालन वर्ष 1955 के श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत भारत सरकार के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर समाचार-पत्र और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करना अनिवार्य है।

पिछले वेतन बोर्ड का गठन वर्ष 1993 में जस्टिस राजकुमार मणीसाना सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 12 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में देखा गया है कि बैंकिंग, बीमा और अन्य इसी प्रकार के उद्योगों तथा राज्य सरकार के लिए भी वेतन संशोधित किए गए हैं। अब सरकार ने छठा वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। परंतु समाज के लोकतांत्रिक अधिकारों का डटकर साथ देने वाले मीडिया उद्योग के कर्मचारियों को अभी वह वेतन नहीं दिया जा रहा है जो कि उनके कार्यभार और जीवन-यापन के खर्च में वृद्धि के अनुरूप न्यायसंगत होगा। वेतन संशोधन में विलंब से केवल पत्रकारों की निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता परंपराओं के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता कमजोर पड़ेगी और यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा।

समाचार और टी.वी. उद्योगों में अनेक श्रमिक-विरोधी और अनुचित श्रमिक पद्धतियां प्रचलित हैं। आजकल ठेके पर रोजगार का प्रचलन बढ़ रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

डा. के.एस. मनोज : मैं इस विषय पर आ रहा हूं?

अनेक प्रबंधनों में अपने कर्मचारियों को ठेका रोजगार का विकल्प चुनने को बाध्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। टी.वी. उद्योग में लगभग पूरी भर्ती प्रक्रिया ठेका आधार पर है। इससे पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को न सिर्फ प्रबंधन की दया पर निर्भर रहना पड़ता है बल्कि इससे सामूहिक सौदाकारी शक्ति कम होती है। अतः मैं सरकार से निम्नलिखित आग्रह करता हूं कि :

1. रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय-सीमा में समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और टी.वी. चैनलों में पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों हेतु नए वेतन बोर्ड का गठन करे।

2. टी.वी. चैनलों में पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की परिधि में लाया जाए।

3. समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और टी.वी. चैनलों में सभी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा करे।

4. प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया उद्योगों के ठेका रोजगार और अन्य श्रमिक विरोधी पद्धतियों को रोकने के उपाय करे।

कल, श्रमजीवी पत्रकारों की केरल इकाई के नेताओं ने माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वेतन बोर्ड गठित किया जाएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप अपनी बात कह चुके हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समस्त विश्व कुछ ही महीनों में महत्वपूर्ण वैश्विक मोरचे का प्रत्यक्षदर्शी बनेगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चयन किया जाएगा। भारत इस पद के लिए अपने उम्मीदवार शशि थरूर का जोरदार समर्थन कर रहा है। हम सभी इससे अवगत हैं कि म्यांमार के यू थांट के बाद कोई भी एशियाई संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है।

भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व को 'जिओ और जीने दो' का मंत्र दिया है। महात्मा गांधी ने विश्व को अहिंसा नामक अस्त्र से अवगत करवाया था। इसकी खोज आततायी से मुकाबला करने के लिए हुई थी जिसने उस समय संपूर्ण विश्व में आजादी के आंदोलन को प्रेरित किया।

चयन प्रक्रिया में पहले ही गहमागहमी है। सूचनाओं और एक अनौपचारिक टिप्पणी के अनुसार शशि थरूर दूसरे स्थान पर है। चयन प्रक्रिया अक्टूबर तक जारी रहेगी। हम 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संयुक्त राष्ट्र के महासचि के रूप में हमारे उम्मीदवार शशि थरूर को चुनने का अनुरोध करेंगे। इस संबंध में, मैं इस सभा से एक संकल्प पारित करने और सदस्य देशों को अग्रेषित करने के लिए अनुरोध करता हूं जिससे कि वे शशि थरूर के समर्थन में अपना मतदान करें।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, आपने तीन मुद्दे उठाने के लिए नोटिस दिया था किंतु आप केवल एक मुद्दा उठा सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, भारत अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के लिए कोलम्बो, सिंगापुर और दुबई पर आश्रित है। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे पास भारत में कोई विकसित अवसंरचना नहीं है जो कि वर्तमान में हमारे पत्तनों पर मुख्य जहाजों को लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे प्रमुख पत्तनों के पास बेड़ा नहीं है और वहां गाद भी बहुत होती है, भारत का कोई भी पत्तन प्रमुख जहाज को लंगर नहीं डलवा सकता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हाल ही में, यह देखा गया है कि वह विझिंगम जो केरल, त्रिवेन्द्रम में स्थित है और जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग चैनल से 30 नौटिकल मील की दूरी पर स्थित है, पर वह बेड़ा मौजूद है जो न केवल इस पीढ़ी के प्रमुख जहाजों अपितु अगली पीढ़ी के प्रमुख जहाजों को लंगर डलवा सकता है।

इस प्रकार यदि उस पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाता है तो हमारे देश को इससे बहुत फायदा होगा। आज कोलम्बो, सिंगापुर और दुबई पर आश्रित होने की वजह से हमें प्रतिवर्ष लाखों डालर की हानि उठानी पड़ रही है।

केरल सरकार ने विझिंगम पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। यदि इसे अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाता है तो जहाजरानी के माध्यम से हमारे राजस्व में वृद्धि होगी और इससे हमारे देश में उच्चवर्गीय पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि विझिंगम पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के रूप में एक विकास परियोजना को मंजूरी दें। मैं इसके विकास के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी, पहले जब आपका नाम बुलाया गया था, उस समय आप सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, जय में डाक व्यवस्था में जो गति थी व अब पोस्टमैनों की निरंतर कमी किए जाने के कारण बिगड़ रही है। जयपुर शहर का काफी विस्तार हो गया है और वहां काफी संख्या में बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं। एक पोस्टमैन को काफी लंबे क्षेत्र में डाक बांटनी पड़ती है और बहुमंजिली इमारतों में डाक बांटने में उनको काफी कठिनाई हो रही है। आठ-दस मंजिली इमारतें बनी हुई हैं। आजकल लोगों के प्रेमपत्र भी डाक के माध्यम से आते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का प्रेमपत्र किसी दूसरे के हाथ में पड़ जाएगा तो वह व्यक्ति नाराज होगा, इसलिए पोस्टमैन को

डाक बांटने के लिए उन बहुमंजिली इमारतों में स्वयं ऊपर तक जाना पड़ता है। जयपुर में डाक बांटने वालों की संख्या जयपुर के विस्तार को देखते हुए काफी कम है और वहां पोस्टमैनों के रिक्त पदों पर भर्ती करने पर पाबंदी लगी हुई है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि वहां नए पोस्टमैनों की भर्ती की जाए और रिक्त पदों को भरने पर जो पाबंदी लगी हुई है, उसे हटाया जाए।

महोदय, मैं समझता हूं कि आज के दिन सबसे अच्छा और प्रासंगिक विषय मैंने शून्यकाल में उठाया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मैं स्वयं को श्री गिरधारी लाल भार्गव जी की बात से संबद्ध करता हूं।

डा. करन सिंह यादव : महोदय, मैं भी स्वयं को इस मांग से संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया दोनों माननीय सदस्यों के नाम इससे संबद्ध किए जाएं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं इन दोनों माननीय सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 31 जुलाई, 2006, पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 31 जुलाई, 2006/
9 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वा 11.00 बजे
तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री के.सी. पलनिसामी श्री जीवाभाई ए. पटेल	81
2.	श्री पंकज चौधरी श्री हेमलाल मुर्मू	82
3.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री रामकृपाल यादव	83
4.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री आर. प्रभु	84
5.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	85
6.	श्री संतोष गंगवार	86
7.	श्री पी.सी. थामस श्री गिरिधर गमांग	87
8.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई	88
9.	श्री बची सिंह रावत "बचदा" श्री अर्जुन सेठी	89
10.	श्री प्रभुनाथ सिंह	90
11.	श्रीमती सी.एस. सुजाता	91
12.	श्री रामदास आठवले	92
13.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	93
14.	श्री अजीत जोगी	94
15.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	95
16.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	97
17.	श्री बी. विनोद कुमार श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	98
18.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	99
19.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	623
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	660, 691
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	676, 681, 682
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	691
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	620, 626, 681, 689, 690

1	2	3
6.	आठवले, श्री रामदास	679
7.	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	633, 672
8.	बैठा, श्री कैलाश	691
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	689
10.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	610, 624
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	623
12.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	608, 666
13.	बोस, श्री सुब्रत	606
14.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	711
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	629, 676, 711
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	677
17.	चिन्ता मोहन, डा.	626, 703
18.	चौधरी, श्री अधीर	680
19.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	674, 711, 726
20.	देवरा, श्री मिलिन्द	607, 617, 735
21.	धनराजू, डा. के.	612, 676
22.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	672, 676, 687, 722
23.	गंगवार, श्री संतोष	676
24.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	676
25.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	711
26.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	623
27.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	629

1	2	3
28.	जयाप्रदा, श्रीमती	691
29.	झा, श्री रघुनाथ	641, 696, 718, 732
30.	जिन्दल, श्री नवीन	607, 613, 688
31.	जोशी, श्री प्रहलाद	614, 669
32.	करुणाकरन, श्री पी.	621
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	676
34.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	651, 705
35.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द	616
36.	खारवेनथन, श्री एस.के.	603, 664, 676, 708, 730
37.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	632, 684
38.	कृष्ण, श्री विजय	625, 706
39.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	626, 657
40.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	661
41.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	618
42.	महतो, श्री सुनिल कुमार	659, 691, 704
43.	महताब, श्री भर्तृहरि	691
44.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	647
45.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	627
46.	माने, श्रीमती निवेदिता	687
47.	मनोज, डा. के.एस.	663
48.	मसूद, श्री रशीद	653, 701
49.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	642, 676

1	2	3
50.	मेघवाल, श्री कैलाश	718
51.	मेहता, श्री आलोक कुमार	676
52.	मेहता, श्री भवुनेश्वर प्रसाद	649
53.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	655, 686
54.	मोहन, श्री पी.	626, 638, 692
55.	मोहिते, श्री सुबोध	622
56.	मुर्मु, श्री हेमलाल	626, 695, 717
57.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	635
58.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	632, 684
59.	नायक, श्री अनन्त	677
60.	नायक, श्रीमती अर्चना	735
61.	निखिल कुमार, श्री	680
62.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	607, 626, 644
63.	पलनिसामी, श्री के.सी.	665, 709, 724, 733
64.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	615, 670
65.	पासवान, श्री रामचन्द्र	662, 707
66.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	658
67.	पटेल, श्री किशनभाई डी.	629, 637, 654, 712
68.	पाठक, श्री ब्रजेश	648, 699
69.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	630
70.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	647
71.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	634, 645

1	2	3
72.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	631, 683
73.	राजगोपाल, श्री एल.	691
74.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	656, 702
75.	राणा, श्री काशीराम	688
76.	राव, श्री के.एस.	607, 689, 715
77.	रावले, श्री मोहन	645
78.	रावत, श्री कमला प्रसाद	711
79.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	611, 668, 716
80.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	676
81.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	691
82.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	691
83.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	674, 676, 726
84.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	634
85.	साईं प्रताप, श्री ए.	629
86.	सज्जन कुमार, श्री	646, 698, 720
87.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	629, 643, 694, 697, 719
88.	सरोज, श्री तूफानी	650, 700
89.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	673, 721, 729, 736
90.	सेठी, श्री अर्जुन	685
91.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	659, 704
92.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	626, 628, 681, 682, 723
93.	शिवन्ना, श्री एम.	629, 729

1	2	3
94.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	605
95.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	640, 691
96.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	636
97.	सिंह, श्री दुष्यंत	652
98.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	672, 714, 728, 735
99.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	678, 713, 725, 731
100.	सिंह, श्री सुग्रीव	629, 637, 712
101.	सिंह, श्री सूरज	662, 707
102.	सिंह, श्री उदय	626
103.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	639, 693
104.	सुब्बा, श्री एम.के.	604
105.	सुगावनम, श्री ई.जी.	609, 629, 667, 689, 710
106.	सुमन, श्री रामजीलाल	626, 657, 703
107.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	653, 676
108	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	602, 671
109.	ठुम्मर, श्री वी.के.	640, 677
110.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	647,
111.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	675, 712, 727, 734
112.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	619
113.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	681, 682
114.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	629, 658, 688
115.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	689

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	
वित्त	:	81, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 97, 99
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	96
विधि और न्याय	:	93
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	92
महासागर विकास	:	
विद्युत	:	82, 100
ग्रामीण विकास	:	83, 88, 90, 94, 98
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
शहरी विकास	:	95।

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	734
वित्त	:	607, 609, 612, 614, 615, 616, 622, 623, 624, 626, 628, 630, 633, 635, 638, 639, 640, 647, 650, 652, 657, 660, 662, 666, 669, 670, 674, 675, 676, 678, 680, 681, 682, 685, 686, 692, 694, 695, 699, 700, 705, 707, 708, 711, 712, 713, 714, 716, 723, 727, 727, 728, 730
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	605, 606, 619, 641, 673, 704
विधि और न्याय	:	620, 621, 625, 656, 721
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	637, 644, 648, 654, 668, 697, 731, 732
महासागर विकास	:	
विद्युत	:	602, 608, 611, 613, 617, 618, 632, 636, 651, 659, 663, 664, 665, 667, 684, 687, 689, 702, 706, 709, 715, 717, 719, 736

ग्रामीण विकास	:	645, 655, 671, 677, 679, 693, 718, 726
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	610, 672, 690, 724, 725, 729
शहरी विकास	:	603, 604, 627, 629, 631, 634, 642, 643, 646, 649, 653, 658, 661, 683, 688, 691, 696, 698, 701, 703, 710, 720, 722, 733, 735।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/21/5/2006 (एन०)

232

© 2006 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।